राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ९] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का २१वां दिवस [संख्या १७

शुक्रवार

दिनांक १८ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(श्रम, सिंचाई, शिक्षा, राजस्व, नियुक्ति, पशुपालन, सामान्य-प्रशासन, गृह, आयुर्वेद, खाद्य-विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज आॅफिस सवाई माधोपुर अनुसूचित जातियों को काम

३३२. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सवाई माधोपुर के काम दिलाऊ दफ्तर (एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज) में कुल कितने प्रार्थना-पत्र सन् १९६५ में आये और उनमें से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कितने उम्मीदवार थे ?

(२) उक्त अवधि में प्रार्थना-पत्रों में से कितने लोगों को काम दिलाया गया और उनमें से कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लोग थे ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) सन् १९६५ में एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज, सवाई माधोपुर में कुल ५०४९ व्यक्तियों ने रोजगार हेतु नाम दर्ज करवाये उनमें से ५२६ अनुसूचित जाति तथा २३७ अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति थे।

(२) कुल ३३४ व्यक्तियों को इस अवधि में रोजगार कार्यालय की सहायता से काम मिला, जिसमें २५ अनुसूचित जाति एवं ३ अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति थे।

श्री जयनारायण सालोदिया : जिन लोगों को रोजगार दिया गया उनके अनुसार परसेन्टेज अनुसूचित जाति एवं जन जाति का सही था ? यानि आप २५ अनुसूचित जाति एवं ३ जन-जाति कहते हैं क्या यह परसेन्टेज ठीक था ?

श्री मथुरादास माथुर : परसेन्टेज इसमें केलकुलेट नहीं हो सकता क्योंकि राज्य सरकार के यह भी आदेश हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज में जाने की जरूरत नहीं है, वे डाइरेक्ट जिस विभाग में जगह खाली हो वहां आवेदन कर सकते हैं; इसलिये इसमें परसेन्टेज का सवाल ही नहीं उठता।

श्री जयनारायण सालोदिया : प्राइवेट तौर पर किस प्रकार लेने की प्रक्रिया है ?

Page No. 2

श्री मथुरादास माथुर : जैसे मान लीजिये मेडिकल डिपार्टमेन्ट में एल. डी. सी. की जगह है तो उसके लिये एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज में जाने की जरूरत नहीं है, वह सीधा प्रार्थना-पत्र विभाग के संचालक को दे सकते हैं। इसलिये ऐसे प्रार्थना-पत्रों का रिकार्ड एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज में नहीं मिल सकता, इसलिये इसमें परसेन्टेज नहीं दे सकते। कन्सर्न विभाग भी एपोइन्टमेन्ट दे सकता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कितनों को सीधा विभाग द्वारा दिया गया, इसकी जानकारी नहीं है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : हमको तो जानकारी उनकी मिलती है जो हमारी मार्फत देते हैं। अगर किसी को डाइरेक्टली विभाग से लेता है तो वह सूचना हमें नहीं रहती। उनके लिये हमारी मार्फत ही जाय, यह आवश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

नहर की डूब में आई जमीन का मुआवजा

३११. श्री जुझारसिंह (चेचट): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राइट मेन कैनाल के परमानेन्ट एम्बेन्कमेन्ट्स तैयार करने के लिये उपलब्ध की गई जमीन का पंचायत समिति सांगोद के राजगढ गांव में अब तक पूरे किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने किसान हैं जिनको अभी मुआवजा देना बाकी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) किसानों को अब तक मुआवजा नहीं देने के क्या कारण हैं ? पंचायत समिति, सांगोद के कितने किसानों को इस नहर योजना के तहत अभी मुआवजा देना बाकी है ? अलग अलग गांव की मय नामों के सूची देने का कष्ट करें।

(३) मुआवजे का कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): (१) ग्राम राजगढ में अभी एक किसान को मुआवजा देना बाकी है।

(२) पंचायत समिति, सांगोद ग्राम राजगढ के कृषक श्री मोडिया ने अपनी भूमि के खातेदारी अधिकार संबंधित पूर्ण कागजात दिनांक ३०-१-६६ तक नहीं दिये इस कारण उसके नाम पर मुआवजे का अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जा सका। इसके अलावा तहसील सांगोद में ग्राम खेडली गुडला में खसरा नम्बर ३६ की २ बीघा ७ बिस्वा व खसरा नम्बर ५७ की २ बीघा भूमि का मुआवजा भी देना बाकी है।

(३) मुआवजा शीघ्र देने का प्रयास जारी है। भूमि अवाप्ति अधिकारी, चम्बल परियोजना, कोटा से अवार्ड प्राप्त होते ही मुआवजे का भुगतान कर दिया जावेगा।

श्री जुझारसिंह : आपने तो मेन कैनाल से मिट्टी निकाली है क्या उन सबको मुआवजा दिला दिया गया है ?

श्री दौलत राम सारण : यह प्रश्न अलग है।

श्री जुझारसिंह : दो-तीन महीने पहले तो नहीं दिया, एक-दो दिन में मिल गया हो तो बात दूसरी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं इन गांवों में गया हूं। वहां के किसानों

Page No. 3

(श्री जुझारसिंह)
ने कहा है कि मैंने केनाल के लिये जिन काश्तकारों के जमीन में से मिट्टी खोदी थी उनको मुआवजा नहीं दिया गया है।

श्री दौलतराम सारण : जो प्रश्न में सूचना चाही गई वह मैंने निवेदन कर दिया।

प्रश्न संख्या ३३४

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

(अनुपस्थित--कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३३५

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह।

सचिवालय के आई. ए. एस. अधिकारियों का अनुभव

३३६. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार द्वारा ऐसे नियम बनाए हुए हैं कि कोई आई. ए. एस. अधिकारी जब तक तीन साल जिलों का अनुभव प्राप्त न करले सचिवालय में सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त नहीं किये जा सकते ?

(२) ऐसे कितने आई. ए. एस. अधिकारी हैं जिन्हें बिल्कुल भी जिलों का अनुभव नहीं है और सचिवालय में नियुक्त हैं और कब से ?

उप-मंत्री, नियुक्ति (श्री चन्दनमल वैद): (१) ऐसे कोई नियम नहीं हैं। सरकार की यह नीति रही है तथा पिछले वर्ष मंत्रिमंडल द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है कि किसी आई. ए. एस. अधिकारी को जिलाधीश के पद पर तीन साल के अनुभव के बिना सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त नहीं किया जावे। उप-सचिव के पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(२) इस समय कोई आई. ए. एस. सचिव ऐसा नहीं है जिसे जिलाधीश का अनुभव नहीं हो। आई. ए. एस. उप-सचिवों में जिलों में विभिन्न पदों का अनुभव सभी को है, किन्तु चार आई. ए. एस. उप-सचिव ऐसे हैं जिन्हें जिलाधीश का अनुभव नहीं है। सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि आई. ए. एस. अधिकारियों को जिलाधीश नियुक्त करने के पूर्व उनके लिये विभागों या सचिवालय का अनुभव आवश्यक है। इसी कारण आई. ए. एस. अधिकारियों को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में आने पर पहले विभागों में या सचिवालय में उप-सचिव लगाया जाता है, सीधे जिलाधीश नहीं भेजा जाता।

प्रश्न संख्या ३३७

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री गोविन्दसिंह।

ग्राम ओरिया खेड़ी (पिड़ावा) के खाते

३३८. **श्री गोविन्द सिंह** (पिड़ावा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम ओड़िया खेड़ी, तहसील पिड़ावा (जिला झालावाड़) में बीस-बीस पच्चीस-पच्चीस साल से खाते

(श्री गोविन्दसिंह)

मरे हुए काश्तकारों के नाम से ही चले आ रहे हैं और मर जाने वाले काश्तकारों के वंशजों के नाम, जो मौजूद हैं, खाते नहीं खोले गये हैं?

(२) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा):

(१) जी हां, ऐसे मामले भी हैं।

(२) तहसील में बन्दोबस्त कार्य चालू है। बन्दोबस्त समाप्त होने पर ही जमाबन्दी तैयार होगी। संभवतः नये सेटिलमेन्ट की रूह से रेकर्ड्स में दुरुस्ती हो गई होगी फिर भी पर्चे वितरण होने पर, जहां ऐसी दुरुस्ती अब तक नहीं हुई हो, वहां काश्तकार उज्रदारी कर दुरुस्ती करा सकेंगे।

श्री गोविन्द सिंह: कुछ काश्तकार ऐसे हैं जिनको मरे हुए बीस-तीस साल हो गये लेकिन उनके वंशजों के नाम जो मौजूद हैं, खाते नहीं खोले गये हैं, इसके बिना उस भूमि को बन्धक रख कर भूमि बन्धक बैंक से कर्जा ले नहीं सकते भूमि को डेवलप नहीं कर सकते। अगर आप सेटिलमेन्ट जल्दी तय करा दें तो यह समस्या हल हो जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: बहुत जल्दी ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रेंट रेट्स रिकार्ड मंगवाकर राज्य सरकार फाइनल मंजूरी दे देगी जिससे यह सारी समस्या इसकी मन्जूरी के बाद हल हो जायगी।

श्री गोविन्द सिंह: सेटिलमेन्ट के बारे में एक निश्चित डेट दे दी जाय, ताकि इस अर्से में काश्तकारों को खाते मिल जायेंगे तो उनको विश्वास हो सके।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: हम खुद चाहते हैं कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी हल हो जाय। रेवेन्यू बोर्ड से जल्दी ही मंगवाने के आदेश कर देंगे।

श्री दलपतसिंह (आबू): मौजूदा तरीकों से म्यूटेशन के लिये क्या इन्सट्रक्शन्स हैं? एक काश्तकार का पिता मर जाता है तो लड़के को नेचुरल तरीके से खेत की खातेदारी राइट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं? आज की प्रिजेन्ट पोजीशन में पटवारियों को इसके लिये क्या इन्सट्रक्शन्स हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: हमने इसके लिये बहुत ही विस्तृत सर्कूलर के रूप में आदेश दिये हैं सेटिलमेन्ट ऑफिसर को, असिस्टेंट सेटिलमेन्ट ऑफिसर को, और इस लेवल से लेकर लोएस्ट लेवल पर पटवारियों तक; जिसमें सारी हिदायतें हैं।

दुर्भाग्यवश यह केस ऐसा है कि इसकी एन्ट्री रिपोर्ट हमारे सर्कूलर के निकलने के पहले ही भेजी जा चुकी थी, इसलिये उस सर्कूलर की रोशनी में जितनी इन्दराज की दुरुस्ती होनी चाहिये थी वह शायद यहां पर नहीं हुई है। इसलिये हम रेंट रेट कोर्ट की मन्जूरी होते ही जहां जहां दुरुस्ती की जरूरत है, अब भी फाइनल पर्चे पर वितरण करने से पूर्व शुरू में पर्चे वितरण करेंगे तब दुरुस्ती कर देंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी जल्दी होगी इसमें की जावेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि बन्दोबस्त नहीं चल रहा है, ऐसे इलाकों में भी ऐसी शिकायतें काफी तादाद में हैं, वहां आपकी क्या व्यवस्था है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: वहां बन्दोबस्त नहीं चल रहा है और शिकायतें हैं तो उसका

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
प्रोसीजर अलग है और उसके तहत म्यूटेशन की कार्यवाही कॉम्पीटेन्ट कोर्ट ऑफ लॉ और पंचायतों से संबंधित रहते हैं तो पंचायतों में वह करा सकते हैं, वहां के बाद उनके अधिकारों की बात न हो तो एस. डी. ओ. के यहां दख्वास्ति देकर दुरुस्ती कराई जा सकती है।

श्री दलपतसिंह : मेरा प्रश्न यह था कि म्यूटेशन कराने के लिये कोर्ट में जाना पड़ता है, पर अगर पंच-सरपंच कर दे तस्दीक तो क्या कठिनाई है? यह तो एक नेचुरल कानून है कि पिता के मरने के बाद पुत्र ओटोमेटिकली खातेदार हो जाना चाहिये। पर शिकायत तो यह है कि इसके लिये भी लिटीगेशन में जाना पड़ता है। इसलिए निवेदन करता हूं कि तहसीलदार को इन्सट्रक्शन करने के बारे में क्या राज्य सरकार विचार रखती है या नहीं कि दस दिनों में वह प्रोपर्टी लड़के के नाम ट्रांसफर हो जानी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं ज्यादा वाद-विवाद में तो पड़ना नहीं चाहता, पर थोड़ा निवेदन कर दूं कि सक्सेशन का जो कानून है वह न केवल लड़के बल्कि लड़कियों के हिस्से की भी बात कहता है। जो डिस्प्यूटेड केस नहीं होते हैं वहां तत्काल कर दिया जाता है, पर कोई डिस्प्युटेड केस हुआ तो उसमें देर लगना स्वाभाविक है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अन-डिस्प्यूटेड भी नहीं होते।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसके लिए बाकायदा कार्यवाही करनी पड़ती है। मैं मानने को तैयार हूं कि जो सीमायें निर्धारित की हैं उनमें जल्दी डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाते या कहीं पर डिवीजन से ऐसी स्थिति आ जाती है कि अलग अलग नाम पर करने से १५३ धारा से जमीन के छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं तो हम उसका डिवीजन नहीं करेंगे तो इस तरह के जितने भी रुकावट के मामले हैं उनको छोड़कर बाकि के सारे केसों में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब इस नए सर्कूलर में भी कोई लेकूना आप बतावेंगे तो उसको जितना हल कर सकते हैं करेंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष, महोदय, यह उत्तर प्रशासनिक ढिलाई पर लीपापोती का प्रयत्न मात्र है। नियमानुसार पटवारी को तहसीलदार और पंचायत को इस की रिपोर्ट करनी चाहिए। ये पटवारी और गिरदावर दाखिल-खारिज के नाते यह करते हैं। रूल ५३ है अगर उसका डिविजन करना है तो। पर इसमें ढिलाई होती है; पटवारी और गिरदावर रेवेन्यू विभाग को दाखिला खारिज करने की इत्तिला नहीं करते। इससे कृषक को परेशानी होती है। इस दाखिला खारिज जल्दी और समय पर करने के लिए पटवारी को कहा जाना चाहिए। जो नियम इस दाखिला खारिज के हैं वे समय पर नियमानुसार हो जाने चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दाखिला-खारिज काफी हुए हैं। नहीं हुए हों, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है कि सारे के सारे बाकी हों। लेकिन जिस तेजी से हमारी जमीन की कन्डीशन बदलती जा रही है, कानून बदलता जा रहा है, सीलिंग वाले मामले हैं, चराई के, फोरेस्ट के मामले हैं, मोरगेज के मामले हैं, ये सारे मामले हैं, म्यूटेशन के साथ यह एक किस्म का केस नहीं है कि बाप

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
मर गया तो बेटे के नाम पर होने वाली ही बात हो। म्यूटेशन में ट्रान्सफर हो आता है, सेल और मोरगेज भी होता है और डेथ के बाद सक्सेशन के आधार पर भी कुछ बातें सामने आती हैं तो इनमें से बहुत सी बातें पंचायतों के करने की हैं। इस सबके लिए हमने नियम में अवधि भी बांध दी है, इस अवधि में पटवारी रिपोर्ट न करे पंच सरपंच को तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। और उसके बाद सरपंच को उस मामले को इतने दिनों में निकाल देना चाहिए। वह अगर नहीं करता है तो एस. पी. ओ. कर सकता है और तहसीलदार जो नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है, करनी चाहिए। जब इस तरह की कठिनाईयों को पोइन्ट आउट किया था तो इन दिक्कतों को हल करने के लिए ऐसे भी संशोधन नियमों में किए हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतावेंगे कि इस तरह से कितने पटवारी और इन्सपेक्टरों के, खिलाफ अवधि में कार्यवाही न करने के कारण एक्शन लिया है सरकार ने।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं आफ हैंड तो नहीं बता सकता। आज यह सेटलमेन्ट का ही क्वेश्चन था। आप यह पूछ लेते तो यह भी बताने की कोशिश करता कि कितने लाख म्यूटेशन के केस हुए हैं इन वर्षों में। अब जो म्यूटेशन के केस बाकी हैं वे कुछ कारणों से बाकी हैं और कुछ दूसरे भी होंगे, मैं दूसरों को रूल आउट नहीं करता।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या यह प्रोवीजन आप नहीं करते कि जो ट्रान्सफर बाई सेल या ट्रान्सफर होते हैं उनको भी आप देखते?

श्री दलपतसिंह : मैं क्लीयर यह उत्तर सरकार से चाहता हूं कि इस तरह के जो केस हैं, क्या सरकार यह आश्वासन देने को तैयार है कि ऐसे केस सात दिन के अन्दर रेगुलराइज हो जाने चाहिए। सात दिन के अन्दर बाप के मरने पर खातेदारी के राइट क्लीअरली बेटे को मिल जाना चाहिए, इसका मेन्शन हो जाना चाहिए कागजों में, यह मेरा निवेदन करना है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बारह दिन तक तो कोई इत्तिला ही नहीं करता।

श्री अध्यक्ष : जब राजस्व विभाग की मांग आवे तब इसके क्या आंकड़े हैं; क्या व्यवस्था है इस बारे में सरकार की, इसका विवरण सरकार दे दे।

श्री कृष्णकुमार : खातेदार की मृत्यु हो जावे तो सुओ-मोटा भी तहसीलदार पटवारी की इत्तिला पर म्यूटेशन की कार्यवाही कर सकता है। यह अगर नहीं हुआ तो क्या इसके कारण से सीलिंग की कार्यवाही में कोई दिक्कत नहीं आवेगी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सीलिंग की कार्यवाही में तो दिक्कत नहीं आवेगी। सीलिंग की कार्यवाही में रिलेवेन्ट डट्स हैं। ५९ की डेट है, लागू होने की डट है और ट्रान्जेक्शन को रिकोग्नाइज नहीं करने की भी पर्टिकूलर डट है। हम इन तारीखों को मालूम करेंगे कि अमुक तारीख जो कि कानून के प्रावधान में दी हुई है अमुक तारीख को अमुक व्यक्ति के नाम पर कितनी जमीन थी। अगर रोंग तारीख से इसको करें भी, इस म्यूटेशन को, तो उससे ज्यादा दिक्कत होगी। पर अमुक तारीख के जो रिकार्ड हैं वे ही रिलेवेन्ट होंगे सीलिंग के लागू करने के लिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसका तात्पर्य यह है कि जो सीलिंग के खातेदार का नाम दर्ज है उनको सीलिंग के लिए बेस नहीं मानेंगे बल्कि जो फेक्ट्स अपने फार्म में भरने वाला देगा उनको मानकर जांच करके वर्गीकरण करेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं, हम अपने रिकार्ड से इसे वेरीफाई करेंगे जो कानून के प्रावधान में दी हुई है जैसे २५-२-५६ और मिसाल के तौर पर जो नोटिफिकेशन इश्यू हुए हैं लागू करने के। तो इन तारीखों पर अमुक व्यक्ति के नाम पर कितनी जमीन थी, यह देखेंगे। जितनी जमीन थी उन तारीखों पर सीलिंग के हिसाब से उतनी होनी चाहिए। सरप्लस कितनी है उतने ही लोगों का प्रश्न रहेगा। बाद में नाजायज तरीकों से बेचकर मान लीजिए म्यूटेशन किसी के हक में कर देते हैं तो इससे यह नहीं मान लिया जावेगा कि जो सीलिंग पर्पजेज के लिए म्यूटेशन कराकर बेच दिया है तो वह जमीन दूसरे के नाम पर है ऐसा मान लिया जावेगा और बेचने के नाम पर न माना जावेगा, यह बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसकी बहस इस समय आवश्यक नहीं है।

श्री मजलिसखां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सीलिंग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : आप दूसरी तरफ बहस कर रहे हैं। यहां तो म्यूटेशन और डिलिमिटेशन का प्रश्न है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने लम्बा-चौडा जवाब दिया। सीधा-सादा मामला है यह दाखिला खारिज का। सारे दुनिया के कानून बनावें, पर दाखिला और खारिज के साथ इन कानूनों का क्या लेना-देना है? दाखिला और खारिज जितनी देर से करते हैं उतना ही भ्रष्टाचार बढता है, पेचीदगियां बढती हैं उलझनें बढती हैं और अगर यह भी कहूं कि दाखिला-खारिज सरीखे सीधे-सादे मामलों को पंचायत में डालकर और कोर्ट्स में डालकर यह सरकार निरर्थक रूप से निरर्थक नीति को अपना कर इसे ख्वामख्वाह पेचीदा बनाती है। दाखिला-खारिज करना पटवारी का अधिकार है। इसे मान लेते हैं तो इसमें बिगड क्या जाता है? इसके बाद आप अपने मरजी पडे जितने कानून बनाते जाइए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पटवारी के बजाय पंचायत बडी अच्छी है; जिसके अधिकार में यह होनी चाहिए।

प्रश्न संख्या ३३९

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं तो यह समझता हूं कि यह प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है; कोई पोलिटिकल मेटर नहीं है।

राज्य के दर्शनीय स्थानों की विदेशों में जानकारी

३४०. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान के दर्शनीय स्थानों तथा जयपुर व उदयपुर शहरों के सम्बन्ध में कौनसे

Page No. 8

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)
देशों में विज्ञापनों द्वारा पर्यटक विभाग द्वारा पब्लिसिटी की जाती है ?

(२) विदेशों में इस सम्बन्धी विज्ञापनों पर गत पांच वर्षों में सालाना कितनी राशि व्यय की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि विदेशों में इन स्थानों के सम्बन्ध में जितनी पब्लिसिटी होनी चाहिए उतनी नहीं की जाती है ?

उप मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री राम प्रसाद लड्ढा) : (१) राज्य के पर्यटक विभाग द्वारा कोई पब्लिसिटी नहीं की जाती है ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह पब्लिसिटी क्यों नहीं की जाती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो दर्शनीय स्थान राजस्थान में हैं या हिन्दुस्तान में कहीं हैं उनकी पब्लिसिटी का काम भारत सरकार का पर्यटन विभाग ही करता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा ।

तहसील प्रतापगढ़ की काबिल काश्त बंजर भूमि

३४१. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील प्रतापगढ में कितनी एकड़ जमीन काबिल काश्त बंजड पड़ी हुई है ?

(२) क्या यह जमीन इस वर्ष भूमिहीनों को अलॉट की जायगी ? यदि हां, तो भूमिहीनों के कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) तहसील प्रतापगढ़ में ८३७७७ एकड़ जमीन बिलानाम काबिल काश्त है ।

(२) जी हां, भूमिहीनों के इस वक्त कोई प्रार्थना-पत्र तहसील प्रतापगढ में विचाराधीन नहीं है ।

श्री हरलाल मीणा : वह दरख्वास्तें क्यों नहीं ली गई इस साल ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस साल की दरख्वास्तें अब ली जायेंगी । गये साल १९६४-६५ में दरख्वास्तें ली थीं, उस वक्त ३४६४ व्यक्तियों को १२८४७ एकड़ भूमि एलॉट की थी । इस साल की दरख्वास्तें अब ली जावेंगी और उस वक्त जो दरख्वास्तें आयेंगी उन पर अब विचार किया जायगा ।

श्री हरलाल मीणा : यह भूमिहीनों की दरख्वास्तें किस माह में ली जाती हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिए नोटिफिकेशन निकालते हैं और करीब सितम्बर के आसपास ली जायेंगी और अप्रेल माह तक उनका अलटमेन्ट पूरा हो जायगा ।

प्रश्न संख्या ३४२

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह ।

(**अनुपस्थित**—कृपया आगे देखिए)

श्री कृष्णकुमार गोयल ।

कोटा बेराज पर पानी की कमी

३४३. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) :

Page No. 9

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि वर्ष १९६५-६६ में कोटा बैराज पर पानी की कमी थी ? अगर हां, तो कितनी क्षमता के विरुद्ध कितना पानी था ?

(२) उक्त बैराज से दाईं व बाईं नहर द्वारा कुल कितनी कितनी एकड़ भूमि को सिंचित करने की क्षमता है ?

(३) इस वर्ष दोनों नहरों द्वारा कितनी कितनी एकड़ भूमि को पानी दिया गया ? खरीफ व रबी दोनों फसलों की अलग अलग तादाद बतावें।

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, कोटा बैराज नहरों की क्षमता ८००० क्यूसेक्स की है। जिसके विरुद्ध इस **वर्ष करब** १५०० से २००० क्यूसेक्स ही पानी उपलब्ध होता रहा है।

(२) दाईं व बाईं नहरों की वर्तमान क्षमता के अनुसार क्रमशः २,५४,००० एकड़ व १,९१,५०० एकड़ भूमि सिंचाई करने का प्रावधान है।

(३) फसल खरीफ १९६५ बाईं व दाईं नहर द्वारा क्रमशः १४९९० एकड़ एवं १५२८३ एकड़ भूमि में सिंचाई की गई थी। फसल रबी १९६५-६६ में दाईं व बाईं नहर द्वारा अब तक क्रमशः ८६३७८ एकड़ एवं ६३१५९ एकड़ भूमि सिंचाई की गई है। रबी फसल के अन्त तक दोनों नहरों से मिलाकर खरीफ फसल में की हुई ३०२७३ एकड़ सिंचाई के अलावा १.६० लाख एकड़ भूमि रबी में सिंचित हो जाने की संभावना है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अभी तक इस कोटा बैराज पर जो पानी की क्षमता रहनी चाहिए अधिक से अधिक वह कितनी रही है और कुल कितने क्षेत्र की सिंचाई हुई है ?

श्री **दौलतराम सारण** : अब तक का क्या मतलब ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : जितनी क्षमता है उसके अगेन्स्ट में, याने जब से बन्ध बना है तब से लेकर आज तक अधिक से अधिक पानी कब और कितना रहा है और उससे कितनी एकड़ भूमि सिंचाई होनी चाहिए ?

श्री **दौलतराम सारण** : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : सरकार गत वर्ष की तुलना में इस साल कितने एकड़ भूमि में कम सिंचाई होना मानकर चलती है ?

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इसमें जैसा बताया कि ३०-३३ हजार एकड़ तो हुई है खरीफ में और १ लाख ६० हजार एकड़ रबी में सिंचित हुई है, इस तरह से यह दोनों फसलों का २ लाख एकड़ हो गया। लास्ट ईयर २ लाख २० हजार था दोनों का मिलाकर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यदि ८ हजार क्यूसेक्स पानी रहा तो कितनी सिंचाई हो सकती है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : गत वर्ष का आपने बताया तो उसमें कोटा बैराज में कितने क्यूसेक्स वाटर था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किस दिन कितना वाटर लेवल था, यह कहना मुश्किल है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप जब तक लास्ट ईयर का क्यूसेक्स वाटर नहीं बतायेंगे और यह नहीं बतायेंगे कि इतनी भूमि सींची थी तो यह नहीं मालूम हो सकता कि इस साल के आंकड़े सही हैं या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : क्यूसेक्स पानी कम चल रहा है लेवल कम होने की वजह से । इस समय जो पानी चालू है वह कभी भी दो हजार क्यूसेक्स से ऊपर नहीं गया । लास्ट ईयर ३५००–४००० क्यूसेक्स तक पानी चला था, क्योंकि कोटा बैराज में पानी का लेवल ऊंचा था । इस समय क्योंकि पानी की कमी है और हमने पानी का रिलीज पहले ही तय कर लिया था दिसम्बर के बाद जो पॉवर जनरेट करेंगे और जितना पानी बिजली के लिए छोड़ेंगे वह मार्च के महीने तक आखिरी तारीख है कि २ हजार क्यूसेक्स से शुरू किया था और उसको कम करते चले गये । आज १२०० क्यूसेक्स पानी चल रहा है और आने वाले महीनों में ५५० क्यूसेक्स ही पानी चलेगा । इसलिए पानी कम हो जायेगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : गत वर्ष की अपेक्षा इस साल लगभग आधी जमीन में सिंचाई की है, तो मैं जानना चाहूंगा . . .

श्री नाथूराम मिर्धा : आधी कहां की है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने २। लाख बताई . . .

श्री नाथूराम मिर्धा : इस साल २ लाख हो गई तो, आधी कहां हो गई ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार की मान्यता है कि गत साल के वाटर लेवल में और इस साल के वाटर लेवल में अन्तर नहीं था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अन्तर तो है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब २। लाख लास्ट ईयर बताते हैं और २ लाख इस साल बताते हैं . . .

श्री नाथूराम मिर्धा : लास्ट ईयर तो पानी की कमी की वजह से क्योंकि पॉवर ज्यादा जेनरेट कर रहे थे और इरिगेशन के लिहाज से पानी चलाने की व्यवस्था इस साल आई है, क्योंकि लास्ट ईयर पानी की स्थिति बैटर थी तो पॉवर में ज्यादा जेनरेट करने के लिए जब पानी छोड़ा गया तो पानी ज्यादा चला । लास्ट ईयर तो हम सोचते थे कि जो पानी आ रहा था उससे ज्यादा इरिगेशन किया जा सकता था लेकिन इरिगेशन उस समय तक डेवलप नहीं हो सका था । इस साल लोगों की मांग ज्यादा थी और इस साल अगर कमी नहीं की होती तो ३ लाख एकड़ तक पहुंच सकते थे । लेकिन क्योंकि पानी की कमी हो गई इसलिए इतने कम भूमि में हुई और पॉवर को भी रेगुलेट करना पड़ा । हमको एटलीस्ट जुलाई पकड़नी है । उसको शुरू से ही रेगुलेट किया है और जो रेगुलेट किया है और जो टाइम शिड्यूल बनाया उससे पानी थोड़ा बहुत ज्यादा ही ड्रॉ किया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने लगभग २ लाख एकड़ भूमि सिंचित होने का अनुमान लगाया है यह केवल इसलिए हो पाया है कि जिन फसलों को तीन-तीन और चार-चार बार पानी मिलना चाहिए था वह केवल एक या दो बार ही दिया गया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके दो रास्ते हो सकते थे कि या तो हम ऐसी फसलों को पानी दें कि जितना चाहिए उतना दें या दूसरा आल्टरनेटिव यह था कि ज्वार के बाद चने

Page No. 11

(श्री नाथूराम मिर्धा)

का कर दें और उसके बाद में पानी दे देंगे। और जहां गेहूं थे हमने कहा कि पानी दे देंगे। यह सारी चीजें रेगुलेट शुरू से की थीं और इसका ज्ञान भी किसानों को करा दिया था कि क्योंकि इस साल पानी की कमी है इसलिए जितनी पैदावार ३-४ पानी से होती है उतनी नहीं होगी। इसलिए किसी को दो बार, किसी को एक बार और किसी को ३ बार पानी देकर खेती कराई। क्योंकि हम नहीं चाहते कि इतना पानी कम दें कि वह बिल्कुल ही खेती नहीं कर सकें।

कु० श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : जो आपने पंचायत को डिपार्टमेन्ट से भेजा है उसमें है कि गन्ने को एक पानी देना पड़ेगा, गेहूं को दो उसके अन्तर्गत आप पानी नहीं दे सके और गेहूं के लिए भी एक ही पानी दिया।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह दावा करता हूं कि जो कुछ हमने टाइम शिड्यूल बनाया था उसके अनुसार पानी दे दिया है। यह भी सम्भव नहीं हुआ है क्योंकि उसमें भी कई बार रुकावटें आई हैं।

कु० श्री महेन्द्रसिंह : हमने २ लाख एकड़ की भूमि सिंचाई की। तो इन्होंने बजाय दो तीन पानी देने के एक फसल में एक एक पानी दिया है, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल पाता है और जितना पानी गेहूं को चाहिए उतना नहीं दिया है। २ लाख एकड़ की बजाय २५ हजार एकड़ भी नहीं होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस हद तक कहा है उतने तक सही नहीं है। लेकिन ८० परसेन्ट लोगों को एक पानी से ज्यादा दिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नहीं दिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जो जानकारी की है कि जो टाइम शिड्यूल बनाया था उसमें कितना अन्तर हुआ है। मुझे जो जानकारी मिली है वह ७५-८० परसेन्ट किसान ऐसे हैं कि जिनको दो या दो से अधिक पानी दिया है, बाकी के २५ परसेन्ट लोग ऐसे हैं कि जिनको एक ही पानी दे पाये हैं। कम पानी से यही हो सकता था कि कुछ न कुछ लोग पैदा करें। हम चाहते थे कि जहां २०-२५ मन की पैदावार हो वहां यदि कम पानी से १० मन ही पैदा करें तो कोई हर्ज नहीं, इससे उनका गुजारा तो होगा। यह दृष्टिकोण दिमाग में सामने रखा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जहां तक यह सूचना है कि दो पानी दिया गया है, मैं अपनी सूचना से कहता हूं कि आपने अधिक से अधिक एक बार पानी दिया है और कहीं कहीं पर तो एक बार भी नहीं दिया गया है। सरकार क्या इस सिद्धान्त को नहीं मानती है कि नहरी का पानी कम देने के कारण किसानों की अपनी फसलों में क्षति हुई है और उसके लिए सरकार कानूनी तौर पर जिम्मेदार है और उनको इसका मुआवजा मिलना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह लीगल प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री नाथूराम मिर्धा : मुआवजे के नियम बने हुए हैं, उन नियमों के तहत जिनके जो कुछ भी क्लेम बनते हों वे पेश करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सरकार लीगली जिम्मेदारी नहीं मानती तो मोरली तो इसे माने . . .

Page No. 12

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

जोधपुर शहर पर हवाई हमले

३४४. **श्री मोहनराज** (बाली) [श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) द्वारा पूछा गया]: क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गत भारत-पाक युद्ध के दौरान जोधपुर शहर पर कितने हवाई हमले हुए ? क्या जोधपुर के अलावा भी कहीं हमारी सीमा में हवाई हमले हुए हैं ? यदि हां, तो किन किन ग्रामों अथवा शहरों पर ?

(२) इन हवाई हमलों के कारण अनुमानतः कुल कितने रुपयों की सम्पत्ति व सामान का नुकसान हुआ ? इसमें कितनी सरकारी व कितनी गैर-सरकारी सम्पत्ति थी ? क्या गैर-सरकारी सम्पत्ति को हुए नुकसान के कारण किन्हीं व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे लोगों को मुआवजा देने का विचार रखती है ?

(३) क्या इन हवाई हमलों के कारण कुछ इन्सानों की जानें गई हैं ? कृपया संख्या बताने की कृपा करें ?

उप-मंत्री गृह, (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) गत भारत-पाक युद्ध के दौरान जोधपुर शहर व अन्य ग्रामों पर कुल ९२ हवाई हमले हुए जिनमें १८ बार बम गिराये गये।

जोधपुर के अलावा निम्नलिखित गांवों में भी हवाई हमले हुए थे:—

१. जिला जोधपुर। तहसील जोधपुर

(१) डिगाडी कलां

(२) बम्बोर

(३) चैनपुरा

(४) पावूपुरा

(५) भिचडली

(६) विनायकिया

(७) डन्ड

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, नाम साफ नहीं बोले जा रहे हैं, इनको दुबारा बुलाइए।

श्री अध्यक्ष : यह तो अपनी अपनी स्टाइल है बोलने की।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (८) कटडा

(९) कडवड

(१०) झिपखनी

(११) मदवासिया

ब: तहसील शेरगढ

(१) खिरजा (२) तैना

स: तहसील ओसियां

एक माननीय सदस्य : ओसिया नहीं ओसियां।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मारवाड़ के नाम हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : नाम साफ नहीं बोले जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (स) तहसील ओसियां

(१) तेवरा

(२) खडीनिया, यह खड़ी बोली में है।

श्री राधाकृष्ण गोयल ((टोंक) : यह खड़ी बोली कोई गांव है, अध्यक्ष महोदय ?

Page No. 13

श्री निरंजननाथ आचार्य : (३) बालरवा

२. जिला बाड़मेर

(१) उतरलाई (२) गडरारोड (३) गागावारा ।

३. जिला जैसलमेर

(१) बान्धा ।

(२) इन हवाई हमलों के कारण अनुमानतः रु० ३,५४,८१५.०० की सम्पत्ति व सामान का नुकसान हुआ । जिसमें रु० ८४५८७ की गैर-सरकारी सम्पत्ति थी । गैर-सरकारी सम्पत्ति के नुकसान का मुआवजा रु० ६,२२५ दिया गया । बाकी नुकसान के बदले मुआवजा देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(३) इन हवाई हमलों के कारण ४७ व्यक्तियों की जान गई ।

श्री तेजाराम गहलोत : यह जो आपने ६२२५ रु० का मुआवजा दिया है यह कितनी गैर-सरकारी सम्पत्ति का मुआवजा दिया है और बाकी सम्पत्ति का मुआवजा न देने का क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बकाया सम्पत्ति का मुआवजा देने का मामला विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह दिया जाएगा या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : विचाराधीन में दिया भी जायेगा और नहीं भी दिया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न सिद्धान्त का है कि गवर्नमेन्ट की नीति क्या है कि जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जायगा या नहीं ?

मुख्यमंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं इस बारे में निवेदन कर दूं कि जो मुआवजा नहीं दिया गया है उसके अन्दर दो बड़ी रकमें हैं, जो अभी तादाद बताई गई है उसके अन्दर एक तो भैरोंसिंहजी का जोधपुर का मकान है, जिसका ४३ हजार रुपये के करीब का वेल्यूएशन आया है । वे उस वेल्यूएशन से सहमत नहीं हो रहे हैं । वे मानते हैं कि इसका वेल्यूएशन ज्यादा है और पी० डब्लू० डी० ने जो वेल्यूएशन किया है वह ४३,००० का है । दोनों में डिस्प्यूट है, इस वजह से यह पेंडिंग है । दूसरा मामला सरदार क्लब का है, जिसका भी करीब १७,००० का वेल्यूएशन है । इस तरह साठ हजार का अमाउण्ट तो इन दो आइटम्स का ही है । इस सम्बन्ध में हमने मुआवजा देने के बारे में यह तय किया है कि जो कम्यूनल रॉइट्स हुए थे उदयपुर में और उस जगह पर जिस फॉरमूले से मुआवजा तय किया गया था उसी फारमुले से यहां भी मुआवजा देने के बारे में कार्यवाही की गई है । पंजाब स्टेट में भी इसके सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है । उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से किया है । इनमें जो भी ठीक होगा उसी प्रकार से निर्णय करके इन केसेज को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : कब तक ये मुआवजे के मामले फाइनल कर देंगे । मुआवजा देना या नहीं देना, इसका कोई न कोई फाइनल निर्णय तो होना चाहिए । कितने दिनों में आखिर निर्णय हो जाएगा ?.

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं निश्चित तौर से समय तो नहीं कह सकता। सरकार की कार्यवाही इनके बारे में ज्योंही फाइनल हो जाएगी, निर्णय हो जाएगा। इन चीजों को ज्यादा डिले हम भी नहीं करना चाहते।

महारावल श्री **लक्ष्मण सिंह** : क्या छः महीने में हो जाएगा; साल भर में हो जाएगा?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : अगर कम्पेन्सेशन अमाउण्ट के बारे में जो पार्टी कन्सन्र्ड हैं उनको ऑब्जेक्शन नहीं रहा तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हो जाना चाहिए।

श्री **भैरोंसिंह** : जो व्यक्ति जेल में मारे गए हैं ४७ या ४६, जो अभी आपने बताया, तो जो व्यक्ति मरे हैं उनके घर वालों को भी सहायता के रूप में कुछ दिया गया है?

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : ५०० रुपये पर-फैमिली, जो कैदी मरे हैं उनको और जो सरकारी व्यक्ति मरे हैं उनकी फैमिली को एक हजार रुपये दिए गए हैं।

(श्री तेजाराम और श्री मानधातासिंह साथ साथ बोलने लगे)

श्री **अध्यक्ष** : श्री मानधातासिंह।

श्री **मानधातासिंह** : जो मंत्री महोदय ने बतलाया...

श्री **तेजाराम गहलोत** : उनको पेंशनें भी दी गई हैं?

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : जो लोग ड्यूटी पर मरे हैं उनकी पेंशन के बारे में भी विचार किया गया है और उनको इसी प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है जिस प्रकार से औरों को किया जाता है।

श्री **मानधातासिंह** : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो प्रोपर्टी का मुआवजा दिया जा रहा है वह किस परसेन्टेज से दिया जा रहा है। क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है भैरोंसिंहजी के बंगले का जो नुकसान हुआ है वह ४२,००० का आंका गया है और सरकार केवल दो हजार का मुआवजा देने को तैयार है। तो इसमें जो नुकसान होता है वह किस परसेन्टेज के हिसाब से दिया जा रहा है?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : दो हजार रुपयों का प्रश्न नहीं है। उसके अन्दर दो हजार रुपये तो सब्सिडी के तौर पर हो सकते हैं, बाकी लोन के तौर पर। प्रश्न इसमें यह विचाराधीन है कि कितना पार्ट सब्सिडी हो और कितना लोन।

श्री **श्रवणलाल** (हिंडौन-सु.) : क्या जो आपने फौजी वहां पर मरे हैं उनके लड़कों की शिक्षा के लिये सरकार ने कुछ व्यवस्था की है?

(कोई उत्तर नहीं)

श्री **भैरोंसिंह** : सरकार ने इस मामले में इतना विलम्ब क्यों किया?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : इसके विषय में भारत सरकार की तरफ से इस संबन्ध में जो सम्बन्धित स्टेट्स हैं उनसे बात करने के बाद सर्टेन रूल्स बनाए गए हैं। पंजाब में भी एक पैटर्न को लेकर रूल्स बनाए गए। हम भी एक बात को लेकर चले हैं। जिनको मुआवजा देना है वे लोग अमाउन्ट के बारे में रिकन्साइल नहीं हैं। इन सब की वजह से देरी हुई है।

श्री **भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि पंजाब सरकार ने रूल्स बना कर उन लोगों को

(श्री भैरोंसिंह)
मुआवजा दे दिया है और इसका पेमेन्ट भी हो चुका है।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं नहीं जानता कि सब को दे चुके हैं या नहीं, लेकिन जो कुछ गरीब थे और जिनके छोटे २ मकान थे उनको मुआवजा दिया गया है। उसी प्रकार से यहां भी दे दिया गया है।

श्री **भैरोंसिंह** : पंजाब ने एक पैटर्न बना कर उसके अनुसार रूल्स बना लिए तो आपने क्यों नहीं बनाए ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : हम भी बना चुके हैं। इसके बारे में कहीं ज्यादा दिए गए हैं तो कहीं कम। जैसा मैंने कहा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि अभी तक किसी कैलेमिटी के अन्दर जिस बेसिस पर लोन और सब्सिडी देने का फार्मूला है वह हमारे यहां भी बना हुआ है।

श्री **भैरोंसिंह** : आपके रूल्स के हिसाब से किस परसेन्टेज तक लोन मीट आउट कर देते हैं।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : लोन्स और सब्सिडी देने वाले रूल्स तो इस समय मेरे पास नहीं हैं, लेकिन इतना मैं निवेदन कर दूं कि सब्सिडी तो लिमिटेड है बाकी ज्यादा लोन ही है। मैक्जिमम सब्सिडी दो तीन हजार की है, बाकी लोन है।

श्री **भैरोंसिंह** : यह जो दो तीन हजार की सब्सिडी देने के रूल्स बने हुए हैं तो किसी विदेशी आक्रमण से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए हैं या यहां की आगजनी, फ्लड वगैरा के कारण जो नुकसान होता है उसको मीट करने के लिए है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : जहां तक मेरी जानकारी है दूसरी जगहों पर भी आम तौर से लोन ही दिए गए हैं।

श्री **भैरोंसिंह** : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि इस प्रकार से जो लोस होता है उसको कम्पन्सेट करने के लिए रूल्स बने हुए हैं या नहीं ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : इसके लिए पहले से तो कोई रूल्स बने हुए नहीं हैं। राजस्थान के अन्दर पिछले दिनों कॉम्यूनल राइटस की वारदातें हुई थी, उनके बारे में लोगों को कम्पेन्सेट और रिहेबिलिटेट करने के लिहाज से रूल्स बनाए गए थे। अब जो नेचुरल केलेमिटीज हो जाती हैं उनके अन्दर किस हद तक सब्सिडी गवर्नमेन्ट दे सकती है इसके रूल्स बने हुए हैं और वे उनको रिहेबिलिटेट करने के पोइन्ट ऑफ व्यू से ही बने हुए हैं। लेकिन इन दोनों में हो ज्यादा लोन देने के बारे में ही सोच कर चल रहे हैं, क्योंकि यह चीज आकस्मिक रूप से ही खड़ी होती है और उसके अन्दर फिलहाल जनरल पॉलिसी अडॉप्ट करके ही चला जाता है।

श्री **भैरोंसिंह** : इस क्वेश्चन से यह भ्रम पैदा हो गया है, अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तानी आक्रमण के कारण जिन लोगों की क्षति हुई है उस क्षति-पूर्ति के सम्बन्ध में जिस तरह से पंजाब सरकार ने नियम बनाये हैं राजस्थान सरकार ने भी उस तरह के नियम बनाये हैं या नहीं ? और अगर नहीं बनाये हैं तो, क्यों नहीं बनाये ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : मैंने निवेदन किया कि जो नियम हमने बनाये हैं उनके अन्दर भेद हो सकता, लेकिन नियम मौजूद हैं।

श्री **भैरोंसिंह** : यह पाकिस्तानी आक्रमण के कारण हुआ है। पहले तो हिन्दुस्तान पर आक्रमण नहीं हुआ था।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : जो पहले से रूल्स थे वे एक दूसरे पैटर्न के लिए थे उनको ज्यों का त्यों ले लिया है जैसा कि मैंने पहले सदन में कहा था, शायद माननीय सदस्य को याद होगा, जब कि एग्रेशन चल रहा था और शायद माननीय सदस्य आपने हो या और किसी ने यह क्वेश्चन रेज किया था कि क्या उनको इस प्रकार से कम्पन्सेशन दिया जायेगा या रिहेबिलिटेट किया जायेगा; तब मैंने कहा था कि उसी प्रकार से किया जायेगा। उसी पैटर्न को ज्यों का त्यों एडॉप्ट किया है।

श्री **भैरोंसिंह** : वे रूल्स जब उदयपुर मे झगड़ा हुआ था तो उनको कम्पेन्सेशन करने के लिए बने थे या एमेन्ड हुए थे। मेरे कहने का मतलब यह था कि पंजाब ने बिल्कुल डिफरेन्ट रूल्स बनाये थे; पंजाब ने इस आक्रमण से जिनको नुकसान हुआ है उसके हिसाब से उनको किस तरह से कम्पेन्सेशन किया जाय, कितने परसेन्टेज में सब्सिडी दी जाय तो पंजाब ने बिल्कुल डिफरेन्ट रूल्स बनाये हैं, तो राजस्थान ने क्यों नहीं बनाये ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : मैंने निवेदन किया कि जो हमने रूल्स बनाये हैं तो उस समय पंजाब और दूसरी जगहों के ऐसे रूल्स को देखकर बनाये हैं। उसके अन्दर लेटेस्ट कोई चेन्जेज हुए होंगे तो मैं इतना कहकर चल सकता हूं कि पंजाब ने इस इमर्जेन्सी के लिए जो रूल्स बनाए हैं उनसे राजस्थान के अन्दर कम लिबरल रूल्स नहीं होंगे।

महारावल श्री **लक्ष्मणसिंह** : क्या उदयपुर जो रॉइट्स हुए थे उनके सम्बन्ध में जो कुछ मुआवजा देना था, रूल्स के अन्दर जिस तरह से प्रावधान किया गया था, वह मुआवजा उनको चुका दिया गया है या अभी तक चुकाना बाकी है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : वह एक अलग सा प्रश्न है। उसकी मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है।

महारावल श्री **लक्ष्मणसिंह** : मेरा तात्पर्य यह था कि आपने अभी जिक्र किया, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी कहा उदयपुर के सम्बन्ध में तो मेरा यह निवेदन है कि इस नेशनल इमर्जेन्सी के अन्तर्गत दुश्मनों के हवाई जहाजों से नुकसान पहुंचा है इस देश की प्रोपर्टी को, तो उदयपुर के रॉइट्स के सम्बन्ध में अगर मुआवजा चुका दिया है तो यह मेरा ख्याल से उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मुआवजे को समय पर नहीं चुकाते हैं और लोन्स समय पर नहीं देते हैं तो मेरे ख्याल से यह आपकी जो कुछ भी व्यवस्था है वह निरर्थक और थोती व्यवस्था हो जाती है।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** : माननीय नेता के विशेषणों के लिए मुझे [illegible] की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इन दो केसेज में जो कि मेरे सामने कोट किये गये हैं बल्कि अमाउन्ट उनका है और उन केसेज में मुआवजे के अकाउन्ट में मामूली डिस्प्यूट है एक मैं और दूसरा क्लब है।

महारावल श्री **लक्ष्मणसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि दूसरे देशों में ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, वार होती है

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
तो मेरे ख्याल से दूसरे देशों का उदाहरण हम ले लेंगे तो प्रॉम्प्ट पेमेन्ट होना चाहिए।

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): दूसरे देशों में कुछ नहीं मिलता है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: दूसरे देशों का उदाहरण लेंगे तो लाभ कम प्राप्त होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: आपका कहना एक हद तक ठीक है और एक हद तक गलत भी है। मेरा तो यही निवेदन करना है कि जो कुछ गवर्नमेन्ट को पेमेन्ट करना है उसके बारे में प्रॉम्प्ट एक्शन गवर्नमेन्ट को लेना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो सब जानते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको देना है तो तुरन्त दें। आप बैठकर विचार कर रहे हैं, विचार-मग्न हैं, विचाराधीन हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, यह मेरे ख्याल में संतोषजनक व्यवस्था नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: भैरोंसिंहजी जो कन्सर्न्ड पार्टी हैं उनको सलाह देकर यह लिखवा दें कि जो अमाउन्ट फिक्स्ड किया है वह तुरन्त देना चाहिए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक महीने भर के अन्दर फैसला कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह: प्रोवीजनली उनको दे दें और जब फाइनल डिसीजन हो तो बाद में दें दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: यह तो बिल्कुल लेम एक्सक्यूज है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: उनके कहने से और जांच करवाने के लिये मामला डिले में पड़ रहा है और उस कारण से डिले हो रही है। इस लिये मेरा कहना है कि इसी एमाउन्ट को जल्दी दिलवाना है तो दरख्वास्त दे दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: इनमें ४०-५० हजार का मुआवजा देना है, उस सम्बन्ध में २-३ केसेज को आप कन्सीडर कर रहे हैं। आपको ओवर ऑल कन्सीडरेशन करना चाहिये, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: बाकी तो, माननीय अध्यक्ष, जो इसमें एमाउन्ट बताया है इसके अलावा डिस्क्रीशनरी फण्ड से या और तरह से उन लोगों को जो गरीब थे उनको रिलीफ दी गई है, जो कि मैंने इसके अन्दर नहीं बताया है।

प्रश्न संख्या ३४५

श्री अध्यक्ष: श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३४६

श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

चौथ माता के मेले पर लड़ाई

३४७. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) व **वैद्य** श्री **गोविन्दसहाय** (गंगापुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक ११-१-६६ को चौथ का बरवाडा, जिला सवाई-माधोपुर में चौथमाता के मेले

(श्री जयनारायण सालोदिया)
के अवसर पर गूजर व मीणों में योजना बना कर लडाई हुई? यदि हां, तो कितने लोग मरे और कितनों के चोटें आईं?

(२) क्या गत साल भी इसी मेले में इसी तरह की लडाई हुई थी? यदि हां, तो कितने आदमी मरे थे व कितनों के चोटें आई थीं? दोनों बार की लडाई के सिलसिले से कितनी गिरफ्तारियां हुई?

(३) क्या यह भी सच है कि सरकार को यह बात पहले से मालूम थी कि लडाई हो सकती है फिर भी उसे रोकने के लिये कोई विशेष इन्तजाम नहीं किया गया?

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी हां, गूजर तथा मीणों में झगडा ११-१-६६ को हुआ था। इस मौके पर दो मीणों की मृत्यु हुई तथा एक मीणा व एक गूजर के चोटें आई? योजना बनाकर लडाई नहीं हुई, अचानक लडाई हो गई थी।

(२) जी हां, कोई व्यक्ति नहीं मरा। २५ आदमियों के चोटें आईं थीं। दोनों सालों के मुकदमों में ५५ आदमी गिरफ्तार किये गये थे।

(३) जी नहीं, किन्तु गूजर व मीणों के एकत्रित होने की अधिक संख्या को देखते हुए पुलिस का पूरा प्रबन्ध किया गया था।

श्री जयनारायण सालोदिया : कितनी पुलिस थी वहां? किस किस प्रकार की कितनी पुलिस थी?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सी० आई० २, एस. आई. ४, एच. सी. १५, कॉन्स्टेबल्स ५४, टोटल ७५।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : उप-मन्त्री जी ने यह बताया कि ५५ आदमी गिरफ्तार हुए तो उनमें चालान कितनों का हुआ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उनका चालान अभी अभी हुआ है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : कितनों का हुआ है?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : गत वर्ष को हुआ है २९ मुलजिमान का।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : इस वर्ष भी झगडा हुआ और गत वर्ष भी झगडा हुआ था, तो गत वर्ष के झगडे का चालान अब हो रहा है?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह सन् ६५ का चालान किया गया है?

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : ६५ जो गत वर्ष के लिये गिरफ्तार किये गये थे उनका चालान कब हुआ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : १७-१-६६ को चालान हुआ है। अभी एक-दो महीने पहले हुआ है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इतना लेट करने का कारण क्या है?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : In vestigation

श्री राधाकृष्ण गोयल : साल भर को 'इन्वेस्टीगेशन में डिले करने के क्या कारण है?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : गत जनवरी में ऑफेन्स कमिट हुआ है।

Page No. 19

श्री राधाकृष्ण गोयल : १२ महीने लग गये इन्वेस्टीगेशन में।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ऐसे तथ्य हैं कि इसको देर से नहीं कहा जा सकता है।

वैद्य श्री गोबिन्दसहाय : झगडा कब हुआ और कितने दिन बाद चालान किया गया ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : करीब २-३ महीने पहले चालान हुआ है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने कहा कि योजना-बद्ध झगडा नहीं हुआ, तो क्या यह सच है कि इस तरह के प्रचार के लिए पोस्टर बांटे गये थे ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : झगडा करने पर उतारू हैं, ऐसे पोस्टर नहीं छपे थे।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : इस साल जो झगडा हुआ है उसमें कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गिरफ्तारियां हुई हैं और जमानत पर भी छूटे है।

श्री दिग्विजयसिंह : हुई नहीं, कितनी हुई हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन छोटी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं।

वैद्य श्री गोबिन्दसहाय : फिर पन्ने क्या क्या इधर-उधर पलट रहे है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : और काफी हुई है यह भी कहदें।

श्री दिग्विजयसिंह : आप यह जानकारी दे दें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं तहकीक संख्या नहीं बतला सकता, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : पूछा गया था।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

वैद्य श्री गोबिन्दसहाय : मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह नहीं पूछा गया था, लेकिन मैंने पूछा है कि गत वर्ष कितनी हुई हैं और इस वर्ष कितनी हुई हैं। मन्त्री महोदय सदन को गलत सूचना दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सूचना दे ही नहीं रहे हैं कुछ।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि वहां पर कितने फायर किये गये थे पुलिस के द्वारा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ७-८ राउन्ड फायर हुए हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अन्दाजे से ही।

श्री अध्यक्ष : श्री करोल।

श्री माथूलाल करोल (चाकसू) : क्या यह सही है कि पुलिस के अन्दर सिपाही भी गूजर थे और दूसरे कर्मचारी भी गूजर थे और उन्होंने आगे चलकर झगडा करवाया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पुलिस के अन्दर जातिवाद नहीं है। पुलिस है।

Page No. 20

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने फायर के लिये कहा यह गलत है। मैं उस टाइम वहां पर मौजूद था, वहां पर पुलिस बिल्कुल अकर्मण्य थी। गूजर और मीणा लोग लड़ाई के मैदान में खडे हों उस तरह से खड़े थे और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ छतरी पर खडी रह कर लाउडस्पीकर से ऐलान कर रही थी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों, गूजर और मीणा, ३०० गज के फासले पर थे, बीच में पुलिस का कोरडन था, इसलिये पुलिस सतर्क थी। मीणा गुजरों पर नहीं आवें और गूजर मीणों पर नहीं आवें। छतरी पर जो आप कहते हैं वह आर्म्ड पुलिस थी, ताकि यदि कोई बलवा होजावे तो संभालें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : जैसा कि आप कह रहे हैं पुलिस कोरडन कर रही थी, गूजर मीणों पर नहीं आवें और मीणें गूजरों पर नहीं आवें तो फिर गूजर और मीणें एक दूसरे पर कैसे आये?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गूजर और मीणे कोरडन होने के बाद मीणों ने माताजी की जय बोली। मीणों की जय को गूजरों ने ललकार का कारण समझा, चैलेन्ज समझा··

श्री राधाकृष्ण गोयल : पुलिस का कोरडन था तो एक दूसरे पर कैसे घुस गये?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ५, ६ हजार गूजर थे चैलेन्ज के आधार पर घुस गये। मीणों की तरफ घुसे, पुलिस का कोरडन टूटा और पुलिस के कुछ कांस्टेबल घायल हुए।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : लेटेस्ट बलवे में कौनसी दफा में चालान हुए?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दफा १४८, रॉयट विथ डेडली वेपन, दफा ३०४, ३०२ और चार-पांच दूसरे ऑफेन्सेज थे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि चार-पांच ऑफेन्स, जिनकी दफा आपने नहीं बताई, उसमें कोन्स्पिरेसी वाला ऑफेन्स भी शामिल है?

श्री निरंजननाथ आचार्य: कान्स्पिरेसी का ऑफेन्स २०१-ए है, वह इसमें नहीं है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु०) : दोनों बार झगडे हुए उसका कारण क्या था?

श्री राधाकृष्ण गोयल : पुलिस इस बात के लिये थी कि झगडा नहीं होने दे। टोंक के व्यक्तियों को भी इसमें मुलजिम बनाया गया है। गूजर और मीणें आपस में तैयारी करके बरवाडा गये थे; पब्लिक को इस बारे में पता था तो क्या पुलिस के नोटिस में यह बात नहीं आई कि वे वहां झगडा कर सकते हैं? यदि यह बात पुलिस के नोटिस में आई तो पुलिस चुपचाप क्यों बैठी रही? वहां पर झगडा हुआ, आदमी मरे, लेकिन पुलिस सतर्क नहीं रही और माकूल व्यवस्था क्यों नहीं हुई?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इसमें चालान हो गया?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले मैं उनका जवाब दे दूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रश्न खडा नहीं होगा, यदि कोर्ट में उनका चालान हो गया है तो।

श्री अध्यक्ष : कोर्ट में चालान पेश हो गया है क्या? यदि चालान पेश हो गया है तो मामला अदालत के जेर-तजवीज है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात इनको बतानी चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : चालान अभी पेश नहीं हुआ है, होने वाला है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा है कि चालान पेश हो गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य: आप दोनों प्रश्नों को मत मिलाया करिये। ६५ के दो केसेज हैं उनमें चालान हो गया है। सन् ६६ के केसेज में मुलजिम जुडिशियल लोक-अप में हैं कुछ रिलीज्ड ओन बेल हैं उनका चालान बाकी है। अब सवाल रहा आप कहते हैं कि पेम्फलेट्स इश्यू हुए देख····

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह आप गलत कह रहे····

श्री निरंजननाथ आचार्य : पेम्फलेट्स इश्यू होने का प्रश्न सहादत से नहीं प्रमाणित है। आपको इल्म है हर नागरिक का कर्तव्य है कि उसकी सूचना दी जाय। आपका भी कानूनी फर्ज है अन्डर दी पीनल लॉ है आप हमको मदद दें। अब भी पेम्पलेट टेबल पर रख सकते हैं। दफा अब भी चेन्ज हो सकता है।

(श्री श्रवणलाल और श्री गोविन्द-सहाय एक साथ बोलने लगे)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : १९६६ में जो मरडर हुआ उसका चालान क्यों नहीं पेश हुआ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभियुक्तों की अधिक संख्या शनाख्ती का प्रश्न, अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रश्न और इतनी लम्बी लिस्ट गवाहों के एग्जामिनेशन की। जनवरी महीने में ऑफेन्स हुआ ऐसी सूरत में ये सब बातें ऐसी हैं जिसमें पुलिस को बहुत ज्यादा देरी लगती है। अमूमन साधारण केसेज में भी एक-दो महीने लग जाते हैं। यह लम्बा-चौडा केस था जिसमें आप ही बतावें कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है?

श्री अध्यक्ष : क्या सरकार ने व्यवस्था की है कि अगले वर्ष फिर इस प्रकार का झगडा न हो?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह बडा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, सरकार विचार कर रही है कि ऐसे ऑफन्सेज नहीं हों। आया मेला बन्द किया जाय या क्या व्यवस्था की जाय, दोनों प्रश्न विचाराधीन हैं।

श्री श्रवणलाल: मेले के समय गूजरों और मीणों का अधिवेशन हुआ करता है।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

वद्य श्री गोविन्दसहाय : पिछले साल झगडे के बाद मैंने खुद ने कहा था कि इस वर्ष मेले को केन्सिल किया जाय और दोनों पार्टीज को नहीं आने दिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य: एडीशनल एवीडेन्स में आपका नाम लिख लेंगे।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय: मैंने मेला हटवाने के लिये कहा है और यह भी कहा है कि मेला भरवाया जाय तो इन दोनों जातियों को आने से रोकेंगे नहीं तो झगडा होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य जानते हैं कि सारी जातियों को मेले में जाने से कैसे रोका जा सकता है ?

वैद्य श्री गोविन्दसहाय: महावीरजी में झगडा हुआ था उसके बाद दोनों पर रोक लगाई है।

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस की आवश्यकता नहीं है, जो तथ्य थे वे सदन के समक्ष आ चुके हैं।

प्रश्न संख्या ३४८

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३४९

श्री मोहरसिह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

राणा प्रतापसागर डेम के उपयोग में ली गई वस्तुएं

३५०. श्री **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) राणा प्रतापसागर डेम के एस्टीमेट में रेत, सुर्खी व पत्थर के लिये कितनी लीड दी गई है व इन्हें कहां कहां से लाना बता कर एस्टीमेट बनाया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त वस्तुएं आज मोर्डर्न कन्स्ट्रक्शन कंपनी उन्हीं स्थानों से प्राप्त न कर राणा प्रतापसागर से ही प्राप्त कर प्रयोग कर रही है ? अगर हां, तो इससे अनुमानतः कम्पनी को एस्टीमेट के मुकाबले कितना लाभ होगा ?

(३) सेनटाब के साथ रेत के लाने के संबंध में किस सूत्र से इकरार था तथा अब कहां से लाने को कहा गया है; व क्यों ? इससे कितना अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : राणा प्रतापसागर डेम के एस्टीमेट में रेत, सुर्खी व पत्थर के लिये निम्न लीड दी गई थी :

(क) पत्थर (हर्टिट के लिये) ५मील

(ख) पत्थर (फेस वर्क के लिये) ७ मील

(ग) रेत ५० प्रतिशत कोटा से जिसकी लीड ३४ मील होगी ।

(घ) सुर्खी–२ मील ।

आजकल मोर्डर्न कंस्ट्रक्शन कम्पनी यह वस्तुएं इन जगहों से ला रही है :

(क) पत्थर-यह पत्थर जावरा और पाडामर खानों से आता है और इसकी लीड करीब ५ मील की पडती है।

(ख) पत्थरः यह पत्थर भी जावरा व पाडामर की खानों से लाया जाता है; जावरा की खान मेन डेम से करीब ७ मील है और पाडामर की खान ३ से ४ मील के करीब हैं।

(ग) रेतः अभी तक जो रेत काम में लाई गई है वह चम्बल नदी से भैंसरोडगढ के पास में निकाली गई है जिसकी कि लीड औसतन करीब ५ मील है।

(घ) सुर्खीः सुर्खी के लिये मिट्टी रावतभाटा में पॉवरहाउस के पास मिल गई है जिसकी कि औसतन लीड २ मील है ।

(श्री दौलतराम सारण)

(ड) लीड की वजह से मेसर्स मोर्डर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का सिवाय रेत के किसी में फायदा नजर नहीं आता। चूंकि रेत कोटा से नहीं लानी पडी है इससे उसको फायदा है।

३. संविदा के अनुसार मेसर्स सेन्टाव को १० मील तक से रेत लानी थी और यदि इससे अधिक दूरी से रेत लाई जावेगी तो अधिक दूरी पर सरकार को १.५० (एक रुपया पचास पैसा) प्रति सैकडा धन फुट प्रति मील देय होगा। मेसर्स सेन्टाव संविदा के निर्देशानुसार २६८२६ घन फुट रेत ३४ मील से लाये जिसके लिये सरकार को ९६५८ रुपया ४४ पैसे अधिक देने पडे। चूंकि गत वर्षा वषकाल में संविदा के निर्देशानुसार १० मील के अन्दर चाही रेत उपलब्ध नहीं थी अतः २४ मील अधिक दूरी से लानी पडी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिस रेत के मामले को लेकर आपने स्वीकार किया कि जो लीड हमने उसको दी थी उसके मुकाबले में वह नजदीक से ला रहा है उससे कम्पनी को ६ लाख का मुनाफा हुआ है, क्या सरकार बतायेगी कि अब तक लीड के कारण सरकार को नुकसान रहा है वह सरकार अब तक उसके बिलों में से नहीं काट पाई है?

(१२ मध्यान्ह)

श्री दौलतराम सारण : काट भी नहीं सकते, क्यों कि एग्रीमेन्ट में ऐसा नहीं लिखा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो दूसरी, सेन्टाव कम्पनी है उसकी लीड में जो फर्क पडा उसके कारण से सरकार को अधिक भुगतान करना पडा है और वह अधिक भुगतान उसके बिल में कर दिया है?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि वह एग्रीमेन्ट में था इस लिये कर दिया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह ठीक है कि एग्रीमेन्ट में इन चीजों का जिक्र न होने के कारण यह दिक्कतें सरकार के सामने आई?

श्री दौलतराम सारण : यह तो बाद में एग्रीमेन्ट के अन्दर जो लीड निर्देशित की गई उसके अनुसार एस्टीमेट बनाये गये हैं और इसके मुताबिक ही कम्पनी ने टेन्डर दिये हैं और उसके मुताबिक ही मन्जूरी हुई है। अब कम्पनी ने दूसरी जगह खोज की और वहां रेत मिल गई, वह रेत अच्छी थी इसलिये कम्पनी ने अपना खर्च लगा कर वह नई रेत वहां से निकाली।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह तो आपने सेन्टाव की बात करदी।

श्री दौलतराम सारण : ना, ना। मैं दूसरी की बात कह रहा हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसमें सरकार को क्या आपत्ति थी, जो एग्रीमट सेन्टाव कम्पनी के साथ सरकार ने किया और जिसके कारण सरकार को अधिक पैसा देना पडा, क्योंकि इस प्रकार का क्लॉज दूसरे एग्रीमेंट में मेसर्स मोर्डर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के साथ रेत के सम्बन्ध में था···

Page No. 24

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : दोनों एग्रीमेंट अलग अलग हैं और बिल्कुल अलग अलग तारीख को हुए हैं। मेसर्स मोर्डर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के साथ सेन्टाव कम्पनी के साथ हुए एग्रीमेंट से चार साल पहले का एग्रीमेंट है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार यह मानती है कि इस एग्रीमेंट में, जो कम्पनी के साथ हुआ, कमी रहने के कारण से सरकार को ६ लाख का नुकसान उठाना पड़ा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें एग्रीमेंट की कमी का सवाल नहीं है। जिस वक्त एस्टीमेट बने थे उस वक्त यह कहा गया कि इसमें दो प्रकार की रेत काम में आयेगी--एक प्रकार की रेत तो नजदीक अवेलेबल थी, उस प्रकार की नजदीक अवेलेबल रेत को इंजीनियर ने साइट पर जाकर एस्टीमेट बनाया, और जो दूसरे प्रकार की रेत थी उसका अन्दाज नहीं था, इसलिए उसका एस्टीमेट उन्होंने अन्दाज से बनाया था कि यह कोटा से आयेगी। वहां कम्पनी ने रेत के सम्बन्ध में लगातार काम किया और जानकारी करके पता लगाया कि इस जगह ट्राई करें, तो उसने नदी के पास दो मील पर ट्राइल की, उस पर उसने इन्वेस्टमेंट किया, वहां पर उसे रेत मिल गई। वहां रेत वह पचास-साठ फीट गहरी खोद रहा है। तो उसने अपनी अक्ल से, बुद्धि से रेत निकाल ली। अगर वहां पर रेत नहीं निकलती तो उसका खुदाई का पैसा जाता, उसकी मेहनत बेकार जाती। आप इन चीजों को कानूनी ढंग से सोचते हैं। इसमें यह बात नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब पिछली बार इस सवाल को मैंने उठाया था और यह कहा था कि चार करोड में से एक करोड का घोटाला है तो मुख्य मंत्री जी नाराज हो गये थे और हंस कर बोले थे कि इतना फर्क। लेकिन एक आइटम में, रेत के आइटम में इतना फर्क है तो आप अनुमान लगायें जब कि कोटा बैराज में इतना बडा बांध बना रहे हैं उसमें कितना होगा। उसमें एक ही आइटम नहीं है, सारे आइटम अलग अलग हैं, रेत का आइटम है, सुर्खी का आइटम है। इतना समय नहीं है कि मैं सब बातों में जाऊं किन्तु एक आइटम में ही छः लाख का नुकसान है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो एग्रीमेंट है वह क्या फाइनल हो गया, इस मेसर्स मॉडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ वह क्या फाइनल हो गया ? अगर हुआ है, तो कब ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू से ही, जब इस सदन में इस एग्रीमेंट का मुद्दा उठाया गया है, इस सदन को एग्रीमेंट के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी है, और यह जो एग्रीमेंट है, इसमें किस स्टेज पर किस से क्या फाइनल हुआ, क्या चेंजेज हुई, क्या इन्टरप्रिटेशन में डिफीकल्टी हुई, किस प्रकार यह मामला चम्बल कंट्रोल बोर्ड के सामने गया, वहां की सब-कमेटियों में यह एग्जामिन हुआ--वहां फाइनेन्स एडवाइजर और सारे लोग मुकर्रर थे--यह सारी चीजें हुई और होने के बाद अभी भी जिस तरह एग्रीमेंट फाइनल होता है, जिस प्रकार कि माननीय सदस्य कहते हैं, यह एग्रीमेंट होकर साइन हो जाय--वह स्थिति अभी पैदा नहीं हुई है। इसकी वजह यह है कि लगातार दोनों तरफ से कई प्रकार की उलझनें चलती रही हैं। लेकिन आपका जो कहना है कि १ करोड का घोटाला है····

Page No. 25

श्री कृष्णकुमार गोयल : छः लाख का नुकसान उठाना पड़ा है सरकार को ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके कोई मानी नहीं है और कोई घोटाला नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप जांच कराइये, आप जांच कराने के लिए तैयार हों तो मैं कहता हूं कि एक करोड की बात ज्यादा नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जांच करवाने की बात करते हैं लेकिन जो चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड है, जिसके केन्द्रीय मंत्री के. एल. राव चेयरमैन हैं, जिसमें दोनों स्टेट गवर्नमेन्ट के रिप्रेजेन्टेटिव हैं, जिसमें चीफ इन्जीनियर हैं और इस प्रकार पन्द्रह आदमियों का बोर्ड बना हुआ है । मैं समझता हूं कि उसमें सब प्रकार के टेक्निकल लोग हैं और फाइनेन्शियल एडवाइजर हैं, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के फाइनेन्स के जोइन्ट सेक्रेटरी हैं । इतने लोग बैठते हैं । वहां पर एक एक क्लॉज को बडी बारीकी से देखते हैं । आप तो प्रचार के लिए इसका हल्ला रोज करते हैं, अभी भी कर रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह गलत बात है । आपका एग्रीमेन्ट फाइनल नहीं हुआ है तो कैसे एन्फोर्स किया कम्पनी के साथ । आपका एग्रीमेन्ट अभी फाइनल नहीं हुआ है । और जैसा दौलतराम सारण ने कहा कि एग्रीमेन्ट के अनुसार पैसा काट नहीं सकते हैं; वह गलत है । क्योंकि लीड इसलिए दी जाती है कि अमुक जगह से वह रेत लाये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : एग्रीमेन्ट के फाइनल नहीं होने की बात नहीं है । उसमें सैंकडों क्लॉजेज हैं । उसमें सब ही फाइनल नहीं हों ऐसी बात नहीं है । उसमें कुछ क्लॉजेज हैं जो पांच-सात हैं, जिनके बारे में कोरसपोंडेन्स चल रही है—वह फाइनल नहीं हुए हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह बात सही है कि एग्रीमेन्ट फाइनल न होने के कारण यह है कि कई कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हो गए थे और कई लाख के मामले आर्बीट्रेशन को रेफर कर रखे हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने थोडे ही कर रखे हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप भी पार्टी हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप समझिये तो, वे क्लॉजेज फाइनल नहीं हुए हैं उसका नहीं है लेकिन बहुत से क्लेम जिसको वह कई साल से सरकार के सामने, गवर्नमेन्ट के सामने और बोर्ड के समाने रखता आया है । और हमारे एग्रीमेन्ट में आर्बीट्रेशन का प्रोवीजन है, उसमें आर्बीट्रेशन का प्रोवीजन है इसलिए कई मामले आर्बीट्रेशन में गए हैं । और आर्बीट्रेशन के सामने हम भी जाते हैं और वह भी जाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जब तक एग्रीमेन्ट फाइनल नहीं हुआ तब तक सरकार के ऊपर और मोर्डन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के ऊपर कानूनी लाइबिलिटी है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि सब क्लॉजेज के ऊपर झगडा नहीं है । पांच-छः क्लॉजेज ऐसे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने कहा उसका जवाब नहीं दिया । मैं पूछ रहा हूं कि जब तक आपने एग्रीमेन्ट फाइनल नहीं किया उस समय तक गवर्नमेन्ट के ऊपर और मैसर्स मोर्डन कन्स्ट्रकशन कम्पमी के ऊपर किसी की

(श्री भैरोंसिह)
लाइबिलिटी आयद की जा सकती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां ।

श्री भैरोंसिह : किस कानून की कौनसी धारा के अनुसार ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इक्वटी, नेचुरल जस्टिस····

श्री भैरोंसिह : यह एग्रीमेंट नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : There is a agreement. Agreement is there. That is being implemented. Payments are being made according to its clauses and the contractor is accepting.

श्री भैरोंसिंह : उस एग्रीमेंट पर, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि There is an agreement इस एग्रीमेंट के ऊपर सरकार और मेसर्स मार्डर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के हस्ताक्षर हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जैसा कहा कि हस्ताक्षर भी हैं, लेकिन कुछ क्लॉजेज जो फाइनल नहीं हैं, जो कोरसपोंडेंस में चल रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एग्रीमेंट कभी पार्ट में नहीं हो सकता है कि कुछ पार्ट में अभी एग्रीमेंट हो जाय और कुछ पार्ट में फिर एग्रीमेंट हो जाय । Agreement is agreement, फाइनल है तो सब फाइनल हैं, फाइनल नहीं है तो सब फाइनल नहीं है । एग्रीमेंट लागू है तो सारा एग्रीमेंट लागू है । और एग्रीमेंट लागू नहीं है तो सारा एग्रीमेंट लागू नहीं है। (श्री नाथूराम मिर्धा के सिर हिलाने पर) इसमें नहीं नहीं का सवाल नहीं है । आप बताइये, कैसे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सिद्धान्त की बात कह रहे हैं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यह सिद्धान्त का सवाल नहीं है, कानून की बात है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह इतना बडा काम था··········

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : काम बडा था और गवर्नमेंट को काम को जल्दी कराना था तो एग्रीमेंट पहले फाइनल करना चाहिए था । इस में कोई रियायत करने का सवाल नहीं है । हाउस सिर्फ इसमें इन्ट्रेस्टेड है कि एग्रीमेंट फाइनल हुआ या नहीं । अगर एग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ तो फिर इस तरह पब्लिक एक्सचेंकर को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है ? गवर्नमेंट अपने आपको उन क्लॉजेज से बाउन्ड क्यों समझती है और उस कम्पनी को बाउन्ड क्यों नहीं समझती है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बता रहा हूं, इसमें हमारी ही सरकार का प्रश्न नहीं है, बल्कि दो सरकार पार्टनर हैं और उन सरकारों का एक जोइन्ट कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है जिसमें भारत सरकार के लोग भी इन्वोल्व्ड हैं । जितने सिम्पल तरीके से आप बता रहे हैं वह बात नहीं है, जो यह कॉन्ट्रेक्ट है उसके बारे में अकेली यह सरकार फैसला करने वाली नहीं है । इस बोर्ड के द्वारा इस एग्रीमेंट

(श्री नाथूराम मिर्धा)
के बारे में समय समय पर विचार किया गया है। पहले शुरू में जो फाइनल किया गया, जिस लेवल तक फाइनल हो गया था उसको माना गया है और जिन क्लॉजेज को डिस्प्यूटेड माना गया था उनको आज भी माना जा रहा है और उन मामलों में से बहुत से ऐसे हैं जो फाइनल हो चुके हैं। एक-आध मामला ऐसा है जो फाइनल नहीं हुआ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसमें सुर्खी के बारे में आपने बताया है यह सुर्खी एग्रीमेन्ट के अनुसार दो मील के किसी गांव से आनी चाहिये। यह जो दो मील की बात तय हुई है तो वह किस गांव से आनी चाहिये अकोर्डिंग टु एग्रीमेन्ट?

श्री नाथूराम मिर्धा : दो मील की लीड दी गई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : दो मील की लीड तो दे दी थी, यह मैं नहीं पूछता हूं। मैंने यह पूछा है कि आपने जो यह दो मील बताया तो यह कोनसा स्थान है जहां से एग्रीमेन्ट के अनुसार सुर्खी आनी चाहिये? अकोर्डिंग टु माई इन्फोर्मेशन यह सुर्खी मातासर से आनी थी एग्रीमेन्ट के अनुसार जो दो मील नहीं दस मील है।

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले शुरु में कहां से आनी थी, जो ओरजिनल एस्टीमेट बनाया था और जिसके आधार पर दो मील की लीड दी गई थी उसमें कोई पर्टीक्यूलर प्लेस या गांव से आयेगी जो दो मील में आता है, यह निश्चित नहीं था। इसलिये यह एग्रीमेन्ट··

श्री भैरोंसिंह : कौनसा एग्रीमेन्ट? कोई एग्रीमेन्ट नहीं है। यह कहें कि अपनी धांधली से करना चाहते हैं। कोई एग्रीमेन्ट नहीं है। बार बार एग्रीमेन्ट, एग्रीमेन्ट कह रहे हैं। There is no agreement.

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं पूछ रहा हूं····

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके धमकाने से एग्रीमेन्ट खत्म नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : आपके झूठ बोलने से एग्रीमेन्ट हो जायगा। आप झूठ बोलते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम नम्रता से बात करें और यह···

श्री भैरोंसिंह : आप कह रहे हैं कि धमकाने से एग्रीमेन्ट खत्म नहीं होगा। नाथूरामजी, जनता का पैसा नहीं खाने देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, हम नम्रता से बात करें और उस बात पर यह नाराजगी दिखायें और कहें कि झूठ कहा जा रहा है·······

श्री भैरोंसिंह : एग्रीमेन्ट है कहां? बार बार एग्रीमेन्ट एग्रीमेन्ट आप कहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इनको इस तरह के शब्द प्रयोग न करने की आज्ञा की जाय। मैं निवेदन करूंगा····

श्री भैरोंसिंह : आपने जो कह दिया उसकी आपको परवाह नहीं है। आपने कह दिया कि प्रचार के लिये कह रहे हैं। कौन प्रचार के लिये कह रहा है, किसके प्रचार के लिये कह रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस बात का लगातार गोयलजी प्रचार कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सरकार को नुकसान हो, लोग पैसे खा जांय और फिर भी कहते हैं कि प्रचार के लिये कहते हैं। इस तरह की झूठी बातें कहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जनसंघ के प्रचार के लिये कहते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने जो एग्रीमेन्ट किया उसके कारण ही एक करोड का घोटाला हुआ। अभी आपने जो कहा है उससे पांच लाख का नुकसान हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : और अस्सी लाख के मामले तो आर्बीट्रेशन के सामने पडे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारा कोई लेना देना नहीं है एग्रीमेंट से। आप झूठ बोलते हैं। इस तरह की बात नहीं कर सकते।

हमें क्या लेना–देना है इससे ?

(शोरगुल-व्यवधान)

आप झूठा प्रचार करते हैं! हमारा क्या लेना-देना है। सरा–सर गलत बात कहते हैं।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : आप जनता का पैसा बरबाद करते हैं और दूसरों को झूठ बोलने की बात कहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप झूठा प्रचार करते हैं और दूसरों को झूठ बोलने की बात कहते हैं। शर्म नहीं आती आपको।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हम झूठा प्रचार नहीं करते हैं। हम सच्ची बात कहते हैं, आप सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें।

एक माननीय सदस्य: आप अपनी करतूतों को छुपाना चाहते हैं।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपका अमुक पार्टी के बीच में एग्रीमेन्ट हो और बहुत सी बातों पर एग्रीमेन्ट फाइनल हो चुका है, जैसा अभी कहा गया है। एग्रीमेन्ट फाइनल एग्रीमेन्ट के रूप में परिणित हो चुका है। चन्द मुद्दे ऐसे हैं जहां एग्रीमेन्ट नहीं हुआ है। जहां पर आपका और उनका एग्रीमेन्ट नहीं हुआ है तो क्या उसमें यह क्लॉज है कि कोई मुद्दे ऐसे हों जिन पर एग्रीमेन्ट नहीं हो तो यह मामला बोर्ड या अर्बीट्रेशन को सुपुर्द किया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ मामलों में एग्रीमेन्ट नहीं हो पाया है। मगर इसके साथ में यह भी क्लॉज है कि दोनों पार्टीज आपस में मामले को तय कर लेती हैं तो उसको मान लेते हैं और आपस में एग्रीड नहीं होते तो बोर्ड निर्णय कर देता है तो मान लेते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : वह रकम तो कटनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यहां एग्रीमेन्ट के बारे में आपने रेफरेन्स दिया, कानून के अनुसार कभी भी रीसमील में एग्रीमेन्ट नहीं हो सकता।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जिसमें डाउट हो उस क्लॉज को आप और कम्पनी एग्री करिए, वह ड्राफ्ट एग्रीमेन्ट बनाते हैं। जब आप और कम्पनी ड्राफ्ट एग्रीमेन्ट को एग्री करते हैं तो वह स्टाम्प पर लिखा जाता है और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन है और दोनों के हस्ताक्षर होते हैं। इस प्रकार के एक नहीं, अनेक राजस्थान में हाई कोर्ट के फैसले हैं। चाहे वह भारत सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, कॉम्पीटेन्सी के हस्ताक्षर नहीं करेंगे, वह वेलिड नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, यह एग्रीमेन्ट बाइन्डिंग नहीं है। जहां तक मेरी सूचना है, यह एग्रीमेन्ट स्टाम्प पर नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और इस पर गवर्नमेन्ट के दस्तखत नहीं हुए हैं। आप और कम्पनी आउट-साइड कुछ भी तय कर लीजिए, वह तो कोई एग्रीमेन्ट नहीं कहला सकता। आपका यह कहना कि एग्रीमेन्ट लागू है, यह उचित नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का एतराज मेरे ख्याल से वाजिब है। अगर एग्रीमेन्ट लीगल नहीं है तो फिर यह व्यवस्था कैसे है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या ३५१.

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह सारा एग्रीमेन्ट नहीं होने के कारण जनता का पैसा बरबाद हो रहा है। ३३३० रु० रोज तो एन. एम. व्यास को दिए जाते हैं और १२० रु० रोज कान्ता खतूरिया को जाते हैं। इतना खर्चा होने के बावजूद भी वहां पर फिजीकल वेरिफिकेशन नहीं होता। पत्थर कितने लगते हैं, एक नींव पर और एक पिलर्स के बीच में। इसमें एक मील का भी प्रश्न नहीं है। मगर मैं यह कहूंगा कि आज कोई देखने वाला नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सब बिल्कुल बेबुनियाद है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बिल्कुल बुनियाद है। आप मौके पर चलिए मैं आपको बता सकता हूं। पत्थर मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या ३५१.

शाहबाद क्षेत्र में अपराध

३५१. **श्री जुझारसिंह (चेचट)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) कोटा जिले के शाहबाद क्षेत्र में पिछले साल में डाका, लूट, हत्या व डाकूओं द्वारा आदमी उठाकर लेजाने के कुल कितने मामले पुलिस के सामने आए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(२) सरकार की जानकारी में इस क्षेत्र मे कितने डाकू गिरोह सक्रिय रहे हैं और उन्हें नष्ट करने में सरकार को कितनी सफलता मिली है ?

(३) रायथल डकैती केस में जो व्यक्ति अलग-अलग स्थानों से उठाकर लेजाए गए थे उनमें से कितने वापस लौटा दिए गए हैं और उनको लौटाने में पुलिस का कितना हाथ रहा है ?

(४) क्या यह सही है कि प्रत्येक व्यक्ति को लौटाने के लिए उनके परिवार वालों को डाकूओं को रिश्वत देनी पड़ी है और पुलिस की ओर से कार्यवाही नहीं हो सकी है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य):
(१) पिछले साल में शाहबाद क्षेत्र में डकैती के ४, लूट के ६, हत्या के ८ मुकदमात रिपोर्ट दर्ज हुए····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह एग्रीमेंट लीगली नहीं हुआ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : यह तो देखना चाहिये कि एग्रीमेंट लीगली हुआ है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप जारी रखें।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह फैसला सदन नहीं कर सकता कि एग्रीमेंट लीगली हुआ है या नहीं। आपकी यह सारी बहस यहां पर फिजूल हुई है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ८० लाख का प्रश्न है। हमारा यहां पर फिर बैठने का क्या उपयोग है। वह एग्रीमेंट सदन की मेज पर रख दें।

श्री अध्यक्ष : सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। आपने यहां पर बैठने का उपयोग तो सारी बातें कह कर कर लिया।

श्री भैरोंसिंह : जब तक ८० लाख के मिसयूज को नहीं रोकेंगे तो क्या उपयोग होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : ८० लाख का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : (श्री निरंजननाथ आचार्य से) आप जारी रखें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आरंभ से। (१) पिछले साल में शाहबाद क्षेत्र में डकैती के ४, लूट के ६, हत्या के ८ मुकदमात रिपोर्ट दर्ज हुए। हत्या के एक मुकदमे में एक व्यक्ति का अपहरण भी किया गया है।

(अ) डकैती के अभियोगों में से एक में एफ. आर. अदम सबूत दी गई और ३ अभियोग जेर तफतीश हैं।

(ब) लूट के ६ अभियोगों में से २ झूठे पाये गये, २ अभियोगों में एफ. आर. अदमपता में दी गई। २ अभियोग जेर तफतीश पुलिस हैं और ३ अभियोगों का चालान अदालत में पेश किया गया जो जेर-तजवीज हैं।

(स) हत्या के ८ अभियोग हुए जिनमें १ अभियोग झूठा पाया गया है व एक अभियोग में एफ. आर. अदम-सबूत में दी गई और ३ अभियोग जेर-तफतीश पुलिस हैं। बाकी ३ अभियोग का चालान किया जा चुका है, जो जेर-तजवीज अदालत हैं। इन अभियोगों में एक अपहरण का मामला भी शामिल है।

(२) रामनिवास डकैत का गिरोह सक्रिय है जिसको नष्ट करने में राजस्थान व मध्यप्रदेश पुलिस सतर्क है।

(३) रायथल डकैती में जो ५ व्यक्ति अपहरण किये गये थे वह सभी वापिस लौट चुके हैं और पुलिस का अपहरण किये गये व्यक्तियों को छुड़ाने में पूरा सहयोग रहा है।

(४) उपरोक्त रायथल डकैती में अपहरित किये गये व्यक्तियों के परिवार वालों ने अपहरित व्यक्तियों को छुड़ाने के लिये डाकुओं को कोई धन-राशि नहीं दी।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, उनका वापिस होना ही इस बात का सबूत है कि पुलिस ने उनको वापिस नहीं किया है और वे लोग रिश्वत दे कर छूट कर आये हैं। यह तो हर साल आदमियों को उठा उठा कर ले जाते हैं और पैसा देकर छुड़ाते हैं। इसलिये मैं यह सरकार से कहूंगा कि जब तक उनके इस गैंग को स्ट्रोंगली डील नहीं किया जावेगा तो लोगों को बड़ी मुसीबत होगी और उनको पैसा देकर छुड़ाना पड़ता है आगे भी ये ऐसा करते रहेंगे। क्या आपने अपनी तरफ से किस तरह से डील किया है ? पहले के डकैत हैं वे भी नहीं पकड़े गये हैं और कोई आपस में मध्यप्रदेश में आपस के झगड़ों में मर गये हैं। यह सब आपकी कमजोरी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह हमारी कमजोरी का प्रश्न नहीं है। अगर मध्य-प्रदेश बीच में नहीं होता तो यह कमजोरी नहीं आती। डकैत डकैती करके मध्यप्रदेश और चम्बल के जंगलों में चले जाते हैं। मध्यप्रदेश की पुलिस से हम सहयोग प्राप्त करके उनके इण्टरनल मूवमेंट का ध्यान रखते हैं। लेकिन इसमें सक्रिय सहयोग मध्यप्रदेश का आवश्यक है जो हम प्राप्त करते रहते हैं। ताकि डकैतों को समाप्त किया जा सके और राज्य सरकार इसके लिये सतर्क है।

श्री जुझारसिंह : इससे पता लगता है कि मध्यप्रदेश का आपके साथ कोओर्डीनेशन नहीं है; आपने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा और इस प्रकार in so many words आपने नहीं कहा है। आपने उनका सहयोग बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम डी. आई. जी. और एस. पी. पुलिस लेवल पर मध्य प्रदेश की पुलिस से मिलते हैं और तय करते हैं कि किस तरह उनकी एक्टीविटीज़ को वाच किया जावे, रोका जावे। मध्य प्रदेश की पुलिस सहयोग देती है, हम उसमें रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें। आप खुद जानते हैं कि दूसरे प्रदेश से सहयोग प्राप्त करने के लिये कितनी कठिनाइयां होती हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपने जनरल बात कही कि सहयोग मिलता रहता है, पर क्या एक्च्युअल आपके पास इस प्रकार के तथ्य हैं कि एक महीने में इन दोनों की कितनी मीटिंगें हुईं, क्या क्या निर्णय करके क्या क्या कार्यवाहियां की गई ? यह जानकारी आपके पास है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : रेकर्ड पर सब है, अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि प्रश्न में यह पूछा नहीं गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मध्यप्रदेश की पुलिस से पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है, यह आपने कहा तो क्या इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री को आपने लिखा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा कि सहयोग मिल रहा है पर हम इस बात के इच्छुक हैं कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिले। बाकी सहयोग मिल रहा है।

श्री जुझारसिंह : क्या एन्टी-डेकोयटी फोर्स में वृद्धि की है ?

श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : मेरी जानकारी में है कि पाली घाटी से २ आदमियों को डकैत

Page No. 32

(श्री महेन्द्रसिंह)
उठा कर ले गये और उनको डेढ़ लाख रुपया रेमिशन देकर छुड़ाया गया। इस प्रकार की घटनाएं वहां आये दिन होती रहती हैं, यह बड़ा गम्भीर और दर्दनाक सवाल है, इस संबंध में आपको मन्त्री-स्तर पर बात करनी चाहिये और ज्यादा सक्रिय कदम उठाना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सुझाव अच्छा है।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.) : केलवाड़ा में से डाकू लोग एक-दो आदमियों को उठा कर ले गये तो क्या पुलिस और डाकूओं में मुठभेड़ हुई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुठभेड़ नहीं हुई परस्यू किया।

श्री दयाचन्द सोन : फिर पुलिस वाला एक आदमी कैसे मारा गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पुलिस वाला रास्ते में आ रहा था, उसको डाकुओं ने मार डाला।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : पेड़ के बांध कर मारा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह रास्ते में आ रहा था, पुलिस वाले को उन्होंने पकड़ लिया और मार डाला; ऐसे मौकों पर छोड़ते नहीं हैं, देखा कि पुलिस वाला है तो मार दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो नहीं गये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं नहीं गया।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है, इसको इस तरह नहीं टाला जा सकता। आज केन्द्र में कांग्रेस गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस गवर्नमेंट है, राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है, फिर भी यह कहा जाय कि डाकू रेविन्स में भाग जाते हैं, आखिर है तो हिन्दुस्तान ही, पाकिस्तान थोड़े ही है जो कह दिया कि वह पाकिस्तान में भाग गया आपने क्यों नहीं बात की मध्यप्रदेश सरकार से और मध्य प्रदेश के अन्दर घुस कर डाकूओं का पीछा करने का आदेश अपनी पुलिस को क्यों नहीं दिया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इस प्रकार की बात कर रहा हूं। प्रान्त के लेवल पर जैसा आपने कहा बातचीत होने के बावजूद भी, मध्य प्रदेश पुलिस का सहयोग प्राप्त करने के बावजूद भी, दोनों जगह की पुलिस के सहयोग के बावजूद भी डाकूओं के स्थल इतने अगम्य हैं, इतने अभेद्य हैं, जो राजाओं के वक्त से अगम्य, अभेद्य रहे हैं, यह प्रोब्लम रही है। इस प्रोब्लम को राजस्थान के स्तर पर किस तरह हल किया गया है, इसमें प्रसन्नता होनी चाहिये। मध्य प्रदेश की रेविन्स को देखें, इधर की रेविन्स को देखें, कितना मुश्किल होता है, फिर भी डाकूओं को पकड़ने के लिये कोशिश की जाती है। इन अभेद्य, अगम्य स्थानों में किस तरह से डाकूओं का सफाया किया जाय, इसमें मध्य प्रदेश पुलिस का सहयोग प्राप्त नहीं होने का सवाल नहीं है, हमारा प्रयास यह है कि अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त हो।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु०) : हमारे करौली से दो आदमियों को डाकू उठा कर

(श्री श्रवण लाल)
ले गये, आये दिन इस प्रकार की दुखद घटनाएं होती रहती हैं और मंत्री महोदय नाटक करके ऐसे प्रश्नों को टालते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये जिस प्रकार का इन्तजाम करना चाहिये वह तो नहीं करते और इस प्रकार नाटक करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तो नाटक मत करो बाबा !

श्री महेन्द्रसिंह (दोगोद) : क्या यह सही है कि रायथल वाले सेठ से डाकू लोग १ लाख रुपया मांग रहे हैं ? इस संबंध में रायथल वाले मुख्य मंत्रीजी से मिले थे और उन्होंने मुख्य मंत्रीजी से कहा कि डाकू लोग हमारे बच्चों को छोड़ने के लिये एक लाख रुपया मांगते हैं, हम क्या करें ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं कि उन्होंने कहा हो कि हम रुपया लेकर जायं और डाकू उसे छोड़ दें।

श्री भैरोंसिंह : यह तो बात सही है। वे आपसे मिलने के बाद फिर मेरे से मिले थे। उन्होंने मुझसे पहले कहा कि लड़के को छोड़ने के लिये डाकू रुपया मांगते हैं, हमने कहा कि पुलिस वालों से बातचीत करके डाकूओं को ऐसे स्थान पर रुपया देने को कहो जहां पर कि वे पकड़े जायं। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा न हो जाय कि वे पकड़े भी नहीं जायं और बच्चे को मार जायं। तो मैंने कहा कि मुख्य मंत्रीजी से बात करो। इस पर वे आपसे मिले और आपसे मिलने के बाद वे लोग फिर मुझसे मिले और हमें कह कर गये थे कि हम मुख्य मन्त्रीजी से मिले हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे पास आये थे, जब मैं कोटा गया था। रुपया देने से छोड़ देंगे ; मुझे याद नहीं आता कि निश्चित तौर पर उन्होंने कहा हो। जो बात उन्होंने कही उसके बाद पुलिस के अधिकारियों को कहा कि जो जानकारियां हैं उनको वे दें और कार्यवाही करें।

श्री दयाचन्द बोन : कोटा में आप तो उद्घाटन करते फिर रहे थे और उधर डाकू लोग डकैतियां कर रहे थे, लोगों को उठा कर ले जा रहे थे।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : श्री नन्दलाल जो केलवाड़ा का सरपंच था उसको डाकूओं ने कितने बजे पकड़ा था, जिस समय उसको पकड़ा गया समय क्या था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दिन में या रात में, समय तो मालूम नहीं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : रात को कितने बजे पकड़ा था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : रात को पकड़ा तो समय पर पकड़ा होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : डकोइट्स के चम्बल रेविन्स में चले जाने के बारे में मंत्री महोदय ने कहा एक हद तक हमें उनके साथ सहानुभूति है, बड़ा मुश्किल प्रश्न है। लेकिन ५० वर्ष पहले और आज में बहुत फर्क है। क्या सरकार एक जोइन्ट फोर्स कायम करके इस मामले को परस्यू करना चाहती है, दूसरा यह कि क्या कुत्ते या हेलिकोप्टरों के द्वारा भी इस सम्बन्ध में सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है कि इन डकोइट्स को चेज किया जाय। मन्त्री महोदय ने कहा कि हाइड

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
ग्राउट्स हैं, उनको भी धीरे-धीरे क्लोज करने की कोशिश करें तो कामयाबी हो सकती है। हेलिकोप्टर और कुत्तों का प्रयोग करना और फिर जोइन्ट एफर्ट्स करके मध्य प्रदेश और राजस्थान के जोइन्ट फोर्सेज को लगा कर इस प्रोब्लम को टेकल किया जाय तो कमी हो सकती है। सरकार इस सम्बन्ध में विचार रखती है या नहीं ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह इसलिये पूछा था कि मैंने बराबर इस प्रश्न को सुना, मन्त्री महोदय का जवाब भी सुना। उन्होंने फरमाया कि मध्य प्रदेश की सरकार अधिक से अधिक सहयोग दे तो इसमें कामयाबी मिल सकती है। मेरा निवेदन यह है कि ७ बजे शाम को केलवाड़ा से नन्दलाल को पकड़ा गया, जिस सिपाही को मारा था उसको पहले पकड़ लिया था क्योंकि वह साथ में था। बाद में सीतावाड़ी में सूरजकुंड पर गये। पुलिस को इन्फोर्मेशन मिल चुकी थी कि डाकू फलां स्थान पर बैठे हैं। रात को दो बजे उस पुलिस वाले को डाकुओं ने मारा था, इसलिये मारा कि यह बता देगा कि नन्दलाल को पकड़ा है; वे लोग कौन हैं, उनको शक हुआ कि वह उन्हें पहचानता है। रात को दो बजे सीतावाड़ी में सूरजकुंड पर पुलिस वाले को डाकुओं ने गोली से मारा, उसके बाद डाकू लोग वहां से रवाना हुए। उसके पहले पुलिस को जानकारी थी, अब पता नहीं राजस्थान पुलिस की वजह से कामयाबी नहीं मिल रही है या मध्य प्रदेश पुलिस के पूरे सहयोग के अभाव में कामयाबी नहीं मिल रही है।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा शेम, शेम)

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको पता नहीं, फिर भी शेम शेम कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता ने हेलिकोप्टर के सम्बन्ध में सुझाव रखा है कि हेलिकोप्टर का प्रयोग किया जाए; रेविन्स को समतल किया जाय, जिससे सफलता हो सके दोनों प्रश्न बहुत खर्चे के प्रश्न हैं। सुझाव माननीय विरोधी दल के नेता के बहुत अच्छे हैं, लेकिन लम्बे चौड़े रेविन्स हैं इनको देखने पर पता चल सकता है कि इनको नष्ट कैसे किया जाय और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर नष्ट किया जाय तो बहुत बड़ी जमीन खेती के लिए भी निकल सकती है, लेकिन यह असंभव सा मालूम होता है। फिर भी माननीय नेता महोदय के विचार अच्छे मालूम होते हैं, कितने व्यवहारिक हैं, इनका परीक्षण किया जाना उपयुक्त होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : साफ साफ जवाब दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह १९६६ है, १९२६ नहीं है, तो १९६६ के अनुसार चलिए। मेरे ख्याल से कोई असंभव चीज नहीं है, इसको रूट आउट कीजिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हेलीकोप्टर तो आज तक कहीं भी काम में नहीं लाया गया, फिर भी हम उसको देख लेंगे।

श्री महेन्द्रसिंह : रायथल में जो डकैती हुई उसकी सूचना वहां के लोगों ने होम मिनिस्टर को दिन को १० बजे दी थी कि ये डाकू कोड़रा और नायला के दर्रे में रुके हुए हैं और पुलिस का इंतजाम किया जा सकता है तो डाकू पकड़े जा सकते हैं; लेकिन पुलिस की व्यवस्था न होने के कारण ४ बजे पुलिस का एन्काउटर हुआ और पर्याप्त पुलिस न होने के कारण डाकू [illegible]

Page No. 35

श्री निरंजननाथ आचार्य : पुलिस सूचना मिलते ही वहां तुरंत पहुंची और डाकुओं के पीछे दबिश की, डकैत ज्वार के खेत में दबे हुए थे। इस ज्वार के खेत में पुलिस ने फाइरिंग की और डकैतों ने भी पुलिस पर फायरिंग की। करीब घंटा, डेढ़ घंटे तक फाइरिंग चलती रही। तब तक संध्या हो गई, रात्रि हो गई, डकैत वहां से रात के वक्त का मौका देख कर वहां एक नदी है, उसमें से पार हो गए। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस का एन्काउंटर हुआ और रात्रि हो गई, इसलिये डकैतों को भाग निकलने का मौका मिला।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सारे डकैत ज्वार के खेत के अंदर घुसे हुए थे, उस समय कोटा कलेक्टर और एस. पी. सारे के सारे वहां मौके पर मौजूद थे, जब मुकाबला हुआ? उसके बाद दीवाली मनाने के लिए एस. पी. और कलेक्टर वापिस कोटा आ गए, उसके पश्चात् डाकू भागने में सफल हुए?

श्री निरंजननाथ आचार्य : खेत में पुलिस का फोर्स था, कलेक्टर नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोटा कलेक्टर और एस. पी. थे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ए. एस. पी वापिस आ गया; दीवाली के अवसर पर शहर में लॉ एण्ड ऑर्डर को देखने के लिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दीवाली मनाना जरूरी था और डकैतों को भगाना जरूरी नहीं था?

(शोरगुल)

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी मैंने यह सवाल उठाया था और उस समय यह चार्ज लगाया था कि कोटा कलेक्टर और एस. पी. उस स्थान को छोड़कर शहर में चले आए और वहां के डी. वाई. एस. पी. मानसिंह के षड्यंत्र से डाकू वहां से भागने में सफल हुए?

श्री भैरव लाल "कालाबादल" : बिल्कुल सही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (श्री कालाबादल से) खड़े होकर कहो।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : बात तो बिल्कुल सही है। डिप्टी होम मिनिस्टर गलत तरीके से कह रहे हैं।

(शेम-शेम)

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं आपके शेम शेम को निरस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत सीरियस है, हमारे पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी मौके पर मौजूद हों, डकैत आ जायं, लोगों को ले जायं, ज्वार के खेत में घुस जायं और ये अधिकारी दीवाली मनाने के लिए वापिस चले आए और डकैतों को नहीं पकड़ें और सरकार मध्यप्रदेश पुलिस का नाम ले; इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती, इसलिये इस मामले पर गंभीरता से विचार करें।

Page No. 36

श्रीमती नगेन्द्रबाला : Point of order, मैंने सोचा था कि विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने जो सवाल पूछा था, शायद उसका जवाब देने के बाद मंत्री महोदय मुझे जवाब देंगे, लेकिन वे शायद भूल गए। मेरा निवेदन है कि रात को २ से ७ बजे के बीच में जब पुलिस को जानकारी मिल चुकी थी तो पुलिस कर्मचारी क्यों समय पर नहीं पहुंचे; लेकिन आपके पास में जानकारी नहीं है। खैर, नहीं है तो आप जानें, लेकिन मुझे दुख है कि ऐसे मसले को इतनी हंसी में टाला जा रहा है। उस क्षेत्र के अन्दर वहां के लोगों के जन-जीवन को खतरा है। आज तीन-चार महीने से विकास अधिकारी वहां नहीं है, विकास अधिकारी के लिए बार-बार प्रयत्न किया गया, अधिकारी लोग कहते हैं कि वहां डाकूओं की वजह से नहीं जाते हैं, वहां डाक्टर भी नहीं है, इसलिये कि डाकूओं के द्वारा मरने का खतरा है और आप इस चीज को हंसी में उड़ाना चाहते हैं।

(शेम-शेम)

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप बात बात में शेम कहते हैं। यह प्रश्न जो माननीय सदस्या ने उठाया है कि वहां विकास अधिकारी नहीं है, डाक्टर नहीं है क्योंकि वहां डाकूओं का आतंक है, यह धारणा कर्मचारियों के संबंध में आपकी सही नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह सब की है।

(शोरगुल-घंटी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

निम्बाहेड़ा में कालेज

३३४. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में शीघ्र ही कॉलेज खोला जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

(२) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ में यह कॉलेज दूसरा होगा? यदि हां, तो इसके खोलने बाबत किन आधारों को दृष्टिगत रखा गया है?

(३) **क्या इस प्रकार के आधारों पर निम्बाहेड़ा में कॉलेज खोला जा सकता है? यदि नहीं, तो क्यों?**

उत्तर

(१) जी हां; अगले शिक्षा-सत्र से।

(२) जी हां, जन संख्या, पिछड़ा एरिया तथा हायर सेकन्डरी स्कूलों की संख्या तथा जनता की मांग को देखकर खोला जा रहा है। इसके अलावा प्रतापगढ़ पुरानी रियासत है।

(३) क्योंकि निम्बाहेड़ा प्रतापगढ़ के बनिस्पत छोटा कस्बा है तथा एक ही हायर सेकन्डरी स्कूल है और निम्बाहेड़ा से २० मील की दूरी पर चित्तौड़गढ़ में दूसरा कॉलेज मौजूद है।

ग्राम जगतपुरा की कृषि भूमि के खातेदारी हकूक

३३५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील सांगानेर, ग्राम जगतपुरा में कृषि भूमि

Page No. 37

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

खसरा नं० ६१, ६५, ६१, २१, २२, ६८ रकबा ३१८ बीघा १३ बिस्वा के खातेदारी हकूक किन्हीं व्यक्तियों को दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और किस कानून की किस धारा के आधीन ?

(२) क्या यह सही है कि यह भूमि बदस्तूर सिवाय चक कागजात पटवार में दर्ज है ? यदि हां, तो कब से कब तक के ?

(३) क्या यह सही है कि इस भूमि का लगान अब खातेदारी दिये जाने के पश्चात् इकट्ठा कई वर्षों का जमा कराया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ?

(४) क्या यह सही है कि इस भूमि के खातेदारी हकूक तहसीलदार की अदम मौजूदगी में कार्यकारी तहसीलदार द्वारा दिये गये हैं ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पहले मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के वास्ते रखी गई थी ?

(६) क्या यह सही है कि इससे पहले यह भूमि स्टेट रोडवेज के लिये भी रखी गई थी ?

(७) क्या यह सही है कि तहसील सांगानेर द्वारा सिवाय चक भूमि पर अनधिकृत कब्जे की बाबत जो जांच की गई थी उस समय उक्त भूमि पर उक्त व्यक्तियों का कब्जा नहीं पाया गया था ?

(८) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर कोई दीगर व्यक्ति काबिज है ? यदि हां, तो कैसे और कब से ?

(९) क्या यह सही है कि इस व्यक्ति को धारा ९१ लैंण्ड रेवेन्यू एक्ट के अधीन नोटिस दिया गया है ?

उत्तर

(१) जी नहीं, ग्राम जगतपुरा में नहीं ग्राम आलाना डूंगर तहसील सांगानेर में दिनांक १२-२-६४ को गलती से कार्यवाहक तहसीलदार, सांगानेर ने श्री द्वारका दास को आराजी खसरा नं० ६१, ६५, ६६ के रकबा १३३ बीघा १५ बिस्वा पर व श्री त्रिलोकीनाथ साहनी को आराजी खसरा नं० २१, २२, ६८ के रकबे १८५ बीघा ८ बिस्वा पर खातेदारी हक राजस्थान टेनेन्सी एक्ट, १९५५ की धारा १५ के तहत स्वीकार कर दिये थे; किन्तु अब यह मामला नियमानुसार कार्यवाही करने के बाद दुरूस्त कर लिया गया है और अब यह किसी की खातेदारी में नहीं है। कार्यवाहक तहसीलदार द्वारा दी हुई खातेदारी की आज्ञा मंसूख करदी गई है पर इस मंसूखी की अपील रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी के यहां चल रही है।

(२) जी हां। संवत् २००८ से २०२० तक।

(३) जी हां, संवत् २०१५ से २०२० का लगान इकट्ठा जमा कराया गया है:--

(१) श्री द्वारका दास १४५ रुपये ८१ पैसे दिनांक १२-२-६४ को जिसमें २६ रु० ३५ पैसे ब्याज के भी शामिल हैं।

(२) श्री त्रिलोकीनाथ साहनी-२०३ रुपये ५६ पैसे दिनांक १३-२-६४ को जिसमें ३६ रु० ५४ पैसे ब्याज भी शामिल हैं।

(४) जी हां।

Page No. 38

(श्री राजस्व मंत्री)

(५) जी हां, रीजिनल इंजीनियरिंग कालेज के लिये जिस भूमि की आवश्यकता थी उसका सर्वे तहसील द्वारा किये जाने पर खसरा नं० २२, ६८, ६१ और ६५ की भूमि भी इस प्रयोजनार्थ वांछित ३०० बीघा भूमि में आई थी।

(६) जी हां, खसरा नं० ६१ की ४४ बीघा भूमि रोडवेज के लिये रखी गई थी।

(७) जी हां।

(८) जी हां। उक्त आराजीयात में से आराजी नं० ६८ के लगभग २५ बीघा भूमि पर श्री नारायण ज्योतिषी का सन् ५९-६० से कब्जा है, यह भूमि उसकी दीगर अवाप्त की हुई भूमि के बदले सरकार द्वारा दी गई थी जो अब मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के लिये अवाप्त करली गई है।

(९) जी हां। पर बाद में यह कार्यवाही बन्द कर दी गई।

माध्यमिक स्कूल खोलने की शर्त

३३७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि किसी जगह माध्यमिक स्कूल खोलने के लिये सरकार १३,२५० रुपये व कमरों की जनता से मांग करती है और इस कारण पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के गांवों में माध्यमिक स्कूल नहीं खुल पाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अपने इस निर्णय में परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

आर्थिक कठिनाई के कारण यह मांग की जाती है किन्तु पिछड़े वर्ग के गांव इससे मुक्त हैं। यह सही नहीं है कि इन गांवों में माध्यमिक स्कूल इस मांग के कारण नहीं खुलते। आवश्यकतानुसार सब जगह स्कूल खुलते हैं; प्राथमिकता आवश्यकता को दी जाती है, मांग को नहीं।

पशु चिकित्सा की व्यवस्था

३३९. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति नगर और कामां की ग्राम पंचायत खोहरी, धोलेट, पापड़ा, अोलन्दा, नोनहरा व गढ़ अजान का पहाड़ी इलाका है जिसमें पशु-धन बहुत है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थानों पर पशु-चिकित्सा की कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार यह व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां, पशु चिकित्सा की व्यवस्था है।

मारोठ में माताजी व भैरूंजी के ओरण की भूमि

३४२. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम मारोठ (तहसील नावां) में भैरूंजी व माताजी के ओरण की जमीन है या नहीं ? अगर है, तो कितने बीघा ?

(२) क्या यह सही है कि मारोठ माताजी व भैरूंजी के ओरण की भूमि भूतपूर्व जोधपुर सरकार के समय से सार्वजनिक भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है ?

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)

(३) क्या यह सही है कि उक्त सार्वजनिक भूमि का प्रबंध भूतपूर्व रियासत के समय से मारोठ जनता की ओर से ही होता रहा है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त ओरण की भूमि सार्वजनिक होते हुए भी राजस्व विभाग ने वन विभाग को स्थानान्तरित कर दी ?

(५) यदि हां, तो क्या सार्वजनिक भूमि जो ग्राम पंचायत के कब्जे में थी भू-राजस्व अधिकारियों को वन विभाग में स्थानान्तरित करने का अधिकार है ?

(६) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मारोठ ने उक्त भूमि वापस पंचायत को दिलाने के लिये राजस्व विभाग से मांग की है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) ग्राम मारोठ, तहसील नावां में १४१ बीघा १० बिस्वा भूमि गैर-मुमकिन ओरण में दर्ज है । भैरूंजी या माताजी के नाम से ओरण दर्ज नहीं है ।

(२) भूतपूर्व जोधपुर सरकार के समय की मिसल बन्दोबस्त में गैर-मुमकिन ओरण ही दर्ज है । सार्वजनिक भूमि दर्ज नहीं है ।

(३) जी नहीं ।

(४) उक्त भूमि सार्वजनिक नहीं है केवल गैर मुमकिन भूमि है, पहाड़ नाले वगैरा गैर मुमकिन जमीन वन विभाग को दी गई थी उसके साथ ही यह गैर-मुमकिन भूमि भी दी गई है ।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(६) हाल ही में दिनांक १-२-६६ को सरपंच, ग्राम पंचायत मारोठ ने तहसील में एक प्रार्थना-पत्र पेश किया है जो विचाराधीन है ।

आयुर्वेद विभाग के डाइरेक्टर की नियुक्ति

३४५. श्री **हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक विभाग के डाइरेक्टर की नियुक्ति का कार्य-काल केवल ५ वर्ष का था जो सन ६० में समाप्त हो गया था ?

(२) यदि हां, तो क्या उसके कार्यकाल की समाप्ति के बाद पुनः उनका (वर्तमान डाइरेक्टर) कार्यकाल बढाया गया है ?

(३) यदि हां, तो पब्लिक सर्विस कमीशन से चुनाव क्यों नहीं करवाया गया ?

उत्तर

(१) जी नहीं । पद स्थाई है, केवल राजस्थान जन सेवा आयोग द्वारा इसका विज्ञापन ५ वर्ष के लिये कराया गया था । वर्तमान निदेशक की नियुक्ति जन सेवा आयोग द्वारा की गई और इसके बाद कार्य सन्तोषप्रद रहने से जन सेवा आयोग को निवेदन किया गया कि पद स्थाई है अतः इस पद पर नियुक्त व्यक्ति को स्थाई करने का अनुमोदन दिया जावे, अनुमति आने पर श्री प्रेम शंकर शर्मा को १६-७-१९५६ से स्थाई कर दिया ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) इस पद पर चुनाव व स्थायित्व जन सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर ही किया गया है ।

Page No. 40

भीलवाड़ा जिले में सीलिंग कानून के अन्तर्गत कृषि व जंगल की भूमि

३४६. श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भीलवाड़ा जिले में सीलिंग कानून से कितनी कृषि व जंगल की भूमि अवाप्त की गई है या की जाने वाली है ?

(२) इस भूमि को अवाप्त करने के लिये अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) सीलिंग कानून ता० १–४–६५ के बजाय ता० १–४–६६ से लागू करने के आदेश जारी हो चुके हैं और इनके मुताबिक उक्त तारीख से ६ माह के समय में लोगों को अपने २ **Return** भरकर देने होंगे। अतः अभी भूमि अवाप्त के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

बड़ी सादड़ी में कन्या मिडिल स्कूल

३४८. श्री **शंकरलाल** (सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी में सन् १९६३–६४ में कन्या मिडिल स्कूल खोला जाने को था ?

(२) यदि हां, तो अब तक स्कूल नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं और अब कब तक स्कूल खुलने की संभावना है ?

उत्तर

(१) बड़ी सादड़ी में सन् १९६३–६४ में कन्या माध्यमिक शाला खोलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता। भविष्य में माध्यमिक शालाएं खोलने के लिये प्रस्ताव जिला अधिकारियों से मांगे गये हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार इस पर भी विचार किया जा सकेगा।

पुलिस थानों में स्टेशनरी की व्यवस्था

३४९. श्री **मोहरसिंह** (चूरू) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) प्रत्येक थाने में साधारणतया कितनी स्टेशनरी सालाना दी जाती है ? इसके पूरे सामान की विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) यदि स्टेशनरी के लिये सालाना कोई रकम प्रति थाना स्वीकृत होती हो तो वह भी बताने की कृपा करें।

(३) क्या सरकार समझती है कि यह स्टेशनरी बहुत कम है और इससे मजबूर होकर थाने के अधिकारी अभियोक्ता से स्टेशनरी मंगाते हैं ?

(४) क्या सरकार थानों के लिये पर्याप्त स्टेशनरी की व्यवस्था करके थानेदारों को तथा जनता को जलील होने व भ्रष्टाचार करने से बचायेगी ?

उत्तर

(१) थाने में दी जाने वाली स्टेशनरी का वार्षिक कोटा नियत किया हुआ है, जिसकी सूची संलग्न है।

(२) जी नहीं।

(श्री मुख्य मंत्री)

(३) जी नहीं। साधारणतया नियत किया हुआ कोटा पर्याप्त है। किसी विशेष कारणों से अधिक स्टेशनरी की किसी थाने में आवश्यकता पड़ने पर वह भी अधीक्षक पुलिस द्वारा अतिरिक्त स्टेशनरी दी जाकर पूर्ति कर दी जाती है।

(४) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

हायर सेकण्डरी स्कूल, अटरू के छात्रों को छात्रवृत्ति

६८. **श्री दयाचन्द सोम** (बारां-सु.): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अटरू हायर सेकन्डरी स्कूल, जिला कोटा, में सन् ६२ से ६५ तक कितने छात्रों को शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी गई?

(२) इनमें से कितने छात्र अनुसूचित जाति के हैं व कितने दूसरे? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) हायर सेकन्डरी स्कूल, अटरू, जिला कोटा में सत्र १९६२-६३ से सत्र १९६५-६६ तक १८ छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई? सूची संलग्न है।

(२) उपरोक्त छात्रों में से ३ छात्र अनुसूचित जाति के व ८ अनुसूचित जन-जाति के हैं। ७ छात्र अन्य जातियों के हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

माध्यमिक स्कूल ग्राम खतौली

६९. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार पीपलदा के ग्राम खतौली की माध्यमिक स्कूल में पर्याप्त कमरों, लड़कों के बैठने के लिये समुचित व्यवस्था व फर्नीचर की सप्लाई के लिये आवश्यक धन-राशि उपलब्ध करने का विचार रखती है?

उत्तर

खतौली माध्यमिक शाला किराये के भवन में चल रही है। भवन में छात्रों के बैठने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है। दूसरा भवन लेने का प्रयत्न किया जा रहा है परन्तु अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। फर्नीचर की कमी को गत सत्र में खरीदे गये सामान में से देकर कुछ हद तक कमी को पूरा किया गया है। बाकी की कमी भी शनैः शनैः पूर्ण करने की व्यवस्था हो सकेगी।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, सांचोर में विज्ञान शिक्षक की कमी

७०. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक पाठशाला, सांचोर में पूरी जगहों के अनुसार शिक्षक नहीं हैं? अगर हां, तो क्यों?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त स्कूल में विज्ञान विषय का शिक्षक अभी तक नहीं पहुंचा है हालांकि इस बारे में कई हुक्म हो चुके हैं?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(३) क्या यह सत्य है कि शिक्षक के अभाव में उपरोक्त स्कूल में अभी तक विज्ञान विषय की पढाई नहीं हुई है ? अब विज्ञान विषय का शिक्षक सांचोर में कब तक पहुंच जावेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं ।

कटाव क्षेत्र में भू-संरक्षण हेतु वन लगाने की योजना

७१. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कटाव क्षेत्र में भू-संरक्षण हेतु क्या विभाग द्वारा वन लगाने की योजना है ? यदि हां, तो कोटा क्षेत्र कितने रकबे में किन स्थानों पर अगले वर्षों में वन लगाया जावेगा ?

(२) सांगोद पंचायत समिति क्षेत्र में नदियों के किनारे के रेविन्स को रोकने और स्थानीय जनता को जलाऊ व इमारती लकड़ी उपलब्ध करने के लिये किन किन स्थानों पर वन लगाने की योजना बनाई गई है और उसे कब तक क्रियान्वित करने की आशा है ?

उत्तर

(१) जी हां । अगले पांच वर्षों में कोटा फोरेस्ट डिवीजन में निम्नलिखित स्थानों पर ४००० एकड़ भूमि पर भू-संरक्षण हेतु वन लगाने की योजना है :—

गाजीपुरा, रामनगर, काकरावदा, पीपल्दासांड, मोहनपुरा, जटवाड़ी, बमावदा, बम्बूलिया, ढीमली ।

(२) सांगोद पंचायत समिति क्षेत्र में बम्बूलिया व ढीमली के पास जलाऊ व इमारती लकड़ी के जंगल की योजना है । इसका कार्य १९६७-६८ से १९६९-७० तक पूरा होने की आशा है ।

झालरापाटन में तालाबों से सिंचाई

७२. **श्री गोविन्दसिंह** (पिड़ावा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) झालरापाटन (जिला झालावाड़) में मूंडलिया खेडी व पाटन के तालाब से कितने बीघे की सिंचाई होती है और सिंचाई की कितनी रकम प्राप्त होती है ?

(२) क्या यह सही है कि झालरापाटन के काश्तकारों को खरीफ की फसल के लिये हमेशा उपरोक्त दोनों तालाबों से सिंचाई के लिये पानी मिलता रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि झालरापाटन के काश्तकारों को खरीफ की फसल ६५ के लिये पानी नहीं दिया गया और काश्तकारों की खरीफ की फसल खेतों में ही सूख गई ?

(४) पानी नहीं देने के कारण काश्तकारों को जो नुकसान हुआ है, राज्य सरकार उन काश्तकारों को क्या राहत देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) सिंचाई व प्राप्त होने वाली रकम के आंकड़ों की सूची संलग्न कर दी गई है ।

(२) जी हां ।

(श्री सिंचाई मंत्री)

(३) जी नहीं। पानी कम होने पर भी मूंडलिया तालाब से ७० बीघा रकबे में सिंचाई की गई। फसल के नुकसान की विभाग को जानकारी नहीं है।

(४) तालाब राजस्व विभाग के अधीनस्थ होने के कारण वही विभाग इस प्रश्न पर विचार कर सकता है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(१२.३७ म.प.)

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : Point of information, मैं एक मिनट में स्पष्ट करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : शाहबाद-किशनगंज क्षेत्र इस समय बहुत असुरक्षित है, वहां जो आर. ए. सी. की स्ट्रैंथ मौजूद थी, वह इमरजेन्सी के समय से हटा दी गई है। आज स्थिति यह है कि डकैतियां लगातार हो रही हैं। आदमी उड़ाकर ले जाना तो साधारण सी बात हो गई है, लोगों की हत्या स्वाभाविक है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और जो इमरजेन्सी के समय स्पेशल सरकम्र्स्टान्सेज की वजह से स्टैप लेना पड़ा था, वह परिस्थिति अब नहीं रहेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह सीज फायर के बाद हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं अब कह रहा हूं न।

श्री भैरोंसिंह : मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं।

मैंने उस क्षेत्र का दौरा किया। उस इलाके से परिचित अधिकारी वहां पर नहीं हैं। उनका स्थानान्तरण होता है, वह क्यों होता है, उसके बैक ग्राउन्ड में मैं नहीं जाना चाहता, करप्शन के चार्जेज होंगे, और भी होंगे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के पुलिस फोर्स में इन रेविन्स के मामले में एक्सपर्ट्स ऐसे अधिकारी हों उनको ट्रेनिंग दिलाई जाय, उनको इस इलाके में रखा जाय, उनको वेयरअबाउट्स की जानकारी मिलती रहे, इस प्रकार के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाय, एन्करेजमेन्ट दिया जाय, तो उस इलाके से परिचित होकर वे डाकुओं से मुकाबला करने में सफल हो सकते हैं। बहादुर सिपाहियों को इन्सेन्टिव दिया जावे।

(१२.३९ म.प.)

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या...

विधान सभा के बाहर श्री मुरलीधर व्यास की गिरफ्तारी इत्यादि विषयक वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल बाजार, जयपुर): Point of order, मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि विधान सभा के बाहर पी. एस. पी. की तरफ से एक जुलूस लाया गया था, वह जुलूस विधान सभा भवन के पास पहुंच रहा था तो पुलिस ने श्री मुरलीधर व्यास को गिरफ्तार कर लिया, श्री मुरलीधर व्यास को धक्का दिया गया, वे नीचे गिर गये और ऐसा भी बताया गया है कि मारपीट भी

(श्री भैरोंसिंह)

उनके साथ हुई है। मैं ऐसा समझता हूं कि विधान सभा के बाहर जुलूस लाने पर कोई रोक नहीं है, हम भी ऐसे जुलूस लाए हैं और दूसरे राजनैतिक दल भी जुलूस लाए हैं। जितने भी जुलूस आते हैं, गेट तक आते हैं। गेट के अन्दर न किसी ने प्रवेश करने की चेष्टा की और न इनकी ओर से चेष्टा की गई। जुलूस जलेबी चौक में घुसा। घुसा, तो पहले तो आर. ए. सी. के लोगों ने रोका। गेट की तरफ बढ़ना चाहा तो लाठियों के जोर से उसको पीछे धकेल दिया गया और कहते हैं कि श्री मुरलीधर व्यास को इतने जोर से धक्का दिया कि उन लोगों ने उनको नीचे गिरा दिया। उनके चोट लगी। इनकी जो कार्यकर्त्री हैं, भगवती देवी हैं, उनको भी नीचे गिरा दिय गया और भी कई कार्यकर्ताओं को उनके साथ गिरफ्तार किया गया।

श्री मुरलीधर व्यास इस विधान सभा के सदस्य हैं। विधान सभा के अन्दर आवें, ये उनकी प्रिविलेज हैं। उनको सीटिंग से सस्पेन्ड किया है कि हाउस के अन्दर नहीं आ सकते, विधान सभा के अन्दर तो आ सकते हैं; बाकी की प्रिविलेजेज यों की यों हैं। वोट देने का सवाल आता है तो उनकी प्रिविलेजेज हैं और भी उनकी प्रिविलेजेज हैं। उनका वे उपयोग कर सकते हैं। विधान सभा के नीचे एक माननीय सदस्य को पुलिस इस प्रकार गिराती है धक्का देती है और गिरफ्तार करती है, तो यह पुलिस की ड्यूटी थी कि अध्यक्ष महोदय को इजाजत लेती और फिर उनको गिरफ्तार किया जाता और गिरफ्तारी में इस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाये वह असहनीय है, इस प्रकार का व्यवहार अशोभनीय है और विधान सभा के सामने इस प्रकार की चीज करना सरकार के लिये बहुत ही घृणित है।

मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनकी गिरफ्तारी के कारणों के विषय में कि उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, चोटें उनके लगी हैं या नहीं, उनका फौरन मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाय और श्री मुरलीधर व्यास से जांच करने के लिये विधान सभा के कुछ माननीय सदस्यों को भेजा जाय और उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है इस पर एन्क्वायरी विधान सभा स्तर पर करायी जाय ताकि पूरी जानकारी हो सके और उनकी प्रिविलेजेज पर जो एन्क्रोचमेन्ट हुआ है उस पर कार्यवाही की जा सके।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मुझे, अध्यक्ष महोदय, इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कुछ निवेदन कर सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि आपके सामने कोई फरियाद लेकर एम. एल. ए. आये तो उसके साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार हो जबकि सर्वोच्च सत्ता इस विधान सभा में इस, संस्था में निहित करती है, इस संस्था के सामने कोई अपना दुखड़ा रोने के लिये सरकार से पीड़ित होकर आये, उसके आने पर इस प्रकार की पाबन्दी और कोई आता है तो उस पर इस प्रकार की लाठियों का प्रहार किया जाय, और उनकी गिरफ्तारी आपके बिना जानकारी के हो; मेरी जानकारी के अनुसार उनके साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया गया है, उनके चोटें भी आई हैं, इसलिये विधान सभा के दो-तीन माननीय सदस्यों को भेजा जाय

(श्री भैरोंसिंह)
जो श्री मुरलीधरजी व्यास से मिल कर पता लगायें और उनके जो चोटें आयी हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाय, और जिन लोगों के कारण उनके चोटें आयी हैं उनको दंड दिया जाय और बिना कारण उनको गिरफ्तार किया गया है उसके संबंध में कार्य-वाही की जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। मुझे यह पता नहीं है कि क्या हुआ और कब हुआ। लेकिन जनसंघ के माननीय नेता द्वारा सदन में वह चर्चा उठायी गई और श्री मुरलीधर जी व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया, यह अभद्र व्यवहार उनके साथ किया गया और उनके चोटें आदि आयी हैं, मेरे ख्याल में प्रिविलेजेज का प्रश्न तो स्पष्टतया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को चाहिये कि वे इस संबंध में प्रकाश डालें। मैं समझता हूं, चाहे सरकार कहे या न कहे, यहां के कुछ सदस्यों को जाकर अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिये श्री मुरलीधर व्यास की हालत को देखना चाहिये। मैं स्वयं भी चाहूंगा कि मैं खुद भी जाकर देखूं। मेरा इस संबंध में ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव भी है। मैं सरकार को इस पोजीशन में नहीं डालना चाहता हूं इसलिये मैं कुछ दिन के लिये इस विषय को स्थगित ही रखना चाहता हूं, लेकिन फिर बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य, इस ओर सदन में बैठते थे उन्हें, कुछ दुर्घटनायें दुर्भाग्यवश हुईं इस कारण इस सदन के बाहर निकाल दिया गया और वह एक तरफा रूप से प्रस्ताव पारित होकर और ऐसे समय में प्रस्ताव पारित हुआ जबकि यहां पर विरोधी पक्ष का एक भी सदस्य नहीं था और प्रस्ताव के अन्दर यह प्रावधान रखा गया था कि उन माननीय सदस्यों को इस सैशन के सारे काल के लिये निलम्बित कर दिया जाय। सरकार के द्वारा एक बात होती है तो उसका रिएक्शन और एक्शन हुआ करता है। मैं तो सरकार से यह निवेदन करूंगा कि प्रस्ताव के बारे में भी विचार करें और अगर पुलिस के द्वारा अभद्र रूप से श्री मुरलीधरजी व्यास के साथ व्यवहार हुआ है तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी भारी बात है और कठोर से कठोर शब्दों में मैं इसकी भर्त्सना और निन्दा करता हूं और खास कर इधर के और उधर के माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि इस बारे में जो वस्तुस्थिति है उसकी जानकारी प्राप्त की जाय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंहजी ने एक व्यवस्था की बात उठायी और उसी के साथ प्रिविलेजेज का भी उल्लेख किया। उन्होंने कुछ तथ्य रखे कि इस सदन के एक सदस्य श्री मुरलीधर व्यास को गिरफ्तार किया गया और उनके कुछ चोटें भी लगी हैं और इस संबंध में उन्होंने बताया कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी करने के लिये भेजा जाय। उन्होंने प्रक्रिया भी सुझायी है। लेकिन वह प्रक्रिया सुविधा-जनक नहीं है जिससे कि इस सदन के सम्मुख एक मत से तथ्य आ सकें। माननीय सदस्य ने खुद ने संतोष किया होगा······

श्री भैरोंसिंह: मैं जाकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष: उन तथ्यों पर जानकारी की जा सके, यह आवश्यक है। उन तथ्यों के ऊपर विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है

(श्री अध्यक्ष)

सदन विचार कर सकता है और माननीय सदस्य चाहें उस प्रकार से नियमानुसार उसको उठा सकते हैं।

जहां तक घटना और सरकारी पक्ष का प्रश्न है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि वे उससे परिचित नहीं हैं। मैं समझता हूं कि सदन की कार्यवाही स्थगित हो उसके पहले वे इस संबंध में स्पष्टीकरण कर दें। जो कुछ घटना घटी है और उसके संबंध में और जो आगे की कार्यवाही होगी वह की जावेगी।

श्री बाबसिंह महार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खुद जाकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरे कहने से पहले आप बोल लेते।

(१२.४८ म.प.)

गोठंडा व मांडवा में डकैती के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने विषयक

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : माननीय अध्यक्ष · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अब इस पर न बोलें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं यह निवेदन कर रहा था · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य · · ·

श्री राधाकृष्ण गोयल : माननीय अध्यक्ष, ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कोई निवेदन न करें जब तक आप मुझे सूचना न द।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अध्यक्ष महोदय, इस विषय की नहीं है। आसन से आदेश दिया गया था कि उप-मंत्री नहीं है। उनसे सूचना ले ली जायगी।

श्री अध्यक्ष : कौनसी सूचना ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : गोठड़ा और मांडवा में डकैती पड़ी उसके सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जिनकी सूचना नहीं दी गई है कृपया उन पर न बोलें। जो कुछ कहना हो वह मेरे चैम्बर में मुझसे आकर कह सकते हैं। पहले उसकी मुझे सूचना दें। बिना नोटिस दिए ही आप इसको उठा रहे हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : पहले ही कहा गया था ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! केवल सूचना देने से ही काम नहीं चलेगा। पहले आपको मुझे उस विषय से सन्तुष्ट करना पड़ेगा कि उसको किस हद तक लाना चाहिए। केवल सदन में आकर खड़े हो जायें और उस पर बहस करने लगें, यह उचित नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आसन का आदेश हुआ था।

श्री अध्यक्ष : आसन का आदेश कहां पालन कर रहे हैं ? पहले आप मुझ से पूछ लेते। ख्वामख्वाह आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

मांग संख्या २१, ४० व १४–उद्योग, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत एवं वैज्ञानिक विभाग

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग के सम्बन्ध में

(श्री हरिश्चन्द्र)

३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४६,७७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६६–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८०,७६, ००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुएं ।

श्री **हरिदेव जोशी** (खनिज मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३८, २८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(इन मांगों पर निम्नलिखित कटोती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

मांग संख्या २१

श्री जयनारायण खातोदिया (निवाई) :

१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १०० रु० कम कर दिया जाए (कुटीर उद्योग की ओर सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए) ।

श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) :

२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (उद्योग विभाग द्वारा जिला उद्योग दफ्तरों की कमी करने पर चर्चा के लिए) ।

३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (लघु उद्योग पर विभाग द्वारा सहायता न देने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ४०

४. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६६–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सोडियम सल्फेट के पाइलाट परियोजना की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २१

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :

५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में सें १००) रु० कम कर दिया जाय । (D. C. M. उद्योग के गंदे पानी कारण मवेशियों का नुकसान पर चर्चा के लिए)

६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में सें १००) रु० कम कर दिया जाय (कच्चे माल की कमी के कारण उद्योगों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ४०

७. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६६–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों में अर्थ सहायता के दुरुपयोग को

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

रोकने के लिए पर्याप्त कदम न उठाए जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १४

८. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा व भीलवाडा जिले में Royalty की दरों में अन्तर के कारण नुकसान पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २१

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम):

९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में उद्योगों को कच्चा माल का कोटा समय पर न मिलने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १४

१०. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पलाना खान प्रोजेक्ट में विकास कार्य न किए जाने की चर्चा के लिए)।

११. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मांडव का पाल फ्लोराइट प्रोजेक्ट शुरू न किए जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २१

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): १२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–**उद्योग** में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय उद्योग के विस्तार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १४

१३. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया दिया जाय (माइका खानों की दुर्दशा पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २१

श्री गंगासिंह (जायल): १४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५—उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार ने उद्योग की ओर समुचित योजनाबद्ध कार्य नहीं किया है, इस पर चर्चा के लिए)।

१५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (औद्योगिक बस्तियों की अव्ययवस्था पर चर्चा के लिए)।

१६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नागोर जिले में उद्योग धंधे प्रयाप्त मात्रा में न खोलने पर चर्चा के लिये)।

१७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उद्योग में अर्थ सहायता के दुरुपयोग को रोकने में विभागीय ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर):

१८. **मांग संख्या** २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कुटीर तथा लघु उद्योग को विभाग द्वारा उचित प्रोत्साहन नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

(श्री भैरोंसिंह)

मांग संख्या ४०

१९. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६६—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर में कोई भी बड़ा कारखाना नहीं खोलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

२०. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खान विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): २१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वैज्ञानिक और औद्योगिक अन्वेषण की योजना का सही रूप से क्रियान्वित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

२२. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खान विभाग द्वारा शुल्क वसूली में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री मानधातासिंह (महुआ): २३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (औद्योगिक संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): २४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर में उद्योग-धंधों खासतौर से मुल्तानी मिट्टी व वूलन एवं अन्य आयरन व स्टील based Industries की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

२५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लूणकरणसर तहसील में साबुन, ईंट-बट्टे, आदि सहकारी समितियों को खादी तथा ग्रामोद्योग को पूर्ण सहायता न देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

२६. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पलाना खान के विकास के लिये इस मद में राशि नहीं रखने पर चर्चा के लिये)।

२७. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिप्सम कं० ने शर्तों के मुताबिक प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्टरी नहीं लगाई है उस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२८. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिप्सम कम्पनी को वर्तमान एरिया समाप्त होने पर अन्य लीज न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली): २९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५—उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू) : ३०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कुटीर उद्योग के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय सु.): ३१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००)रु० कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय, ग्राम पंचायत घूमना व बेराखेडा नामनरे में ताड़ गुड का उत्पादन चलाने के संबंध पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४०

३२, मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००)रु० कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय में छोई नदी में व बान्ध माधोसागर में मछली उत्पादन की ओर सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १४

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु.): ३३. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर में खनिजों का सर्वेक्षण तथा पर्यवेक्षण करने में सरकार असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २१

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर): ३४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मकराना मार्बल उद्योग के विकास में विभाग की ढिलाई के संबंध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २१

श्री मानसिंह महार (आमेर): ३५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य में उद्योगों की समुचित उन्नति पर सरकार द्वारा समुचित प्रयत्न न करने के संबंध पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १४

३६. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वैज्ञानिक विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २१

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा-सु.): ३७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लघु उद्योगों के प्रात सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

श्री माधोलाल खानपुरिया (अटरू): ३८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में उद्योगों के प्रति उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): ३९ मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
१००) रु० कम कर दिया जाय (औद्योगिक बस्तियों में शेडों के वितरण में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

४०. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खान विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : ४१. में मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कुटीर उद्योग के कार्य-क्रम में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

४२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी क्षेत्र में औद्योगक विकास के कार्यक्रम में बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४०

४३. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ऊन से सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक कार्यक्रम को औद्योगिक आधार पर विकास करने हेतु चर्चा के लिये)।

४४. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु खाद का कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र या सहकारिता के माध्यम से करने पर विचार, इस पर चर्चा के लिये)।

४५. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकस पर पूंजी की लागत में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सोडियम सल्फेट उद्योग विकास में बरती जा रही ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

४६. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मकराना एवं खाटू के खान के विकास में बरतो जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री मोहनराज (बाली) : ४७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उद्योगों में खपत हेतु कच्चे माल की कमी के कारण व समय पर उपलब्ध न होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

४८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में उद्योगों को स्थापना के लिए आवश्यक प्रोत्साहन व मार्गदर्शन न मिलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

४९. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बच्चों के लिये ज्ञानवर्धक वस्तुओं के विग्रह हेतु एक म्यूजियम की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : ५०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : ५१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लघु उद्योगों की प्रगति पर उचित ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये) ।

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवाड़ा) : ५२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिरोही जिले में औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी तरफ से बरती जाने वाली उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

श्री दुर्गालाल बादवार (हवामहल, जयपुर) : ५३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार ने उद्योगों की ओर समुचित योजनाबद्ध कार्य नहीं किया है, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : ५४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खादी एवं ग्रामोद्योगों को दी जाने वाली अर्थ सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ४०

५५. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (औद्योगिक, सहकारी समितियों में पूंजी के विनियोजन एवं घोटालों पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १४

५६. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुरातत्व विभाग में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २१

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : ५७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खादी एवं ग्रामोद्योगों में दिये जाने वाले धन के अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४०

५८. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वाणिज्यिक एवं औद्योगि ककार्यों में पूंजी के विनियोजन एवं घोटालों पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १४

५९. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अजायबघरों में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २१

श्री जोधसिंह चौहान : ६०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खादी एवं ग्रामोद्योगों को दिये जाने वाले धन के अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४०

६१. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वाणिज्यिक एवं औद्योगिक कार्यों में पूंजी के विनियोजन एवं घोटालों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

६२. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खान विभाग में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री देवीलाल (सराडा-सु) : ६३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर सराड़ा तहसील में उद्योग खुलाने **पर चर्चा** के लिये)।

मांग संख्या १४

६४. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में सिंचाई के कुओं पर बिजली दिलाई जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : ६५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (औद्योगिक बस्तियों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

६६. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुरातत्व विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : ६७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टोंक जिला में, उद्योग-धंधे न खोलने पर चर्चा के लिये)।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.) : ६८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उद्योग-धंधों में अनुसूचित जाति के लोगों को किसी प्रकार की सहायता न मिलने पर चर्चा के लिये)।

६९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में किसी प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन न देने पर चर्चा के लिये)।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवारामगढ): ७०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक

(श्री डूंगाराम राजोरिया)
३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पिछड़े वर्ग के उद्योग-धंधे नहीं पनपाये गये, इस पर चर्चा के लिए।

डॉ० पोहूमल ईसरदास (अजमेर-पश्चिम) : ७१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कुटीर और लघु उद्योग वालों को पूरी मात्रा में कोटा न देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४०

७२. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अजमेर में सरकार द्वारा कोई भी बड़ा उद्योग न खोलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री शक्तराम (सादूलपुर) : ७३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (छोटे उद्योग-धन्धों को उचित प्रोत्साहन नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री हरिकिशन (राजगढ़) : ७४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजगढ़ क्षेत्र, जिला अलवर में सीमेन्ट का पत्थर काफी मात्रा में प्राप्त होने पर भी अभी तक सरकार द्वारा सीमेन्ट का कारखाना नहीं खोलने पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : ७५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (औद्योगिक बस्तियों के निर्माण के अभाव व उसकी आवश्यकताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४०

७६. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक-९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी में सीमेन्ट का कारखाना शीघ्र चालू करने की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिये)।

७७. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (श्रमिक ठेका समितियों को उचित प्रोत्साहन देने की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिये)।

७८. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य भांडागार निगम द्वारा मन-माने तरीकों से रकम खर्च करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

७९. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिसमें लाखेरी सीमेन्ट वर्क्स को माइनिंग लीज के नाम पर शुल्क की वसूली पर चर्चा के लिये)।

८०. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में खनिज की खोज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

८१. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
कर दिया जाय (माइनिंग विभाग कोटा के द्वारा किये जाने वाले व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण सरकार को नुकसान पहुंचाने की मनोवृत्ति पर चर्चा के लिये)।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : ८२. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (निम्बाहेड़ा में माइनिंग रायल्टी वसूली में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ८३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (छोटे एवं ग्रामीण कुटीर उद्योगों के जिला जालौर में विकास न होने के संबंध पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

८४. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला जालौर में खानों के विकास के बारे में सरकार की उदासीनता के संबंध पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २१

डा० हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर) : ८५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

८६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उद्योगों को प्रोत्साहन देने में डिपार्टमेन्ट की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १४

८७. मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खनिज विभाग में शिथिलता बरतने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४०

श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डौली) : ८८. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खनिज पर आधारित उद्योगों के विस्तार पर चर्चा के लिये)।

श्री किशनसिंह बाटव (लक्ष्मणगढ़) : ८९. मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में औद्योगिक विकास में विभागीय ढिलाई पर चर्चा के लिये)।]

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस समय इन्डस्ट्रीज और माइन्स की मांगें सदन में पेश हो रही हैं। जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट के बारे में, वह सदन के सदस्यों को मिलनी चाहिये, यह बात मैंने आज से चार दिन पहले उठायी थी और मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट की थी कि जहां जहां भी गवर्नमेन्ट का इन्वेस्टमेंट है, जो गवर्नमेन्ट की अन्डरटेकिंग्ज हैं उनमें डाइरेक्टर्स जो रिपोर्ट सरकार को देते हैं वह सदस्यों को भी दिलाई जावे।

क्योंकि जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट आती है उसमें हमने एक पैराग्राफ खास तौर से देखा

Page No. 56

(श्री भैरोंसिंह)

है। यह स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कोर्पोरेशन की रिपोर्ट है, उसमें लिखा है कि बाकी की इर्रेगुलेरिटीज के बारे में सेपरेट नोट शामिल किया जा रहा है।

गंगानगर शुगर फैक्टरी और एस० आई० एस० की रिपोर्ट मैंने देखी है। सभी अन्डर-टेंगिग्ज में हमने देखा है कि खास-खास जो मुद्दे की बातें होती हैं, सेपरेट नोट में शामिल करके अपेन्डिक्स के रूप में देते नहीं हैं। डाइरेक्ट कोई मांगे तो देते होंगे, लेकिन वे इसके साथ रिपोर्ट देते नहीं हैं, इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस संबन्ध में रूलिंग या व्यवस्था फरमा दें ताकि गवर्नमेन्ट जो ऑडिट रिपोर्ट और एन्युअल रिपोर्ट रखती है उसके साथ साथ वह सेपरेट नोट भी शामिल हो जाना चाहिये, ताकि डिबेट के अन्दर सरकार को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें इर्रेग्यु-लेरिटीज् को रोकने के सुझाव दे सकें।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग) : जिस बात का जिक्र किया है we have separately printed out irregularities in resptct of Accounting procedure जो कुछ इर्रेग्युलेरिटीज् होती हैं अकाउटिंग प्रोसीजर के बारे में वे सेपरेटली बता देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप कहते हैं वह सही है। जैसे मैं आपको बतलाऊं, यह मेरे पास गंगानगर शूगर फैक्टरी की रिपोर्ट है, It is full of irregularities. इसमें बताया गया है कि गंगानगर शूगर फैक्टरी में किस प्रकार का प्रोफिट है। इसके लिये भी ये ही वर्ड्स यूज् किये गये हैं, अकाउन्ट्स की इर्रेग्युलेरिटीज् के बारे में सेपरेटली नोट दे रहे हैं।

सभी ऑडिट रिपोर्ट में इस प्रकार का उल्लेख होता है। यदि आप समझते हैं कि उसमें केवल अकाउन्ट्स की इर्रेग्युलेरिटीज के ही मामले होते हैं तो उसको हाउस की टेबल पर रखने में आपको क्या एतराज हो सकता है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना है कि जो भी संस्थान या कम्पनी हो जिसमें राज्य सरकार के कुछ हिस्से हैं उसका मतलब यह हुआ कि सदन एक तरह से उसकी सारी व्यवस्था में साझेदार है शेयर होल्डर के नाते।

यह प्रश्न पहले भी कई दफा उठा था और मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि जो हर शेयर होल्डर को एन्युअल रिपोर्ट अकाउन्ट्स एवं ऑडिट रिपोर्ट जाती है उसकी प्रतिलिपि सदन के समक्ष भी आनी चाहिये ताकि माननीय सदस्यों को पता लग सके कि जिन संस्थानों में राज्य सरकार की पूंजी लगी हुई है उसका किस प्रकार से संचालन हो रहा है, उसमें लाभ या घाटे की व्यवस्था है, या क्या है; लेकिन मैं नहीं समझ सका कि किन कारणों से यह रखना सरकार के लिये संभव नहीं हो सका। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिये।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट्स कम्पनी लॉज के अन्तर्गत तैयार की जाती हैं वह कोई रेस्ट्रिक्टेड या कॉन्फीडेन्शियल डॉक्यूमेन्ट तो होता नहीं, वैसी हालत में सदन के सदस्यों के समक्ष उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि मिल जाय तो पता चल सके कि उन कम्पनियों में राज्य सरकार की पूंजी की क्या स्थिति है; उससे सदन में बहस करने की सुविधा हो सके।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : स्टेट एन्टरप्राइजेज के अलावा प्राइवेट कम्प-

(श्री मथुरादास माथुर)
नियों में भी सरकार का इन्वेस्टमेन्ट है, शेयर्स हैं, तो क्या उनकी भी रिपोर्ट आनी चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : जी हां ।

श्री हरिश्चन्द्र : लास्ट टाइम जब इन्वेस्टमेन्ट्स के बारे में विचार किया था उस समय फाइनेन्स मिनिस्टर द्वारा यह कहा गया था, जिन जिन संस्थानों में हमारी जितनी पूंजी लगी हुई है उनकी रिपोर्ट्स बजट में आती है, अपेन्डिक्स में और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सामने उस सबका जिक्र आता है कि कितनी पूंजी हमारी लगी हुई है उसका कितना रिटर्न आता है ।

श्री अध्यक्ष : कम्पनी लॉ के अन्तर्गत आवश्यक है कि हर कम्पनी की जो सालाना रिपोर्ट तैयार होती है अकाउन्ट्स आदि की, वह रिपोर्ट शेयरहोल्डर्स के पास भेजी जाय। वह विस्तृत होती है और कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत तैयार की जाती है । बजट में जो उल्लेख होता है वह सरसरी तौर पर होता है । कितना टर्न-ओवर होता है, सालाना कितना प्रोडक्शन है, उसमें क्या प्रॉफिट है, क्या घाटा है, इस प्रकार से उल्लेख बजट में नहीं हो सकता । इस प्रकार की जो रिपोर्ट संस्थानों द्वारा तैयार की जाती है वह सदन के समक्ष आयें ताकि सदस्यों को उसकी विस्तृत जानकारी मिल सके ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार आपके द्वारा आदेश होने पर भी मंत्री महोदय द्वारा यह नहीं रखी गई...

श्री हरिश्चन्द्र: यह पहले ही दफा आदेश हुआ है....

श्री भैरोंसिंह : जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने फरमाया उन्होंने इस बारे में पहले भी कहा था ।

श्री हरिश्चन्द्र : जब इस प्रकार का पोइन्ट आया था उस समय मैंने आश्वासन दिया था, फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के साथ बैठ करके जो जो हमारे इन्वेस्टमेन्ट्स हैं उनके बारे में सदन के सामने सूचना देंगे । उसके बाद हम दोनों बैठे; उस पर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का कहना था, यह जो सूचना चाहते हैं वह बजट में आ जाती है; इस वास्ते इसी चीज को दूसरी तरह से रखना ठीक नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में आप अपने सलाहकारों से और बात कर लें ।

श्री भैरोंसिंह : इसमें सलाहकारों को पूछने की जरूरत नहीं है । गंगानगर शूगर फैक्टरी के डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट एण्ड लोस अकाउन्ट्स के साथ अन्य कई बातों की ओर ध्यान दिलाया है । बजट में तो केवल मोटे रूप में दिया जाता है ।

श्री हरिश्चन्द्र : स्टेट एन्टरप्राइजेज और स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ कोर्पोरेशन आदि की फुल रिपोर्ट आये इसमें मुझे एतराज नहीं है । जो माननीय सदस्य ने बात कही है वह प्रोसीजरल है, वह आ जाय तो हमें एतराज नहीं ।

श्री अध्यक्ष : कम्पनीज़ एक्ट के नीचे सालाना जो रिपोर्ट दी जाती है उसकी प्रतिलिपि आनी चाहिये ।

श्री मथुरादास माथुर : किसी में हमारी पूंजी दस लाख लगी होती है, किसी में पांच लाख; क्या उन सबके लिये भी सम्बन्धित है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सब के लिये है ।

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : इसको दिखवाकर गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया में जिस प्रकार की प्रेक्टिस होगी वह की जायगी ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : फाइनेन्स बिल प्रस्तुत करने की फर्स्ट-स्टेज पर मैंने कहा था स्टेट एन्टरप्राइजेज के सम्बन्ध में प्रोपर ट्रेडिंग अकाउन्ट आदि की रिपोर्ट सदन के समक्ष रखनी चाहिये । यह सब देखने का माननीय सदस्यों को अधिकार है । पार्लियामेन्ट में भी इस प्रकार की प्रेक्टिस है, प्रोपर ट्रेडिंग अकाउन्ट्स आते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : हम भी स्टेट एन्टरप्राइजेज की रिपोर्ट्स रखते हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : इनके तो कॉमर्शियल अकाउन्ट्स हैं । जैसा भारत सरकार में होता है, हम भी उसी प्रकार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में फिर सोच लें आपका कहना उचित है या नहीं । आप इस बारे में निश्चित कर लें, उस से पहले सदन में बहस न करें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय का आदेश होने के बाद भी आप बहस करें और एक गली निकालने की कोशिश करें कि भारत सरकार में होता होगा तो हम भी करेंगे । वहां क्या होता है, क्या नहीं होता है, इस से हमें मतलब नहीं । हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो आदेश दिया है गवर्नमेंट को उसको पालन करना चाहिये ।

श्री हरिदेव जोशी : आदेश नहीं दिया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह चेयर का अपमान है ।

श्री हरिश्चन्द्र : Audit Report is a Public document. There is nothing secret about it and there is no harm if the same thing is placed here.

(१. म. प.)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बकरी दूध देती है, पर मींगणी करके देती है ।

(श्री सतीशचन्द्र को सरकारी बेन्चों पर बैठे देखकर)

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग): जनसंघ की मींगणी इधर मिल गई ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): अध्यक्ष महोदय, उद्योग के सम्बन्ध में मेरा कटौती का प्रस्ताव है । इसके द्वारा मैंने राज्य सरकार की लघु उद्योगों व कुटीर उद्योगों के प्रति जो दयनीय नीति है उसके सम्बन्ध में रोष प्रकट करने की इच्छा प्रकट की है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में और खासकर राजस्थान राज्य में देहातों में लोगों के जो कुटीर उद्योग हैं और जिनको वे दादा-पड़दादाओं से सैकड़ों सालों से करते आ रहे हैं उनकी दयनीय दशा को सुधारने की दृष्टि से मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की जो औद्योगिक नीति है; सरकार का जो औद्योगिक बजट है उसका पैसा, जैसी मेरी जानकारी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

है, चन्द लोगों में चन्द संस्थाओं में ही बढ़कर रह जाता है। उसका लाभ उन देहातों में रहने वाले साधनहीन लोगों को नहीं मिल पाता। जब कि प्रजातन्त्र का ढिढोरा पीटने वाली, समाजवाद का नारा लगाने वाली सरकार को चाहिये यह था कि वह गरीबों को ऊपर उठाती, उनको उनके उद्योग-धन्धों में मदद देती।

इस सरकार का अधिकांश पैसा और अनुदान चन्द बड़ी बड़ी फैक्टरियों के मालिकों तक, चन्द बड़े उद्योगपतियों तक ही बंट कर रह जाता है। तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप देहातों में घर-घर में, गांव गांव में, गरीबों में पिछड़े हुए लोगों में, अशिक्षित लोगों में खुशहाली लाने के लिये ईमानदारी से प्रयत्न करना चाहते हैं, यदि आप यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में आजादी का अनुभव हर व्यक्ति को हो और बजट का जो अधिकांश पैसा आप जिन लोगों से वसूल करते हैं उनको उसका प्रतिलाभ मिले, तो आप गांव के उद्योगों को, गांव के कुटीर उद्योगों को पूरी मदद दीजिये और आपके औद्योगिक बजट का अधिकांश भाग आप उनको दीजिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे धन्धे कई हैं, जिनको मैं सरकार के समक्ष रख सकता हूं, जिनके द्वारा थोड़े रुपयों में आप ज्यादा लोगों का भला कर सकते हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं और परम्परागत उनके आमदनी के जो स्त्रोत हैं उन धन्धों को ज्यादा दिनों तक जिन्दा रख सकते हैं, पनपा सकते हैं, मरने से बचा सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कुछ ऐसे धन्धे सरकार को बताना चाहता हूं कि जिनके प्रति सरकार उदासीन है और जिनमें थोड़ा पैसा लगा कर भी अधिक रिटर्न लिया जा सकता है। पर सरकार कुछ कारणों से उधर से उदासीन है। सरकार मालदार लोगों से दबती है, उनका लिहाज करती है और अपने बजट का अधिकांश हिस्सा उनको दे देती है। इसमें कारण यह भी हो सकता है कि उन लोगों के द्वारा सरकार को सरकार चलाने में मदद मिलती हो, कांग्रेस संस्था को उनके द्वारा बड़े-बड़े चन्दे मिलते हों, ये सब बातें हो सकती हैं। इससे प्रान्त का हर व्यक्ति परिचित है। सरकार भी जानती है, पर फिर भी उपरोक्त मजबूरियों के कारण सरकार उन लोगों से दबती है और बजट का जितना हिस्सा उनके हित के लिये होना चाहिये उससे बहुत अधिक उनको दे देती है, दूसरों के हित का हिस्सा भी उनको दे देती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, देहातों में आज कुम्हारी का धन्धा है, बढ़ईगीरी का धन्धा है, लोहारी का धन्धा है, चमड़ा कमाने का धन्धा है, लाख और चमड़े का धन्धा है, जो राजस्थान के देहातों के हर झोपड़े में फैले हुए हैं, जिनके द्वारा राजस्थान के लाखों लोग अपनी जीविका का अर्जन करते हैं पर उनको प्रोत्साहन देने में, उनको आधुनिक रूप देने में, उनका विस्तार करने में, आर्थिक सहायता करने से सरकार बिल्कुल उदासीन है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर सरकार उदासीन नहीं है तो उसने इनके लिये क्या किया; वही बता दे।

सरकार उद्योग-धन्धों पर जब कुछ कहेगी तो यह कह देगी कि हमने कोटा में इस

(श्री जयनारायण सालोदिया)

इस तरह से यह उत्पादन किया, जयपुर में वह कर दिया, जोधपुर और उदयपुर में यह कर दिया। पर मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या आप जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर के कुछ मुट्ठी भर लोगों की मदद करके प्रान्त की उन्नति करना चाहेंगे; तो यह कतई अब असम्भव है।

आपको पूरे प्रान्त की उन्नति के लिये गांव-गांव में फैले हुए कुटीर उद्योगों को, ग्राम उद्योगों को उन्नतशील करना होगा, उनको आधुनिकता का रूप देना होगा, इन धन्धों में लगे लोगों को गांव-गांव में जाकर समझाना होगा कि इनकी ये प्रक्रियाएं हैं।

आज सरकार से इन कामों के लिये कर्जा लेना, सब्सिडी लेना बड़ा कठिन कार्य है। फिर इस पर एक कठिन कार्य यह भी है कि बी० ए०, एम० ए०, पढ़े-लिखे लोग जो प्रशासन में घुसे बैठे हैं और जो ऊंचे उद्योग धन्धों में बैठे हैं, वे एक दूसरे से मिल कर बजट का पैसा ले लेते हैं, पर देहात के लोग यह भी नहीं जानते कि सरकार के बजट का पैसा जो उनके निमित्त भी है, कैसे सरकार से लिया जा सकता है, जिससे कि उनके उद्योगों में उनका सही ढंग से उपयोग किया जाकर देहातों को पनपा सकें और वहां की गरीबी, बेरोजगारी दूर की जा सके। यह जानकारी आज बहुसंख्यक देहाती जनता को नहीं है। तो इसके लिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आपके विभाग द्वारा इस तरह का प्रचार और विज्ञापन हो, अमुक-अमुक धन्धे में सरकार से इस तरह से सम्पर्क किया जाय; चाहे जिला परिषद् के द्वारा कराएं, चाहे पंचायत और पंचायत समितियों के द्वारा कराएं, ताकि लोगों को पता लग सके कि इन इन उद्योग-धन्धों में इन इन शर्तों पर सरकार से ऋण या अनुदान मिल सकता है। तो इस तरह से देहाती जनता का आज अधिक भला हो सकता है और देहात के सुस्त पड़ हुए उद्योग-धन्धे भी चमक सकते हैं।

माननीय अध्यक्षजी, कुछ धंधे ऐसे हैं कि जिनसे हमें विदेशी मुद्रा भी मिल सकती है और वे भी कुटीर उद्योग हो सकते हैं। माननीय अध्यक्षजी, चमड़े का एक ऐसा धंधा है जिसके द्वारा सरकार अगर उसके ऊपर अच्छी तरह से सोचे, उसकी तरक्की के सम्बंध में, उसकी उन्नति के सम्बंध में अगर कोई प्लान बना कर प्रान्त भर में इस प्रकार का करना शुरू करे तो उसमें हम अपने प्रान्त के लोगों को और हजारों लोगों को, जिनकी स्थिति हम सुधारना चाहते हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको धंधा तो देंगे ही, उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें उन चमड़े की चीजों को बाहर भेजने से और उनके द्वारा निर्मित चीजों को बाहर भेजने से विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। लेकिन माननीय अध्यक्षजी, मैं यह दुख के साथ सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसे धंधों से जिनसे हजारों लोग प्रभावित हैं, और वे प्रभावित हैं जिनकी स्थिति के लिए सरकार कहती है कि हम चिंतित हैं, उनकी स्थिति भी ठीक हो सकती है और चमड़े की चीजें बाहर भेजने से विदेशी मुद्रा भी मिल सकती है। ऐसे धंधों के प्रति जो सरकार की उदासीनता है, यह भी मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इसके लिए क्या करना चाहती है? क्यों उदासीन है? और कोई कारण इसके लिए समझ में नहीं आता।

इस तरह से माननीय अध्यक्षजी, ऊन का धंधा हो सकता है। मेरी जानकारी में है कि

(श्री जयनारायण सालोदिया)

सरकार ने ऊन वर्गीकरण केन्द्र के नाम से कुछ केन्द्र चलाये हैं। लेकिन मैं सरकार से चाहूंगा कि यह प्रयास भी वही है कि कुछ लोगों में और कुछ जगहों में ही पैसा बांटें और ज्यादा पैसे से कुछ ही काम हो सके। लेकिन मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि ऊन वर्गीकरण केन्द्र सरकार चलाये इसके लिए मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज जो लोग हजारों की तादाद में ऊन के धंधे को गांवों में करते थे उस दृष्टि से सोचिये और वहां हम कितनी उनको मदद कर सकते हैं और इस धंधे को कितना प्रोत्साहन दे सकते हैं, इस संबंध में आपको कोई योजना बनानी चाहिए। माननीय अध्यक्षजी, इस तरह की योजना सरकार बनायेगी तो जो लोग इस धंधे में ट्रेण्ड हैं, तो कुछ पैसा खर्च करने से ही यह धंधा अच्छा हो सकता है।

मैंने अभी दो धंधों के लिए सरकार से निवेदन किया। इसी तरह से माननीय अध्यक्षजी, गांवों में बढ़ई गिरी के धंधे हैं। वह धन्धा भी ऐसा धंधा है कि जिससे हजारों लोग प्रभावित हैं। अगर हम उसके संबंध में भी कुछ न कुछ बजट का हिस्सा रखें और उसमें कुछ योजनाबद्ध सुधार करना चाहें और इस तरह का सुधार करें जिससे गांवों में बैठे आदमी को अपने घर में बैठकर काम करने के साथ ही साथ में उसको अच्छा पैसा मिले और सुविधायें मिलें, तो इससे भी काफी लोगों की सहायता की जा सकती है।

माननीय अध्यक्षजी, इसी तरह से मैं कुम्हार उद्योग के लिए निवेदन कर सकता हूं। यह उद्योग भी राजस्थान में एक अच्छा उद्योग है और बहुत ही कम कीमत में और बहुत ही कम लागत और सामान आदि से बहुत से लोगों को अच्छा काम दे सकते हैं।

इसी के साथ साथ माननीय अध्यक्षजी, मैं एक बात सरकार से और निवेदन कर देना चाहता हूं; वह बात यह है कि हमारे यहां पत्थरों की खानों पर जो मजदूर काम करते हैं वह भी एक लघु उद्योग के रूप में आता है और उसके ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए। अभी मुझे मालूम हुआ है कि माननीय उद्योग मंत्री, खनिज मंत्री भी हैं···

एक माननीय सदस्य : वे खनिज मंत्री नहीं हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : हरिदेव जी होंगे।

हमारे यहां पत्थरों की खान में जो लोग काम करते हैं वे लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा आर्थिक व्यवस्था नहीं है। लेकिन वह एक परम्परागत धंधा है और उसको वे लोग जीवनोपार्जन की दृष्टि से और कुटीर उद्योग की दृष्टि से करते आये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तक मुझे मालूम हुआ है कि कुछ खान वालों ने बताया है कि सरकार की ऐसी स्कीम है कि पहले उनको कुछ एरिया ५० रुपया सालाना की लीज़ पर दिया जाता था। अबकी से सरकार ने ऐसा प्रोग्राम बनाया है, ऐसी स्कीम बनाई है कि उनको उससे १० गुना या २० गुना रकम लेकर····

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, मुझे क्षमा कीजिए, माननीय सदस्य किस कटमोशन पर बोल रहे हैं, यह बता दें, ताकि मुझे सहूलियत हो जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जल्दी समाप्त करें। सब को बोलना है।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्षजी, कुछ धंधे जो कुटीर उद्योग की दृष्टि से गांवों में फैले हुए हैं और सरकार उनके प्रति उदासीन है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सरकार प्रान्त की उन्नति करना चाहती है, गरीब लोगों का स्तर ऊंचा उठाना चाहती है, समाजवाद लाना चाहती है, अगर वे हमारे लक्ष्य हैं, तो इन सुझावों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कम पैसों में हम ये उद्योग-धंधे चला सकते हैं। इसके अलावा हमारा उद्योग विभाग यह दिखा दे कि कम पैसों में हम हर धंधे को चलाने के लिए हर तरह से एक्टिव हैं। चाहे पैसे की दृष्टि से, ट्रेनिंग की दृष्टि से या अन्य प्रचार की दृष्टि से, मैं नहीं कहता कि सबको पैसा दीजिये, लेकिन हर धंधे का सर्वे कराइये कि किस धंधे में क्या कमी है और उसमें आगे विकास की क्या गुंजाइश है। हर धंधे में पैसा नहीं दे सकते तो आप कम से कम राय तो दीजिए। अगर इस तरह की स्कीम, इस तरह का प्लान बनायेंगे तो निश्चित रूप से इन कुटीर उद्योगों में आप थोड़े से पैसों में बहुत ज्यादा लोगों की सेवा कर सकेंगे, बहुत सारे लोगों की हालत सुधार सकेंगे और उनको काम दे सकेंगे और इस बेकारी की समस्या को और बेकारी का जो भूत हमारे सामने मुंह खोले खड़ा है उसमें भी मदद दे सकेंगे और उत्पादन बढ़ायेंगे और प्रान्त की मदद कर सकेंगे।

माननीय अध्यक्षजी, आपकी इजाजत से मैं इतना ही कहकर स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : माननीय अध्यक्षजी, मांग संख्या २१ मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग के संबंध में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। अभी अभी बजट भाषण में मैंने निवेदन किया था कि राज्य सरकार को जहां तक हो सके जो फिजूल खर्ची है उसमें कमी करनी चाहिए। नॉन-प्लान में कमी करनी चाहिए और प्लान एक्सपेन्डीचर में हमारा खर्चा बढ़ना चाहिए। उद्योग विभाग में अभी तक ५ डी० आई०ओ० ११ कॉमन फैसेलिटीज सेन्टर और ३५ इन्डस्ट्रियल एक्सटेन्शन ऑफिसरों को कम किया गया है। जहां तक कमी करने का सवाल है वह इसलिए की कि वे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे, तो इसके लिए यह प्रश्न उठता है कि राज्य सरकार ने जिस चीज को अब महसूस किया कि यह काम ठीक नहीं हो रहे थे। तो खोलते समय यह भी सोचना चाहिए था कि जिस जगह वे खुले हैं वे स्थान उनके लिए उपयुक्त हैं ? मैं समझता हूं कि इन्डस्ट्रीज विभाग में जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, डाइरेक्टर, जोइन्ट डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर या डी० आई० ओ० हैं, ये सब नॉन टैक्निकल ऑफिसर्स हैं और इनमें से एक ऑफिसर को छोड़ कर बाकी सब नॉन-टैक्निकल ऑफिसर हैं। जहां तक डाइरेक्टर का प्रश्न है हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से उनको नॉन-टैक्निकल ऑफिसर रखा जा सकता है। लेकिन जहां तक दूसरे ऑफिसर्स हैं जोइन्ट डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर इत्यादि इनके लिए निवेदन है कि कम से कम ये ऐसे आदमी होने चाहिए जो कि इन बातों को जानते हों। अगर आपके पास ऐसे ऑफिसर्स होते जो कि इन बातों को समझते और जिन प्लान्स की शुरूआत आपने की थी और जिनको आज

(श्री गोविन्दसिंह)
तोड़ना पड़ रहा है उनको तोड़ने का मौका नहीं मिलता। जिस तरह से आपने इस विभाग में कमी की है और जिसके फलस्वरूप ४३५ आदमी आज सरप्लस हो गए हैं और वे जी० ए० डी० में बैठे हैं। अगर आपको उनको तोड़ना था तो इन्तजाम यह करना था कि इनको कहां लगायें और कैसे लगायें? वे राजस्थान सरकार के लिए आज बोझ बनकर बैठे हुए हैं और जब तक वे किसी जगह नहीं लगाये जाते हैं तब तक राजस्थान सरकार पर बोझ में बने हुए रहेंगे। इस वास्ते मेरा निवेदन करना यह है कि इनको तोड़ने के पहले राज्य सरकार को यह इन्तजाम कर लेना चाहिए कि उनको कहां पर लगाया जाएगा।

इसी तरह से मेरा निवेदन करना है कि आपके स्टाफ के आदमी नॉन-टेक्निकल हैं। आपको कम से कम सारे राजस्थान का इण्डस्ट्रियल सर्वे कराना जरूरी था और अगर इण्डस्ट्रियल सर्वे हो गया होता तो जिस जगह जो स्टाफ जरूरी था लगाते; आपको जो कारखाने खोलने हैं उनमें आप उनको लगा सकते थे, तो यह प्रश्न आज नहीं उठता। जिन पांच डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज ऑफिसेज को आपने तोड़ा है उनमें एक जिला झालावाड़ का भी तोड़ा गया है। मेरा निवेदन है कि जिला झालावाड़ के बारे में आपको दुबारा विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जिला झालावाड़ ही सारे राजस्थान में एक ऐसा स्थान है जहां नारंगी पैदा होती है। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि सारे हिन्दुस्तान में नागपुर के बाद जिला झालावाड़ ही ऐसी जगह है जहां पर लाखों रुपयों की नारंगियां पैदा होती हैं और लाखों रुपयों की नारंगियां भवानीमण्डी से बाहर भेजी जाती हैं। आप इसके लिए कोई कारखाना खोल सकते हैं। अगर आपके ऑफिसर टेक्निकल हैण्ड होते और आप इस पर गम्भीरता से विचार करते तो मैं निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार को वहां से, जिला झालावाड़ से, डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रियल ऑफिस तोड़ने की जरूरत नहीं होती। वहां पर डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज ऑफिसर का रहना बहुत जरूरी है। नारंगी के कई बाई-प्रोडक्ट हैं, उसके पत्तों से व छिलकों से लेमन-आइल बना सकते हैं, नारंगी के रस से लेमन जूस आदि कई बाई प्रोडक्ट हैं। इस पर आप गम्भीरता से विचार करते तो वहां पर इसका कारखाना लगाया जा सकता था। दूसरी बात यह है कि जहां तक डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ का प्रश्न है, झालावाड़ ऐसी जगह है जहां पर काफी मवेशी हैं। इस वास्ते मरते भी काफी हैं। वहां पर राज्य सरकार अगर विचार करती और इस बारे में सोचती तो वहां पर हाइड एण्ड स्किन का कारखाना खोल सकती थी। मैं निवेदन करता हूं कि कारखाने जो चलते हैं अगर हम उनके बाई प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दें तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि वह कारखाने अच्छी तरह से चल सकते हैं। जैसा मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिला झालावाड़ में हाइड एण्ड स्किन का कारखाना खोला जा सकता है इसका बाई प्रोडक्ट इंक (स्याही) होती है।

आजकल क्योंकि खाद्यान्न की कमी है और इस प्रश्न पर भी मैं निवेदन करता

Page No. 64

(श्री गोविन्दसिंह)

हूं कि यह जरूरी बात है, करीब सन् ३७ में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और कोटा का इण्डस्ट्रियल सर्वे हुआ था। डॉ. एन० एन० गोडबोले, जो यहां पर भी डाइरेक्टर ऑफ इण्डस्ट्रीज रह चुके हैं, उन्होंने, सर्वे किया था और उन्होंने यह बताया था कि यह इलाके ऐसे हैं जहां मक्का अधिक मात्रा में पैदा होती है और मक्का से स्टार्च पैदा हो सकती है। उसमें जो मक्का पैदा होती है उसका उपयोग किया जा सकता है और उससे ग्लू एण्ड जिलेटन का बाई प्रोडक्ट मिल सकता था। जिला झालावाड़ में जो अधिक मात्रा में मक्का पैदा होती है तो कारखाने बन जाने से उसका उपयोग किया जा सकता है और किसान को अपनी पैदावार का दाम भी अच्छा मिल सकता है। मक्का से मेज सॉल्ट बनाया जा सकता है जिसकी काफी उपयोगिता है। इसलिये यह जिला झालावाड़ जो तोड़ा गया है तो मैं कहता हूं कि यह झालावाड़ के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए जैसा मैंने निवेदन किया कि यहां नारंगियों की काफी पैदावार होती है, इसका कारखाना लग सकता है, हाइड एण्ड स्किन का कारखाना लग सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में पुन: विचार करें और जो डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रियल ऑफिस तोड़ दिया है उसको दुबारा कायम करें।

अध्यक्ष महोदय, जो आपने ट्रेनिंग सेंटर तोड़े हैं उनके लिए मेरी ऐसी मान्यता है कि उनकी जैसी व्यवस्था थी और उनमें जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी उसको देखते हुए आपको यह सेंटर तोड़ने पड़े हैं। मैंने देखा कि आपने नागोर में जो इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है, उसमें नाम मात्र की ट्रेनिंग देते हैं। अब आप सोचिए कि छ: महीने की ट्रेनिंग देने के बाद कोई इण्डि-पेंडेंट काम कर सके यह नामुमकिन बात है; इस वास्ते मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि उनको इन ट्रेनिंग सेंटर्स को ठीक स्टाफ देना चाहिए और जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उनकी व्यवस्था कम से कम ठीक रखनी चाहिए।

इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो रुपया आपने इन्वेस्ट कर रखा है, इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट की मार्फत उधार दे रखा है, उसका ठीक तरह से उपयोग हो रहा है या नहीं, इस पर आपको विचार करना चाहिए। अभी सन ६५ की जो ऑडिट रिपोर्ट रखी गई है उसके आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि करीब एक करोड़ के करीब रुपया आपने उधार दे रखा है। उसमें से काफी रकम ऐसी है कि जैसे १२८ पार्टीज में ४.५ लाख रुपया दिया हुआ है जो अनयूटिलाइज है, जिसको उन्होंने काम में नहीं लिया है। इसी प्रकार से १.२८ लाख रुपया ऐसा है जो मिस-अप्लाइड हुआ है, उसमें से चार पार्टीज से १३ हजार रुपया वसूल किया गया है। कुछ रुपया ऐसा है जिनके इन्स्टालमेण्ट्स ड्यू हो गए हैं, यह २५.५७ लाख रुपया है। कुछ केसेज ऐसे हैं जो आपने रिकवरी के लिए पी. डी. आर. में कलेक्टर को दे दिए हैं, इस तरह का ७.२ लाख रुपया है। ८४ पार्टीज के केसेज ऐसे हैं जिनको ६.४ लाख रुपया दिया हुआ है। २० केसेज ऐसे हैं जिनको आपने पार्टीज के आश्वासन देने के बाद कि हम पैसा जमा करा देंगे, आपने पी. डी. आर. के केसेज विद्ड्रॉ कर लिये। केसेज विद्ड्रॉ करने के बाद एक भी पैसा उनसे वसूल

Page No. 65

(श्री गोविन्दसिंह)

नहीं किया जासका है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि एक तरफ तो आप मितव्ययता की तरफ सोचते हैं और दूसरी तरफ आपका पैसा इस तरह से फंसा हुआ है। आपको यह प्रयास करना चाहिए कि जो रुपया लगा रखा है उसकी वसूली ठीक तरह से हो जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इण्डस्ट्रीज का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि इण्डस्ट्रीज को हमको गांवों में भी बढाना है और कुटीर उद्योगों का जहां तक प्रश्न है उसको बढावा देना है। शहरों में तो हर एक बड़े बड़े कारखानों को देख कर ही जनता काम सीख जाती है, पर कुटीर उद्योग किस तरह से स्थापित करें इसके लिए उद्योग विभाग को सोचना चाहिए; इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने कारखाने खोल रखें हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर कायम कर रखें हैं उनके बारे में आप दुबारा सोचें। मैं आपको एक मिसाल देता हूं जोधपुर में आपने ब्लेंकेट प्रोड्यूसिंग सेंटर खोला था और जोधपुर में आप कम्बल बनाते थे, लेकिन आपको कार्डिंग एण्ड स्पिनिंग के लिए बीकानेर भेजना पड़ता था। कम्बल बन जाने के बाद भी डाइंग के लिए बीकानेर भेजने पड़ते थे, इससे उसको कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ जाती थी और आखिरकार खर्चा बहुत होने के कारण आपको बन्द करना पड़ा। बहुत से कम्बल रास्ते में ही खराब हो जाते थे और इससे काफी नुकसान होता था और इसीलिए आपको आखिर में वह तोड़ना पड़ा। यह कारखाना आपने थोड़े दिनों के लिए बीकानेर के कारखानों में मिला दिया और बाद में उसको भी तोड़ना पड़ा। इस पर आपके १६ लाख रुपये खर्च हो चुके थे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि चूंकि आपके नॉन-टेक्नीकल आदमी हैं, सारे राजस्थान का इण्डस्ट्रियल सर्वे नहीं है, पूरी जानकारी के बिना किसी भी जगह कारखाना लगा देते हैं और वे चल नहीं पाते हैं। आपने बिना सोचे-समझे एक दो जगह कारखाने लगा दिए और बाद में सबको तोड़ना पड़ा। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि आप इसका दुबारा सर्वे करायें। राजस्थान का इण्डस्ट्रियल सर्वे करायें। इस वास्ते मेरा निवेदन करना यह है और मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिला झालावाड़ का अपना विभाग आपने तोड़ा है उसके लिए आप पुनर्विचार करें। जो अधिकारी आज जी. ए. डी. में पड़े हुए हैं, मुझे मालूम है कि सन् ६२-६३ में भी इसी तरह से बहुत सारे परमानेंट और नॉन-परमानेंट विभाग तोड़े थे, आज वे सब अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, उनके लिए आपने अभी तक रूल्स नहीं बनाए हैं, अभी तक भी उनको छः छः महीने के इन्स्टालमेंट में तनख्वाह दे रहे हैं। आप जो भी महकमा तोड़ते हैं तो उसके कर्मचारी जी. ए. डी. में जाते हैं, आपको चाहिए कि इन सारे राज्य सरकार के कर्मचारियों को और अधिकारियों को ठीक तरह से लगायें और उनको समय पर तनख्वाह मिल जाय। इस तरह से पांच-पांच, छः-छः महीने में तनख्वाह मिलना ठीक नहीं है। मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के औद्योगीकरण के बारे में विचार करने से पूर्व सरकार की और राजस्थान की स्थितियों पर विचार

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

करना आवश्यक हो जाता है। राजस्थान की लगभग ७०-८० प्रतिशत जनता आज गांवों के अन्दर रहती है। राजस्थान के अन्दर पूंजी की कमी है और सारे फैक्टस को उनके सामने रखते हुए यह पूंजी की कमी क्यों है इस पर विचार करना होगा। आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो मौजूदा स्थिति है, जो बेकारी की समस्या है वह भयंकर बनती चली जा रही है। तो जो भी योजना उद्योगों के संबंध में बनाई जाय तो उसके लिए आवश्यक है कि सरकार इस सारे फैक्ट्स को सामने रख कर योजना को कार्य-रूप में परिणित करे। खास तौर से, मैं निवेदन करूं कि राजस्थान में सीलिंग के पश्चात् जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बनने वाली है उस ओर से सरकार को अपनी औद्योगीकरण की नीति को निर्धारित करते समय उस ओर से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सीलिंग के पश्चात् इस प्रकार की स्थिति बनने वाली है कि आज जो छोटे २ काश्तकार ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर खेती पर निर्वाह कर रहे हैं, वे संभव है कि सीलिंग के पश्चात् अपने धन्धों से पेट नहीं भर पाने के कारण सीधे शहरों की ओर बढ़ेंगे।

जहां एक ओर सीलिंग के कारण स्थिति यह आयेगी कि किसान गांव से शहर की ओर बढ़ेगा वहां दूसरी ओर स्थिति इस प्रकार की बढ़ेगी कि शहर के अन्दर जहां आबादी के कारण पहले ही एक परिस्थिति राजस्थान के अन्दर पैदा कर रहे हैं वह स्थिति और भी भयंकर रूप को लेकर आयेगी। इसलिये सरकार को आखिर सारी स्कीमों को जो सीलिंग की है और बेकारी की समस्या, आबादी की समस्या है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर औद्योगीकरण की नीति को निर्धारित करना चाहिये और इसलिये आवश्यक है कि राजस्थान के अन्दर हम बड़े उद्योग, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग इन दोनों उद्योगों का आपस के अन्दर समन्वय करके चलें। वे एक-दूसरे के पूरक हों, यानी एक-दूसरे के कम्पीटीटर बनकर सामने न आयें, बल्कि जो कुटीर और लघु उद्योग हैं वे ऐसी चीजें पैदा करें जिनका कि उत्पादन हमें अपनी नीतियों के आधार पर, कानून के आधार पर, बड़े उद्योगों के अन्दर बन्द करना पड़ेगा। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग जिस वस्तु का उत्पादन करते हैं उनके जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके अन्दर आना अनावश्यक है। इस प्रकार से कुटीर उद्योग और लघु उद्योग ये दोनों के दोनों जो बड़े उद्योग हैं उसके पूरक बनने चाहिये। लेकिन स्थिति आज राजस्थान में क्या सारे हिन्दुस्तान के अन्दर इस प्रकार की बनती चली जा रही है कि कुटीर और लघु उद्योग आज बड़े बड़े उद्योगों के कॉम्पीटिशन के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। एक माननीय सदस्य ने जो अभी बोल रहे थे मुझे याद आता है कहा था कि चमड़े का एक उद्योग ऐसा है कि जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जूतियां बनाकर अपना जीवन-निर्वाह कर रहे हैं और आज भी कुछ क्षेत्र इस प्रकार की जूतियां बनाने के लिये मशहूर हैं। वे जूतियां राजस्थान में ही नहीं बिकती हैं बल्कि हिन्दुस्तान के बाहर भी उन जूतियों की कीमत है, लेकिन ताज्जुब यह होता है कि आज बड़े बड़े उद्योग, सरकार की ओर से नहीं चल रहे हैं, प्राइवेट लोग ऐसी इन्डस्ट्री चला रहे हैं कि वहां पर जूतियां बन रही हैं, जो जूतों के बड़े बड़े कारखाने हैं वे आज जूतियां बनाने लगे हैं। मैं इस सम्बन्ध में

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

अधिक न जाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि हम कुटीर और लघु उद्योगों के बारे में विचार करते हैं तो इसके साथ-साथ गम्भीरता से सरकार को विचार करना होगा। कुटीर और लघु उद्योग जो उत्पादन करेंगे वे वहां बड़े उद्योगों के कॉम्पीटिशन में न आएं। इस पर अधिक न जाकर राजस्थान की समस्याओं को देखते हुए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी आबादी को देखते हुए और आने वाली समस्याओं को देखते हुए उसे कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये। यद्यपि सरकार ने अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में इस सम्बन्ध में विचार किया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में कहा है कि हमने इन पर गम्भीरता से विचार किया है, हमने इन्वेस्टमेन्ट किया है। हमने कई सेन्टर्स खोले हैं, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इसके बावजूद भी सरकार अपनी योजनाएं मनवाने के अन्दर सफल नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय, थर्ड फाइव ईयर प्लान के अन्दर आपने कुटीर और लघु उद्योगों में ५०० लाख का प्रोवीजन रखा था। जो प्रारूप आपने बनाया था थर्ड फाइव ईयर प्लान का वह ५०० लाख का था। आपने स्वयं ने ही उसको रिवाइज्ड करके २६० लाख का रहने दिया, और २६० लाख का रखकर भी इस वर्ष के अन्तिम समय तक इन आंकड़ों को पूरा नहीं कर पाये, तो मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि आपकी गम्भीरता इन कुटीर उद्योगों के बारे में कितनी है, यह केवल इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि आपके थर्ड फाइव ईयर प्लान में ५०० लाख का प्रोवीजन था उसको कम करके केवल २६० लाख का रहने दिया और उसके पश्चात् आपने जो इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट से यह बुकलेट्स राजस्थान के बारे में निकाले हैं उनको मैं देख रहा था तो उनमें आपने कुटीर और लघु उद्योगों के बारे में कुछ बातें कही हैं। उन्हीं ३-४ प्रश्नों को मैं अपनी बहस में सामने रखूंगा।

"The Second and Third Plan stressed on the development of industries and grant of loans, establishment of industrial estates, and technical training of craftsmen and artisans and also procurement of controlled commodities for small scale industries"

ये चार मुद्दे आपने अपने इस नोट के अन्दर बताये हैं जो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये अपनाये हैं, और मैं एक एक प्रश्न को सदन के सामने रखूंगा।

जहां तक सवाल है आपका ग्रान्ट ऑफ लोन्स का, तो यह तथ्य है कि आपने इस सम्बन्ध में १९५४ से लगाकर ६५ तक करीब २,२३,२०,८४९ रु० ऋण के रूप के अन्दर स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज में भिन्न-भिन्न पार्टियों को दिया। लेकिन आज स्थिति यह है कि इतना ऋण देने के बावजूद भी जो आपको उसका ब्याज मिलना चाहिये था, जो उसका आना चाहिये, जो कि लगभग २७,२९,००० रु० आपका लेना शेष है। आप अनुमान लगाइये कि आपने जो कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों के लिये लगभग सवा दो करोड़ रुपया कर्ज दिया उसका आपको जो रिटर्न मिलना चाहिये उसकी स्थिति यह है कि आज लगभग २८ लाख रुपया आपका एरियर्स के अन्दर चढ़ गया है, आज सरकार को वह रुपया समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है। और अधिक खराब स्थिति, अध्यक्ष महोदय,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
यह है कि इतना पैसा इन्वेस्टमेन्ट के अन्दर है उसके एरियर्स जो २८ लाख के हो चुके हैं आज उसके खिलाफ केवल १४ लाख के आपने पी. डी. आर. के अन्दर कार्यवाही की है। तो जहां हमारे पास साधनों की कमी है, जहां हम अपनी योजनाओं के अन्दर कटौती कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उद्योग मन्त्रीजी, कि २८ लाख रुपया क्यों चढ़ गया ? इसकी वसूली क्यों नही हुई ? और इन २८ लाख रुपयों के खिलाफ केवल १४ लाख की पी. डी. आर. के अन्दर कार्यवाही क्यों की ? बाकी की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की है ? क्या स्थिति यह है कि जिनको लोन दिया, जिन इन्डस्ट्रीज को कर्जा दिया आज वे बन्द हैं ? उन्होंने कार्य करना बन्द कर दिया है ? या अगर यह नहीं है, तो क्या स्थिति यह है कि आपके कृपापात्र होने के कारण वे समय पर रुपया नहीं चुकाते और आप उनके खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार नही है ? जहां तक इन्वेस्टमेन्ट का सवाल है, जहां तक कर्जा देने का सवाल है, मैंने संक्षेप में कुछ आंकड़े आपके सामने रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, दूसरा आपने बताया एस्टेब्लिशमेन्ट ऑफ इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स। सदन के सामने अभी कुछ दिन पहले एक प्रश्न था, शायद निम्बाहेड़ा से आने वाले सदस्य ने प्रश्न रखा था इन्डस्ट्रियल एस्टेट के बारे में। आपने स्वयं ने स्वीकार किया है कि जिस योजना को लेकर आपने इनका निर्माण किया था, उसके मुकाबले में उनका रिटर्न नहीं मिल पाया। लोगों में उनके बारे में प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण इन्डस्ट्रियल एस्टेटस खाली पड़े हैं। कुछ शैड्स खाली पड़े हैं और कुछ का निर्माण प्रारम्भ किया था वह निर्माण नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज कोटा में स्थिति यह है कि जो वहां पर शैड्स बनाये गये हैं उनकी स्थिति यह है कि देखने में तो यह देखा जाता है कि शैड्स खाली नहीं हैं, लेकिन वस्तुस्थिति यह नहीं है। लोगों ने बोगस नाम देकर शैड्स को कब्जे में कर रखा है। लोगों के प्रार्थना-पत्र आते हैं कि इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स में शैड्स चाहिये तो उनको यह कहकर नहीं दिये जाते हैं कि वे ऑक्यूपाइड हैं, लेकिन स्थिति यह है कि जितने ऑक्यूपाइड हैं उनके मुकाबले में कितने शैड्स लघु उद्योग चला रहे हैं। आज आप स्थिति को आंके तो स्वयं में वह स्पष्ट हो जायेगी कि वहां पर नाजायज फायदा उठाने के लिये लोगों ने शैड्स ले रखे हैं। और उसके बाद में जो समय पर किराया उनका मिलना चाहिये, जो लीज मनी उसकी प्राप्त होनी चाहिये वह भी आज आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आज इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स के बारे में आप स्वयं यह मानकर चलते हैं कि इनको प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण आपने फिलहाल उनको स्थगित कर दिया है।

तीसरा, टैक्निकल ट्रेनिंग ऑफ क्राफ्टसमैन एण्ड आर्टीजन्स। अभी मेरे से पूर्व आने वाले सदस्य ने इस बारे में भाषण दिया और उन्होंने नागौर के बारे में स्थिति बताई। और इतना ही नहीं आपको याद होगा कि दो ट्रेनिंग–कम–प्रोडक्शन सेन्टर्स आपने जैसलमेर और उदयपुर में अगस्त, ६२ में और अप्रेल, ६४ में खोले। आपने सन् ६० के अन्दर ये जैसलमेर और उदयपुर के अन्दर ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेन्टर खोले थे सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट के द्वारा। सन् ६१ के

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

अन्दर ट्रान्सफर होगये इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट को। इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट ने सन् ६१ में उनका कब्जा ले लिया और इन दोनों पर २.६८ लाख का खर्चा हो चुका है। आज वह सारे का सारा २.६८ लाख पानी के अन्दर चलाया गया। आज वे सेन्टर बन्द हैं। आज जो ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेन्टर्स की स्कीम लेकर चल रहे थे वे स्कीमें किस प्रकार की बननी चाहिये, उनमें सफलता कहां तक हो सकती है, कौन-कौन से फैक्टर्स इनके लिये आवश्यक हैं, इसकी चिन्ता सरकार को नहीं है। सन् ६१ में इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट ने इनको सम्भाल कर २.६८ लाख रुपये लगा दिये, आज वह सारे का सारा पैसा, अध्यक्ष महोदय, डूब गया है। आज दोनों के दोनों सेन्टर्स खाली पड़े हुए हैं।

इसी प्रकार से क्लस्टर टाइप सेन्टर्स खोले। पांच सेन्टर्स खोले। आज उसके ऊपर आप ४,१०,००० रुपये खर्च कर चुके हैं। आज उनको भी आपको बन्द करना पड़ा। इसके बाद इसी प्रकार आपने ब्लैन्केट प्रोड्यूसिंग सेन्टर्स खोले। उनके ऊपर आपने लगभग १६ लाख रुपया खर्च किया। वह आपको बन्द करना पड़ा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार ने लाखों रुपये इस प्रकार की इन बोगस स्कीम्स को हाथों में लेकर खर्च कर दिये हैं और वे कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार ने आज तक इसके लिये किसी को जिम्मेदार निर्धारित किया है? राज्य सरकार चाहे कहे कि केन्द्र ने योजना थोपी है उसको स्वीकार करना पड़ा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार यह मान्यता मानकर चलती है कि केन्द्र और राजस्थान का कोई सम्बन्ध नहीं है, केन्द्र के पैसे को खर्च करने में राजस्थान की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? अगर हम एक हैं तो किसी योजना को स्वीकार करने के के साथ-साथ, चाहे केन्द्र की ही क्यों न हो, चाहे केन्द्र के द्वारा एडेड ही क्यों न हों, जब तक राजस्थान का उद्योग विभाग इस बात से सन्तुष्ट न हो जाये कि यह योजना सफलता पूर्वक चल सकेगी, उसको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये।

आपके द्वारा लाखों रुपये इसमें डाले गये आज वह पैसा बेकार पड़ा है। आपको याद होगा कि कई बार इसको चलाना चाहा, लेकिन अब तक फैक्टरी चलाई नहीं जा सकी। स्थिति यह है कि केवल नारे लगाने के लिये, सस्ता यश प्राप्त करने के लिये योजनाओं को अपने हाथ में लेकर चालू कर दिया, लेकिन आपकी योजना बेकार पड़ी है, लाखों रुपये खर्च किये वे बेकार चले गये; उसका भार जनता पर पड़ा। एक ओर तो जिनका पैसा गया है वह बेकार गया और दूसरी ओर लघु उद्योग के धंधे, जिनके द्वारा राजस्थान में वेहृ. बूंदी लाना चाहते थे, वह नहीं खोल पाये और सारा पैसा बेकार चला गया।

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में एक केस मुझे याद है, आपने भी सुना होगा सन् ४५ में एक आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स स्कूल के लिये एक इमारत जयपुर में किराये पर ली थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को, गंभीरता से विचार करें कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है। पहले योजनाएं बनी वे असफल हुई, कौन व्यक्ति इसके लिये जिम्मेदार है और जो व्यक्ति इसके लिये जिम्मेदार है उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की; इसका आप

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

स्पष्टीकरण दें ! अभी मैं आर्ट्स एण्ड क्राफ्टस स्कूल का जिक्र कर रहा था। यह स्कूल सन् ४५ में खोला गया। उसके लिये आपने किराये पर एक इमारत ली। लालजी नाम के कोई सज्जन हैं उनकी इमारत आपने किराये पर ले ली। उसका कोई किराया तय नहीं किया था। आपने एडहोक बेसिस पर अक्टूबर ५४ में २००) रु० महीना किराया तय कर दिया और साथ ही साथ आपने यह निर्णय भी दिया कि पी. डब्ल्यू. डी. से किराये का एस्टीमेट कराया जाय, लेकिन किराये का एस्टीमेट नहीं कराया। २००) रु० एड होक तय किया था वही किराया चलता रहा। अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब तो यह है कि सन् ४५ से ६१ तक ३६,४८०) रुपये उसको किराये के दिये गये। पी. डब्ल्यू. डी. से एस्टीमेट कराना था वह नहीं हुआ और आपने मन माने ढंग से ४५ से ६१ तक का किराया दे दिया। इससे भी अधिक ताज्जुब की बात यह है कि आपने लगभग ४०.४५ हजार रुपये इस बिल्डिंग की मरम्मत पर और एडीशन्स आल्ट्रेशन पर खर्च कर दिये और यह रुपया खर्च करने की जिम्मेदारी मकान मालिक की थी, क्योंकि कोई टूट-फूट होती है तो उसके लिये मकान मालिक जिम्मेदार होता है, लेकिन आपने जो रुपया मरम्मत आदि पर खर्च किया वह किराये में से नहीं काटा और बाला बाला अपने पास से खर्च कर दिया। इससे भी अधिक ताज्जुब की बात यह है कि सरकार के दिमाग में यह बात आई कि इस बिल्डिंग को खरीद लेना चाहिये। सन् ५२ में आपने इस बारे में गंभीरता से विचार किया कि इसे खरीदना चाहिये। जब आपने खरीदने का विचार किया तो आपको मालूम हुआ कि ये श्री लालजी इस मकान के मालिक नहीं हैं, लेकिन सन् २२ में जयपुर रियासत के समय यह मकान इनको रहने के लिये दिया गया था। वे इसको बेच नहीं सकते थे, रहन नहीं कर सकते थे इसमें रहने के अलावा इनको और कोई अधिकार इस मकान के बारे में नहीं थे। इनका अधिकार सिर्फ किराया लेने का ही है। यदि सरकार चाहती तो इस सारे मकान को अवाप्त करके रीजनेबल कम्पैनसेशन देकर इस पर कब्जा कर सकती थी, लेकिन सरकार ने इसकी चिन्ता नहीं की। मालूम नहीं किया कि ये लालजी कौन हैं। लालजी ने यहां तक किया कि यह मकान रहन कर दिया जिसमें उसको केवल रहने का अधिकार था उसको रहन करने के बाद लालजी के अधिकार खत्म होते हैं या नहीं, यह सरकार ने पता नहीं लगाया। यदि सरकार मालूम करती तो सरकार इस मकान पर कब्जा कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। और भी ताज्जुब की बात यह है कि जब उस खरीद दार ने जिसके पास लालजी ने मकान रहन रखा था, उसने इस मकान को खरीदने के सिलसिले में एक नोटिस शाया किया कि यदि किसी को एतराज हो तो एतराज पेश करे; लेकिन सरकार की ओर से कोई एतराज नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि आसानी से कम पैसों में बिल्डिंग पर सरकार का कब्जा हो सकता था, कब्जा नहीं हुआ और मकान दूसरों के पास चला गया। आज उद्योग विभाग में इस प्रकार की अंधाधुन्ध हो रही है और हमारी सरकार और मंत्रालय आंख मीचे हुए हैं। एक ओर जहां योजना की ओर आंख-मिचौनी है वहां दूसरी ओर जनता के साथ खिलवाड़ है।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

अध्यक्ष महोदय, इससे भी अधिक महत्व-पूर्ण बात एक और है। आपने कहा था कि कुटीर और लघु उद्योगों को कच्चा माल देने की व्यवस्था की है। कच्चा माल देने के संबंध में भी कुटीर और लघु उद्योगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार आज यह मान कर चलती है कि जितने कच्चे माल की आवश्यकता है उतना कच्चा माल सरकार दे नहीं पाती। जितना कोटा लघु उद्योगों को सरकार रिलीज करती है उसके बारे में सरकार जांच करे। छोटे से छोटा उद्योग ले लें, जितना कोटा स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को दिया जाता है उसके आधार पर कोई इण्डस्ट्री चल नहीं सकती और उसको ताला बन्द करना पड़ेगा। इतने से कच्चे माल से कोई इण्डस्ट्री मुनाफे पर चल नहीं सकती। दरअसल में होता यह है कि अधिकतर लोग जो लघु उद्योग चलाते हैं और उनको जो कोटा मिलता है उससे मुनाफे पर इन्डस्ट्री नहीं चला सकते इसलिये वे उस कोटे के माल को ब्लैक में बेच देते हैं। इस तरह से वह कच्चा माल काले बाजार में चला जाता है और इण्डस्ट्री जहां की तहां पड़ी रहती है। कागजों में तो यह बात चलती है कि हमारे राजस्थान में इतनी इन्डस्ट्री चलती हैं, इतना कोटा चल रहा है, इतना कच्चा माल दिया जा रहा है; लेकिन वास्तव में इण्डस्ट्रीज बन्द पड़ी हुई है। आपके अधिकारी निरीक्षण में जाते हैं, उस समय पाया यह जाता है कि उद्योग चल रहा है, एक-दो मशीनें डाल दीं, दो-चार मजदूर बैठा दिये और आपको दिखा दिया कि कारखाना चल रहा है। लेकिन आपने कभी यह पता लगाने की चेष्टा नहीं की कि कितना कैपिटल लगाया है, कितनी बिजली खर्च हो रही है, कितना माल प्रोड्यूस किया है, उसका क्या हुआ, कहां बेचा; इस बात की कोई जांच नहीं होती।

मुझे याद है, एक बार इण्डस्ट्रीज विभाग के डाइरेक्टर कोटा अचानक पहुंचे। और मौका देखा। उनको मालूम पड़ा कि बड़ी बड़ी नामी इण्डस्ट्रीज थीं, वे वर्क नहीं कर रही थीं, बंद पड़ी थीं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही रिकार्ड पर नहीं आई। मैं कहना चाहता हूं कि कच्चे माल

(१.४८ म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

की उपलब्धि को देख कर आप इस्माल स्केल इण्डस्ट्रीज बैठाइये। हम केवल नारे लगाते हैं कि हमने स्माल इण्डस्ट्रीज खोल दी है, लेकिन यदि हम उनको कच्चा माल नहीं दे पाते हैं तो यह सब बेकार है। जितना कच्चा माल उपलब्ध हो उसी के अनुसार इण्डस्ट्री बनानी चाहिये।

सभापति महोदय, इस संबंध में मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज से एक साल पहले आइरन और स्टील को वितरित करने के लिये आपके विभाग से, इण्डस्ट्रीज विभाग से, अमुक आदमियों को आप लाइसेन्स देते थे, आप परमिट देते थे, और वह बालावाला कलकत्ता से ला सकते थे, टाटा इण्डस्ट्री से अपना माल मंगा लेते थे। लेकिन आपने क्या किया है, आइरन और स्टील का जो कोटा सेन्टर से आपको मिलता था, उसका परमिट आपने अपने प्यारे विभाग राजस्थान स्माल स्केल कारपोरेशन को सरेण्डर कर दिया। यह कौनसा कारपोरेशन है— जिसके चेयरमैन हैं चन्दनमलजी वैद, जो राजस्थान सरकार के उप-मंत्री हैं और

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उसके मैनेजिंग डाइरैक्टर या जनरल मैनेजर हैं श्री मुन्नालालजी गोयल, जो सुखाड़िया साहब के दामाद हैं। उनको वहां लाकर बैठा दिया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के अलावा हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में आपको ऐसा इन्स्टान्स देखने को नहीं मिलेगा जहां सरकार के कोई उप-मंत्री किसी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हों। यह चीज सिर्फ राजस्थान में राजस्थान सरकार के नीचे हो रही है, और यह हो रहा है सिर्फ नाम के लिये, चन्दनमल वैद को वहां सिर्फ नाम के लिए बैठा रखा है; लेकिन कॉर्पोरेशन के जितने अधिकार हैं वह श्री मुन्नालाल गोयल को दे रखे हैं, सुखाड़िया साहब के दामाद को दे रखे हैं। जिसमें आप कुछ बोल नहीं सकते। उसे पूरी तरह सुखाड़िया साहब के दामाद चला रहे हैं। वैसे यह बात इतनी गंभीर नहीं है किन्तु आपकी व्यवस्था से जो लोग लघु उद्योग चलाने वाले हैं उन लोगों के ऊपर कितना अधिक असर पड़ रहा है—इसकी आप कल्पना नहीं करते हैं। पहले वे लोग बालाबाला माल कलकत्ता से मंगा लेते थे, लेकिन आज स्थिति यह पहुंच गई है कि वह माल कलकत्ता से चल कर जयपुर आता है, तो पहले दो परसेंट सेल्स टैक्स गरीबों ने वहां दिया। दो परसेंट सेल्स टैक्स वहां दिया, उसके बाद में किराया-भाड़ा दिया फिर माल जयपुर में आया और जब व्यापारियों ने खरीदा तो दो परसेंट सेल्स टैक्स और देना पड़ा। पहले जहां पर केवल दो परसेंट देकर माल प्राप्त कर लेते थे वहां आज यह कुटीर और लघु उद्योगों को चलाने वाले लोगों को दो परसेंट और दो परसेंट-चार परसेंट सेल्स टैक्स देना पड़ता है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, जब जयपुर से माल बाहर ले जाया जाता है तो जयपुर म्युनिसिपैलिटी को ऑक्ट्रोय अलग से अदा करनी पड़ती है जो उसको पहले अदा नहीं करनी पड़ती थी। इसके अलावा आज जो स्थिति भयंकर बनी है वह क्या है? वह यह है कि आपने पचपन रुपया प्रति टन कमीशन और लगा दिया है। आप अनुमान लगाइये, आपने कॉर्पोरेशन की व्यवस्था इस आइरन और स्टील को लेकर की है, उसके पहले क्या स्थिति थी और बाद में क्या स्थिति है। पहले बेचारे धन्धा चलाने वाले बालाबाला माल कलकत्ता से मंगा लेते थे और दो परसेंट सेल्स टैक्स देकर ले आते थे। लेकिन आज उसको डबल सेल्स टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा जयपुर म्युनिसिपैलिटी को ऑक्ट्रोय अदा करना पड़ता है, और फिर पचपन रुपया प्रति टन कमीशन भी अदा करना पड़ता है। उसके बाद में जब वह जयपुर से अपने घर माल ले जाय तो उसका किराया देना पड़ता है। सभापति महोदय, आखिर में यह जानना चाहता हूं कि इस व्यवस्था से सरकार को क्या फायदा मिला? सरकार ने क्या लाभ उठाया? बल्कि जो लघु उद्योग चलाने वाले लोग हैं, जो आज बिजली के संकट से पीड़ित हैं, जो आज कच्चे माल के संकट से पीड़ित हैं, आज उनके ऊपर इस प्रकार का प्रहार इस कॉर्पोरेशन के आधार पर किया है। तो इस पर मैं अधिक निवेदन न करते हुए केवल उद्योग मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान की बहबूदी की कोई नींव है, कोई बैकबोन है तो वह केवल कुटीर और लघु उद्योग हैं—इनको यदि आपको पनपाना है तो केवल इमैजिनरी नक्शा बना करके चलें, केवल आप काल्पनिक चित्र बना कर न चलें बल्कि आपको वास्तविकता के आधार पर इस पर गंभीरता से विचार करना होगा,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

ताकि अधिक से अधिक कुटीर उद्योग राजस्थान के अन्दर हों, गांव गांव में कुटीर उद्योग का नक्शा देखने को मिले और जो बेकारी की समस्या है वह भी मिटे। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : सभापति महोदय, मैंने दो कट मोशन प्रस्तुत किए हैं . .

श्री सभापति : तीन।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : उद्योग की मांग पर जो मैंने कट मोशन प्रस्तुत किये हैं, मैं निवेदन करती हूं कि हर एक पर मैं पांच-सात मिनट लेना चाहूंगी . . . .

श्री सभापति : जल्दी ही समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, इस मांग पर विचार करने के लिए ज्यादा समय नहीं रहेगा इसलिए पिछली बार जैसा पार्टीवाइज समय एलॉट किया वह कर दें। हर पार्टी से एक-दो-तीन जो भी सदस्य बोलना चाहें बोल लें। पिछली बार भी ऐसी व्यवस्था थी, इस बार भी ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, यह व्यवस्था आप चुपचाप कर दें तो अच्छा हो। इसकी प्रथा डालना गलत है। यह देखना चाहिये कि जो भी सब्जेक्ट है वह पूरी तरह डिस्कस हो जाय। और द दी पोइन्ट डिस्कस हो जाय; जब आप सेटिस्फाइड हो जायं तब आप रोक सकते हैं। लेकिन इस तरह टाइम का बंटवारा ठीक नहीं होता है। आखिर हम भी इस सदन के सदस्य हैं, इसीलिए इस सदन में रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, पार्लियामेन्ट में भी इस तरह की व्यवस्था है। जितने कट मोशन मूव किये जाते हैं वे मूव मान लिये जाते हैं और हर कट मोशन को मूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हर पार्टी की तरफ से दो-एक स्पीकर होते हैं वे बोलते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को हमारे यहां भी एडॉप्ट किया गया था। अब की बार कट मोशन से चल रहे हैं। तीन-चार वर्ष के बाद यह किस प्रकार की व्यवस्था हुई है, मैं नहीं कह सकता। इसलिए हम पहली व्यवस्था पर आ जायं जिससे पार्टी अपना व्यू पोइन्ट इस सदन के सामने रख सकें और इस गवर्नमेन्ट के व्यू को थ्रेड-बेयर डिस्कस किया जा सके। सारे व्यू पोइन्ट सदन के सामने आ जायं, इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सभापति महोदय . . .

श्री भैरोंसिंह : नहीं तो एक पार्टी के चौदह सदस्य हैं और कांग्रेस के ५६ मेम्बर हैं, उन्होंने कट मोशन दे दिये हैं इसलिए उन्हें अवसर मिल जाय और किसी ने नहीं दिये तो उसे अवसर न मिले।

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : सभापति महोदय, किसी पार्टी के माननीय सदस्यों ने कट मोशन मूव किये हैं तो उस पर

(श्री हरिदेव जोशी)

वे तो बोलेंगे हो। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, उसमें किसी पार्टी के माननीय सदस्यों ने बिलकुल ही कट मोशन मूव नहीं किये हैं, तो वे भी बोलेंगे।

श्री **भैरोंसिंह** : वे तो जो कट मोशन्स मूव किये गये हैं उसी विषय पर बोलेंगे।

श्री **चन्द्रसिंह बर्मा** (बिजाड़ा) : सारी पार्टी और सदस्यों को जागरूक रहना चाहिए और कट मोशन का जो टाइम होता है उस समय उनको कट मोशन मूव कर देने चाहिए।

एक माननीय सदस्य: आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है।

श्री **सभापति** : इन तीनों मांगों के संबंध में पैंतालीस कट मोशन्स कांग्रेस पार्टी के हैं और तीस कट मोशन्स, कटौती के प्रस्ताव, जनसंघ के हैं और पन्द्रह स्वतंत्र पार्टी के हैं। तो लगभग सभी दलों ने इन मांगों के ऊपर कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। अभी तक जिन माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया है, उनमें एक स्वतंत्र पार्टी के हैं, एक कांग्रेस के हैं और एक जनसंघ के हैं। मैं समझता हूं, इस आधार पर सभी सदस्यों को, सभी दल की तरफ से बोलने वाले सदस्यों को, बहस में भाग लेने का मौका मिलेगा। इस तरह से डिबेट को रेगुलेट कर दिया जायगा। मैं दलों के सचेतक से निवेदन करूंगा कि और भी जो व्यक्ति हों वे अपनी लिस्ट में विशेष रूप से किनको बोलना चाहेंगे, यह देख लें ताकि सब दलों की स्पष्ट ओपीनियन सदन के समक्ष आ जाय और उस तरह डिबेट रेगुलेट हो जाय।

श्री **हरिदेव जोशी** : चेयरमन महोदय, रिप्लाई कब से शुरू होगा ?

श्री **नाथूराम मिर्धा** (कृषि मंत्री) : क्योंकि आज तीन मिनिस्टर हैं।

श्री **हरिश्चन्द्र** (उद्योग मंत्री) : चार मिनिस्टर हैं।

श्री **हरिदेव जोशी** : आज चार मिनिस्टर रिप्लाई देंगे।

श्री **सभापति** : तीन मिनिस्टर बोलेंगे ?

श्री **हरिश्चन्द्र** : चार ! ज्यादातर कट मोशन मेरे विभाग पर चल रहे हैं; लेकिन आप भी बोलेंगे, स्टेट एन्टरप्राइज मिनिस्टर भी बोलेंगे ?

श्री **भैरोंसिंह** : फिर तो हमें बोलने दें, कांग्रेस के सदस्य क्या बोलेंगे ?

श्री **हरिदेव जोशी** : जब सब पार्टीज को अपना अपना व्यू पोइन्ट रखना है तो फिर राजस्थान गवर्नमेन्ट का व्यू पोइन्ट क्या है-यह भी रखना है। तो गवर्नमेन्ट के सामने यह स्थिति रहनी चाहिए कि वह अपना व्यू पोइन्ट भी साफ कर सके। और जिन माननीय सदस्यों ने अपने कट मोशन रखे हैं वे चाहे बोलें अथवा नहीं बोलें, उनके बारे में भी अपनी बात हम कह सकें।

श्री **सभापति** : यह मानकर चलना चाहिए कि गवर्नमेन्ट को उन सारे प्रश्नों के बारे में उत्तर देने का मौका मिलेगा और उसको उत्तर देना चाहिए। लेकिन अगर सदन के माननीय सदस्यों को मुद्दे उठाने का मौका नहीं दिया जाय, तो गवर्नमेन्ट जवाब किसका देगी ?

श्री **हरिदेव जोशी** : वह तो लिखकर दे दिए हैं।

श्री **सभापति** : उससे काम नहीं चलेगा। उनको रखने और एलॉबोरेट करने की

(श्री सभापति)

आवश्यकता है और सदन में सारे प्रश्नों पर विवाद करने की भी आवश्यकता है। गवर्नमेन्ट को उत्तर देने की आवश्यकता है तो वह चार बजे से पहले तो नहीं हो सकता है ...

श्री **भैरोंसिंह** : पांच बजे तक !

श्री **सभापति** : यदि सदन चाहेगा तो समय को आगे भी बढाया जा सकता है और सदन चाहेगा तो चार बजे रिप्लाई भी शुरू हो सकता है।

श्री **हरिदेव जोशी**: मुझे एतराज नहीं है।

श्री **सभापति** : यह डिमान्ड बडी इम्पोर्टेन्ट है और इस पर ज्यादा सदस्य बोलना चाहेंगे, इसलिए मैं समझता हूं कि डिबेट को कर्टेल नहीं करना चाहिए।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : सभापति महोदय, जब आप पधारे थे उससे पहले अध्यक्ष महोदय ने मेरा नाम उनके बाद में रखा था।

श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : आपके लिए नहीं मेरे लिए कहा था।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : मेरे लिए कहा था अध्यक्ष महोदय, कि कृष्णकुमार गोयल के बाद में मैं बोलूंगा।

श्री **सभापति** : यहां आपका नाम लिखा हुआ नहीं है। आपके और उनके बीच में क्या बात हुई—उसकी जानकारी मुझे नहीं है। वैसे भी जब महिला सदस्या को चांस दिया गया है तो आपको अकोमोडेट करना चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है ?

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : मुझे बाहर जाना है इसलिए।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: सभापति महोदय, हमारे उद्योग के क्षेत्र में पिछड़े हुए राज्य के लिए उद्योग का जितना महत्व है और इसको जितना बढावा देना चाहिए—यह हम सभी जानते हैं। लेकिन आज हमें यह सोचना है कि जितना उद्योग को हम बढावा देना चाहते हैं उतना बढावा हम क्यों नहीं दे पाते हैं ? मैं इसके बारे में कुछ अपना विचार सदन के सामने रखना चाहूंगी।

(मंत्री महोदयों के परस्पर बातचीत करने पर)

मेरे ख्याल से मंत्री जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप सुनें। प्लीज। मंत्री महोदय, ...

श्री **परसराम मदेरणा** (उप-मंत्री, आबकारी) : आपकी ही सुन रहे हैं महोदय सुना रहे हैं।

श्री **श्रवणलाल** (हिण्डौन—सु०) : आप तो सुनाओ।

(२.०० म. प.)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : तो हमारे यहां उनको बढावा क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर मैं अपने विचार रखना चाहती हूं।

सबसे पहले तो इसके लिये जरूरत है वह पॉवर की है। इस पॉवर की पहले भी दिक्कत थी और अब भी है।

दूसरा कच्चेमाल की। जितना कच्चा माल उद्योगों को मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता है।

तीसरी बात यह है कि रेड टेपिज्म हमारी सरकार के विभागों की नस-नस में व्याप्त है।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

जहां तक पॉवर का प्रश्न है, संकटकालीन स्थिति हमारे सामने है। इसकी कितनी कमी है इस पर सदन में कई बार विचार किया जा चुका है। दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि कच्चा माल जितनी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिये उतना प्राप्त नहीं हो पाता हमारा राज्य दूसरे पड़ौसी राज्यों के मुकाबले में उद्योगों में पीछे है और जितना कोटा हमें मिलता है, हमारे यहां पर उद्योगों की कैपेसिटी को देखते हुए बहुत कम मिलता है। होना तो यह चाहिये था कि हमारे यहां पर उद्योग दूसरे राज्यों से पिछड़े हुए हैं तो दूसरे राज्यों से ज्यादा कोटा मिलना चाहिये, हमको सवाया और ड्योढ़ा कोटा मिलना चाहिये था; लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितना कोटा मिलना चाहिए उससे कम मिलता है। इसके लिये मैं कई बार माननीय मंत्रीजी से निवेदन कर चुकी हूं कि ज्यादा से ज्यादा कोटा प्राप्त करने की कोशिश करें और पंजाब, मध्यप्रदेश, गुजरात आदि को कोटा मिलता है उससे ज्यादा हमको कोटा मिलना चाहिये; चाहे टिन में हो, चाहे और किसी में हो। इसके अलावा सबसे बड़े दुःख की बात यह है कि जो थोड़ा-बहुत कोटा कच्चे माल का लाते हैं उसका सही उपयोग नहीं किया जाता है। दुर्भाग्यवश सारा का सारा कच्चा माल बाहर भेज दिया जाता है। दुनिया और आप, और दूसरे लोग सभी जानते हैं कि यहां पर कच्चे माल का दुरुपयोग किया जाता है। जिनको कच्चा माल मिलता है वे कोटा दूसरे को बेच देते हैं।

मैंने इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया तो उन्होंने, जबाब दिया कि पर्टीक्युलर पाइन्ट हो तो बतलाया जावे, जनरल बात से कोई फायदा नहीं। इसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगी कि अगर आप यह कहें कि हम सारी बातें आपको बतावें कि ब्लैक-मार्केटिंग होता है, कौन करता है; यह पता लगाना हमारे मंत्रि-मंडल का फर्ज है। यह हमारे विभाग का फर्ज है कि इस पर पूरी निगरानी रखें कि कहां पर माल जाता है। आप हमें पूछते हैं कि आप बतावें। क्या आप का विभाग इसकी जानकारी नहीं कर सकता कि अमुक को कितना कच्चा माल दिया गया है और उसके लिये कितना पॉवर अधिक से अधिक होना चाहिये? उतना पॉवर खर्च हुआ या नहीं? आप देखिये और आंकड़ों से पता लगाइये कि वास्तव में कितना माल बना और बना तो उसका सेल्स टैक्स कितना दिया गया और उसकी बिक्री कहां हुई है? यह हमारी सरकार का कर्तव्य है। वैसे भी हम उद्योग में पीछे हैं और इस तरह से कच्चा माल देश से बाहर जाने से कई प्रकार की हानियां होंगी।

तीसरा पोइन्ट रेडटेपिज्म का है। इसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। इस रेडटेपिज्म के कारण उद्योग के लिये लोगों को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में फुटबाल की तरह से भटकना पड़ता है। इन्डस्ट्री विभाग वालों के पास जाते हैं तो वे एक ठोकर मार कर कहते हैं कि पॉवर वालों के पास जाओ। इस तरह से लाइसेन्स लेने में काफी रेडटेपिज्म चल रहा है और वह जरूरत से ज्यादा चलता है। इसलिये मैं कहूंगी कि एक उद्योग लगाने के लिये चार-पांच विभागों में जाना पड़ता है। इसके लिये रेवेन्यू विभाग, वाटर वर्क्स विभाग, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सेल्स टैक्स और ऑक्ट्रॉय के विभागों से काम पड़ता है। अच्छा तो यह होता कि इन पांच-

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

छः विभागों की, जिनकी जरूरत हमें पड़ती है, उन विभागों की एक कमेटी बनादी जावे; चाहे वह मिनिस्टरों को हो, चाहे अधिकारियों की हो, चाहे वहां के डाइरेक्टरों की हो। जिससे कि इस तरह की समस्या हो उसको यह कमेटी बैठ कर जल्दी हल कर दे। इसके साथ साथ मैं एक और सुझाव देती हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर). सरकार तो बातों में मशगूल है और वे इम्पोर्टेंट सजेशन्स दे रही हैं।

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री): इतने इम्पोर्टेंट को हम महत्व दे रहे हैं।

श्री चन्दनमल बेद (उप-मंत्री, उद्योग): आपके स्पीच में तो एक एक हाजिर रहता है। इनके स्पीच में पांच-पांच हाजिर हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: सभापति महोदय, जमीन को एक्वायर करने में बड़ा लम्बा समय लगता है। जो जमीन एक्वायर की जाती है वह किसानों की निकलती है और किसानों की नहीं तो कि किसी प्राइवेट पार्टी की होती है या वन विभाग की निकलती है। उसको एक्वायर करने में बहुत लम्बा समय लग जाता है। मैं यह निवेदन करूंगी कि जहां पर आपका उद्योग लगाने का इरादा हो और गुंजाइश हो, वहां पर आप जमीन एक्वायर करके रख लें। उसको एक्वायर करने के बाद उसको पूरी तरह से डेवलप करें, वहां पर पॉवर, पानी और ड्रेनेज आदि की पूरी व्यवस्था करें। उसके बाद उसकी जो भी कीमत हो, उचित कीमत पर उद्योग वालों को दे दी जावे।

यदि हमारी यही मौजूदा स्थिति कायम रही तो मैं यह कहूंगी कि हमारे उद्योग यहां पर नहीं पनप सकेंगे। आज बाहर के लोग यहां पर इन्डस्ट्रीज़ लगाते हुए डरने लग गये हैं। क्योंकि आपके यहां पॉवर, लाइसेन्स देते समय रेडटेपिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ है।

राजस्थान में एक प्रश्न और भी है और वह है ऑक्ट्रोय और सेल्स टैक्स का। हम देखते हैं कि ऑक्ट्रोय की कोई पॉलिसी नहीं, जिन पर नहीं लिया जाना चाहिये उन पर भी ले लिया जाता है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हमारे यहां स्पिनिंग मील में कच्चा माल आता है और यहां पर तैयार किया जाता है और बाहर भेजा जाता है; उस पर भी ऑक्ट्रोय लिया जाता है। ये ऐसी परेशानियां हैं जिनकी वजह से हमारे उद्योग सफलतापूर्वक नहीं चल सकते।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं एक सुझाव और देना चाहती हूं और वह यह कि जो नये उद्योग लगे हैं उसमें पहले जांच करें और स्पीडी पार्टीसीपेशन रखें और उसकी वजह से कारखाने में राज्य सरकार का डाइरेक्टिव होगा और नोनटैक्स रेवेन्यू मिलेगी और कच्चे माल को देने और बेचने की भी व्यवस्था ठीक होगी।

इसके बाद मैं एक गंभीर समस्या आपके सामने रखना चाहती हूं। राज्य सरकार ने अपना रुपया कई एन्टरप्राइजेज़ में फंसा रखा है। मैं यह निवेदन करूंगी कि वे समझदारी से काम लें और देखें कि उनको वाजिब रिटर्न उसका मिलता है या नहीं। नजीर के तौर पर मैं निवेदन करूंगी की सवाई-माधोपुर में आपने कारखाने के लिये ७६ लाख का लोन दिया। उसका ब्याज है केवल ३ परसेन्ट; जब यह लोन दिया गया राज्य सरकार के वक्त में दिया गया था। उस समय जो भाव था

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

और आज का भाव है; उसम बहुत अन्तर है। उस समय उस इन्डस्ट्रीज की आवश्यकता थी। मगर आज वह इन्डस्ट्री जम चुकी है और उसको इस प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा ३ परसेन्ट का ब्याज आज आप लेते हैं। इतने ब्याज पर आज कोई भी रुपया नहीं देता है। यह एक हंसने की सी बात है। इसलिये या तो आप ब्याज की दर बढाइये या इन्डस्ट्री से अपना पैसा वापिस लीजिये और उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट करिये। ये तो सारी बातें समय की कमी होने की वजह से संक्षेप में अर्ज कर रही हूं। किसी में किसी प्रकार से हानि हो रही है और किसी में किसी प्रकार से। इसको आप माइन्यूटली लें।

माननीय सभापति, माइनिंग के बारे में भी दो शब्द निवेदन करूंगी। माइनिंग में आज तक जिस ढंग से काम किया जा रहा है? आपने उसमें कितना इन्वेस्टमेन्ट किया है? कितना उसका एक्सप्लोरेशन हुआ है? मैं यह कहूं कि किसी के घर में किसी का पिता करोड़ों रुपयों की धन-राशि छोड कर मरा हो और उसका लड़का अपने आलस्य के कारण उस धन को निकाल नहीं सके और वह गलियों में भीख मांगता फिरे और मांग–मांग कर खाता हो तो उस व्यक्ति का क्या कहें? मैं कहती हूं कि हमारी राज्य सरकार की भी यही हालत है। माइनिंग के रूप में ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें सम्पत्तिशाली बनाया है। हमारा राजस्थान भारत भर में खनिज के मामलों में सबसे ज्यादा सम्पत्तिशाली है, धनवान है, पर दुर्भाग्य से जितना ध्यान इस विभाग की ओर दिया जाना चाहिये उतना ध्यान हम नहीं दे पा रहे हैं, हम बहुत कम ध्यान दे पा रहे हैं। हमारे यहां जिप्सम, क्लोराइड, लाइम स्टोन और लिग्नाइट के अपार भण्डार हैं। हमारे यहां जिप्सम के अपरिमित भण्डार हैं, लाइम स्टोन की हमारे यहां बहुतायत है, क्लोरड और लिग्नाइट की हमारे पास कमी नहीं; पर आज हो क्या रहा है? आज हम इस अपार सम्पत्ति का लाभ उठाने के लिये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लाइम स्टोन जो हमारे यहां भरा पड़ा है, या तो उसका मामुली पैसों पर ठेका दे रखा है या मोनोपोलीज चली आ रही हैं, वर्षों से उन्हीं मोनोपोलिस्टस के कब्जे में है और आज भी उन्हीं लोगों के पास मोनोपोलीज चली आ रही हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि चाहे जिस व्यक्ति की मोनोपोली हो उसे खत्म किया जाय, सरकार खुद यह काम करे। अगर हम खानों का एक्स्प्लोरेशन करके, उन्हें ठीक तरह से चला सकें तो हम एक नहीं कई सीमेंट के कारखानें चला सकते हैं; उस सीमेंट से हम कुओं का निर्माण कर सकते हैं, भवनों का निर्माण कर सकते हैं, कुओं की मरम्मत कर सकते हैं, और हमारे प्रान्त का निर्माण कर सकते हैं। पर आलस्य-वश सरकार आज इस सब की वेल्यू को नहीं समझती। इस आलस्य को किसी भी देश की जनता, किसी भी प्रान्त की जनता न बर्दाश्त ही कर सकती है और न माफ ही कर सकती है। तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि जो हमारा धन गड़ा पड़ा है, उसे निकाला जाय।

बीकानेर का सारा इलाका-कल्याणसर, कोट, रंगमहल, सूरतगढ़, रावतसर इन इलाकों को ले लीजिये। इनकी सर्वे कराई जाय तो सैकड़ों मील में जिप्सम का जखीरा भरा पड़ा है, जिसे कि न केवल राजस्थान की ही बल्कि सारे हिन्दुस्तान की भुखमरी को मिटाया जा सकता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

मैं अभी समाप्त कर रही हूं।

कोटा में आपने दिया, पर जो जिप्सम का जखीरा है उससे एक नहीं अनेकों कारखाने खोल सकते हैं। कल्याणमल कोट के पास एक खान निकली है, रेल्वे लाइन पास से जाती है पर एक छोटा सा पुल, पचास-साठ गज का पुल नहीं बनाने से ५-६ माइल का चक्कर काट कर माल पहुंचाया जाता है। अगर खनिज मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें तो आज फर्टीलाइजर के मामले को लेकर अमेरिका के सामने जिन जलील शर्तों को स्वीकार करना पड़ा है, जिनसे भारतवर्ष के लोग तिलमिला उठे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज ने भी विरोध प्रकट किया है, ऐसी जलालत हमें बर्दाश्त न करनी पड़े और हम अपना सिर सम्मान से उठा सकते हैं।

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगी कि आज हमारे यहां खानों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इनकी ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाय।

श्री **हरिदेव जोशी** : क्लोराइड रह गया।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्लोराइड रह गया, लिग्नाइट रह गया, पर क्या करूं; घंटी बजा दी इसलिये बैठना पड़ा। आप फरमायें, और थोड़ा समय और दिया जाय तो इन पर भी अपने विचार प्रकट कर दूं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री **सभापति** : श्री गिरधारीलाल व्यास!

श्री **गिरधारीलाल व्यास** (आसींद): सभापति महोदय, अगर हम सही माने में राजस्थान का औद्योगीकरण और विकास करना चाहते हैं तो हमें राजस्थान में किस प्रकार उद्योग स्थापित हों इस पर विचार करना पड़ेगा। जहां तक बड़े-बड़े उद्योगों का सवाल है उसमें हमारी सरकार की जो पॉलिसी है, हमारी सरकार ने मिक्स्ड इकोनोमीक की पॉलिसी को अख्त्यार किया है। कोऑपरेटिव सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, इन तीन सेक्टर्स के जरिये हमारे यहां काम किया जा सकता है। जहां तक कोऑपरेटिव सेक्टर का सवाल है राजस्थान में कोई भी ऐसा इस प्रकार का उद्योग स्थापित नहीं हुआ है जिससे हम हमारे औद्योगीकरण में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ सकें। जहां तक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सैक्टर का सवाल है, पब्लिक सेक्टर में राजस्थान बनने के बाद कुछ उद्योग स्थापित हुए।

दो-तीन दिन पहले मन्त्री महोदय ने बताया कि इन इन उद्योगों में प्रगति की है, किसी में लाभ, तो किसी में नुकसान, यह व्यवस्था पब्लिक सेक्टर के सम्बन्ध में बताई। जहां तक पब्लिक सेक्टर का सवाल है, कोई भी समाजवादी देश अपने यहां समाजवादी समाज की व्यवस्था करके प्रगति करना चाहता है तो वह जब तक पब्लिक सेक्टर में उद्योगों की तरक्की नहीं करेगा तब तक समाजवादी समाज की व्यवस्था ठीक नहीं बैठ सकती।

जहां तक प्राइवेट सेक्टर का सम्बन्ध है, जिन उद्योगों की स्थापना राजस्थान में हो रही है उनमें राज्य सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बढावा देने की पॉलिसी अख्त्यार कर रखी है। इसे अगर देखें कि किस प्रकार प्राइवेट सेक्टर हमारे यहां पनप रहे हैं तो पता चलेगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में कोई सूत का कारखाना

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
लगाना चाहता है तो उसको किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। ३० लाख रुपया राज्य सरकार उसको लोन देती है व ३० लाख रुपया ही वह फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन से ले लेता है और ३० लाख रुपया ही जनता से ले लेता है। अपनी पूंजी वह किस प्रकार लगाता है इसे देखें, तो सही नक्शा आपके सामने आ जाय। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन, गवर्नमेंट और पब्लिक के द्वारा सब्स्क्राइब करके हमारे यहां जिन प्राइवेट उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और वह आदमी किस प्रकार इन लोन्स से इकट्ठे किये हुए पैसे से स्थापित किये हुए उद्योग में अपना कमीशन निकाल कर पांच-दस लाख की पूंजी स्थापित करता है, उसमें से भी अपना कमीशन लेकर, उसको अपना मानकर इन्वेस्ट कर देता है। प्राइवेट सेक्टर में उद्योग स्थापित करने वाले इतना बडा फ्रॉड सरकार के साथ, हिन्दुस्तान और राजस्थान के लोगों के साथ कर रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट और पब्लिक से लेकर उद्योगपति प्राइवेट सेक्टर में उद्योग लगाता है तो क्यों नहीं हम इन उद्योगों को पब्लिक सेक्टर में लगाते ? पब्लिक सेक्टर में इन उद्योगों को लगायें तो सरकार इन सुविधाओं को मुहैया कर सकती है और सरकार को नोनटैक्स रेवेन्यू प्राप्त हो सकती है। हम जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्सहान दे रहे हैं, उद्योगपति जनता से पैसा प्राप्त करने में माहिर हैं, किसी आदमी से वह पैसा प्राप्त कर सकता है। तो मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सरकार सारी की सारी व्यवस्था को अपने हाथ में ले और पब्लिक सेक्टर में उद्योग लगाये। जिस प्रकार सरकार प्राइवेट सेक्टर्स में उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को लोन्स और दूसरी सुविधाएं देती है, उसी पैसे को पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करके, जितने कपडा मिल तथा और और आवश्यक चीजों के उद्योग हैं, जो आम लोगों के काम में रोजमर्रा आती हैं, जिनके भाव बढते रहते हैं, मंहगाई भी बढती रहती है, ऐसी वस्तुओं के उद्योग पब्लिक सेक्टर में लगाये, ऐसे उद्योग अगर सरकार पब्लिक सेक्टर में लगाये तो उनसे हमारी नोन टैक्स रेवेन्यू बढेगी और लोगों को उनकी जरूरत का सामान सस्ते भावों पर मुहैया किया जा सकेगा।

दूसरा दृष्टिकोण इन उद्योगों को स्थापित करने के पीछे यह है कि इनके जरिये लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, सही तरीके से लोगों का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढे ताकि इन लोगों के द्वारा राजस्थान के विकास में और राजस्थान के उद्योगों की उन्नति में ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिल सके। आज प्राइवेट सेक्टर में मेनेजमेंट के द्वारा मजदूरों का किस प्रकार शोषण किया जाता है, यह देखें तो विदित हो जायगा कि पूंजीपति राजस्थान के औद्योगिक विकास में किस प्रकार अडचन बने बैठे हैं। किस उद्योग के मेनेजमेंट के तहत में एम्प्लॉईज हैं, उनको संतुष्ट नहीं किया जाय, पेट भर के रोटी देने का प्रश्न हल नहीं किया जाता तो वह उद्योग पनप नहीं सकता। जब तक सब लोगों का सहयोग इसमें नहीं मिलेगा, सब लोग व्यवस्थित ढंग से काम नहीं करेंगे तब तक पूरा उत्पादन नहीं आ सकेगा और तब तक उद्योग नहीं पनप सकता।

जहां तक बेसिक वेजेज देने का सवाल है, जहां तक मिनिमम वेजेज, जो सरकार ने नियत किए हैं, जो बोनस देने का प्रश्न है,

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जो सरकार के कानून द्वारा निकला है और जहां तक मंहगाई भत्ता देने का प्रश्न है और जिसके लिये माथुर कमेटी, जो सरकार ने नियुक्त की थी, की रिपोर्ट है, उन खास मुद्दों पर प्राइवेट सेक्टर ध्यान नहीं दे रहा है और उसकी वजह से जगह जगह असंतोष पैदा है, लोग प्रदर्शन करते हैं; कभी इंटक वाले, तो कभी साम्यवादी, कभी समाजवादी और इस प्रकार ऐसा वातावरण और ऐसी फिजा इस देश में और राज्य में पैदा की गई है कि जिसके कारण सरकार इनकी न्यायोचित मांगों को जल्दी से जल्दी पूर्ति करे और उस संबंध में सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं परंतु प्राइवेट सेक्टर के शोषण की वजह से बोनस का फॉर्मूला सरकार ने कानून द्वारा तय किया है, उसको न मानकर जगह जगह लोगों में मनोवृत्ति पैदा कर दी है मजदूरों के अंदर की जो प्राइवेट सेक्टर उद्योग चला रहे हैं वे कभी उनके साथ न्याय नहीं कर सकते हैं।

इसी प्रकार मंहगाई भत्ता आज तक प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने, बावजूद सरकार के आदेशों के, आदेशों का पालन नहीं किया है। उससे भारी असंतोष हो रहा है। इसलिये मैं उद्योग मंत्री का खास तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अपने उद्योगों को यदि पनपाना चाहते हैं तो मजदूरों की जो कठिनाइयां हैं और सबसे बड़ा प्रश्न बोनस और महंगाई भत्ते का है, उनको हल करना अत्यंत आवश्यक है। आप अपने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाते हैं, कभी उपभोक्ता भंडार की बात करते हैं तो क्या मजदूर इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये कहीं दूसरी जगह जायगा? क्या उसको किसी दूसरे भगवान ने पैदा किया है?

हमारी भारत सरकार ने बोनस एक्ट तय किया और उसके तहत उन्होंने एक मिनीमम परसेन्टेज बोनस का देने का तय किया था, उसको मानना हरएक आदमी का कर्तव्य है; मगर राजस्थान विद्युत मंडल की बात आप देखिए, उन्होंने बोनस कानून के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट पेश की है, तो भारत में भी कांग्रेस सरकार बनी हुई है, और राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार है। जब भारत सरकार एक एक्ट पास करती है तो यह दूसरी सरकार उसकी अवहेलना करती है, उससे लोगों में भयंकर असंतोष पैदा होता है। इसलिए आपको खास तौर से मजदूरों, जो इस देश की रीढ है, को अगर आपने असंतुष्ट कर दिया तो सरकार को यह राज्य चलाना मुश्किल हो जायगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माइनिंग के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि अभ्रक की भीलवाडा जिले में खानें हैं, इसका हिन्दुस्तान में दूसरा नम्बर है। अभ्रक उद्योग की स्थिति यह है कि जिन जिन लोगों को अभ्रक की खानें दी गई हैं ६-१२ महीने से, उनके पेमेन्ट्स नहीं होते हैं, पैसा नहीं मिलता है और उद्योग-पति नाजायज फायदा उठा कर मजदूरों का पैसा बारबार खा रहे हैं। इसलिए खान मंत्री का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस खान उद्योग को, जिसमें आप मजदूरों को पैसा नहीं दे सकते, उनका रोजगार सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे उद्योग-धन्धे ऐसे लोगों को देकर आप मजदूरों की मौत करवा रहे हैं। आपको चाहिए कि जो उद्योग दूसरे लोग चलाना नहीं चाहते और जिसके द्वारा काफी फोरिन एक्सचेन्ज पैदा होता है, ऐसे

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दें, उनको सरकार की तरफ से चलाइये, ऐसे लोगों को यह धंधा मिले जिससे उद्योग ज्यादा से ज्यादा पनपें।

श्री गंगासिंह (जायल): सभापति महोदय, हमारे देश की परिस्थिति और राजस्थान की परस्थिति इस प्रकार है कि हमारी जमीन पर बहुत बोझ आया हुआ है, एग्रीकल्चरल लैंड पर ज्यादा से ज्यादा आदमी यहां के लगे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा खेती इस राज्य के लोगों के करने के कारण और उनका जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर होने के कारण जमीन पर इतना बोझ आया हुआ है कि जमीन अब उस बोझ को सहन नहीं कर सकेगी। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि ज्यों ज्यों पॉपूलेशन आपका बढ़ता जाय त्यों त्यों आपका औद्योगीकरण राजस्थान में निहायत जरूरी है। इस औद्योगीकरण को अपनाने के लिए और इसको फलीभूत करने के लिए जरूरी है कि सरकार की नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हों। इस समय औद्योगीकरण की बात बहुत जोरों से चलती है और औद्योगीकरण किन सिद्धान्तों पर हो, यह बात बिल्कुल साफ नजर नहीं आती। एक तरफ राज्य सरकार कहती है कि हमें औद्योगीकरण पब्लिक सेक्टर को आधार मानकर करना चाहिए, दूसरी तरफ यह कहते हैं कि नहीं पब्लिक सेक्टर से हम उस उन्नति पर नहीं पहुंच सकेंगे जिस उन्नति पर हमें पहुंचना चाहिये। ऐसी हालत में प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं कि आप औद्योगीकरण करें। साथ साथ अब नतीजा यह होता है कि इधर से इनकी नीतियों पर चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में औद्योगीकरण हो और पब्लिक सेक्टर ही औद्योगीकरण के सम्बन्ध में ऊंचा रहे। दूसरी तरफ वह पब्लिक सेक्टर के अन्दर औद्योगीकरण कर नहीं सकते। ऐसी हालत में उन्होंने एक और तरह की अपनी नीति अपनाई जिसे मिक्सड-इकोनोमी कह सकते हैं।

इस देश में मिक्सड-इकोनोमी का क्या मतलब होता है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस मिक्सड-इकोनोमी के कारण आप क्या करना चाहते हैं। किस तरह से औद्योगीकरण करना चाहते हैं यानी औद्योगिक व्यक्ति को भी भलिभांति मालूम नहीं होता है न सरकार ही उसको समझ सकती है। इसलिए आप औद्योगीकरण की नीति को बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि आप किस नीति से औद्योगीकरण करना चाहेंगे। मैं समझता हूं कि बहुत बड़े बड़े कारखानों या उद्योग जिनके लिए प्राइवेट सेक्टर में पूंजी उपलब्ध नहीं हो सकती, वही पब्लिक सेक्टर के अन्दर होने चाहिए और बाकी दूसरे उद्योग आपको प्राइवेट सेक्टर में चलाने चाहिए और उसके अन्दर जो कॉम्पीटीशन का रवैया है उस पर निर्भर होकर प्राइवेट सेक्टर के अन्दर अच्छे से अच्छा उद्योग आप पा सकेंगे। जब आपकी नीति यह हो जायगी कि पब्लिक सेक्टर के अन्दर उद्योग वही रहेंगे जिनके लिए प्राइवेट सेक्टर में धनराशि उपलब्ध नहीं हो सकती, ऐसी हालत में इस आधार पर अगर इस राज्य में औद्योगीकरण किया जाय, तो आपकी स्पष्ट नीतियों के कारण उद्योगपति भी पूरी तौर पर अपनी पूंजी लगाएंगे, उनका दिमाग भी साफ रहेगा कि हमारा उद्योग सुरक्षित है, हमारे उद्योग पर सरकार का किसी तरह से दबाव नहीं है, सरकार छीनेगी नहीं; तो आपका औद्योगीकरण तेज गति से बढ़ेगा। इसलिए राज्य

(श्री गंगासिंह)
सरकार को चाहिये कि वह अपनी नीति के सम्बन्ध में स्पष्टतया मिक्सड-इकोनोमी की थ्योरी उसको समझाए और यह भी बतलाए कि उसके तहत क्या क्या राज्य सरकार करने वाली है। क्योंकि इस देश के अन्दर उद्योगों की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए उद्योगपति पैसा कर्ज कर लें और हो सकता है कि कुछ समय बाद औद्योगीकरण ठीक ढंग से हो जाय, उस समय राज्य सरकार उद्योगों को अपने हाथ में ले ले, तो ये नीतियां हैं जिनके कारण राज्य के अन्दर औद्योगीकरण सही तौर पर नहीं हो सकता है।

इस समय जब राज्य का औद्योगीकरण हो रहा है और सरकार चाहती है कि राज्य के अन्दर ज्यादा से ज्यादा औद्योगीकरण हो तो हर जिले का एक मास्टर प्लान होना चाहिए और फिर देखें कि कौन कौन से उद्योग पनप सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस राज्य के अन्दर कोई ऐसा जिला नहीं है जिसका अगर औद्योगिक सर्वे कराया जाय तो आपको मालूम होगा कि हर जिले की कुछ न कुछ खासियतें हैं। अगर उन खासियतों को मालूम करके उसी माफिक वहां की इन्डस्ट्रीज लगायें तो इस राज्य में कुछ समय के बाद ही बहुत ज्यादा तादाद में इन्डस्ट्रीज हो सकती हैं।

इस समय में मेरे जिले की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मेरे जिले नागौर की तरफ राज्य सरकार ने उद्योगों की दृष्टि से काम नहीं किया है और काम किया है तो वह बहुत ही कम किया है। जिस तरह से जयपुर और कोटा के अन्दर इन्डस्ट्रीज बढी हैं उस तरह से जोधपुर, नागौर, बीकानेर की तरफ इन्डस्ट्रीज के लिये सरकार का ध्यान नहीं गया है और राज्य सरकार यह समझती है कि इन्डस्ट्रीज एक ही जगह पर करना है और एक पार्ट में ही करना है तो वह बात दूसरी है। राजस्थान में इन्डस्ट्रीज को पनपाना है तो सारे राजस्थान में इन्डस्ट्रियल सर्वे होना चाहिये और उसी माफिक इन्डस्ट्रीज को बढाना चाहिये। नागौर जिले में रॉ-मेटीरियल बहुत ज्यादा तादाद में है और उसको काम में लावें तो बहुत ज्यादा तादाद में इन्डस्ट्रीज हो सकती हैं। खड्डी की वहां खाने हैं और लाइम स्टोन भी है। सही तौर पर उनका सर्वे कराया जाये और इन्डस्ट्रीज को पनाह दें तो बडी बडी इन्डस्ट्रीज लग सकती हैं।

इस ओर आपका और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नागौर में खड्डी की खान ज्यादा तादाद में है और उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस की इन्डस्ट्री लग सकती है। इससे काफी फायदा सरकार को हो सकता है और काफी पूर्ति यहां की हो सकती है।

बीकानेर, नागौर, जोधपुर की तरफ भेडें भी काफी तादाद में पालते हैं। राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में इस इलाके में सबसे ज्यादा ऊन पैदा होती है। वैसी स्थिति में मैं समझता हूं कि ऊन की बहुत अच्छी इन्डस्ट्री लग सकती है। सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और सरकार ने भी शायद यह महसूस किया होगा कि ऊन की इन्डस्ट्री नागौर में लगायी जा सकती है।

मकराने की खान की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मकराने का पत्थर सारे विश्व में प्रसिद्ध है। उसकी मूर्तियां और पच्चीकारी का धन्धा खोल कर उनको

(श्री गंगासिंह)

बाहर भेजा जाय तो काफी पैसा मिल सकता है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इस जिले की इन्डस्ट्रीज पर सरकार पूरी तरह ध्यान दे।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, इन विभागों के सम्बन्ध में बजट के ऊपर आम बहस पर मैंने कुछ मुद्दे सदन के सामने प्रस्तुत किये थे। उनका उत्तर देते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि राजस्थान में इन्डस्ट्रियल बेस बन गया और इस इन्डस्टियल बेस को बनाने में राजस्थान की जनता को टैक्स के भार से दबना पड़ा है। लेकिन अब राजस्थान में इस प्रकार की भूमिका बन गयी है कि उस भूमिका के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान अब इन्डस्ट्रियल पोइन्ट ऑफ व्यू से बहुत ही डेवलप होगा। दुर्भाग्य से मेरा अनुभव उनके अनुकूल नहीं है। राजस्थान में अब तक जो इन्डस्ट्रीज लगीं थीं उन इन्डस्ट्रीज की तुलना यदि स्टेटस के टाइम पर जो इन्डस्ट्रीज लगी हुई थीं उन दोनों से की जाय तो हमें यह कहने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी कि उस समय की चाहे कोई भी स्टेट, उसके चाहे कितने ही लिमिटेड फाइनेन्सेज हों लेकिन उन्होंने जो एक इन्डस्ट्रियल बैकग्राउन्ड तैयार करने की कोशिश की थी उस बैकग्राउन्ड की तुलना में इन पिछले १७-१८ वर्षों में हम राजस्थान में इन्डस्ट्रीज नहीं बना पाये। किसी भी स्टेट को ले लीजिये, जहां तक मिनरल का ववेश्चन है यह बात निश्चित रूप से सही है कि रियासतों के समय उनका वे उतना एक्स्प्लॉइटेशन नहीं कर सके जितना आज कर रहे हैं। इसका सीधा सा कारण है वैज्ञानिक। उस समय वैज्ञानिक साधन उतने नहीं थे और उनका उपयोग नहीं उठा पाते थे। आज साइन्टिफिक युग में, वैज्ञानिक आधार पर मिनरल्स की खोज की, उनको निकाला और उनके लिये मार्केट तैयार किया। लेकिन यहां के इसके विपरीत इन्डस्ट्रियल बैकग्राउन्ड नहीं है।

आप जयपुर में ही देख लीजिये। जयपुर में जो इन्डस्ट्रीज पहले थीं वो ही आज हैं। नयी इन्डस्ट्रीज कोई बनी है तो ऐसी छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज बनी है जो कोटा के माल पर निर्भर करती हैं। जिस समय कोटा मिल जाय इन्डस्ट्रीज चलें। कोटा नहीं मिले तो इन्डस्ट्री नही चलें। यह स्थिति आज आप जयपुर में देख लीजिये। आज कोटा में कह सकते है, वहां पर इन्डस्ट्री नहीं थी लेकिन बिजली और पानी की सुविधा के कारण वहां पर इन्डस्ट्रीज बनीं। लेकिन राजस्थान में पूरा इन्डस्ट्रियल बेस बन गया इस बात की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। वह पर्याप्त कैसे हो सकती है? न तो इन्डस्ट्री के लिये विचार किया, इन्डस्ट्री का कन्सेन्ट्रेशन कहीं होता है तो उसको रोका जाय या नहीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि कलकत्ता और बम्बई में इन्डस्ट्रीज बनीं, इसलिये वहां लोग खोलना चाहते थे कि वहां पर मेटीरियल की सुविधा थी, ट्रान्सपोर्टेशन की सुविधा थी, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा थी लेकिन वहां कन्सेन्ट्रेशन इन-स्टेजेज में हुआ। कि हमारे लिये एक प्रकार की समस्या है। वही लाइन राजस्थान में बनती जा रही है। कुछ स्थानों में इन्डस्ट्रीज का कन्सेन्ट्रेशन होता जा रहा है और पूरे राजस्थान में कोई इन्डस्ट्रियल बेस बना हो, ऐसी स्थिति नहीं आयी है।

(श्री भैरोंसिंह)

कोटा को छोड़ दिजिये। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। पहले यहां पर इन्डस्ट्रीज थीं और बाद में कुछ छोटी-मोटी इन्डस्ट्रीज बनी। आपने इन्डिस्ट्रियल सर्वे नहीं कराया। इन्डस्ट्रीज बनें उसकी व्यवस्था नहीं की। जो कुछ कोटेज इन्डस्ट्रीज, कुटीर उद्योग राजस्थान में एकीकरण से पहले चलते थे वे सब समाप्त हो गये। हम उस समय इतिहास और भूगोल की किताबों में पढते थे कि जयपुर में कौन २ सी चीज मशहूर हैं और कहां कहां पर क्या क्या चीज मशहूर है। इसका एक इतिहास सामने रख कर चला जाय तो कोटेज इन्डस्ट्रीज में जहां राजस्थान बढा-चढा था, वे सब समाप्त हो गयीं। हमारी कोटेज इन्डस्ट्रीज समाप्त हो गयीं और इन्डस्ट्रियल बेस भी नहीं बना। सबसे ज्यादा कहर इस बिजली ने ढा दिया। उसमें कटौती की। कोई चीज उपलब्ध नहीं है तो निश्चित रूप से कटौती होगी, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन इसने इन्डस्ट्रियलिस्ट्स के माइन्ड में एक भय पैदा कर दिया है कि रॉ-मेटिरियल हमारा होगा लेकिन बिजली और पानी गवर्नमेन्ट के पास है; वह राजस्थान सरकार से उनको उपलब्ध नहीं होगा। इसका इम्पेक्ट निश्चित रूप से इन्डस्ट्रियलिस्टस पर पडता है, इस बात की आप सिक्योरिटी नहीं देते तो इसका असर उन पर यह होता है कि हम राजस्थान में इन्डस्ट्रीज लगावें या नहीं। आवश्यकता इस बात की थी कि इलेक्ट्रिसिटी की कमी आ रही थी तो उसकी पूर्ति के लिये आपको चाहिये था कि या तो आप भारत सरकार से या अन्य राज्यों से जहां कांग्रेसी हुकूमत है, कहीं से भी जो मेटीरियल है उसको प्राप्त करने की कोशिश करते और उनको बिजली देते तो निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं उद्योगपतियों के दिमाग में यह भाव पैदा होते कि वर्षा हो या न हो, बिजल की कमी के कारण हमारे उत्पादन को किसी प्रकार भी लोस नहीं होगा, हमें अपने उद्योगों के लिये बराबर बिजली मिलती रहेगी। लेकिन आपने यह करने के बजाय बिजली में कटौती करना शुरू कर दिया, इसी से आपने सन्तोष कर लिया। इसलिये जितनी मात्रा में बिजली की आवश्यकता थी वह उनको नहीं दे पाये। उसका तात्पर्य यह हुआ कि दो वर्ष में जो इन्डस्ट्रियल बैक-ग्राउन्ड बन पाया था वह बिलकुल समाप्त हो गया।

इसके साथ साथ सभापति महोदय, जो इन्डस्ट्रीज के लिये हम लोन्स देते हैं उनके बारे में जो रिपोर्ट्स हैं उनका जिक्र मैं नहीं करूंगा, न पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट्स का जिक्र करूगा, उन लोन्स के बारे में इन कमेटियों ने तो बहुत कुछ कहा है; मैं सरकार द्वारा जो लोन्स दिये जाते हैं उसकी उपयोगिता के बारे में यानि वह काम में किस प्रकार लाया गया इसके बारे में मुझे काफी सन्देह है और मैं हर बार इस बारे में शिकायत भी करता रहा हूं।

इन्डस्ट्रीज के लिये जो लोन दिया जाता है जिस काम के लिये दिया जाता है उसका उपयोग उसमें नहीं हो पाता। आज तक इस प्रकार का स्टेटमेन्ट हमारे पास नहीं आया कि इस उद्योग को इतना लोन दिया गया, इतना रॉ मेटिरियल दिया गया, उसका वार्षिक उत्पादन उससे इतना हुआ। न

(श्री भैरोंसिंह)

इस प्रकार का स्टेटमेन्ट विभाग बनाता है और न देता है। ऑडिट के समय डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज ऑफिसर से युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मंगवा लेते हैं, लेकिन उस इन्डस्ट्री का अचीवमेन्ट क्या है, जो लोन दिया गया या मैटीरियल का कोटा दिया गया उसका एक्चुअल उपयोग होता है या नहीं यह नहीं बताया जाता। बिजली कन्ज्यूम हुई, उसका हिसाब या पानी के बिल में जो खर्चा हुआ वह बता दिया जाता है रॉ-मैटीरियल का सेल्स टक्स चुका कर उसका चुकारा बता दिया जाता है। उस मैटीरियल से कितना उत्पादन हुआ, उस प्रकार की स्थिति को चैक करने की कोशिश नहीं की गई। राजस्थान में कितना रॉ-मैटीरियल काम में लिया जाता है और उसकी तुलना में कितना माल बनता है, उसकी मात्रा बताने में आप असफल हुए हैं। यहां का रॉ-मैटीरियल सब पंजाब में जाता है। पंजाब को जो इस समय रॉ-मैटीरियल मिल रहा है उससे वह इतनी इन्डस्ट्रीज को काम नहीं दे सकता मध्य प्रदेश और राजस्थान का सारा मैटीरियल वहां ब्लेक में जाकर बिकता है उससे वहां की इन्डस्ट्रीज चलती हैं। राजस्थान सरकार इस चीज को रोक नहीं पायी है, न लोन्स के प्रोपर युटिलाइजेशन के बारे में भी कोई रोक लगा पायी है।

अब मैं आपका ध्यान इस ओर लेजाना चाहता हूं, जहां आप इस प्रकार ब्लेक होने को रोक नहीं पाये हैं। तो बाकी प्राइवेट पार्टीज जो ब्लेक करती हैं, उसको रोकने की क्या उम्मीद की जा सकती है?

पिछली बार गंगानगर शूगर फैक्ट्री के बारे में और हाई टैंक के बारे में दो मसले मैंने उठाये थे। उसका माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया उससे मुझे सन्तोष नहीं हुआ। जो बातें मैंने उस समय उठायी थीं, उसकी पुष्टि के लिय मैं एक बात और बताना चाहता हूं। इस साल की जो ऑडिट रिपोर्ट आयी है उसमें जो आपको सर्टिफिकेट दिया गया है वह किन शब्दों में है वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"We have found that the Internal check is inadequate which has resulted in loss to the Company."

यह लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट पेश हुई जिसमें गंगानगर शूगर फैक्टरी का उल्लेख किया गया है। गंगानगर शूगर फैक्ट्री के बारे में ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि ये कमियां निरन्तर चली आ रही हैं। सन् ६२ में ऑडिटर्स ने नाराज होकर यह लिखा कि बार बार इन मसलों के बारे में लिखने पर भी सरकार ध्यान नहीं देती, पूरा विचार नहीं करती।

सभापति महोदय फिजिकल वेरीफिकेशन वहां नहीं होता, अकाउन्ट्स इस बात का मेन्टेन नहीं किया जाता कि प्रोवीडेन्ट फन्ड किस प्रकार जमा होता है, किसका कितना जमा हुआ है, प्रोवीडेन्ट फन्ड का अकाउन्ट नहीं। पीरियोडिकल रिटर्न्स का कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता, फिक्स्ड असेट्स कितने हैं इसका कोई रजिस्टर मेन्टेन नहीं। शूगरकेन प्रोडक्शन के लिये फोर्म्स नहीं, कितना गन्ना पैदा होता है, उसको किस प्रकार डिस्पोज ऑफ किया, इसका रजिस्टर मेन्टेन नहीं होता।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मन्त्री) : शुगरकेन प्रोडक्शन के लिये हमारे यहां कोई फार्म नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जिन जिन फार्म्स से शुगरकेन आपके इस फैक्ट्री में आता है उसका अकाउन्ट मेन्टेन नहीं करते। उसके बारे में जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट है वह मैंने पढ कर बताई है।

इन सब का परिणाम क्या निकलता है, सभापति महोदय, कि १९६३-६४ में ६ लाख ३९ हजार का और १९६४-६५ में ६ लाख ५८ हजार का स्टेट एन्टरप्राइजेज में नुकसान होता है। यह क्यों होता है, इसके लिये मैं आपको एक एक चीज अर्ज करना चाहता हूं। सबसे मोटा कारण यह है कि जो कि ऑडिटर्स ने स्वीकार किया है, इन्टरनल चैक इन-एडीक्वेट है। यह नुकसान क्यों होता है ११,६५९ रुपये का मोलेसेस भोपालसागर शुगर फैक्ट्री से लेना था चार आना के हिसाब से, वहां १२ आने के हिसाब से लिया गया। मोलेसेस कन्ट्रोलर के आदेशानुसार चार आना प्रति क्विन्टल मोलेसेस खरीदना चाहिये, लेकिन खरीदा गया १२ आने के हिसाब से; इससे ११,६५९ रुपये का लोस हुआ। राजस्थान सरकार ब्लेक मार्केट के भाव से मोलेसेस खरीदती है तो वह ब्लेक मार्केट को एक प्रकार से प्रोत्साहन देती है।

फिर हम प्राइवेट पार्टीज से किस प्रकार ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हैं।

इसी प्रकार २,३६,३५८रु० कॅान्टीन्जेन्सी फन्ड में रखा है। जो हम रेक्टीफाइड स्प्रिट इम्पोर्ट करते हैं उनमें जो वेस्टेज होता है वह वेस्टेज २ लाख ३८ हजार का होता है। मैं यह नहीं जान पाया कि जो रेक्टीफाइड स्प्रिट बोतलों में भरकर भेजते हैं उनमें किस प्रकार कमी हो जाती है। उस कमी के कारण एक्साइज ड्यूटी भी देनी पडती है।

रेक्टीफाइड स्प्रिट की जो ड्यूटी देते हैं उसमें २ लाख ३८ हजार के करीब नुकसान हुआ है।

उसके आगे फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन है, मुझे याद पडती है कि इस बारे में पहले मैंने कहा है, अगर नहीं भी कहा है तो फिर कहना चाहता हूं कि इन इन्डस्ट्रीज को जो लोन इससे लेना था उसके लिये १५ हजार के स्टाम्प्स खरीद लिये गये; एग्रीमेन्ट हुआ नहीं, डेट उसकी निकल गई, गवर्नमेंट ने उसके लिये कोई क्लेम नहीं किया। इस तरह से १५ हजार का लोस हुआ, यह इन-एफीशियेन्सी है। इतना ही नहीं, एक श्री मेहता हैं जिनको १० हजार रुपया मेरठ में पेमेन्ट के लिये दिया गया था; न तो उन्होंने वह रुपया पेमेन्ट किया और न उसका हिसाब ही दिया और जहां भुगतान करना था वहां भुगतान भी नही किया।

२५,६१३ रुपया प्रोवीडेन्ट फन्ड की पैनेल्टी का चुकाना पडता है। जिन लोगों के क्लेम थे वे चुकाये गये। पैनल्टी उस पर इम्पोज की २५ हजार। ६५ हजार रूपया का उदयपुर डिस्टिलरी से सामान खरीदा। कमेटी द्वारा उसका वेल्यूएशन करने का था जो नहीं किया गया। एक्सपर्ट्स ने उसको नहीं देखा, बिना कुछ सोचे ६५ हजार का पेमेन्ट कर दिया।

इन स्थितियों में मुझे ऐसा लगता है, इस मामले में कोई न कोई या कहीं न कहीं गडबड अवश्य है। इसके अलावा, सभापति महोदय,

(श्री भैरोंसिंह)
इस फैक्ट्री द्वारा पिछले चार वर्षों के अन्दर प्रिफरेन्शियल शेयर्स पर डिवीडेन्ड दिया गया है। ऑर्डिनेरी शेयर्स पर आज तक डिविडेन्ड नहीं दिया गया। जो अन्डरटेकिंग गवर्नमेन्ट चलाती है उसका डिविडेन्ड डिस्ट्रिब्यूट नहीं करती; स्वयं तो मुनाफा नहीं कमाये तो दूसरों से किस प्रकार आशा कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, धौलपुर की हाईटेंक के बारे में मैंने पहले भी प्रश्न उठाया था और कहा था कि इसमें १७ ००० रुपये का ब्रेकेज हुआ था। लेकिन शूगर फैक्ट्री में जो ब्रेकेज हुआ उसका पता नहीं। इस फैक्ट्री के अन्दर जो ब्रेकेज हुआ उसके लिय ऑडिटर्स ने जो ब्रेकेज दिया वह १५ हजार रूपये का दिया है। लेकिन मि० खेमचन्द माथुर जो इसके डाइरेक्टर हैं उन्होंने जो ब्रेकेज का एस्टीमेट लगाकर रिजोल्यूशन पास करके भेजा है वह रिजोल्यूशन, जिसकी कापी मेरे पास है, पढकर सुनाता हूं:

"Resolved that in view of the reasons assigned in the detailed note breakage worth Rs. 1,68,803 are hereby written off."

उस समय आप कह रहे थे कि १२ हजार थे। १५ हजार का हो मुझे चिन्ता नहीं। पर १.६८ हजार का ब्रेकेज दिखाया और कब दिखाया जब उस पीरियड का ऑडिट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट आ गई; १५ हजार का ब्रेकेज ऑडिट होने के बाद ऑडिटर की रिपोर्ट पेश हो जाने के बाद मालूम हो जाने पर, कम्पनी के डाइरेक्टरों ने मिलकर एक रिजोल्यूशन पास किया कि १.६८ हजार का ब्रेकेज है और १.६८ हजार का ब्रेकेज बताकर उसे राइट ऑफ करने की बात की।

आज इस तरह की बातों को डिटेक्ट करने की जरूरत है। इसमें मिनिस्टर साहब की कोई इनएफिशियेन्सी की बात हो, उनकी इनएफीशियेन्सी से इस तरह रकमें राइट ऑफ हों, यह मैं नहीं मानता। मथुरादास माथुर इनएफिशियेन्ट हों, यह मैं नहीं मानता। वे इनएफीशियेन्ट नहीं हैं। जिसको भी वे कन्ट्रोल करना चाहें कर सकते हैं, उनके लिये कोई मुश्किल नहीं है। पर जब काम में इनएफीशियेन्सी जाहिर होती है, इस तरह की बातें सामने आती हैं तो इन दोनों के बीच में यही कहा जा सकता है कि कहीं घोटाला है और आज इसकी जांच करने की जरूरत है। मैं आपकी कभी भी इस बात के लिये आलोचना नहीं कर सकता कि मंत्री महोदय इनएफीशियेन्ट हैं। पर जब इनएफीशियेन्ट नहीं तो फिर ये घोटाले क्यों और जब घोटाले होते जाएं तो अन्दाज लगा ले सदन कि मामला क्या है?

श्री मथुरादास माथुर: क्या आपका मतलब यह है कि इनएफीशियेन्ट नहीं हूं, इसलिये वह पैसा मैं खा गया?

श्री भैरोंसिंह: नहीं, यह भी मैं नहीं कहता।

श्री मथुरादास माथुर: कुछ तो बताओ फिर?

श्री भैरोंसिंह: आप जानते हैं सब।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आपने नहीं खाया, पर आपकी नाक के नीचे कोई खा गया। कोई न कोई जगह तो ऐसी होगी जहां इस तरह से एम्बेजलमेन्ट होता है, इस पर आपकी तरफ से रोशनी आनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह: यह तो मैं समझता हूं और मंत्री महोदय भी यह अच्छी तरह से

(श्री भैरोंसिंह)

जानते हैं कि उनकी गफलत नहीं होगी तो कोई नहीं खा सकता। राजस्थान म एक मन्त्री तो ऐसा है जो सेक्रेटरियों से टक्कर ले सकता है। फिर उसके जमाने में लाखों रुपया लोग खा जावें, माथुर सहाब, आप ही बताइये, मैं इसके लिये क्या कहूं ?. मैं अपना मोटिव इम्प्यूट करना नहीं चाहता। पर आप ही बताइये मैं क्या कहूं ? कौन खा गया यह सब ? आप जैसे एफीशियेन्ट मन्त्री के होते हुए खा गया, तो कई प्रकार के वहम पैदा होते हैं जिनका निराकरण करना आपके लिये आवश्यक है।

श्री मथुरादास माथुर: करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, इसके अलावा दो इन्डस्ट्रीज का उल्लेख और करना चाहता हूं।

एक है राजस्थान की जयपुर स्पिनिंग मिल। इसमें यह विवाद कई दिनों से चलता आ रहा है, उसके लम्बे-चौड़े विवाद में मैं इस समय नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे एक बात माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कहनी है; मन्त्री महोदय सुन लें अच्छी तरह, दूसरे मन्त्री जी, अब आपका नम्बर है, इसलिये मैं निवेदन कर रहा था, आप सुन लें जयपुर स्पिनिंग मिल में जो हमारा इन्वेस्टमेन्ट है-क्यूमुलेटिव शेयर खरीद रखे हैं सरकार ने--६ लाख का हमारा डिविडेण्ड था, जिसको हमने फोरगो किया। आज इस राजस्थान की हुकूमत ने राजस्थान की जनता के साथ, रामनाथ पोद्दार से मिलकर षड़यन्त्र किया है और राजस्थान सरकार को लाखों का घाटा पहुंचाने की नौबत पैदा की है।

(विराम)

सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार, भारत सरकार और भारत सरकार की औद्योगिक नीति चेष्टा करती है कि जिन-जिन कम्पनियों में उनका इन्वेस्टमेन्ट है, वह लोन के रूप में, जो हमने दे रखा है, उसको शेयर में इन्वेस्ट किया जाय। पर दुर्भाग्य की बात है कि हमारी राजस्थान की हुकूमत इस जयपुर स्पिनिंग मिल में जो हमारे शेयर हैं, उस सेठ की चालाकी में फंस कर हमारी सरकार ने, पहले तो बाकी के शेयर-होल्डरों को उस चालाक सेठ ने मनाया, उन पर निगरानी नहीं रखी, उनके शेयर बड़ी चालाकी से अपने शेयरों की कीमत गिराकर अपने अधिकार में किये, उनको खरीद लिया, अपने मेजोरिटी शेयर बना लिये। मैनेजिंग डाइरेक्टरी अपने हाथ में रखी। किसी को डिविडेण्ड नहीं दिया, घाटा कागजों में दिखाते गये। राजस्थान को हुकूमत को भी डिविडेण्ड नहीं दिया, और इसका परिणाम यह निकला कि, उस चालाक सेठ ने पहला कौशल तो यह किया जिस राजस्थान सरकार की ६ लाख के क्यूमुलेटिव शेयरों के आधार पर लेनदारी थी उस लेनदारी को ऋण में बदलने की बात चली। इसके साथ उस समय इन्हीं मंत्री महोदय ने इसका कैटेगोरिकली एश्योरेन्स दिया था, मैंने संकेत भी किया था उस समय कि आप इसको ट्रान्सफर कर रहे हैं इसके पीछे केवल इतना ही नहीं है कुछ और मतलब है, सेठ चालाक है। सरकार को यह कम्पनी से बाहर निकालना चाहता है। पर खेद है सरकार उसकी चालाकी में आ गई।

अब डेवलपमेन्ट क्या हुआ, जब कम्पनी में घाटा था तब तो शेयर सरकार के पास रहे, पर जब कम्पनी प्रॉफिट में आनी शुरू हुई, जब मुनाफा आने की स्थिति आई, उस समय

(श्री भैरोंसिंह)

जनता की पीठ के पीछे धोखा करने के लिये सेठ से मिलकर निर्णय कर लिया, हालांकि अभी तक उसका एग्रीमेन्ट तो नहीं हुआ है,। हमारी सरकार एग्रीमेन्ट करती है एक साल बाद और लागू पहले ही कर लेती है तो निर्णय यह कर लिया कि उस शेयर-मनी को ऋण मानकर उस पर इन्टरेस्ट के रूप में रकम जमा करते रहें। उस रकम को जो सरकार को मिल रही है उसे डिविडेण्ड के रूप में जमा नहीं करके ऋण के इन्टरेस्ट के रूप में जमा करता रहा। हालांकि एग्रीमेन्ट अभी नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एग्रीमेन्ट आपका नहीं हुआ, तो इन्टरेस्ट के रूप में पैसा किस हालत में वसूल करते हो ?

इसी तरह से एक इन्डस्ट्री कोटा में खड़ी है, कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी। कई बार इस बारे में विधान सभा में चर्चा हुई, कई प्रश्न उठाये गये यहां। हमारी सरकार ने कहा हम व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे पांच लाख यों के यों जमा पड़े हैं। पर मैनेजिंग डाइरेक्टर के कब्जे में है वह रकम, हम उससे नहीं निकाल सकते। कोटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी खराब होती जा रही है। सरकार अभी तक मन्जूर नहीं कर रही है। मैं कहता हूं आप नहीं व्यवस्था करते हैं तो लोग करेंगे। आप गड़बड़ी करते हैं तो लोग भी गड़बड़ी करेंगे, आप बेईमानी करते हैं तो लोग भी बेईमानी करते हैं। लोग बेईमानी कैसे करते हैं ? मैं बताता हूं।

हाथी दांत का व्यापार चलता है। यह कैसे चलता है। सभापति महोदय, एक मिस्टर राठी हैं। वे राठी हमारे मंत्रियों के बहुत ही मुंह लगे हुए हैं। हमारे यहां किसी चीज का कोटा गरीब को नहीं मिल सकता। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, मोटर रखते हैं, अच्छे बंगले में रहते हैं, टेलीफोन रखते हैं, मोटर में बैठकर मंत्रियों के यहां चक्कर काटते हैं, दिन में दस बार टेलीफोन करते हैं और 'नीरोज' में बैठकर चाय पिलाया करते हैं। तो कोटा लेने के लिये इतनी चीजों की जरूरत है, अच्छे कपड़े, मोटर, मंत्रियों के बंगलों पर जाने में तेल फूंकने के लिये और फोन करने के लिये पैसा और 'नीरोज' में बैठकर चाय पिलाने और पीने के लिये पैसा चाहिये। यह सब हो जावे तो कोटा बेशुमार है। यह सब हो तो चिन्ता नहीं, कोटा बेशुमार है। तब कोटा मिलता है। उन्होंने तीन बोगस फर्म बना रखी हैं। एक का नाम है हैण्डीक्राफ्ट एम्पोरियम, अजमेर, यूनीवर्सल हैण्डीक्राफ्ट, परतानियों का रास्ता; शर्मा एण्टरप्राइजेज बिजून हाउस, किशनपोल बाजार ये तीन हैं। ये तीनों इन्होंने अपने नाम से बना रखी हैं। ये सारी बोगस हैं। इस बात को मैं नहीं कहता, उनकी एसोसियेशन कहती है। हैण्डीक्राफ्ट मैन्यूफक्चर्स एसोसियेशन के सेक्रेटरी ने दस्तखत करके एक चिट्ठी सरकार को लिखी है कि यह बोगस है। इसको आइवरी क्यों देते हो ? रोक दीजिये। पर कौन रोके ? वे कमाई करते हैं इससे। सुबह-शाम सुखाड़ियाजी को सलाम करते हैं। दोपहर को डाइरेक्टर साहब को सलाम झुकाते हैं और मौका मिल जावे तो सेक्रेटरी को भी सलाम करते हैं, क्योंकि उनका मूड अगर खराब है तो डर है वे किसी को नहीं छोड़ते, पर मूड ठीक है तो सलाम ले लेते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपका पक्षपात अगर नहीं है, वे अगर आपके कृपापात्र नहीं हैं तो कहां है उनका वह कोटा, क्या किया

(श्री भैरोंसिंह)

उन्होंने उसका, इसकी इन्क्वायरी करो । पर वह होती नहीं, हो नहीं सकती । उसने ब्लैक कैसे किया इसका ? पर यह सब चलेगा ।

इसी तरह से मैं एक मामला जयपुर के ठठेरों का रखता हूं । कागजात कहीं और जगह महफूज होने से निकाल कर नहीं ला सका । डिटेल में मैं इस वक्त जा भी नहीं रहा ।

जयपुर कैप्स्टन मोटर की जानकारी कर लें । जयपुर के बाहर उसने कितना एक्सपोर्ट किया है ?

मैं निवेदन करूं, सभापति महोदय, आज यह जो सारी स्थिति है इस स्थिति में हमें घाटा होता जा रहा है. घाटा हम बर्दाश्त भी करते हैं । मंत्री महोदय को मालूम है कि जयपुर में यहां पर पीतल का काम करने वाले बहुत हैं । जयपुर, सवाईमाधोपुर, झालरापाटन इन तीनों जगह पीतल का काम होता है । कोटा में भी यह शुरू हुआ । पीतल के बर्तन बनाने वाले पांच वर्षों से चिल्ला रहे हैं कि बीच में जो हमारा शोषण करते हैं उनको नहीं देकर हमें दें । मंत्री ने वाजिब समझ कर उनकी बात भी स्वीकार करली । हाउस में स्वीकार कर लिया, डेपुटेशन लेकर मैं गया वहां स्वीकार कर लिया । टेलीफोन कर दिया । डाइरेक्टर से बात-चीत होगई; पर पांच वर्ष हो गये कोशिश करने के बाद भी गरीबों को कोटा नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाता और इसका रिजल्ट यह है कि रॉलिंग मशीन मिल वाले हैं वहां दबादन प्रेस किया जाता है और जो ठठेरों को सीधा मिलना चाहिये वे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं । मंत्री महोदय और हमारे डाइरेक्टर जानते हैं यह सारा कोटा ये रॉलिंग मिल वाले खाते हैं । मैं उनको डिसऑनेस्ट कहना नहीं चाहता । पर जो रौलिंग मिल वाले हैं उनसे ये दोनों दबे हुए हैं । एक्शन लेने की इनकी हिम्मत नहीं है । ये कमजोर हैं । गरीबों का शोषण करवाकर मालिकों के पेट में और शोषण करने वालों के पेट में ये डालते जाते हैं, उनके पक्ष में ये काम करते हैं, उनकी अच्छी तरह से मदद करते हैं ।

इसी तरह से कॉटेज इन्डस्ट्री का सवाल आता है । खादी बोर्ड का प्रश्न आता है । पिछली बार खादी बोर्ड का मसला उठाया गया । मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि मैं जांच कराऊंगा । एक साल बाद सेक्रेटरी को पत्र लिखा कि जांच कमेटी का क्या हुआ ? उन्होंने पत्र लिखा कि किन-किन मुद्दों पर जांच हो उन मुद्दों पर बात हो रही है, उनका निर्णय होते ही जवाब दे दिया जावेगा ।

(३.०० म० प०)

कमेटी का पता नहीं । लोग कोटा तो खाते हैं, पैसा भी खाते हैं, रिश्वत भी खाते हैं, लेकिन राजस्थान की हुकूमत तो कमेटी को खा गई । वह कमेटी गई कहां, कोई पता नहीं ? उसका रिजल्ट यह है कि खादी के अन्दर १०५३ संस्थायें हैं और इन १०५३ संस्थाओं में ४० परसेन्ट तो वह संस्थायें हैं कि जो आज निष्क्रिय हैं और इन संस्थाओं में आज राजस्थान सरकार के १४ लाख रुपये डूब चुके हैं, जिस अमाउन्ट की कोई उम्मीद नहीं है कि वह सरकार के पास आयेगा । और ३६१ सोसाइटीज ऐसी हैं कि जिनका अभी तक ऑडिट नहीं हुआ । पता ही नहीं वह सोसाइटीज कहां हैं ? आज चोर और डाकुओं की तलाश होती है लेकिन राजस्थान राज्य में कोई इन्डस्ट्री बन जाय, ऐसी इन्डस्ट्रीज विभाग में भी हैं कि

(श्री भैरोंसिंह)

जिनका पता नहीं कि वह इन्डस्ट्री है या नहीं। खादी बोर्ड में ऐसी कई संस्थायें हैं जिनका पता नहीं कि वह संस्थायें थीं या नहीं, इनका मालिक कौन था, यह कब बनी थी और किस गरज से बनाई गई थीं ? उनका किसी प्रकार से कोई पता नहीं लगता। अब, सभापति महोदय, २,६०,००० रुपये का ऋण और अनुदान दिया और वह भी ऐसी सोसाइटीज को दिया है जिनका पता नहीं। प्रोडक्शन तो कहीं गया लेकिन सोसाइटीज के एक्जिस्टेन्स का पता नहीं लगता, और इसलिए में निवेदन करना चाहता हूं कि आप खादी पहनते हैं इसमें मुझे जलन नहीं है, मैं इसका बुरा भी नहीं मानता। खादी पहनें इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सम्भव हो वहां तक खादी का उपयोग करता हूं लेकिन खादी के नाम पर गरीबों का शोषण नहीं होना चाहिए। खादी में आज लाखों और करोड़ों रुपयों के घोटाले होते हैं उसका भार किस के ऊपर पड़ता है ? उसका भार पड़ता है गरीब जनता के ऊपर। आप कहते हैं कि हम लोगों को एम्पलॉयमेन्ट देते हैं, लेकिन इस रुपये को यदि ढंग से उपयोग किया जाय तो सचमुच लोगों को एम्पलॉयमेन्ट मिलेगा। कुछ जो ठेकेदार बने हुए हैं, वे खादी बोर्ड की संस्थाओं के ठेकेदार हिसाब-किताब बनाने में एक्सपर्ट हैं और जो भी घोटाले वह करें कर सकते हैं। खादी बोर्ड के ऊपर घोटाले होते हैं और यदि राजस्थान की जनता को टैक्सों के भार से बचाना है तो आप खादी बोर्ड को समाप्त कर दो और जो भी आपको कॉटेज इन्डस्ट्रीज चलती हैं वह आप इन्डस्ट्रीज विभाग के नीचे चलाइये। वह इन्डस्ट्रीज विभाग के नीचे नहीं चलें तो पंचायत समितियों के नीचे दीजिए, कोऑपरेटिव विभाग के नीचे दीजिए जिससे उनका ठीक ढंग से चेकिंग तो हो, सुपरवीजन तो हो। लेकिन लाखों रुपया ले जाते हैं, मालदार बन गये, तो लोग यह भी देखते हैं कि यदि भ्रष्टाचार करना हो, पैसा खाना हो तो पहले जयप्रकाश बाबू की सर्वोदय की किताबें पढ़ो। वह कोर्स है पैसे खाने का। साथ में रखिये कुर्ता, धोती और टोपी लगाइये और उन किताबों को हाथ में लेकर या बैग में रखकर चार-पांच दिन चक्कर लगाइये। लोग पूछते हैं कि कौन हैं तो कहते हैं कि रचनात्मक कार्यकर्ता हैं। लेकिन वह रचनात्मक कार्यकर्ता नहीं अपितु समझ लीजिए कि कोई न कोई सोसाइटी बनाकर माल खाने का और पैसे हजम करने का तरीका है। तो इन रचनात्मक कामों को बन्द कराओ। इसके नाम पर गरीब जनता को क्यों मारते हो इनको तो बचाओ और जो कुछ हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न मिले इसकी व्यवस्था करो। जो भी हमारी स्टेट एन्टरप्राइजेज चल रही हैं उनका ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, इसकी व्यवस्था करो। गवर्नमेन्ट के एन्टरप्राइजेज में बोनस आप नहीं देते। स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन, श्री चन्दनमलजी वैद जिसके चैयरमेन हैं, आपने, बोनस नहीं दिया....

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग) : दिया है, दिया है, दिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : शाबास।

श्री भैरोंसिंह : बहुत अच्छी बात है। तो उस हालत में गवर्नमेन्ट ने अपील कर रखी है बोनस के लिए।

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : वह तो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात है।

श्री भैरोंसिंह : सभी में है । गवर्नमेन्ट एन्टरप्राइजेज का अभी तक किसी का बोनस नहीं दिया है ।

श्री चन्दनमल बैद : दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : अब दिया होगा इस बार । मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट है गयी साल की ।

श्री चन्दनमल बैद : इसी साल की रिपोर्ट है और इसी साल दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास गयी साल की ऑडिट रिपोर्ट है ।

श्री चन्दनमल बैद : एक साल पुराने तो रहते ही हैं आप ।.

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट की कम्पनी भी बोनस नहीं दे तो बाकी के लोगों से क्या उम्मीद करें ? इसलिए गवर्नमेन्ट भी एक दिमाग बना कर चले कि अपने जो भी इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट हों, हमारे जिसमें शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेन्ट हैं.हम इसकी कोशिश करें और देखें कि जितने भी लेबर संबंधी कानून हैं उनको पूर्णतः लागू किया गया है या नहीं । इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के जितने भी इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स हैं वह तो डिफंक्ट हो गए, भारत सरकार को तसल्ली हो गई, राजस्थान सरकार को तसल्ली हो गई कि इसके द्वारा अब कोई लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन जो भी इन्डस्ट्रियल एस्टेट अब तक बनी हुई हैं उनको इस तरह से करना चाहिए कि उनसे ज्यादा से ज्यादा लाभ किस प्रकार से कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए और जो कुछ एक्सपेरीमेन्ट कर रहे हैं इन्डस्ट्रीज में उसको बन्द करके राजस्थान की सरकार को ज्यादा लाभ कैसे मिले, प्रोडक्शन कैसे बढ़े और प्रोडक्शन के अन्य प्रकार के एडवान्टेजेज वह जनता को किस प्रकार से मिलें, इस ओर ध्यान देना चाहिए । इनका सब का उल्लेख इसलिए किया है कि राज्य सरकार जितनी भी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट और दूसरा रिपोर्ट की जब भी आवश्यकता हो उस समय वह पेश करे ।

श्री सभापति : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, जब से विकासबद्ध ढंग से कांग्रेस ने योजनायें चलाई तब से इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि एग्रीकल्चर के साथ इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट होना आवश्यक है और इसीलिए हमेशा इस बात के ऊपर जोर दिया जाता रहा है ....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, मुझे एक क्लेरीफिकेशन करना है । यह चौथी एनुअल रिपोर्ट १९६४-६५ की है उस रिपोर्ट में लिखा है :—

'No provision of Bonus as required by the Bonus Act, 1965 is made.

यह आप झूठ बोलते हैं या मैं ?

श्री चन्दनमल बैद : बोनस दिया है । इस रिपोर्ट में क्या लिखा है क्या नहीं, इसको मैं बाद में क्लेरीफाई करूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : १९६४-६५ की रिपोर्ट है..

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपको क्लेरीफाई कर दूंगा और आंकड़े बता दूंगा ।

श्री भैरोंसिह : इस रिपोर्ट में लिखा है वह गलत है ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं इस पोइन्ट को क्लेरीफाई कर दूंगा ।

श्री भैरोंसिह : आपने कहा है कि इस साल दिया है तो किस साल का दिया है ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं आपको फीगर और सब कुछ बता दूंगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : खुशी होना चाहिए सम्माननीय सदस्यों को कि उसमें नहीं लिखा फिर भी दे दिया । आज यह अफसोस हो रहा है कि दे कैसे दिया इन्होंने ? तो सभापति महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस सिलसिले में जितनी हमारी स्टेट बैकवर्ड थी उसमें और भी जरूरत थी कि एग्रीकल्चर और इन्डस्ट्री विभाग में तालमेल बैठे . . .

श्री चन्दनमल वैद : आप जिस रिपोर्ट को पढ रहे हैं उसके पेज ७ पर देखिये . . .

श्री भैरोंसिह : अब दोनों ही देख लेंगे ।

श्री सभापति : Order please ! No interruptions.

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : It is not a question between you and him.

श्री सभापति : Mr. Jwala Prasad ! you continue your speech.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, तो मैं इस तरफ जोर दे रहा था कि बैकवर्ड स्टेट होने से यह और भी जरूरी था कि इन दोनों का तालमेल एग्रीकल्चर और इण्डस्ट्री का, सही ढंग से बैठाया जाये । उसके लिए प्रयत्न हुए और उन प्रयत्नों के अन्दर स्थिति यह हो रही है कि आज उनमें कितना तालमेल है, यह सरकार बताये । जहां तक इनके कागजी काम का मामला है, जहां तक सरकार की इच्छाओं का सवाल है उनके लिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेन्ट का ध्यान इस तरफ रहता है । लेकिन वह कोशिश निश्चित रूप से जिधर चलनी चाहिये उधर नहीं चल रही है और उसको चलाने की जरूरत है । इसको मैं महसूस करने के लिए इस सरकार के सामने कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

पहला सवाल तो यह है कि जो आज इण्डस्ट्रीज के सिलसिले में हमको रिलीफ मिलनी चाहिए वह नहीं मिली है । आज नोन-टैक्स रेवेन्यू के बारे में जो हमको इस विकास के युग के अन्दर हमें जिस तरह की रिलीफ हमारे डेवलपमेन्ट के लिए उनसे प्राप्त होनी थी वह निश्चित रूप से प्राप्त नहीं हुई है । और हमें उसके फीगर बताये जाते हैं । मैं इण्डस्ट्री के लिए एक बात बताता हूं कि अगर इण्डस्ट्री के अन्दर नुकसान हो रहा है तो उसके लिये एक तरकीब निकाल लेते हैं कि जो पब्लिक सैक्टर में इण्डस्ट्रीज चलती हैं और जिनमें फायदा है उसको उनके अन्दर इन्क्लूड कर लेते हैं । जो इण्डस्ट्री नुकसान देने वाली है, वह इण्डस्ट्री अगर नुकसान दे रही है तो साहब क्या करते हैं उसके लिए कि उसमें पांच चीजें और जोड़ देते हैं जो स्वयं फायदा दे सकती हैं । उसकी अगर आपको मिसाल दूं तो सबसे पहले तो आपकी गंगानगर शूगर फैक्टरी को ही पेश करता हूं । यह फैक्टरी घाटे में चल रही है लेकिन बगैर उसकी परवाह किए कि उससे सही तौर से रेवेन्यू हमको मिल रही है या नहीं, सही तौर से हमको यह रिलीफ दे रही है या नहीं

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हम उसके बोझे को, उस लाश को घसीटते चले जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि इसमें कमाई हो रही है। कैसे कमाई हो रही है कि साहब पांच डिस्टिलरी चला रहे हैं। आप पांच डिस्टिलरी चलाना चाहते हैं तो पांच डिस्टिलरी चलाइए और उसका प्रौफिट दीजिए जिससे जनता के हाथ में कमाई आवे। लेकिन पांच डिस्टिलरी को उस घाटे के कारखाने में मिलाकर कहा जाता है कि हम कमाई कर रहे हैं। और वह भी इस वास्ते कि एक्साइज डिपार्टमेन्ट सरकार का है। एक्साइज डिपार्टमेन्ट से अगर टेन्डर से स्प्रिट मंगाते हैं जो आज बाहर से छः आने के करीब एक गैलन आती है, आठ आने की आती होगी लेकिन वह स्प्रिट बाजार में मनमानी कीमत में बिकती है, तो बगैर काम्पीटीशन मे गए जिस तरह से स्प्रिट प्राप्त करते हैं और उसके उपरान्त कहते हैं कि हम इतना मुनाफा कमा रहे हैं। हम इसके लिए कई बार मांग कर चुके हैं कि इसका अलग अलग हिसाब बताओ, इस सदन के अन्दर कई बार माननीय सदस्यों ने मांग की कि इसका अलग अलग हिसाब बताओ, लेकिन हमारी सरकार ने कभी भी अलग हिसाब देने की कोशिश नहीं की। यह सही है कि अब की बार मिनिस्टर ने यह माना है कि उसमें हमको नुकसान हुआ है। और आप उसका नुकसान देते हैं तो क्यों देते हैं? क्या परेशानी है आपको इस फैक्टरी को क्यों आपने हमारी छाती के ऊपर, हमारी सरकार की छाती पर बना रखा है? कम से कम ऐसे तमाशों को तो बन्द कर देना चाहिए।

दूसरी तरफ हाईटैक की बात आती है। हाईटैक के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप खुद अपने स्टेटमेन्ट्स के अन्दर बराबर नुकसान दिखाते हैं। आखिर क्या शौक लगा है आपको कि यह इण्डस्ट्री तो चलनी ही चाहिये? बहुत बडी जिद है सरकार की। आखिर कोई चीज भी तो हो जिसके लिये सरकार इस कदर लालायित है। अगर वहां कोई बहुत बढिया चीज बन रही हो जो नायाब है, हिन्दुस्तान में कहीं नहीं मिल रही है, जो नुकसान देने वाली नहीं बल्कि बहुत फायदे की चीज है जिससे चलाई जानी चाहियें। लेकिन अगर इस तरह से घाटा लगाकर चलाया जाता है कि छः महीने के अन्दर नौ लाख रुपया तो उधार दे दिया और उसके उपरान्त ४७ हजार या ४१ हजार महीने का घाटा रहता है। यह खुद एडमिट करते हैं कि करीब पन्द्रह हजार का घाटा रहता है। तो फिर उसको क्यों चलाया जा रहा है, किसकी वजह से चलाया जा रहा है? जहां तक इसके कोलोबोरेशन का सवाल है, वे अपने कोलोबोरेशन से भी हट चुके हैं। जो उसके टैक्निकल डायरेक्टर थे वे गए तो जो उनसे कोलोबरेशन था उसको भी डिजोल्व करवा लिया। जो गवर्नमेन्ट से पाबन्दी हुई थी वह न मालूम किन कारणों से उनको रिलीज कर दिया। इन कारणों के बारे में माननीय सदस्य भैरोंसिहजी ने कहा है और मैं इसलिये कहता हूं कि वे काफी एफिशियन्ट आदमी हैं, वे समझते हैं कि कौन से कारण हैं कि जो पहले शर्त थी, जो डायरेक्टर हैं उन डायरेक्टर्स ने यह तय करा लिया कि पहले के कॉलोबोरेशन उस आदमी के साथ बदल गए और अब जिनसे भी कॉलोबो-

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

रेशन करना हो तो सरकार सीधी करे। आखिर इसके क्या कारण हैं? इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप की जो पब्लिक सेक्टर में इण्डस्ट्रीज हैं और जो नुकसान में चल रही हैं उनको आप बन्द करिये। यह जनता से जो टैक्स लेते हैं तो उन टैक्सों का इस तरह से सरकार द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, इस बात को आपको मानना चाहिये और मैं मन्त्री महोदय आपसे जानना चाहता हूं कि आप इनको किन कारणों से चला रहे हैं?

इसके बाद मैं और बातों पर आता हूं और कुछ बातें सुझाव के रूप में कहना-चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश में गया। हमारे यहां की सरकार बड़ी एफिशियेन्ट है, इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट बड़ा एफिशियेन्ट है, इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट के ऑफिसर्स बड़े एफिशियेन्ट हैं। इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट और इण्डस्ट्रीज डाइरेक्टोरेट के ऑफिसर्स बड़े एफिशियेन्ट हैं। मैं दूसरी जगहों पर गया तो वहां मैंने उनका हाल बड़ा खराब देखा। यहां के हाल तो बहुत अच्छे हैं और उनको देख कर खुशी हुई।

तो हाल क्या है साहब? चालीस इण्डस्ट्रीज खुद मद्रास स्टेट में इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट की चलती हैं। जो रॉ मेटिरियल आता है वे उसको किसी को देते नहीं हैं, बल्कि उनसे चालीस इण्डस्ट्रीज चलाते हैं और इससे करीब चालीस लाख की नोन-टैक्स रेवेन्यू इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट मद्रास को देता है और यहां का डिपार्टमेन्ट इस मेटीरियल को बांटता है जनता के हित में, इण्डस्ट्रीज के हित में। और वे क्या करते हैं, जो माल रिलीज करते हैं तो भी उसी को करते हैं जो दो साल से फैक्ट्री चला रहा है और उसके दो साल के काम की रिपोर्ट मिल जाती है इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट को तभी दस परसेन्ट की रिलीफ देकर उसको मेटिरियल देते हैं और जो माल सरकार से सरकार के लेवल पर एग्रीमेन्ट होकर मिलता है उससे वे चालीस इण्डस्ट्रीज चलाते हैं। लेकिन हमारी सरकार की बात दूसरी है। हमारी सरकार के दिल में तो जनता की सेवा करने की बात है, उसके दिल में जनता का इतना दर्द है कि उसे नोन-टैक्स रेवेन्यू की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार तो इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स की सेवा करना चाहती है, हमारी तो इण्डस्ट्रीज की सेवा होनी चाहिये। हमारे प्रान्त में जो इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं उनको मेटिरियल मिलना चाहिये, भले ही वे इण्डस्ट्री लगाएं या नहीं लगायें। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत यह है कि हमारी सबसे बेकवर्ड स्टेट जो समझी जाती है मध्यप्रदेश, मैं वहां पर भी गया। । वहां मालूम हुआ कि एसेन्शियल कोमोडिटीज एक्ट के अन्दर वहां पर २६ केसेज बड़े बड़े सेठों के खिलाफ चल रहे हैं। इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट ने उनको पकड़ लिया है और एसेन्शियल कोमोडिटीज एक्ट के अन्दर जो सरकारी कन्ट्रोल का माल है और जिसको उन्होंने ब्लैक में बेचा है, एसेन्शियल कोमोडिटीज एक्ट का जिन्होंने उल्लंघन किया है उनके खिलाफ २६ केसेज मध्य प्रदेश गवर्नमेन्ट ने चला रखे हैं। लेकिन हमारी सरकार किसी पर केस नहीं चलाती। क्योंकि उसको लोगों की सेवा करनी है। गल्ती करते हैं तो कर लें। हमारी सरकार तो हृदय परिवर्तन में विश्वास करती है ब्लैक मार्केटिंग करते हैं तो कर लें, एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट का हनन करते हैं तो

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

करलें, कभी तो हृदय-परिवर्तन होगा। हमारी सरकार बड़ा भारी दिल रखती है। हमारे मिनिस्टर साहब का बड़ा भारी दिल है। उन्होंने एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट को आज तक काम में नहीं लिया। कितनी बड़ी ईमानदारी की बात है, कितना बड़ा हमारा दिल है, वाह वाह। कितना बड़ा विश्वास है हमारी सरकार का हृदय परिवर्तन में। जो ब्लेक करते हैं तो करलें, कभी तो वे सम्भलेंगें, हमारे यहां इण्डस्ट्रीज बढ़ायेंगें। उनको हम रोकें कैसे?

वे कौन लोग हैं कि जो लोग यहां पर इण्डस्ट्री लगाते हैं और दिन-दहाड़े आज इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट की नाक के नीचे, इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट के ऑफिसर्स की नाक के नीचे ऐसा करते हैं, एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट का हनन करते हैं। जो गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया का एक्ट है एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट उसके तहत सरकार को अधिकार है कि सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करे, लेकिन मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि आपके सामने सही रिपोर्ट रखी गई जिसके अन्दर आपकी जो सी. आई. डी. है उसने रखा; कि बीस-बीस पार्टीज ऐसी हैं, ऐसे इण्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं जिन्होंने साढे तीन लाख, २१ लाख और बाईस लाख तक के मामले किये हैं और उनको हम एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट की धारा सात के तहत पकडना चाहते हैं। अगर उनको पकडने की इजाजत दी जाय तो हम उनको पकड लें। लेकिन हमारी सरकार ने उनको पकडने की इजाजत नहीं दी। क्यों दें? एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट है तो वह एक्ट इस वास्ते नहीं है कि किसी को दुख दिया जाय। हमारी सरकार को यह मन्जूर नहीं है कि किसी को दुखी किया जाए और इसीलिये खुल कर उनका उपयोग हो रहा है।

आज क्या कारण है कि आपके यहां हाथी दांत है, आपके यहां तांबा है, दूसरा मैटिरियल है जिसका दिन-दहाड़े दुरुपयोग होता है और आपकी कोई इन्डस्ट्री नहीं है।

मैं इसको बहुत बड़ा पाप समझता हूं और इसको मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि लोग केवल कागज बनाने के लिये बिजली जलाते हैं, बिजली का बिल बनाते हैं। हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि हम इससे ज्यादा बिजली नहीं जला सकते, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग केवल बिजली जलाते हैं यह बताने के लिये कि उनके यहां काम हो रहा है और काम होने की वजह से ही इतना बिजली का बिल आया है। वे कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन काम का जस्टिफिकेशन देने के लिये और अपने कागजों को बनाने के लिये बिजली जलाते हैं और एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट के तहत आपसे कोटा लेते हैं और इसको आपके इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट के लोग ऊपर से नीचे तक जानते हैं।

और भी आपको अजमेर की हालत बतलाऊं। यहां का इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह से वहां का काम करें, लेकिन तीन साल अजमेर के इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट की बरबादी का नक्शा एक एक आदमी को मालूम है और क्यों मालूम है? मैं नहीं कहता किसी ऑफिसर से, लेकिन वहां का आई. ओ. एफ., वहां का एक इन्सपेक्टर आपके डिपार्टमेन्ट का है, वे खास तौर के लोग हैं कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट उनको छूता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कौन है खास तौर के लोग ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप जानते हैं। ऐसे बड़े इग्नोरेन्टली पूछ रहे हैं। वे भी जानते हैं और आप भी जानते हैं ? मैं कहना नहीं चाहता नाम ।

श्री भैरोंसिंह : नाम बतला दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने नहीं बतलाया है, इसलिये कहना पड़ता है, जब कि आपने कहा था कि मैं बतला दूंगा।

तो, सभापति महोदय, इस सिलसिले में सारा डिपार्टमेन्ट कोशिश करके हार गया। वहां कुछ नहीं हो सकता है। आखिर नौकर नौकर है और इलेक्टेड आदमी इलेक्टेड हैं। उसकी वजह से असर पडने लगता है, तो सरकार का चलाना मुश्किल होगा। मैं समझता हूं कि इस तरह से डेमोक्रेसी की इज्जत का काम कैसे चलेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आप जो कह रहे थे तो प्रभा मिश्राजी, उप-मन्त्री के पतिजी के बारे में तो नहीं हैं ? उनके बारे में तो संकेत नहीं है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बैठ जा, बैठजा। तो, सभापति महोदय,

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : बापू का नाम जपना और पराया माल अपना।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप बहुत अर्से के बाद तो आये हैं और ऐसी ऐसी बातें कहने लग। यह अच्छी बात है। तो मैं विरोधी दल के नेता से कहूंगा कि ऐसा कहीं नहीं है। यह बात गलत है। लेकिन इस गलती के नीचे व्यक्तिगत कारणों से सरकार के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर असर पडने लगे तो बहुत ही मुश्किल होगा।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : तो दिये के नीचे अंधेरा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप तो जस्टीफाई करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आपके मतलब की बात है।

तो, सभापति महोदय, मैंने कहा कि इस तरह से अगर आप इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट को उठाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि कागज कम्प्लीट हैं। अगर आप में मोरेलिटी है और सरकार को चलाने की सही तौर से आप में हिम्मत हो तो फ्लौर ऑफ दी हाउस पर जहां पर ओरीजिनल पेपर्स पुलिस के आपको दिये गये थे उसके लिये कहें। आज हैरेसमेंट हो रहा है। पुलिस चाहे जिसको हैरेस कर रही है। कागजात कम्प्लीट हो जाते हैं, लेकिन एसेन्शियल कॉमोडिटीज एक्ट को तोडते हुए भी मूछों पर ताव देकर वे आज भी आपके सामने खड़े हैं, ऐसे कानून को तोडने वाले लोगों को सबक सिखाना है तो जैसा कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने वहां पर इन चीजों पर कन्ट्रोल करने के लिये जिससे कि इन्डस्ट्रीज को बढा सकें, और लोगों को जो यह डर है कि उनका मैटीरियल ब्लेक मार्केट में दूसरी जगह पर जाकर न बिके, इस तरह की कुछ ऐसी बातें हैं तो उनको रोकना चाहिये। आपकी सरकार के लिये आपकी पुलिस ने काण्डला, बम्बई और सारे हिन्दुस्तान में घूम घूम कर सुबूत इकट्ठे किये हैं और फाइल मौजूद है और आपके आफिसरों ने लिखा है कि चालान हो, लेकिन उनको मजबूर किया गया आफिसर्स को और पुलिस से फाइल मंगाली इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

न । इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट कोई हक नहीं रखता है फाइल मंगाने का । यह क्या कर रखा है ? एसेन्शियल कॉमोडिटीज एक्ट में उनका चालान करना चाहिये, नहीं तो इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट और मिनिस्टर अपने फर्ज में फेल होंगे, इस जनता के साथ अन्याय होगा, उन सेठों को लखपति से करोड़पति बनाने के लिये आपकी आपाधापी होगी । इन्हीं शब्दों के साथ में खत्म करता हूं।

श्री भीमसेन : सभापति महोदय,....

श्री सभापति: श्री मानधातासिंह ।

श्री मानधातासिंह (महुवा): माननीय सभापति महोदय, उद्योग के सम्बन्ध में जो में निवेदन करना चाहता था वह यह था कि राज्य सरकार जो है वह राजस्थान के अन्दर औद्योगीकरण इस निगाह से नहीं करती है कि इस प्रदेश को क्या फायदा होगा या राज्य को इसके अन्दर क्या फायदा होगा । किस उद्योग से कितना फायदा होता है यह मद्देनजर नहीं रखा जाता है, पर डिसाइडिंग फैक्टर यह नजर आता है कि किस उद्योग से कांग्रेस को कितना लाभ होगा । केवल इसी दृष्टिकोण से राज्य सरकार राज्य में औद्योगीकरण कर रही है । कई ऐसे उद्योग लगाये गये हैं जिनसे कांग्रेस को ही फायदा होता है, उनके अन्दर से एक उदाहरण में आपके सामने रखता हूं, वह है सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री का ।

सवाई माधोपुर के अन्दर जयपुर उद्योग के नाम से एक कन्सर्न है जो सीमेंट फैक्ट्री चलाता है और वह शायद एशिया में सबसे बडा सीमेंट फैक्ट्री का कन्सर्न माना जाता है । इसके सम्बन्ध में मैं आपको कुछ हिस्ट्री निवेदन करूंगा । जयपुर स्टेट टाइम में यह फैक्ट्री शुरू हुई थी । शुरू के अन्दर रामकृष्ण डालमिया ने इस फैक्ट्री को चलाया था, और बाद में साहू जैन ने इसको टेक ओवर कर लिया । इसके अन्दर गवर्नमेंट शेयर्स जो हैं वे करीब ३.२५ करोड के हैं । इन ३.२५ करोड में ७५ लाख इनवेस्टमेंट तो राजस्थान सरकार का प्रीफरेन्शियल शेयर्स में है, ५० लाख का राजस्थान सरकार का लोन है, १.२५ करोड का ओवरड्राफट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है, ६० लाख रुपये का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन है, और ११.५ लाख फिर राजस्थान सरकार ने एडवांस किया है और इस तरह से ३.२५ करोड के करीब गवर्नमेंट का इसके अन्दर इन्वेस्टमेंट है ।

श्री चंदनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग): स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया को भी आप गवर्नमेंट में गिनते हैं ?

श्री मानधातासिंह: दोनों मिलकर है । इसके अलावा इस फैक्ट्री को कई कन्सेशन्स दिये गये हैं । नोमीनल रेंट पर लैंड लीज पर दिया गया है, रेलवे फ्रेट के अन्दर कन्सेशन दिया गया है और कई तरीके के कन्सेशन्स इनको दिये गये है ।

श्री चन्दनमल वैद: ये कन्सेशन्स कौनसी गवर्नमेंट ने दिये ?

श्री मानधातासिंह : राजस्थान गवर्नमेंट ने दिये हैं ।

श्री चंदनमल वैद: फैक्ट्री जयपुर गवर्नमेंट के वक्त में बनी और कन्सेशन्स राजस्थान गवर्नमेंट ने दिये ?

श्री मानधातासिंह: शुरू तो जयपुर गवर्नमेंट के वक्त में हुई थी, पर उस वक्त

(श्री मानधातासिंह)
बहुत थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट था। बाद में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वह

श्री चंदनमल वैद: प्रिफरेन्शियल शेयर्स जो आप बता रहे हैं वे जयपुर गवर्नमेंट ने लिये या राजस्थान गवर्नमेंट ने ?

श्री मानधातासिंह: लेकिन कुल इन्वेस्टमेंट मैंने बताया ३.२५ करोड़ का वह जयपुर स्टेट का नहीं था। उस वक्त थोड़ा सा था और बाद में कुल मिलाकर ३.२५ करोड़ का हो गया।

इसके अलावा इसमें जो वर्कर्स को बोनस दिया जाता है वह हर साल डिमिनिश होता जा रहा है। सन १९५७-५८ में सीमेंट का प्रोडक्शन ४ लाख टन था, उस साल तीन महीने का बोनस वर्कर्स को दे दिया गया। उसके बाद १९६०-६१ में डेढ़ महीने का बोनस दिया गया है जबकि प्रोडक्शन करीब ७ लाख टन था और १९६२-६३ में ८ लाख टन रहा। १९६४-६५ में प्रोडक्शन ७ लाख टन रहा और बोनस केवल १४ दिन का दिया गया। इस तरीके से वर्कर्स का बोनस कम होता जाता है और कम्पनी का प्रोफिट ज्यादा होता जा रहा है।

एक इन्सेन्टिव बोनस गवर्नमेंन्ट ऑफ इंडिया ने चाइनीज एग्रेशन के टाइम पर दिया था। That was the reward given to the industries on account of production of cement over and above the estimated amount.

५ रु. पर टन की रेट से इन्सेन्टिव बोनस दिया था, लेकिन उसका केवल आधा अंश ही वर्कर्स को दिया गया। कहने का मतलब यह है कि कम्पनी प्रोफिट काफी करती है, लेकिन बोनस कम देती है। लेबर डिपार्टमेन्ट के अन्दर इस कम्पनी के करीब ४० केसेज पेंडिंग थे सन् ६२ से ६४ तक। उनके बारे में कहा जाता है कि इतना अर्सा हो गया, दो साल हो गये लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। गवर्नमेन्ट पर प्रैशर डाला जाता है कम्पनी के द्वारा, उसकी वजह से कोई फैसला नहीं किया जाता है।

हाल ही में वहां पर एक फैटल एक्सीडैण्ट हो गया। वैसे फैटल एक्सीडैण्ट्स कई होते हैं। पिछले पांच सालों में २० फैटल एक्सीडैण्ट्स हो गये। ६ जनवरी, १९६५ को एक एक्सीडैन्ट हुआ। जिसमें अर्जुन नाम का लेबरर क्रश हुआ। कहा यह जाता है कि इसमें मैनेजमेन्ट की गलती थी, फेंसिंग नहीं लगाया गया था इसलिये एक्सीडैण्ट हुआ। लेकिन पुलिस में केस रजिस्टर नहीं हुआ। वहां के ए. डी. एम. ने हिम्मत करके उसकी जांच करने का हुक्म दिया, लेकिन जिस ए. डी. एम. की हिम्मत हुई उसका वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। एक और केस में डिप्टी सुपरिन्टेंडेंन्ट पुलिस इन्वैस्टीगेशन के लिये आया था, उसने हिम्मत की थी, उसका भी ट्रांसफर हो गया। एक और फैटल एक्सीडैन्ट हुआ था भगवती नाम के व्यक्ति का। भगवती का फैटल एक्सीडैन्ट हुआ उसमें कम्पनी ने गलती यह की कि उसका इन्श्योरेंस नहीं था और बगैर इंश्योरेंस के वह काम करने गया। एक्सीडैन्ट के चार घंटे बाद तक उसको कोई मैडिकल एड नहीं पहुंचाई गई क्योंकि उसका इन्श्योरेंस नहीं था। ह्यूमिनिटी यह डिमाण्ड करती है कि उसको फौरन मैडिकल एड दी जाय, लेकिन उसको मैडिकल एड समय पर नहीं दी गई।

(श्री मानधातासिंह)

इसी तरह से वेज बोर्ड की रिकमन्डेशन का इम्पलीमेन्टेशन भी सही तौर पर नहीं किया जाता है। वेज बोर्ड की रिकमन्डेशन के अनुसार फैक्ट्री लेबर को सर्टेन कैटेगरीज में एम्पलाय करना पड़ता है और बाकी को कान्ट्रैक्ट बेसिस पर एम्पलाय करते हैं। वेज बोर्ड के अनुसार ६० रु. मिनिमम वेतन देना पड़ता है; इसको एवोइड करने के लिये वर्कर्स को कान्ट्रैक्ट के रूप में एम्पलाय करते हैं ताकि कम तनख्वाह देनी पड़े। इसी तरह से उनको प्रोविडेन्ड फण्ड वगैरह का बेनिफिट नहीं मिलता। कहने का मतलब यह था कि ये जो बातें होती हैं इस वजह से होती हैं क्योंकि गवर्नमेंट कन्ट्रोल नहीं रखती है। कन्ट्रोल इसलिये नहीं रखती है कि गवर्नमेन्ट को कम्पनी से बहुत फायदा है। सन् ६४ की बैलेन्स शीट को देखने से मालूम होगा कि १६,०००) रु० का डोनेशन डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को दिया गया। पंचायत इलेक्शन के कारण यह १६,०००) रु० का डोनेशन मिला।...

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : स्वतंत्र पार्टी को कितना मिला ?

श्री मानधातासिंह : स्वतंत्र पार्टी को एक छदाम भी नहीं मिला।

श्री चन्दनमल बैद : इसी कारण यह शिकायत हो रही है। आगे भी नहीं मिलने वाला है।

श्री मानधातासिंह : कोई भी इण्डस्ट्रियल कन्सर्न ऐसा बेवकूफ नहीं है कि पार्टी इन पॉवर के अलावा किसी को डोनेशन दे। इन १६,०००) रु० के अलावा एक और चेरिटेबिल इंस्टीट्यूशन के लिये सन् ६४-६५ में खर्चा हुआ। पता नहीं किसके लिये हुआ, लेकिन शायद यह भी उन लोगों के पास गया जो कम्पनी को फायदा पहुंचाते हैं। इसके पहले की एक और बात मैं अर्ज कर दूं। सन् ५७ के इलेक्शन के टाइम पर २ लाख ५२ हजार का डोनेशन कांग्रेस को जनरल इलेक्शन के टाइम पर दिया गया। जयनारायणजी व्यास एक पेपर निकाला करते थे जिसका 'दीप' नाम था, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट पढ़ता हूं:—"In the last General Elections Shri S. P. Jain of Jaipur Udyog paid at least 2,50,000/- for All India Congress Committee for elections. Not a single pie is paid to the Congress Committee direct. Everything was paid through the Chief Minister as if the Chief Minister was the Congress. It is looked that this amount is not accounted for to the A. I. C. C. The persons at the helm of affairs have not been informed of every pie. They have not been accounted for. Anyway, Shri S. P. Jain or his Jaipur Udyog cannot belong to the Congress. They belong to the Chief Minister, Rajasthan, or rather the Chief Minister, Rajasthan, belongs to them."

ये खुद जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, जयनारायणजी व्यास जो पूजयनीय व्यक्ति हैं हर शख्स उनकी पूजा करता है उनके ये अल्फाज हैं। सुखाडियाजी को खुद को पर्सनल डोनेशन मिला और उसको उन्होंने एकाउण्ट फोर नहीं किया। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि उद्योगों को जो फायदा पहुंचाया

(श्री मानधातासिंह)

जाता है वह पर्सनल रीजन से या पार्टी रीजन से पहुंचाया जाता है, इस दृष्टि से नहीं कि देश को या राष्ट्र को लाभ हो।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, राजस्थान का निर्माण होने के पश्चात् राजस्थान में काफी उद्योग धंधे प्राइवेट सैक्टर में तथा कुछ पब्लिक सैक्टर में लगे हैं। लेकिन हमारे राजस्थान में जितनी बेकारी है, हमारे राजस्थान में जो लोग खेती पर निर्भर करते हैं उनकी संख्या ८० प्रतिशत के करीब है। जिस तरह से आबादी बढ़ती जाती है राजस्थान सरकार को इस बात के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि खेती में जो लोग लगे हुए हैं उनकी संख्या उधर कम होकर वे इन्डस्ट्रीज की तरफ आवें और उसका फायदा उनको मिले। राजस्थान सरकार ने पिछले तीन वर्षों में इस दिशा में प्रयास किया है, इसमें दो राय नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमारे राजस्थान में जो बेकारी है उसको दूर करने के लिए इन्डस्ट्रीज की स्थापना करनी है उसके लिए प्रयास जो हुआ है वह थोडा हुआ है। खास तौर से राजस्थान सरकार ने जिन जिन कंसर्न्स को लगाने का प्रयास किया है उनके बारे में रिपोर्ट के द्वारा मालूम होता है, फिर भी उद्योग हमारे यहां जिस ढंग से होने चाहिए थे, नहीं हुए हैं।

मैं राजस्थान सरकार से खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने बडी बडी कंसर्न्स में इन्वेस्टमेन्ट कर रखा है उनके बारे में सरकार को एक मशीनरी इवोल्व करनी चाहिए जिसके द्वारा विधान सभा को मालूम हो सके कि किन किन कंसर्न्स में कितने कितने शेयर्स लगे हुए हैं और उनकी क्या कन्डीशन्स हैं। उनसे कितना लाभ हमको मिलता है, इसकी पूरी रिपोर्ट विधान सभा के सामने आनी चाहिए। विधान सभा को इनकी पूरी जानकारी नहीं मिलती।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार भारत सरकार से बातचीत करके, केन्द्रीय सरकार लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज अन्य स्थानों पर स्थापित करती है उसी तरह से केन्द्रीय सरकार राजस्थान में भी भारी इन्डस्ट्रीज पब्लिक सैक्टर में स्थापित करें, ऐसा प्रयत्न करना चाहिये। वैसे तो राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास एप्रोच किया है और मालूम हुआ है कि राजस्थान सरकार को यह आश्वासन मिला है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का एक युनिट राजस्थान में खोला जायगा। लेकिन इस बारे में जितनी जल्दी कार्यवाही की जाय उतना ही लाभ होगा; नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगी टैक्सेज के द्वारा और इन्कम टैक्स के द्वारा राजस्थान को लाभ पहुंचेगा। यह जो एक इन्डस्ट्री राजस्थान सरकार को दी जा रही है, हो सकता है यह चौथी योजना के आखिरी साल में लगे। मैं चाहूंगा कि इस इन्डस्ट्री के बारे में भारत सरकार से तत्काल बातचीत करके अगले साल या उससे अगले साल लग जाय तो नोन टैक्स रेवेन्यू बढ सकती है और लोगों को एम्पलोयमेन्ट मिल सकता है।

इसके साथ साथ बहुत सी इन्डस्ट्रीज भारत सरकार पब्लिक सैक्टर में दूसरी स्टेट्स में खास तौर से मध्य प्रदेश, बंगाल, उडीसा, मद्रास आदि में खोलने जा रही है जहां पर पहले से ही काफी डवलपमेन्ट हुआ है। वे भारत सरकार के पास पहुंच कर इन्डस्ट्रीज अपने

(श्री भीमसेन)

वहां खुलवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसी तरह से राजस्थान सरकार को भी इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक कोपर स्मेल्टिंग प्लान्ट छोटा सा भारत सरकार ने खेतड़ी में लगाया है, उसी तरह से मैं चाहूंगा कि और भी डिफेन्स आर्डीनेन्स फैक्ट्री या दूसरी इन्डस्ट्री राजस्थान में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए।

इसके अलावा बीकानेर जिले के बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस जिले में खास तौर से शहर में बेकारी है, क्योंकि बीकानेर एक स्टेट की कैपिटल था, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में बेकारी फैली हुई है। राजस्थान सरकार ने वहां पर वूलन मिल खोलने का निर्णय लिया है, इसके बारे में काफी विलम्ब हो रहा है। राजस्थान सरकार और भारत सरकार के बीच टसल चल रही है। राजस्थान सरकार दूसरी फर्म से बात करके मशीनरी लाना चाहती है और भारत सरकार इटेलियन सरकार के कोलेबोरेशन से लाना चाहती है। भारत सरकार चाहती है कि इटेलियन गवर्नमेन्ट से कोलेबोरेशन करके इस इन्डस्ट्री की स्थापना की जाय। मैं राजस्थान सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हम इस बात को बार बार मंत्री महोदय के सामने रखते हैं कि जल्दी से जल्दी बीकानेर में वूलन मिल स्थापित की जाय। इसके बारे में सरकार को प्रयत्नशील रहना चाहिए और इस झगड़े में सरकार न पड़े कि जापान से कोलेबोरेशन लेना है या इटेलियन से लेना है। वैसे यह बात सब जानते हैं कि वूलन इण्डस्ट्री के संबंध में इटेलियन कन्ट्री ही ऐसा है जो सारे वर्ल्ड को एक तरह से फीड करता है और अच्छा सामान सस्ती कीमत पर देता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इटेलियन से कोलेबोरेशन करके इस इण्डस्ट्री को स्थापित करने के लिये राजस्थान सरकार को प्रयत्नशील रहना चाहिए।

इसके अलावा बीकानेर में जो जिप्सम कम्पनी है वह लूणकरणसर में माइन्स ऑपरेट करती है। इसके बारे में राजस्थान सरकार और जिप्सम कम्पनी के बीच में यह समझौता हुआ था बीकानेर स्टेट के टाइम में कि वह कम्पनी का एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री भी स्थापित करेगी। पिछले सात-आठ वर्षों से बराबर राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री लगाने के बारे में इस कम्पनी पर जोर डाला जाय। वैसे यह प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्ट्री लगाने के लिए पाबन्द भी है क्योंकि उसके और सरकार के बीच में यह समझौता हुआ है। कुछ वर्ष पहले राजस्थान सरकार ने इस संबंध में सोचा था और रॉ मैटिरियल एक्सपोर्ट करना इसलिए बन्द किया था ताकि ये फैक्ट्री एस्टेब्लिस करे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि न मालूम किन कारणों से राजस्थान सरकार ने वापिस रॉ मैटिरियल को एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी। मैं समझता हूं कि रॉ मैटिरियल तैयार करने में इस कम्पनी को पांच रुपया पर-टन खर्च आता है, लेकिन वह इतना बड़ा प्रोफिट लेकर इसे बाहर भेजती है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार को इस बारे में कम्पनी पर जोर डालना चाहिए कि वह इस फैक्ट्री को लगाने के लिए जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे।

इसके अलावा इस विधान सभा के पिछले **अधिवेशन** में इस बात की घोषणा की गई थी

(श्री भीमसेन)

कि बीकानेर में टैक्नोलोजिकल इन्सटीट्यूट की स्थापना की जायगी। बीकानेर के अन्दर पहले वूलन ट्रेनिंग सैन्टर था जिसको राजस्थान सरकार ही ऑपरेट कर रही थी। वह जब घाटे में जाने लगा तो राजस्थान सरकार ने उस वूलन ट्रेनिंग सैन्टर को टैक्नोलोजिकल इन्सटीट्यूट के अन्दर परिवर्तित करने का निर्णय लिया।

जैसा आप जानते हैं बीकानेर में वूलन मिल भी खुलने वाली है इसके लिये भी वहां पर ट्रेंड पर्सोनल्स की आवश्यकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बीकानेर में टैक्नोलोजिकल इन्सटीट्यूट शुरू करने के बारे में जल्दी से जल्दी राजस्थान सरकार कार्यवाही करे।

इन शब्दों के साथ में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर में पलाना यूनिट में थर्मल पॉवर प्लान्ट लगाने के बारे में भी उसे कोशिश करनी चाहिए। यदि वहां पर यह पॉवर प्लान्ट नहीं लगा तो राजस्थान सरकार के सामने बिजली का जो संकट आता रहता है वह हमेशा आता रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पलाना यूनिट को स्टेट एन्टरप्राइज से लेकर पॉवर सैक्टर में आप लें तो खुशी की बात होगी और राजस्थान में आप बिजली के संकट को टाल सकेंगे।

श्री सभापति : श्री मुक्तिलाल मोदी !

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : माननीय सभापति जी, राजस्थान के अन्दर यह बात तो जरूर है कि कुछ इन्डस्ट्रीज राजस्थान के अन्दर खुली हैं, किन्तु राजस्थान सरकार की तरफ से जो इन्डस्ट्री खुलती है उनकी तरफ से उनके अन्दर जितना ज्यादा दूसरे प्रान्तों से या दूसरे फोरिन कन्ट्रीज से राजस्थान सरकार को जितना कोलेबोरेशन करना चाहिए उतना उसने नहीं किया। राजस्थान प्रान्त सारे हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे बड़ा प्रान्त है जमीन के अन्दर, दूसरे माइन्स डिपार्टमेन्ट के अन्दर और दूसरे काम करने के अन्दर। सारे हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान के पूंजीपति हर जगह इण्डस्ट्री लगाते हैं, लेकिन राजस्थान इण्डस्ट्री के अन्दर दूसरे प्रान्तों से पिछड़ा हुआ है। कारण यह है कि राजस्थान के अन्दर राजस्थान सरकार उन इण्डस्ट्री वालों को कोई फैसिलिटी पूरी तरह से नहीं देती है, उन इण्डस्ट्री वालों को किसी तरह अपनी तरफ नहीं खींच पाती है। इसलिए राजस्थान के अन्दर जितनी इण्डस्ट्री लगनी चाहिए उतनी नहीं लगी है क्योंकि राजस्थान सरकार आज जो हिन्दुस्तान के अन्दर दूसरे प्रान्तों के लोगों को, इन्डस्ट्री वालों को जितनी फैसिलिटी और कोलेबोरेशन के अन्दर जितना सहयोग देती है सरकारें, उतना राजस्थान सरकार यहां नहीं दे पाती होगी। यही कारण है कि यहां पर राजस्थान के अन्दर जितनी इण्डस्ट्री होनी चाहिए उतनी इण्डस्ट्री नहीं है। राजस्थान आज इण्डस्ट्री के अन्दर सबसे बड़ा प्रान्त बन सकता था, परन्तु आज राजस्थान क्यों पीछे है, उसका कारण यही है। आज हम लोग जो इस हाउस के अन्दर बैठे हैं उन सभी माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि आज कोई इन्डस्ट्रीमैन राजस्थान के अन्दर आता है तो उस इन्डस्ट्रीमैन को राजस्थान सरकार पूरा सहयोग नहीं देती है। उन कॉन्सटीट्यूएन्सीज के अन्दर जो राजस्थान सरकार के अधिकारी हैं और जो राजस्थान सरकार के अन्दर बैठे हैं वह उन इन्डस्ट्रीमैन को सारी बातें सुझावें

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

तभी इन्डस्ट्रीमैन, जोकि आने वाला है, वह आयेगा। वह तभी आयेगा जब उस को सुविधा मिलेगी। इस के बाद में जो पूंजीपति राजस्थान में आयें, उनको पूरी तरह से सुविधा राजस्थान सरकार दे और उसके बाद में जो राजस्थान के टैक्स भी ज्यादा बड़े हैं जो कि आज बता रहे हैं वे भी राजस्थान के अन्दर पूरे हों तो उस से राजस्थान की जनता को फायदा होगा। ये सब बातें हो सकती हैं परन्तु आज राजस्थान सरकार ने जिन इन्डस्ट्रीज को लोन दिया है राजस्थान की तरफ से और केन्द्रीय सरकार की तरफ से वे इन्डस्ट्रीज उसका उपयोग नहीं करती हैं, और वे आज चलती नहीं हैं। उन पूंजीपतियों से वह ऋण वसूल करना चाहिए और नई इन्डस्ट्री चलाने वालों को वह देना चाहिए। वह लोन आज किसी तरह से वसूल नहीं हो रहा है और जो शेअर्स हैं उनका प्रोफिट भी राजस्थान सरकार को पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। अगर पूरी तरह से प्रोफिट नहीं आ रहा है तो पूंजीपतियों के वे शेअर्स बाजार भाव से बेच कर दूसरी कम्पनी या दूसरी इन्डस्ट्री स्थापित करनी चाहिए राजस्थान सरकार को मैं समझता हूं कि दूसरी इन्डस्ट्री स्थापित करने से राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्री बढ़ेगी और राजस्थान की जनता को उससे फायदा होगा।

आज सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और राजस्थान सरकार के इतनी कोशिश करने के बाद, जो सांभर के अन्दर बहुत बड़ी इन्डस्ट्री आज पच्चीस-छब्बीस साल से जयपुर स्टेट के जमाने से चल रही थी, उसकी जगह एक हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी बनाई गई है। राजस्थान सरकार ने उस हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी को अपनी जमीन जो रॉयल्टी पर दी है और राजस्थान सरकार खुद वहां पर फैक्टरी स्थापित करना चाहती थी वह उसने नहीं की है। हिन्दुस्तान सॉल्ट कम्पनी गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने बनाई है और राजस्थान सरकार की सारी की सारी जमीन और सारी की सारी सांभर झील उसे सौंपने के बाद भी वह फैक्टरी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है। इससे राजस्थान सरकार को काफी लाभ होता और सारे राजस्थान के अन्दर जो फोरिन से मंगाते थे, वह उस फैक्टरी से सोडियम, सोडाएश, जो कुछ चीजें बनेंगी उससे राजस्थान के अन्दर लाभ काफी होता। किन्तु उस फैक्टरी का काम बहुत धीमे-धीमे, धीमी गति से चल रहा है। और जो हिन्दुस्तान साल्ट फैक्ट्री बनी है उसे बने हुए भी करीब पांच-छः साल हो गये; किन्तु फिर भी वह फैक्ट्री पूरी तरह से स्थापित नहीं हो रही है। यह समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है, और क्या उसमें दिक्कतें आ रही हैं। मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार में जो बैठे हुए हैं हमारे माननीय सदस्य, माननीय मंत्री, जो कि हमारे साथ के चुने हुए हैं, उन का यह फर्ज है कि उस फैक्ट्री को जल्दी से जल्दी स्थापित करें।

जो बीकानेर के अन्दर जिप्सम है उस जिप्सम से आज एक फैक्ट्री और भी लग सकती है कई करोड़ रुपये लगा कर। उस फैक्ट्री का नाम मुझे याद नहीं है .....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : फर्टीलाइजर फैक्ट्री।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जिप्सम से फर्टीलाइजर तो है ही, एक और चीज भी बनती है।

Page No. 106

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-मु०) : फिर बता देना।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह जिप्सम से बनती है ......

श्री भीमसेन : बाल वायर बन सकता है।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग) : बाल वायर फैक्ट्री।

श्री श्रवणलाल : पार्टी मीटिंग में बता देना। क्या बात है ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कोई हो, जो फैक्ट्री है वह फैक्ट्री है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : बीकानेर वाले हैं वे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ही जोधपुर में बहुत बड़ा एरिया ले रखा है और सरकार उसको अभी उनसे छुडा नहीं सकी है। दूसरे बहुत से लोग हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा राजस्थान सरकार से कहना है कि····

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

तीन मिनट तो और दीजिए।

श्री सभापति : दो मिनट और दिए जाते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जिन लोगों को राजस्थान सरकार कोटा देती है और वे लोग फैक्ट्री नहीं चलाते हैं; उन लोगों को जो फैक्ट्री नहीं चलाते हैं, कोटा देना बन्द करना चाहिए। ये लोग कोटा लेकर फैक्ट्री में उसको काम में नहीं लेते हैं और ब्लेक से बेच देते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज कच्चा माल का कोटा लेती हैं और काम चालू करें तो बाजार में उस माल की रेट फिक्स होनी चाहिए कि कोटा देने के बाद उससे जो सामान तैयार बनकर आवे तो बाजार में उस रेट पर उनको बेचना होगा। इसके अलावा लोन भी जिन फैक्ट्रीज को देती है वह कितने साल के लिए दिया जाता है उसको देखना है और यह देखना है कि उतने सालों में लोन वापिस आना चाहिए। राजस्थान सरकार लोन बहुत दे देती है और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से लोन लेकर लोगों को लोन देती है। परन्तु सभापति महोदय, मेरी जानकारी में है कि कई करोड़ रुपया जो को-ओपरेटिव को लोन, या पंचायतों में तकावी का लोन दिया जाता है उस को अगर लें. करोड़ों रुपयों की तादाद में हैं और उसकी वसूली नहीं हो पाती है। इसका कारण क्या है ? इसका कारण तो हम लोग ही हैं। मैं दूसरों की क्यों कहूं, मैं अपने पर ही लेता हूं। कारण तो जो कि मैं सिफारिश कर देता हूं कि अभी लोन इनसे वसूल मत करो, बाद में ले लेना। इसलिए मेरा सभापति महोदय, मन्त्री महोदय से कहना है कि वे लोन वसूल होने चाहिए जिससे दूसरों को लोन मिल सके और इन्डस्ट्री काफी हों और लोगों को सामान मिले।

एक माननीय सदस्य : आप सिफारिश करते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने तो आज तक कोई करी तो नहीं है। मगर मैं मेरे पर ही लेता, दूसरों पर क्यों कहूं। मैंने तो कोई इस प्रकार की सिफारिश नहीं की है, की हो तो आप पूछें।

माननीय सभापति महोदय, जब राजस्थान में इन्डस्ट्री लगावें तो सरकार को

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

चाहिए कि बिजली का पूरी तरह से उत्पादन हो। जब दो चीजें, जब तीसरी और चौथी पंच वर्षीय योजनाएं बनाते हैं तो दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। मैं यह कहूंगा कि सरकार को चाहिए कि दूसरे काम हैं, उनको भले ही बन्द करके जो उद्योगों को बढ़ाने में जरूरी हों उनको पहले खोलना चाहिए। आज बिजली नहीं आ रही है उससे करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है, इसका कारण क्या है? आज से ६ महीने पहले साल भर पहले या डेढ़ साल पहले कम से कम आपको इसके लिए सोच कर चलना चाहिए। भारत सरकार दो तीन वर्षों के लिए आगे की सोच कर प्लान बनाती है। इसलिए जो भी प्लान बनाये जावें वे इन सारी बातों को सोच कर बनाये जावें। राजस्थान में अभी भाखरा चम्बल का प्लान बनाया वह सोचकर नहीं बनाया। आज एक साल बिजली नहीं मिले तो भाखरा या चम्बल से पूरी तरह सप्लाई करेंगे इतनी बिजली ज्यादा होनी चाहिए कि जिससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आवे और लोग यह न कहें कि बिजली के बारे परेशानी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमने करोड़ों रुपये चम्बल में लगा दिए हैं।

मैं अन्त में यही कहूंगा कि जितनी ज्यादा इन्डस्ट्रीज हम राजस्थान में लगावेंगे उतना ही ज्यादा लाभ हमारे राजस्थान को होगा।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेंगू) : सभापति महोदय, मेरा भी कटौती का प्रस्ताव है और मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार उद्योग के मामलों में असफल रही है और आज के युग में उद्योगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सरकार इसमें फंसी है, मगर सरकार को उसमें घाटा ही घाटा पड़ा है; सरकार इस बात को मंजूर करे या न करे कि उनको घाटा ही घाटा हो रहा है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में ऐसे लोगों को लाइसेन्स मिलता है जो सरकार के मिनिस्टरों के सहयोगी होते हैं या उनके साथी होते हैं। उनके बारे में मैं यहां पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यह कहूंगा कि हमारे चित्तौड़ जिले में बहुत से छोटे छोटे उद्योग खोले गए हैं लेकिन अभी तक वह उनमें कामयाब नहीं हुई है। उन लोगों को सरकार ने प्लाट भी दिए हैं। मगर तैयार नहीं हुए हैं। फिर भी जैसी सफलता होनी चाहिये, नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

इसके बाद मैं बेंगू के कस्बे में १५०० के करीब मजदूर लोग हैं, जो ५०० रेजे रोज बनाते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि वहां पर एक उनके लिए छोटा हैंड लूम का कारखाना खोल दिया जावे। उनके माल को वहां पर खरीददारी करने वाले कोई नहीं रहते हैं इसलिए दूसरे लोग सस्ते भाव से उनसे माल खरीद कर ले जाते हैं और इससे गरीबों को नुकसान पहुंचता है। इसी तरह से राज-डदा में पट्टियां निकलती हैं। उनको निकालने के लिए अच्छा इन्तजाम नहीं है, इसलिए आधी पट्टियां तो भीलों की जो वे निकालते हैं टूट जाती हैं। बची हुई पट्टियों को लोग खरीद हैं। टूटी हुई पट्टियों की कीमत उनको नहीं मिलती है इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिए इन्तजाम होना चाहिए। इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री चोसरसिंह बाबेल)
अभी जो स्लेक मार्केटिंग की बातें हुई हैं, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसको बन्द नहीं कर सकी है। उन्हीं की पार्टी के लोगों को लाइसेन्स दिया जाता है इसलिए मैं यह कहूंगा कि औद्योगीकरण नहीं है, यह तो एकीकरण है।

सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढाने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया है। यदि उनके पांच पांच रुपये भी बढ़ाते तो लोगों को लाभ होता। आज मुरलीधरजी के बारे में यहां पर जो बातें कही गई हैं उसके लिए मुझे सख्त अफसोस है।

बस, मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल (सिकराय-सु.): सभापति महोदय......

श्री सभापति : आप संक्षेप में ही कहें।

श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल : सभापति महोदय, इस बारे में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पंचायत समिति में ताड गुड पैदा किया जावे। वहां पर २०) २२) रु० माहवार पढाई के लिए खर्च किए। वहां दो तीन पंचायतों में काफी ताड़ के वृक्ष हैं और वहां काफी तादाद में ताड़ गुड़ पैदा होता है।

दूसरी बात यह है कि सिकन्दरिया के चौराहे पर भट्टों की बहुत मांग है। उनके लिए गवर्नमेन्ट जमीन एक्वायर करे और भट्टे बनाए ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को जो चूना अलवर और राजगढ़ से लाना पड़ता है वह यहीं से मिल जाय। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि भट्टों के लिए सुविधा दी जानी चाहिए क्योंकि वहां पर भट्टों से बहुत फायदा होता है। चूने के भट्टों की मन्जूरी होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि रावरदा की खान हमारे उधर है, वह ऐसी जगह पर है जहां खोह का नाला है। मैं यह भी कहूंगा कि पहले छोटे उद्योगों के लिए विचार किया था तब यह बात थी कि इसमें कच्चे हीरे हैं। दो तीन जगह ऐसा है। अगर हमारे साथ कोई चले तो समझा सकेंगे।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

(४. म० प०)

श्री सभापति : श्री श्रवणलाल।

आप अपना भाषण ५ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु०) : मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय, आज हमारी सरकार छोटे छोटे उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं देकर अधिकतर बड़े उद्योगों की तरफ ध्यान देती है। सबसे पहले जो माइन्स विभाग के मंत्री हैं उनका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि बेचारे गरीब मजदूर अपनी रोटी-रोजी के लिये किस तरह अपना खून पसीना एक करते हैं और हमारी सरकार उन गरीबों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है। करौली सब-डिविजन में जितना माइन्स विभाग का एरिया है उन सब एरियाज पर हमारी सरकार हर साल ठेके पर ठेके देती चली जा रही है और वहां ठेके कभी किसी को, कभी किसी को दे देती है। कभी किसी चीज को बढ़ा देती है; लेकिन उन गरीबों की ओर जो कि पत्थर खोदते हैं, सरकार कभी कोई ध्यान

(श्री भवगलाल)

नहीं देती। मजदूर मजदूरी करते हैं, ठेका लेने वाला एक आदमी ठेका ले लेता है पर कार्य तो उन्हीं मजदूरों को करना पड़ता है। उसका अर्थ यह होता है कि मजदूर एक आदमी के ठेका लेने से दिन भर मजदूरी करेगा और जितना पत्थर वह अपना खून पसीना एक करके दिन भर में निकालता है उस पत्थर पर वह ठेकेदार उन मजदूरों को मजदूरी देता है क्योंकि मजदूर पढ़ा-लिखा नहीं है, वह हिसाब रखना नहीं जानता; अगर वह ५० फुट पत्थर निकालता है तो ठेकेदार ५० फुट के स्थान पर ४० फुट अपनी कलम से लिख देता है या २५ फुट ही लिख देता है तो उस बेचारे गरीब मजदूर को २५ फुट की ही मजदूरी मिलेगी।

वहां मजदूरों को रोजाना पैसे नहीं देते हैं। सप्ताह में या एक महीने में ठेकेदार उन मजदूरों का हिसाब करता है। और इस तरह वह ठेकेदार २५ परसेन्ट मजदूरी तो उन गरीबों की इस लिखा पढ़ी के हिसाब में आराम से खा जाता है और महीने में हिसाब करता है तो साढ़े बारह परसेन्ट उसकी मजदूरी और लेप्स हो जाती है, वह ठेकेदार खा जाता है। इसके साथ ही साथ मजदूर इन ठेकेदारों के यहां से नमक लेते हैं, मिर्ची लेते हैं, कपड़ा लेते हैं और जरूरत पड़ जाने पर पैसा भी लेते हैं; तो वह ठेकेदार सवाये, ड्योढ़े, दुगुने, तिगुने तक पैसे हिसाब में जोड़ कर मजदूर को जो १) रु० रोज की मजदूरी करता है, उसमें से ८ आने ही देता है। इस तरह जो मजदूर अपना खून-पसीना एक करके पत्थर निकालते हैं, उनकी आज यह हालत हो गई है कि उनको उनकी मजदूरी में से एक रुपये में से आठ आने ही हाथ पड़ते हैं। वह इस कारण से कि सरकार उस एरिया में ठेके के रूप में ठेकेदारों को ठेके देती है। इस लिहाज से मैं मांग करता हूं कि यह ठेका सिस्टम खत्म किया जाय। जैसे दूसरी जगह रोयल्टी सिस्टम लागू है उसी तरह वहां पर भी रोयल्टी सिस्टम कायम की जाय जिससे कि मजदूर अपनी सुविधा के अनुसार कार्य करके अपनी रोजाना ही इन्कम सही रूप में प्राप्त कर सकें।

हमारे यहां सवाई माधोपुर जिले में सीमेन्ट फैक्टरी है, उसमें बहुत से मजदूर काम करते हैं। उस फैक्टरी में जुलाई १९६५ से दिसम्बर १९६५ तक २५० मजदूरों को निकाल दिया गया। यह बड़े अफसोस की बात है कि जो मजदूर अर्से से वहां कार्य करते आ रहे हैं उनको इस तरह फैक्टरी वाले जब चाहें निकाल दें, यह उनके साथ अन्याय है। वहां पर मजदूरों के साथ क्या व्यवहार होता है, यह तो आपने सुना होगा ही। सीमेन्ट फैक्टरी को हमारी सरकार शुरू से कन्सेशन्स देती आ रही है। सरकार उनके साथ कन्सेशन्स इसलिये करती आ रही है कि इनको चुनाव लड़ने की हर समय जरूरत रहती है और इन कन्सेशन्स के एवज में फैक्टरी वालों से हजारों रुपया ये चन्दे के रूप में लेते हैं। कुछ दिनों पूर्व ही १६ हजार रुपये इन्होंने उनसे लिये थे। तो इस कारण सरकार की नीति बन गई है कि उनके खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं लेती क्योंकि वह उनसे दबी हुई है। कोई भी चार्ज फैक्टरी वालों के खिलाफ लगाया जाता है तो वह सरकार यह सोच कर एक्शन नहीं लेती कि अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो आने वाले समय के लिये जिस समय हमें चुनाव लड़ने हैं उस समय ये हमें चन्दा

(श्री श्रवणलाल)

नहीं देंगे, अपनी गाड़ियां चुनाव के समय में हमें नहीं देंगे, हमें ये पैट्रोल नहीं देंगे। इसका परिणाम आज यह होता है कि वहां के कर्मचारियों के साथ में पुलिस मनमाने ढंग से अत्याचार करती है। वहां जो राठी साहब हैं वे मन्त्रियों की चिलम भरते हैं, इस कारण गरीब मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं होती।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) : चिलम नहीं पीते हैं मन्त्री।

श्री श्रवणलाल : आप भी तो चिलम भरते हो।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग) : आप ख्वाहिश रखते हो।

श्री जेठमल बरबड़ : आप भी तो चन्दा लेते हो।

श्री श्रवणलाल : तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि करौली सब डिविजन में सर्वे किया जा सकता है कि वहां सीमेन्ट फेक्टरी खोली जाय। वहां का पत्थर भी शानदार है, सीमेन्ट की फैक्टरी करौली प्रोपर में जल्दी से जल्दी खोली जाय, जिससे वहां की जनता को और मजदूरों को राहत पहुंचे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी खत्म करने वाला हूं।

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : रिप्लाई कब शुरू होगा ?

श्री सभापति : श्री जेठमल बरबड़।

(विराम)

जल्दी जल्दी समाप्त करें।

श्री जेठमल बरबड़ : सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव मकराणा मार्बल उद्योग के सम्बन्ध में है। यह मकराना का मार्बल उद्योग सदियों से हमारे वहां के लोग चला रहे हैं। मकराणा का संगमरमर हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनियां भर में मशहूर है। पर सरकार द्वारा इस उद्योग को उन्नत बनाने के लिये जो सुविधा देनी चाहिये वह यह सरकार नहीं दे पाई है, मैं यह नहीं कहूं, थोड़ा बहुत सरकार ने किया है। बिजली की व्यवस्था सरकार ने की है, लाइन वहां पहुंच गई है पर बिजली न माइन्स को मिलती है और न फैक्टरीज को मिलती है। फैक्टरीज लगाने के लिये वहां पर जमीनों की कोई व्यवस्था नहीं है। इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट वहां फैक्टरीज के लिये कोई जमीन एक्वायर नहीं कर पाया है, इसलिये वहां फैक्टरीज को चलाने के लिये बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एग्रीकल्चर लैंड पर लोग फैक्टरीज लगा रहे हैं और रेवेन्यू विभाग बार बार उन्हें नोटिस देता है। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन्डस्ट्रियल बस्ती बसाने के लिये वहां जमीन एक्वायर की जाय और लोगों को सस्ती जमीनें दी जाय।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस उद्योग को चलाने के लिये पानी की बड़ी जरूरत पड़ती है। पत्थर को फैक्टरीज में काटने के लिये पानी की बड़ी जरूरत पड़ती है, पर मकराने में तो पीने के लिये भी पानी नहीं है। वहां कुआं बनवाया, वहां टंकी भी लगाई पर वह टंकी खाली पड़ी है, पानी ऊपर नहीं जाता है। सरकार ने चालीस-पचास हजार का इन्वेस्टमेन्ट करके वहीं छोड़ दिया है, आगे कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस

(श्री जेठमल बरवड)
कुए से पानी निकाल कर माइन्स में काम करने वाले लोगों को और दूसरे लोगों को दिया जाय और माइन्स व फैक्टरीज के लिये पानी की समुचित व्यवस्था की जाय ।

इसके अलावा एक बात और कहूंगा । मकराणा के अन्दर एक कारखाना लगाने की योजना थी । वहां नागौर जिले में इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट खोला है । उसके नीचे दो जगह फैक्टरीज खोलने का निश्चय किया था । लाडनूं में तो शुरू कर दिया है पर मकराणा में मार्बल इन्डस्ट्री लगाने की व्यवस्था थी पर वह अभी तक पूरी नहीं हुई है । कभी कहते हैं इन्डस्ट्रियल कोर्पोरेशन को देंगे, कभी कुछ कहते हैं; पर अभी तक पूरी नहीं हुई है । उसमें सरकार की नीति है कि इटेली से मशीन लाई जाय । मकराणा में पत्थर काटने की मशीनें बनती हैं, वहां के लोकल लोग जो मशीनें बनाते हैं वह मशीन ढाई इंच पत्थर काटती है, और इटली की मशीन ढाई फुट तक के पत्थर को काटती है । मकराणा में यह मशीन मंगाई जाय और वहां के लोग जो मशीनें बनाते हैं उनको वह मशीन बताई जाय तो मकराणा के लोग उसकी कॉपी कर सकते हैं । इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर इटली से मशीन मंगाई जाय और जो उद्योग, फैक्टरीज वहां हैं उनको देने का प्रबन्ध किया जाय ।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री मानसिंह ।

(विराम)

आप कृपया संक्षेप में कहें ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मैं संक्षेप में ही कहूंगा ।

सभापति महोदय, मैं अधिक समय न लेकर एक-दो बात ही कहूंगा ।

पहले मैं खनिज विभाग के बारे में निवेदन करूंगा कि मेरे इलाके में राजस्थान में सबसे बड़ी आइरन ओर माइन्स मोरिजा में है । आज से १४ वर्ष पूर्व जब इस खान का पता चला और चालू हुई तो हमने समझा कि हमारा इलाका बहुत उन्नति करेगा, लेकिन मुझे बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि लोहे का इतना बड़ा भंडार होते हुए भी वह खान एक ऐसे उद्योगपति के हाथ में रही कि उसने उसमें कुछ भी नहीं किया, वह खान इस समय भी बन्द के बराबर है, उसमें कोई काम नहीं होता है । मजदूरों की यह हालत है कि उनकी बहबूदी के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया । हम सुनते हैं कि मिनिमम वेजेज़ एक्ट है, यह है, वह है, मजदूरों को बोनस मिलता है, लेकिन वह एक ऐसी खान है कि जिसमें मजदूरों को इस महंगाई के युग में भी डेढ़ रुपया रोज दिया जाता है । वीकली होलीडेज भी दिए तो जाते हैं, लेकिन उसके पैसे काट दिए जाते हैं । आप कहते तो बहुत हैं कि हम मजदूरों का उत्थान करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे एम्प्लॉयर्स इससे बचते कैसे हैं । वे कुछ दिन तो मजदूरों से डेली वेजेज़ पर काम कराते हैं और फिर क्या कह देते हैं कि मलबा बहुत है, उसको वे ठेके के रूप में करते हैं और ठेके के रूप में वे उसे उठवाते हैं और उसी डेढ़ रुपये के हिसाब से पैसा देते हैं । वहां मजदूरों की बहुत ही दयनीय दशा है । वह खान बिल्कुल बन्द पड़ी है । अगर सही ढंग से लोहा निकाला जाय तो जैसे इस पुस्तिका में लिखा है, जो आपने ही निकाली है, तो बहुत ज्यादा लोहा निकल सकता है । मगर ऐसे आदमी को वह खान दे

(श्री मानसिंह महार)
दी गई जिसके पास न तो इतना पैसा है, न उसको वह डेवलप कर सकता है। ऐसी हालत में सरकार को पुर्नविचार करना चाहिए और उस खान का सर्वे जैसे सरकारी तौर पर कराया है, मैंने सुना जरूर है कि बहुत बड़ी फर्म को ठेका दे रहे हैं और सरकार नहीं दे सकती है तो सेठ साहब के मार्फत दिलाने की चेष्टा करते हैं। अगर गलत आदमी को ठेका चला गया है तो उसको हटाना चाहिए।

अब मैं आता हूं हमारे उद्योग विभाग पर। यह बहुत अच्छा विभाग है, मंत्री भी बहुत अच्छे हैं, कह तो उनको बुरा भी नहीं सकते क्योंकि वे पुराने जमाने के राजा रहे हैं और राजा तो काबिल हुआ ही करते हैं, इसमें दो राय नहीं; लेकिन जब उद्योग विभाग की तरफ ध्यान देते हैं तो मेरा सिर शर्म से नीचे हो जाता है। वह क्यों होता है? जब वे मंत्री मंडल में लिए गए थे तो बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया था कि राजपूतों के नुमाइंदे लिए गए हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात छाप कर राजपूत जाति पर एक कलंक लगाया। जब तक राजपूतों का नुमाइंदा नहीं लिया गया था तो हम कहते थे कि राजपूत हमेशा से शासन करते आए हैं और योग्य हैं। आज जो राजपूतों के नुमाइंदे सामने विराजमान हैं वे आम राजपूतों जैसे नहीं हैं; जैसे जनसंघ के नेता हैं या मेरे जैसे छोटे जागीरदार हैं, लेकिन वे तो हिज रॉयल हाइनेस हैं, जो पीढ़ियों से राज्य करते आए हैं, झालावाड़ में बहुत योग्यता से राज्य किया। मैं कहता हूं कि ऐसे राजपूतों के नुमाइंदे को हटा दें, सुखाड़ियाजी हमें धोखे में न डालें, हमारी कौम को बदनाम न करें।

इस जैसा भ्रष्ट महकमा हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है। अगर भ्रष्टाचार का नग्न नृत्य देखना है तो वह उद्योग विभाग में है। कोटा दिया जायगा तो अपने कृपापात्रों को दिया जायगा, अगर माल बाहर भेजने की सुविधाएं और इजाजतें दी जायेंगी तो मंत्री के डाइरेक्ट कृपापात्रों को दिया जायगा। कोई ऐसी चीज नहीं कि मंत्री के स्तर से नीचे हो सके . . .

श्री हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर) : एक-दो नाम तो बताइए।

श्री मानसिंह महार : आप चौंकिए मत। अभी बताता हूं। ये स्टेनलेस स्टील की चद्दरें आती हैं उनमें बहुत गुंजाइश है, उनमें हजारों रुपयों का फायदा होता है, वह भी पर्टीक्यूलर ऐसे आदमी को दी जाती हैं जो चुपके से बड़ा थाल बना कर ऊपर से ऊपर पहुंचते हैं। अगर मंत्री महोदय चुनौती स्वीकार करना चाहें तो स्टेनलेस स्टील की चद्दरों का जो वितरण है, उसमें एक कमेटी बनाकर देख लें। उसमें किस प्रकार का पक्षपात हो रहा है, वह किस गलत तरीके से बांटा जाता है।

जयपुर में हमारा आर्ट्स स्कूल था। कई वर्षों से चला आ रहा था, बहुत अच्छी चीज थी। क्योंकि आर्ट्स स्कूल जयपुर का था, जयपुर रियासत के समय से था, हमारे माननीय मंत्रीजी को जयपुर का फोबिया है। वे फील करते हैं कि जयपुर में आकर मंत्री बन बैठे हैं तो उनको महसूस होता है कि जयपुर कोई सुपर चीज है, जयपुर के जो पुराने जमाने के कामकाज हैं, उनको देखते हुए उनमें इन्फीरियोरिटी कॉम्पलेक्स पैदा होती है, उस दुश्मनी की खातिर आर्ट्स स्कूल को बन्द कर दिया।

(श्री मानसिंह महार): सरकार कहती है कि हम आर्ट्स और क्राफ्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जब इन चीजों को सरकार प्रोत्साहन देने की बात करती है तो जयपुर के आर्ट्स स्कूल को ही खतम कर देते हैं। इससे बढ़कर अन्याय क्या हो सकता है? वह कहां है? उसी जगह जहां इन्डस्ट्रीज का ऑफिस है, उसी मकान में, इनकी नाक के नीचे है, उसको खतम कर दिया।

अब और उद्योगों को लीजिए। इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स में चलिए। वहां क्या हालत है? जिस महीने में कंट्रोल की चीजें इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स वालों को नहीं दी जातीं उस महीने में कुछ नहीं होता। आप ६ महीने इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स को कन्ट्रोल की चीज मत दीजिए, आप देखेंगे कि सारी इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स की छतों पर कौए बोलने लगेंगे। आपने फालना और गंगानगर में भी इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स कायम किए हैं, सब का एक ही हाल है। ये एस्टेट्स केवल इसलिए बनी हैं कि वे कोटा प्राप्त कर सकें, कन्ट्रोल्ड कोमोडिटीज मिल सकें। जिस दिन कन्ट्रोल्ड कमोडिटीज जिस शेड को नहीं देते हैं तो वह बन्द हो जाता यह हालत है वहां की। कुछ दबाव भी पड़ता है।

जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो मैं भी एक दिन, दो दिन चला गया था। वहां देखा कि सारा काम उद्योगपति कर रहे हैं। मैं सही कहता हूं, ऐसा नहीं लगता था कि यह कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। ऐसा लगता था कि राजस्थान चेम्बर ऑफ कॉमर्स का अधिवेशन हो। मैं इस अधिवेशन को राजस्थान चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिवेशन की संज्ञा दूंगा। नुमाइश लगी, तो वहां दो उद्योगपति भागते-फिरते दिखाई दिए, मानो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दीवाला निकल गया, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं। इस तरह से पंडाल के लिए मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी कलकत्ता से आई। शर्म की बात है कि उन्होंने ही कांग्रेस डेलीगेट्स के लिए खाने का इन्तजाम किया। कांग्रेस संस्था नहीं कर सकती और पूंजीपति आकर कांग्रेस जैसी पवित्र संस्था के डेलीगेट्स के खाने का प्रबंध करें; इससे बढ़कर शर्म की बात नहीं हो सकती।

राजस्थान का उद्योग विभाग बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में बिका हुआ है और अगर हमारे तथाकथित नुमाइन्दे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को बढ़ावा दें और उनका लाभ कर सकें तो मैं बहुत कुछ मानूंगा और जब तक यह नहीं हो सकता है तब तक उसको हमारा नुमाइंदा नहीं कहूंगा और तथाकथित नुमाइन्दा कहूंगा।

श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाड़ा): सभापति महोदय . . .

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री): सभापति महोदय, माइन्स डिपार्टमेन्ट के बारे में कुछ कट मोशन्स हैं। उनके बारे में चाहे चर्चा हुई हो अथवा नहीं हुई हो, मैं कोशिश करूंगा कि उन सब के ऊपर थोड़ा बहुत प्रकाश डाल सकूं। सभापति महोदय, जैसा आपको विदित है . . . .

श्री सभापति: जिन कट मोशन्स पर यहां चर्चा हुई है उन पर प्रकाश डालना आवश्यक है। जिन माननीय सदस्यों ने कट

(श्री सभापति)

मोशन्स नहीं दिये हैं उन पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जो यहां पर नहीं आये हैं, उन माननीय सदस्यों के कट मोशन्स पर भी प्रकाश डाला जाय।

श्री सभापति : उनका उत्तर मिल सकता है। लेकिन जिन माननीय सदस्यों ने कट मोशन्स रखे हैं और उन पर अपने विचार भी रखे हैं उनको पहले लिया जायगा और जिन माननीय सदस्यों ने कट मोशन्स दिये हैं लेकिन जो यहां उपस्थित नहीं हैं उनको बाद में और थर्ड नम्बर उन माननीय सदस्यों का आता है जिन्होंने कोई कट मोशन्स न दिये हों लेकिन उनको उत्तर मिल सकता है।

श्री हरिदेव जोशी: राजस्थान में माइन्स एन्ड जियोलोजिकल डिपार्टमेन्ट काफी दिनों के बाद में एक प्रकार से संगठित किया गया, किन्तु फिर भी इस विभाग ने अपेक्षाकृत यह कोशिश की है कि वह राजस्थान की जो स्थिति है उसका उपयोग करा सके और राजस्थान की इकोनोमी में मददगार हो सके। इसके लिये आम लोगों की जानकारी के लिये भी इस विभाग ने कुछ प्रकाशन किये हैं और, सभापति महोदय, हमने इन कुछ महीनों में उनको जनता में लाने की कोशिश की है। आपने देखा होगा, सभापति महोदय, मैं इस विभाग की आमदनी को लेता हूं तो ५६-५७ में यदि विभाग की आमदनी ५४ लाख के करीब थी तो १९६३-६४ के अन्दर इसकी आमदनी कुल मिला कर १ करोड़ १२ लाख थी और इस बार जो एस्टीमेट दिये गये हैं उनके अनुसार वह १ करोड़ २९ लाख के करीब है, जिसकी मैं आशा करता हूं हम उसको पूरा कर लेंगे।

मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स के मामले में राजस्थान एक प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है। एस्टीमेट्स में गये साल के मुकाबिले में १०% पर सेंट की ज्यादा आमदनी हुई। फ्लोराइट में २२० परसेन्ट, केल्साइट में २७ परसेन्ट गारनेट में लगभग २ परसेन्ट ज्यादा आमदनी हुई। इसी प्रकार से हमने प्रत्येक मिनरल में बढ़ोतरी की। माइनर मिनरल के अन्दर भी जहां बजरी-कंकरी ऑर्डिनरी क्ले में छूट दे दी गयी है वहां भी राजस्थान में पिछली आमदनी के मुकाबले में लगभग इस वर्ष ३५ परसेन्ट ज्यादा आमदनी हुई है। इसी प्रकार बिल्डिंग स्टोन और लाइम स्टोन में ४५ परसेन्ट आमदनी बढ़ी।

मेरा कहने का मतलब यह है कि आज हम राजस्थान में हमारे जो खनिज पदार्थ हैं उनको इगनोर कर के नहीं चल सकते हैं। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार ने स्टेट सेक्टर के अन्दर डिपार्टमेन्टली कुछ प्रयोग के तौर पर कुछ कामों को हाथ में लिया है, उनमें फ्लोराइट मांडवा की पाल डूंगर, डेगाना में टंगस्टन और नागौर में जिप्सम मुख्य रूप से है।

सभापति महोदय, आपको विदित है कि मांडवा की पाल डूंगरपुर जिले में हमें एक बहुत ही उपयोगी धातु का पता चला है। डिपार्टमेन्ट ने अपनी ही तरफ से उसका प्रोस्पेक्टिंग किया और ब्राइट इन्जीनियर्स कानाडा की फर्म है उनसे रिपोर्ट तैयार करवायी है। उसकी रिपोर्ट आगयी है और गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को वह रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। हम यह चाहते हैं कि उसका स्टेट सेक्टर में बेनिफिशियल प्लान्ट लगायें

(श्री हरीदेव जोशी)

और उससे स्टेट को रेवेन्यू मिले। कोशिश हमारी यह है कि इस वर्ष में हम लगभग १० से १५ लाख रुपया खर्च कर सकते हों तो करें, उस से हम मिल और बेनीफिशियल प्लान्ट का काम शुरू कर देंगे। एक-दो वर्ष में, जैसी स्थिति हमारी होगी, वह प्लान्ट लग जावेगा। उसके बाद ६ वर्ष तक वह प्लान्ट अच्छी आमदनी देगा। जो प्रोसेस चल रहा है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें ६ वर्ष का लिखा गया है, लेकिन ६ वर्ष से भी आगे, सलूम्बर के पास में लोहारिया के पास में फ्लोराइट की विग जाती दिखती है उससे ऐसा लगता है, ६ वर्ष और आगे तक काम करते रहेंगे। आज फ्लोराइट की ३५०) रु. पर टन की कीमत आंकी गई है। उस फ्लोराइट को आज एक हजार रुपया पर टन से बेच रहे हैं। घटिया और बढ़िया फ्लोराइट दोनों की एक एवरेज कोस्ट लगाई जाय तो ६००) रु. पर टन होती है और १०४) लागत तीन वर्ष में होगी, हम ऐसा मान कर चलते हैं कि २५६ लाख रुपये की हमको आमदनी होगी।

सभापति महोदय, उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट स्टेट सेक्टर में डेगाना में चला रहे हैं। वहां पर काम शुरू किया गया।

स्थिति यह कि पिछले दिनों एक प्रश्न के उत्तर में मैंने निवेदन किया था कि लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वार में डेगाना में काम शुरू किया गया, सैकिन्ड वर्ल्ड वार में डेगाना में काम कराया गया और इस बार भी इसमें काम कर रहे हैं। उसका प्रोस्पेक्टिंग गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के ब्यूरो ऑफ माइन्स एन्ड जिओलोजी ने किया। उसकी रिपोर्ट आने पर हम उस पर ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। लेकिन आज अभी तक एक प्रारम्भिक स्थिति में है। १२ टन टंगस्टन खोद चुके हैं। उसमें हमको सफलता मिली है। अभी तो हाथ से छांट कर काम किया जा रहा है। लेकिन उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने पर हम ऐसा सोचते हैं कि हाथ और मिल के जरिये उसकी छंटनी करके हम ज्यादा अच्छी तादाद में वहां पर काम कर सकेंगे।

यह टंगस्टन धातु, सभापति महोदय, राजस्थान के लिये ही नहीं हिन्दुस्तान भर के लिये एक प्रकार से वरदान है। जो सुरक्षा प्रयत्न आज हमारे चल रहे हैं उन सुरक्षा प्रयत्नों में यह बहुत मददगार होगी।

तो इस दृष्टि से राजस्थान जहां फ्लोराइट और टंगस्टन में रिच है वहां जिप्सम में भी हम काफी रिच हैं (Rich) और हिन्दुस्तान में हमारे यहां इसकी तादाद काफी अच्छी है। जिप्सम में कुछ प्राइवेट पार्टीज काम कर रही हैं वहां राजस्थान सरकार ने गोठमामलोद में डिपार्टमेन्टल काम शुरू किया और आज तक हम लगभग १२ हजार टन जिप्सम प्रोड्यूस कर चुके हैं और कल की तारीख में लगभग कुछ मन को छोड़ कर सारा का सारा बेच चुके हैं और हमारा प्रयत्न यह है कि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर के राज्य की आमदनी को बढा सकें। उसके अन्दर कुछ कठिनाइयां हैं, उनसे पार पाना चाहते हैं। कोशिश हमारी यह है कि जो डिपार्टमेन्टल काम चल रहे हैं उनको एक प्रोजेक्ट ऑफिसर के तहत देकर नोन-टैक्स रेवेन्यू को बढायें। हमने अब तक जो प्रयत्न किये हैं उनमें टंगस्टन फ्लोराइट

(श्री हरीदेव जोशी)

और जिप्सम के अन्दर राज्य सरकार की जो आमदनी हुई वह इस प्रकार है: आपको विदित है कि फ्लोलराइट को बेचने का काम इसी वर्ष शुरू किया गया है और उसमें लगभग ४,१२,८२८ रु० की आमदनी हुई ३,२७,०००) रु० के मुकाबले में। तो लगभग एक लाख से ऊपर उसमे हमें प्रोफिट हुआ। इसी प्रकार से जिप्सम और टंगस्टन में काफी अच्छी आमदनी हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि डिपार्टमेन्ट में जो काम चल रहा है उनमें कहीं कोई नुकसान नही है, मुनाफे के काम हैं।

मैं, सभापति महोदय, जो चर्चायें यहां पर हुई हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक माननीय सदस्या ने जो भीम से आई हैं उन्होंने कहा कि राजस्थान के अन्दर जो मिनरल्स हैं उनका ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया जाता, उससे राजस्थान को लाभ नही मिल रहा है। मैं नम्रता-पूर्वक उनकी इस बात से असहमति प्रगट करता हूं। आज जिस कदर और जिन स्थितियों में राजस्थान के अन्दर मिनरल्स से जो आमदनी हुई है उससे हमको सन्तोष नहीं है, यह तो मैं समझ सकता हूं; लेकिन जो प्रगति हो रही है उसको असन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता।

एक जमाना था जब रियासतें थीं। उन रियासतों के अन्दर जो जो भी मिनरल्स थे वे किसी न किसी सेठ के पास गिरवी थे। पूरा जयपुर का पत्थर, भरतपुर और करौली का पत्थर, दूसरे स्टेट्स की पत्थरों की खानें एक आदमी के नाम पर गिरवीं थीं। आज डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट ने कोशिश की इस मोनोपोली सिस्टम को खत्म करने की और इस ओर धीरे धीरे बढती जा रही है। अब हम एक स्टेन्डर्ड कायम कर रहे हैं; न उससे ज्यादा एरिया देंगे और न कम। छोटे एरिया देकर छोटी छोटी माइन्स बन जायं, यह भी हम करना नही चाहते क्योंकि इसमें मिनरल्स का वेस्टेज ज्यादा होता है और इतने छोटे टुकडे पर कोई ठीक से पैसा भी नहीं लगाता और उससे मिनरल्स का डव-लपमेंट भी नहीं हो पाता इसलिए हम बहुत छोटे छोटे टुकडे भी नहीं करना चाहते।

करौली सब डिवीजन के अन्दर जो खानें हैं उनके बारे में भी चर्चा की गई वह भी एक दृष्टिकोण था। वहां भी अगर बहुत छोटी छोटी खान देते हैं, उससे मिनरल्स का नुकसान होता है। उदाहरण के तौर पर अभी एक माननीय सदस्य ने मकराना के मार्बल की चर्चा की, न जाने यह खान कितनी सदियों से खुदती चली आ रही है। ताजमहल इसका एक नमूना है। मकराना में मैंने पिछली बार जाकर देखा है। मकराना को आज एक प्रकार से व्यवस्थित करना मुश्किल हो गया है। छोटे छोटे टुकडे पचास बाई पचास के इस प्रकार से दे दिये गये हैं कि अब उनके अन्दर अव्यवस्था पैदा हो गई है। एक खान कटते कटते उसका तल दूसरे खान में चला गया है। इससे कई डिस्प्यूटस भी खडे हो गये, जिनको सुलटाना मुश्किल हो गया है। इस प्रकार छोटे छोटे टुकडे दिये जाने से जिस प्रकार मार्बल एक्स-प्लोर किया जाना चाहिये वैसा होना मुमकिन नहीं है। इसलिये हमने मार्बल को प्रोटेक्शन देने की कोशिश की है। विदेशों से जो मार्बल आता था उसको रोका है और मकराना

(श्री हरिदेव जोशी)

के मार्बल को प्रोटेक्शन दिया है। इसका परिणाम भी निकला है। एक जमाना था और आज भी यह स्थिति है कि जब मैं मकराना गया वहां मैंने देखा, वहां का पेटी मजदूर कन्ट्राक्टर, वहां के व्यापारियों का गिरवी रखा हुआ आदमी है। बड़ा व्यापारी छोटे कॉन्ट्रेक्टर को लीज होल्डर को पैसा उधार देता है। छोटे मजदूर को पैसा उधार देता है, वह पैसा उधार लिया हुआ होता है; इस कारण कभी इस खान पर काम करता है, कभी वह दूसरी खान पर काम करने चला जाता है। इस तरह से जो मार्बल का डेवलपमेन्ट होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। इससे राजस्थान के पास जो खनिज सम्पदा है उसका उत्पादन जिस प्रकार का होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। इस लिये राजस्थान सरकार ने मार्बल डेवलपमेन्ट कमेटी बनाई है। मैं आशा करके चलता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कमेटी रिपोर्ट देगी हम उसके लिये कोशिश करेंगे कि उसका इम्पलीमेन्टेशन हो। अभी कुछ युगोस्लाविया के एक्सपर्ट्स को बुलाया था, उनको मार्बल क्षेत्र में भेजा था। आज स्थिति यह है कि मार्बल का काफी वेस्टेज होता है; क्रूड मेथड से निकाला जाता है, इस कारण जो उसकी कीमत मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। हम कोशिश यह कर रहे हैं कि विदेशी एक्सपर्ट्स के जरिये ऐसी शॉ (shaw) मशीन्स लगावें, पॉलिशिंग प्लान्टस लगावें ताकि उसका अच्छा पैसा हमें मिल सके।

आज स्थिति यह है कि भीलवाड़ा का पत्थर और चित्तौड़ का पत्थर वहां आकर काफी मात्रा में बिकता है, यह चीज काफी नहीं है। यह खुश किस्मत की बात है कि मार्बल हमें खूब मिलता जा रहा है। सिरोही के आबू रोड क्षेत्र के अन्दर, ऊमर क्षेत्र के अन्दर, डूंगरपुर, उदयपुर क्षेत्र के अन्दर मार्बल के नये नये स्थान मिले हैं।

बांसवाड़ा क्षेत्र के अन्दर प्रोस्पेक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है, वहां भी मार्बल मिल जायगा। सिरोही के एरनपुरा रोड के पास भी हमें खानें मिली हैं; प्रोस्पेक्टिंग हुआ। जो क्षेत्र लोक आउट किया है उसका एक वर्ष के भीतर डेवलपमेन्ट हुआ, उसके फलस्वरूप हम देखते हैं दिल्ली के अशोका होटल को बल्क सप्लाई का मौका मिला। वहां का मार्बल उस होटल में लगा है। यह हमारे मार्बल की प्रेस्टिज बढ़ी है।

इसके अलावा जब तक हम साइन्टिफिक मेथड्स से इसमें काम नहीं करेंगे हमारी खनिज सम्पदा पनपेगी नहीं। अगर हम छोटे छोटे प्लाट्स काटते जायंगे और ऐसे लोगों को देंगे जिनके पास पैसा लगाने की क्षमता नहीं है तो हमारी यह खनिज सम्पदा आगे नहीं बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि चाहे को-ऑपरेटिव सेक्टर हों, मिल-जुल कर जोइन्ट स्टॉक कम्पनियां हों, वे इस प्रकार के काम को हाथ में लें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Why not co-operative societies ?

श्री हरिदेव जोशी : वही तो मैं कह रहा हूं। इसी तरह से लाइम स्टोन की बात है, राजस्थान जहां मार्बल में रिच है तो उतना ही लाइम स्टोन में भी रिच है। सवाई माधोपुर में जो सीमेन्ट फैक्ट्री है वह राजस्थान में नहीं, हिन्दुस्तान में नहीं, सारे एशिया में सीमेन्ट उत्पादन की बहुत

(श्री हरिदेव जोशी)

बडी फेक्ट्री है। वहां पर अब हम कोशिश कर रहे हैं भूमि के अन्दर काफी बडे डिपोजिट्स हैं लाइम स्टोन के।

श्री **हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : आपने वहां की जिओलोजिकल सर्वे करवाई है क्या ?

श्री **हरिदेव जोशी** : करवाई है, उसकी रिपोर्ट में बता दूंगा। आपका जो कट मोशन है उसका उत्तर दे दूंगा; आप बैठे हैं यह मुझे मालूम है।

आज बूंदी में सीमेन्ट फैक्ट्री के एक्सपान्सन और नये प्लान्ट लगाने की गुंजाइश है। चित्तौड़ के अन्दर सीमेन्ट फैक्ट्री आ रही है। हम आशा करते हैं कि वहां भी जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन शुरू हो जायगा, अलबत्ता वहां बिजली की कठिनाई जरूर है।

इसके सिवाय सोजत के अन्दर, ब्यावर, आबू रोड, कोट पुतली, में प्रोस्पेक्टिंग हुए हैं, यहां पर भी लीजेज देने की चर्चा चल रही है। या तो लाइसेन्स दिये जा चुके हैं या दिये जायेंगे। कुछ कोर्ट केसेज हैं, उनका फैसला हो जाय, जल्दी से जल्दी उनका निपटारा करके उनको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके सिवाय लाइम स्टोन इस कदर है कि राजस्थान के अन्दर कुछ वर्षों के अन्दर सीमेन्ट का रेकॉर्ड प्रोडक्शन होगा। हिन्दुस्तान के अन्दर सीमेन्ट का प्रोडक्शन राजस्थान में सब से अधिक होगा।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, जालौर के अन्दर एक प्रकार का पत्थर निकलता है।

श्री **श्रवणलाल** (हिन्डौन-सु०) काला देवी करौली का सर्वे कराया है क्या ?

श्री **हरिदेव जोशी** : उसकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं होने से मैं कोई इन्डेफिनिट चीज सदन में कहना उचित नहीं समझता।

सभापति महोदय, जालौर के अन्दर जो एक प्रकार का पत्थर निकलता है, उसके लिये पोलिशिंग प्लान्ट डाल रहे हैं। वहां की जो माइन्स हैं उनको स्टेट सेक्टर के अन्दर डेवलप करेंगे। इससे हम आशा करके चलते हैं पोलिशिंग प्लान्ट लगाने के बाद इससे हमें अच्छी आमदनी होगी।

बूंदी जिले के अन्दर सेन्ड स्टोन और कोटा जिले के अन्दर लाइम स्टोन काफी मात्रा में आज एसोसियेटेड कोटा स्टोन इन्डस्ट्रीज है इसने हमारे स्टोन को इम्प्रूव करके एक्सपोर्ट किया है। सरकार आशा करके चलती है इसका एक्सपोर्ट डेवलप होगा, उस से कुछ फोरिन एक्सचेंज मिल सकेगा।

आज हमारे कुछ दूसरे मिनरल्स जो आगे बढ़ते जा रहे हैं उनसे आशा करनी चाहिये कि आने वाले कुछ वर्षों में राजस्थान के ये मिनरल्स राजस्थान की आमदनी में काफी बडा महत्व रखेंगे।

सभापति महोदय, भीलवाडा की अभ्रक की खानों के बारे में भी कुछ बातें कही गई। जो कुछ भी बातें कही गईं, वे ज्यादातर एक प्रकार से लेबर डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित थीं। मैं निश्चित रूप से इस मत का हूं कि जो एम्पलोयर हैं, वे एम्प्लोयी को ठीक तरह से पेमेन्ट करें। उनके वेजेज ठीक ढंग से और ठीक समय पर मिलने चाहिये। प्रयत्न यह किया जाना चाहिये राजस्थान के लेबर विभाग की ओर से कि जो ठीक से काम नहीं करते हैं कानून के अनुसार, उनको सजा दी जावे

(श्री हरिदेव जोशी)

और मैं ठीक से इस बारे में अधिक कह नहीं सकता क्यों कि यह मेरा विभाग नहीं है, और चर्चा का विषय भी नहीं है अभी; पर फिर भी मुझे मालूम है कि जो भूतपूर्व लेबर मिनिस्टर थे वे वहां गये थे और उन्होंने इस प्रोब्लम का अध्ययन किया था। हमने अधिकारियों की नियुक्ति की है और कोशिश की जा रही है कि जो पेमेन्ट सही ढंग से सही समय पर नहीं करते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जावे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : बूंदी की सिलिका के बारे में भी प्रकाश डाल दीजियेगा।

श्री हरिदेव जोशी : आप जैसा जानते हैं, बूंदी जिले में यह काफी मिलती है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : हम चाहते हैं कि यह उधर काफी होती है, तो इसके लिये कांच के कारखाने वहां खोले जावें ताकि वहां की बेकारी मिटे। इस बारे में सरकार के क्या प्रयत्न है ?

श्री हरिदेव जोशी : उस खान पर मैं गया हूं। मैंने देखा है। उस पर से कह सकता हूं कि सवाई माधोपुर और करौली के क्षेत्र को छोड कर राजस्थान का यह भी एक अच्छा मिनरल का क्षेत्र है। यह सिलिका सैण्ड की खान काफी अच्छी है और काफी प्रोडक्शन होता है। बीच में प्रोडक्शन रुक गया था। अब अच्छे ढंग से काम शुरू हुआ है और राजस्थान सरकार यह मानती है कि अगर उसका वहां पर कोई उपयोग हो सके तो अच्छा है। मैं नहीं जानता कि अब किसमें इतनी क्षमता है कि वहां पर इसका प्लान्ट लगा सके। पर इतना जरूर है कि राजस्थान के जो लीज होल्डर्स हैं उनको अगर थोडा थोडा पर्स्यू किया जावे और इस दिशा में प्रयत्न किये जावें तो जो जो भी जहां जहां मिनरल्स हैं उनको बेस बना कर लाख, दो लाख, दस-बीस लाख, करोड, दो करोड के प्रोसेसिंग प्लान्ट लगा कर एक प्रकार से मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज को कायम किया जा सकता है।

अब एक माननीय सदस्य ने मोरीजा की आइरन ओर की खान के बारे में कुछ बातें कहीं।

मुझे ठीक याद नहीं है कि वह खान किसके पास में है। मगर मुझे यह पता है कि वह खान वही है, जिसको अभी सब-लीज किया गया है पिग आइरन प्लान्ट के लिये, और इसे रिकमन्ड किया गया है। उसमें बहुत बडी कानूनी उलझने थी, बडे बडे सोलीसीटर उसमें आये। अब उसके लिये चूंकि एक बहुत बडा प्लान्ट कमानीज की ओर से पिग आइरन का लगाया जा रहा है तो इसके लिये उसे सब-लीज कर दिया गया है।

तो जो स्थितियां और परेशानियां आपने बताई वे अब दूर हो जावेंगी, ऐसी आशा करनी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता क्योंकि इस विभाग के कटौती के प्रस्तावों पर कुछ पर तो चर्चा की गई, जिनका जवाब मैंने दिया है, और जिन में वे स्वयं अपने भाषण के दौरान नहीं गये, तो उनमें फिर मैं ही क्यों जाऊं।

Page No. 120

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में मैंने पूछा था।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : समय कम था इसलिये।

श्री हरिदेव जोशी : कुछ जनरल नेचर के कटौती के प्रस्ताव थे, विभागीय शिथिलता के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में और किसी प्रकार के लीकेज के बारे में। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इनके बारे में सजग है और कोशिश कर रही है यह मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस विभाग को सुन्दर बनाने में जो भी प्रयत्न कर सकते हों वह करें।

लीकेज के लिये हमने रेन्ट कम रॉयल्टी के कलेक्शन के लिये सिस्टम को बदला है। पहले इसका कन्ट्रेक्ट देते थे। पर अब जहां पन्द्रह हजार से ज्यादा आमदनी है वहां कलेक्शन डिपार्टमेन्टली करते हैं। अब जैसे तोल पर अथवा नाप पर कलेक्शन होता है तो उसमें लीकेज न हो तो इसके लिये हम अलग अलग जगहों पर वे-ब्रिज लगा रहे हैं और उससे आशा करते हैं कि लीकेज दूर किया जा सकेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपके विभाग के डाइरेक्टर, श्री सेठी, के खिलाफ इन्क्वायरी चल रही थी और माननीय मन्त्री ने जांच करने का आश्वासन दिया था, उसके बारे में क्या हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे इसकी जानकारी नही है।

एक कट मोशन है कोटा के और मांडलगढ़-भीलवाडा की रायल्टी की रेट के बारे में। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार यह भेद रखना नहीं चाहती। मैं पिछले दिनों मांडलगढ गया था। मैंने उस क्षेत्र को देखा। फर्क रेट में है। मगर उस फर्क को वहां की परिस्थिति जो मैंने देखी उस पर से निवेदन कर दूं कि उसे एक दिन में दूर नहीं किया जा सकता। पिछले तीन वर्षों से मांडलगढ की रायल्टी को बढाते चले जा रहे है। अब कोटा का क्षेत्र जो है वह एक लम्बे अर्से से एक्सपोर्ट करता जा रहा है वहां का मार्केट डेवलप्ड हो, जमा हुआ वहां का काम है इसलिये इस दृष्टि से और प्रोडक्शन के लिहाज से भी देखें तो उस चीज को एक दम से मिटाना ठीक नहीं होगा। मांडलगढ क्षेत्र में आठ-दस हजार मजदूर काम करते हैं और वे, जैसा बतलाया, छोटे छोटे मजदूर कॉन्ट्रेक्ट पर लीजेज लेकर काम करते हैं। अगर हम उसके अन्दर अकस्मात रेट को बढा देंगे तो उनकी इकोनोमी अपसैट होगी और डिपार्टमेन्ट की आमदनी भी इससे घट जावेगी क्योंकि एक दम रेट बढा देंगे तो लीजेज एक वर्ष तक पडी रह सकती है, काम बन्द हो सकता है तो इससे न जाने कितने हजार का नुकसान होगा। इसलिये यह स्टेट के और किसी के भी इन्टरेस्ट में नहीं होगा कि एक दम से रेट बढादें। पर सरकार यह चाहती है कि इस सारे भेद भाव को सिद्धान्ततया दूर किया जाय। जो कि धीरे धीरे हम ठीक कर देंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह लाखेरी सीमेन्ट वर्क्स को जो आपने ३०-२५ मील लम्बा एरिया लीज पर दे रखा है लाइम स्टोन का और वह विगत चालीस वर्षों में केवल तीन मील का ही पत्थर नहीं ले पाया

(श्री जेठमल)
है तो नियमानुसार जो अब नियम है उनके अनुसार दस मील से अधिक का टुकड़ा एक होल्डर को नहीं दिया जा सकता उससे दस मील से अधिक का एरिया वापिस लेने और दूसरी को देने का सरकार का विचार है ? इससे उस भाग में और भी उद्योग-धन्धे लाइम स्टोन को बेस बनाकर खोले जाने की काफी सम्भावना है, जैसे गणोली है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं समझ गया आपका पोइन्ट। यह सीमेन्ट फैक्टरी वाली लीज ऐसी नहीं है कि जिसे हर रोज रिवाइज किया जा सकता है। इसके कन्जम्पशन के लिये जितना माल चाहिये उसके लिये प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद वह एरिया दिया गया है। अब उस एरिया में कितना निकलेगा, यह एक सा नहीं समझा जा सकता। किसी मील में अधिक निकल गया, किसी में कम निकल सकता है। तो इतने वर्ष तक तो इनको कम नहीं किया जा सकता। फिर काफी वर्षों पहले लीज ली है और काफी वर्षों पहिले ले ली, इसलिये रिवाइज किया जाना चाहिये, यह वाजिब नहीं होगा। पर जैसा मैंने निवेदन किया कि बूंदी कोटा के इस क्षेत्र में लाइम स्टोन की कमी नहीं है। लाइम स्टोन के डिपोजिट प्रूव होने के बाद दूसरी सीमेन्ट फैक्टरी के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। जितना लाइम स्टोन है उसका उपयोग होगा।

श्री जेठमल बरड़ (परवतसर) : मकराना में खानों के छोटे छोटे टुकडे दिये गये हैं। वहां ११०० फीट की लम्बी खानें हैं केवल, जब कि किशनगढ में तीन चार और पांच मील तक का एरिया एक को दिया गया है तो अब मकराना में छोटे छोटे टुकडों में खानें लगाने में जो खर्चा लोगों ने किया है उसका जिम्मेदार कौन होगा ?

श्री हरदेव जोशी : माननीय सदस्य कष्ट करके मेरे साथ चलें तो मैं बतलाऊंगा उनको कि मकराना के मुकाबले में दूसरी जगह मार्बल किस कदर डेवलप हुआ है।

अब किशनगढ का केस तो सबजुडिस है, इसके बारे में क्या कहूं ?

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मेरा कट मोशन था जिप्सम के बारे में।

श्री हरिदेव जोशी : यह उद्योग मन्त्रीजी बतावेंगे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : सभापति महोदय, श्री मुरलीधर व्यास !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह स्टेटमेन्ट तो आखिर में दिलाया जाये। पहले मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मुझे बैठाये रखना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर (मन्त्री, राजकीय उपक्रम विभाग): सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ कटौती के प्रस्ताव रखे हैं।

सदन का समय बढा दिया जाय, जब तक समाप्त न हो।

श्री सभापति : आप समय का ध्यान रखें।

श्री मथुरादास माथुर : १५ मिनट बोलूंगा केवल।

(श्री मथुरादास माथुर)

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों के सिलसिले में बोलते हुए कुछ मुद्दों की तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इसके लिये राज्य सरकार उनकी बहुत आभारी है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने शुगर फैक्टरी के सिलसिले में जो कुछ मुद्दे यहां उठाये हैं और उनका उत्तर देने के पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सदन का ज्यादा समय इसलिये नहीं लूंगा कि स्टेट एन्टरप्राइजेज के बारे में परसों मैं विस्तार पूर्वक हर एक स्टेट एन्टरप्राइज के बारे में सदन में निवेदन कर चुका हूं। लेकिन क्योंकि आज सदन में कटौती के प्रस्तावों के सिलसिले को लेकर जो कुछ मुद्दे उठाये गये हैं उनका उत्तर देने की कोशिश मैं करूंगा।

सबसे पहले मैं, जयपुर से माननीय सदस्य जो आते हैं उन्होंने शुगर फैक्टरी के बारे में चर्चा करते हुए कुछ वहां पर बढती हुई अनियमितताओं के बारे में हमारा ध्यान खींचा था उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा था कि वहां पर शुगर फैक्टरी ने फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन से कुछ कर्जा लिया था और कर्जा लेने के लिये दरख्वास्त दी थी और उसके लिये एग्रीमेन्ट करने के लिए १५ हजार रुपये के स्टाम्प्स शुगर फैक्टरी ने खरीदे थे। यह बात ठीक है कि जो उन्होंने कहा कि १५ हजार और २२ न. पै. के स्टाम्प्स खरीदे गए और उसके बाद में उन स्टाम्प्स को वापिस लिए जाने की कार्यवाही बहुत दिनों तक नहीं हो पाई, क्योंकि यह इरादा था कि रुपया ले लिया जाये या नहीं। मगर यह कर्जा इसलिये लिया जा रहा था कि ताकि हम अपनी शूगर फक्टरी की डिस्टीलरी की कपेसिटी को बढा सकें। लेकिन शूगर फैक्टरी का मोलेसस उतना ही निकलता था जितना कि हमारी कपेसिटी थी। इसलिये हमने सोचा था कि इस समय मोलेसेज की कमी है और मोलेसेज बाहर से लाना पडता है इसलिय शूगर फैक्टरी की डिस्टिलरी की कपेसिटी को बढाकर इसको दूसरी जगह कायम करने का हमने विचार किया। यह मामला विचाराधीन है और अभी भी विचाराधीन है। इसलिये जो कर्जा फाइनेन्स कोर्पोरेशन से लेना चाहते थे वह नहीं ले पाये और वे स्टाम्प्स हमारे पास पड़े रहे बिना किसी काम आये। स्टाम्प एक्ट की धारा ५१ के मातहत कलैक्टर को दरख्वास्त दे दी गयी है कि जिसकी वजह से १५ हजार २२ न. पै. के स्टाम्प्स को वापिस रिफण्ड कर दिया जायेगा और यह रुपया कर्ज नहीं लेना पडा तो यह रुपया वापिस मिल जायेगा और कर्जा लेते समय फिर नये स्टाम्प्स खरीद लिये जायेंगे। इसलिये उस पैसे के रिफन्ड के लिये दरख्वास्त दे दी गई है और वह रूल ५१ के नीचे रुपया वापिस दे सकते हैं। स्टाम्प एक्ट की धारा ५१ है, उसके तहत स्टाम्प्स वापिस जमा हो जाते हैं और उतना ही रुपया वापिस मिल जाता है।

श्री सभापति : कितने दिन हुए एप्लीकेशन दिए हुए ?

श्री मथुरादास माथुर : अभी ५-७ दिन हुए हैं।

श्री सभापति : ५-७ दिन हुए हैं तो स्टाम्प खरीदने और एप्लीकेशन देने के बीच में क्या टाइम रहा ?

Page No. 123

श्री मथुरादास माथुर : २ साल से कम हुए हैं । रूल ५१ के नीचे दरख्वास्त दे दी गई है और रुपया वापिस मिल जायगा और यह पैसा कोई डूबत खाते चला जायेगा, ऐसी बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : ये कौन से साल में खरीदे गये थे ?

श्री मथुरादास माथुर : ६४ में खरीदे गये । ६३ में तो मेरे पास यह महकमा आया ।

श्री भैरोंसिंह : इसमें २ साल का समय गुजर गया और आपने रिफण्ड के लिये अभी ५-७ दिन पहले ही एप्लीकेशन दी । मैं आपको बतलाऊं कि ६ महीने तक वापिस रिफण्ड किये जा सकते हैं और इसके लिये कोर्ट को अधिकार है और दो साल की इसके लिये गवर्नमेंट को पॉवर्स हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेन्ट को तो पॉवर्स हैं । रूल ५१ के नीचे वह दो साल के अन्दर अन्दर पैसे को रिफण्ड कर सकती है । और जो दर्ख्वास्त दी गई है वह टाइम के अन्दर अन्दर दे दी गई है और वह पैसे रिफण्ड हो जायेगा ।

श्री सभापति : गवर्नमेन्ट को पॉवर्स हैं या गवर्नमेन्ट अण्डरटेकिंग को पॉवर्स हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : अण्डरटेकिंग्ज़ को पॉवर्स नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह: पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, गवनमेन्ट ने ऐसी पर्मीशन दे दी, मैं समझता हूं कि यह जुडीशियल फंक्शन है उस पर मिनिस्टर का एन्क्रोचमेंट है गवर्नमेन्ट उसको न्यायिक दृष्टि से देखेगी ।

श्री मथुरादास माथुर: ये स्टाम्प्स पर्चेज किये थे और लोन की एप्लीकेशन ६३ की थी और जो स्टाम्प खरीदे वे २३-६-६४ को खरीदे और इसकी मयाद २२-६-६६ को खत्म होती है और उस मयाद के खत्म होने से पहले पहले दरख्वास्त दे दी गई है, इसलिये यह रुपया वापिस लौटा दिया जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह नहीं है । सवाल तो मोटा यह है कि जिस मनी को आप यूटीलाइज नहीं कर सके किन्तु उसको ब्लॉक करके रखा........

श्री मथुरादास माथुर : यह दूसरा सवाल है ।

श्री भैरोंसिंह: पहला तो यह है और दूसरा सवाल यह है कि गवर्नमेन्ट को क्यों इस स्थिति में आना पड़ा और जो जुडीशियल डिस्क्रिशन दिया हुआ है उसका उपयोग क्यों करना पडा। मैं कह नहीं सकता कि गवर्नमेन्ट को दो साल की पॉवर्स हैं या नहीं। लेकिन आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं । उस खिलाफ पर गवर्नमेन्ट ने भी कह दिया और स्टेट एन्टरप्राइज मिनिस्टर के खिलाफ पर भी कह दिया कि हमने दरख्वास्त दे दी और वह दरख्वास्त मन्जूर कर दी और पैसा रिफण्ड हो जायेगा । फिर यह तो घर की सी बात हो गई। घर में आप चाहे कुछ भी कर लें ।

श्री मथुरादास माथुर: मयाद के अन्दर गवर्नमेन्ट को दरख्वास्त दे दी गई । स्टाम्प २३-६-६४ को खरीदे गये और अभी

(श्री मथुरादास माथुर)
२ साल की मयाद खत्म नहीं हुई है और इसी बीच में रिफण्ड के लिये एप्लीकेशन दे दी और वह पैसा मिल जायेगा। यह देरी इसलिये हुई क्योंकि यह शुगर फैक्टरी की अभी तक भी बात विचाराधीन है कि लोन सैंक्शन हुआ है वह लिया जाये या नहीं।

श्री भैरोंसिंह: यह तो दूसरा प्रश्न है।

श्री मथुरादास माथुर: स्टाम्प तो उस समय खरीदने का इरादा था।

श्री भैरोंसिंह: उस समय स्टाम्प को आप वापिस रिफण्ड कर देते क्योंकि इतने दिनों तक अपने पास रखे और क्यों इतनी देरी की ?

श्री मथुरादास माथुर: स्टाम्प्स रिफण्ड नहीं किये इसलिये कि यह तय नहीं कर पाये थे कि लोन लें या नहीं। अब रिफण्ड करने के लिये दरख्वास्त दे दी गई है। डिले हुई है इसको तो हम भी मानते हैं। अगर डिले नहीं होती तो आप पॉइन्ट ही क्यों रेज करते। अब सवाल यह है कि ये १५ हजार रुपये डूबे नहीं हैं।.....

श्री भैरोंसिंह: मैं ऐसा समझता हूं कि वह कम्पनी स्टेट एन्टरप्राईजेज में नहीं होती तो रुपये डूब जाते। घर का मामला है इसलिये ऐसा हुआ। दूसरे आदमी के होते तो डूब जाते।

श्री मथुरादास माथुर: नहीं, यह बात नहीं है। किसी भी प्राईवेट पार्टी के होते और मयाद के अन्दर दरख्वास्त होती तो ऐसा नहीं होता। वे स्टाम्प्स अन-यूज्ड हैं और यदि उनको रिटर्न करते हैं तो पैसे वापिस मिल जायेंगे। तो यह तो शुगर फैक्टरी के बारे में हुआ।

दूसरा सवाल आपने यह उठाया कि १० हजार रुपये श्री जी. एम. मेहता सुपरवाइजर, उदयपुर को फाइनेन्स किये गये और इसलिये किये गये थे कि उनको मेरठ भेजा गया था रेक्टीफाइड स्प्रिट खरीदने के लिये। हम यह सोच रहे थे कि १० हजार जो वे ले जा रहे हैं वह उनको वहां जहां से वे रेक्टीफाइड स्प्रिट लेकर आ रहे हैं और वहां जमा कराने थे। लेकिन उन्होंने वह वहां जमा नहीं कराये क्योंकि उनके अकाउन्ट्स आये तो मालूम हुआ कि वह पैसे जमा नहीं कराये इसलिये उनको सस्पेन्ड कर दिया है। उनका एक्सप्लेनेशन भी मांग लिया और एक्सप्लेनेशन आते ही या तो वह १० हजार रुपये मय इन्टरेस्ट के जमा करा देता है, अगर नहीं कराता है तो the matter will be handed over to police for investigation and action.

श्री भैरोंसिंह: पहले नोटिस के ऊपर ही जमा नहीं करायें तो पुलिस को हैंडओवर क्यों नहीं किया ?

श्री मथुरादास माथुर: उससे वे १० हजार रुपये वसूल करने हैं, उसको सस्पेन्ड कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह: १० हजार रुपये उसको एक पर्टीकुलर पर्पज के लिये दिये गये थे कि वह मेरठ में १० हजार रुपये जमा करायें, लेकिन उसने दूसरे काम में उपयोग कर लिया तो यह तो मिस-एप्रोप्रियेशन हो गया। इस बारे में इन्क्वायरी किस बातकी की है, यह तो सीधा क्रिमिनल केस उसके खिलाफ होना चाहिये। सस्पेन्ड किये भी उसे बहुत दिन हो गये।

श्री मथुरादास माथुर: सस्पेन्ड कर दिया गया। उनसे जो जवाब मांगा गया है वह यह है कि या तो वह १० हजार रुपये मय इन्ट्रेस्ट

(श्री मथुरादास माथुर)

के जमा करा दे; otherwise we will consider what to do अगर जमा नहीं कराता है तो पुलिस में केस देकर जो कुछ कार्यवाही होगी वह कानून में होगी। उसमें कोई उसे बचाने का सवाल नहीं है......

(५ म. ०.)

श्री भैरोंसिंह : ये संस्पेन्ड कब हुए?

श्री मथुरादास माथुर : यह तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : साल ही बता दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : अभी थोड़े दिन पहले ही हुए हैं, साल नहीं हुए हैं। जुलाई ६४ में केश दिया गया था और उसके बाद संस्पेन्ड कर दिया गया है, तारीख मुझे याद नहीं है। उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

श्री सभापति : क्या यह सदन की इजाजत है कि यह मांग पारित होने तक सदन का समय बढाया जाय।

(स्वीकृत)

श्री मथुरादास माथुर : तीसरा आपने मुद्दा उठाया था प्रोविडेन्ट फण्ड का कि इसमें २५ हजार की पेनल्टी लग गई और यह डिफाल्ट नहीं होना चाहिये। यह बात बिल्कुल ठीक है और उसके बाद रुपया भी जमा करा दिया गया है। यह बात भी सही है कि पेनल्टी हुई है और उसकी अपील भी दायर करदी गई है, यह बात भी ठीक है। अपील में फैसला होने पर पता लगेगा कि क्या होता है, लेकिन अगर जो पेनल्टी लगी है उसको अपील में माफ कर दें तो ठीक है। एक बात में आपको बता दूं कि जिन्होंने प्रोविडेन्ट फण्ड की रकम जमा कराने में डिफॉल्ट किया है उसकी इन्क्वायरी के लिये आर्डर दे दिये गये हैं कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय कौन आदमी जिम्मेदार है; केशियर है, क्लर्क है या अकाउन्टेन्ट है कौन जिम्मेदार है कि जिसकी वजह से रुपये जमा नहीं हुए टाइम पर प्रोविडेन्ट फन्ड के और इसकी वजह से पेनल्टी लगी। इसकी इन्क्वायरी के ऑर्डर्स दे दिये गए हैं और इसकी इन्क्वायरी होगी।

दूसरा आपने इन्टरनल चेकिंग के बारे में कहा कि यह नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इन्टरनल ऑडिट इन्ट्रोड्यूस कर दिया गया है हमारी फैक्ट्री में।

पांचवीं बात आपने मोलेसेज के बारे में कही। जो मोलेसेज पर्चेज किया गया था वह ११,६५१ क्विन्टल था और वह मेवाड शूगर मिल, भोपालसागर से खरीदा गया था। आपका कहना यह था कि यह मोलेसेज कन्ट्रोल एक्ट के तहत जो कन्ट्रोलर हैं, डाइरेक्टर ऑफ इण्डस्ट्रीज हैं वे हमको अलॉट करते हैं और उसके अनुसार ही हम खरीदते हैं। हमने वहां से खरीद लिया, लेकिन उसका पैसा हमने उनको अभी तक एक कौडी भी नहीं दिया है और पैसा भी हम उतना ही देंगे जितना कि कंट्रोल एक्ट के तहत बनता है। उसका हम उतना ही पेमेन्ट करेंगे जितना कि कन्ट्रोलर हमको कहेगा और कन्ट्रोल रूल्स के तहत बनता है...

श्री भैरोंसिह : इसका मतलब है कि मोलेसेस का आपने अभी तक चार आने प्रति क्विन्टल से एक पैसा का भी ज्यादा पेमेंट नहीं किया है ।

श्री मथुरादास माथुर : पैमेंट तो अभी तक एक पैसे का भी नहीं किया है. . . .

श्री भैरोंसिह : जो पेमेंट किया जाएगा वह रेट के हिसाब से किया जाएगा या जो वे कहेंगे उसके अनुसार करेंगे ।

श्री मथुरादास माथुर : जो रेट फिक्स होंगे उसके अनुसार ही तो पैमेंट करेंगे । हमारी शूगर फैक्ट्री से बारगेन करने का तो प्रश्न ही नहीं है । जो कंट्रोल रेट से प्राइज फिक्स होगी उसके अनुसार ही पेमेंट करेंगे ।

श्री भैरोंसिह : मेरा क्वेश्चन यह है कि मोलेसेस की जो कंट्रोल रेट है चार आने की, उससे ज्यादा पैसा नहीं दिया जायगा, आप तो यह बता दीजिए ?

श्री मथुरादास माथुर : कीमत जो कंट्रोल एक्ट के तहत है उससे एक कौड़ी भी ज्यादा नहीं देंगे ।

श्री भैरोंसिह : और जो दे दिया है उसका क्या होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा न कि अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया गया है ।

श्री भैरोंसिह : सागली वालों को दिया है ।

श्री मथुरादास माथुर : इस समय मेवाड़ शूगर मिल का मामला है और उसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कंट्रोल रेट है उससे जितना पैसा बनता है उतना ही दिया जायगा ।

अभी आपने एक्सेश वेस्टेज के बारे में कहा । इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इसमें एक परसेंट वेस्टेज अलाउड है । हम लोगों को खास तौर से इस ईयर में जिसकी रिपोर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, उस रिपोर्ट के अन्दर हमें रेक्टीफाइड स्प्रिट बाहर से मंगानी पड़ी यू० पी०, आंध्र, मध्यप्रदेश वगैरह से हमें रेक्टीफाइड स्प्रिट मंगानी पड़ी और वह ड्रम्स में आई और उसकी वजह से ट्रांजिट में लीकेज हुआ । रूल्स के अन्दर एक परसेंट का वेस्टेज अलाउड है और जो वेस्टेज हुआ है वह १.४ परसेंट है । वह हुआ है इसके अन्दर ।

श्री भैरोंसिह : मैं इसमें एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूं । आपने कहा कि मोलासेज का पैमेंट नहीं किया है । इस रिपोर्ट के अन्दर जो आपने १२ आने प्रति क्विन्टल के हिसाब से पैसे देने का प्रोविजन रखा है वह क्यों रखा है ?

श्री मथुरादास माथुर : उसका प्रोविजन ही रखा है, पैमेंट थोड़े ही किया है ।

श्री भैरोंसिह : क्वेश्चन तो यह है कि इस रेट से प्रोविजन ही क्यों रखा जब कि आपको इस रेट से पैमेंट नहीं करना है । यह तो हमने यहां पर आपको चैक कर लिया और अगर चैक नहीं करते तो बारह आने के हिसाब से पैमेंट हो जाता ।

श्री मथुरादास माथुर : जो प्रोविजन है ७५ पैसे का, वह केवल उसके पैमेंट का ही नहीं है, उसके अलावा जो हमको ट्रांस्पोर्टेशन का खर्चा करना पड़ता है, कम्पनी वाले जो माल डिलीवर करते हैं उसको पाइप करना पड़ता है, निकालना पड़ता है. . .

श्री भैरोंसिह : यह सब मोलासेस कंट्रोल एक्ट के तहत माल वैगन में लोड करने तक चार आना दिया जाता है. . . .

श्री मथुरादास माथुर : हमने प्रोविजन ही तो किया है, it is not the payment.

श्री भैरोंसिह : जब पेमेंट नहीं करना है तो फिर इसका प्रोविजन कैसे रखा ? जैसा आपने सांगली वालों के लिए किया, उसी के अनुसार इसके लिए भी प्रोविजन रखते ।

श्री मथुरादास माथुर : आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं । मैंने आपसे कहा कि जो ७५ पैसे का प्रोविजन किया गया है वह केवल प्रोविजन ही है, लेकिन हमने उनको लिख दिया है कि हम तुमको मोलासेज कंट्रोल एक्ट के तहत फिक्स प्राईस से एक पैसा ज्यादा नहीं देंगे और पेमेंट का एक भी पैसा अभी तक नहीं दिया गया है ।

श्री भैरोंसिह : क्वेश्चन मेरा यह नहीं है । क्वेश्चन मेरा यह है कि जो आप कॉमर्शियल अकाउण्ट मेंटेन करते हैं और यह अण्डरटेकिंग देते हैं कि जो स्टेट एण्टरप्राईजेज चल रही हैं उनको प्रोफिट में चलायेंगे । क्वेश्चन इस बात का है कि उसमें आपने प्रोविजन किया है बारह आने का और पेमेंट करना है चार आने का । जब आपको पेमेंट नहीं करना है तो फिर इतना बड़ा अमाउण्ट ब्लॉक क्यों किया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, कोई मनी ब्लॉक्ड नहीं है । प्रोविजन तो इसलिए रखा गया है कि जिस वक्त उनका बिल आया तो उसमें इसी रेट से था और चूंकि हमको अकाउण्ट फाइनल करने थे, अकाउण्ट वैसे ही डिले हो रहे थे, जल्दी करने के लिए प्रोविजन रख दिया और साथ ही उनको लिख भी दिया है कि इस रेट से पेमेंट नहीं करेंगे । अभी तक हमने उनको इसका एक पैसा भी नहीं दिया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं दिया जाएगा ।

अब मैं आपको वेस्टेज की बात बताऊं । वेस्टेज एक परसेंट का अलाउड है और जो वेस्टेज हुआ है वह १.४ परसेंट का हुआ है । तो जो वेस्टेज हुआ वह कुल इस प्रकार है कि हम ५२ लाख लीटर रेक्टीफाइड स्प्रिट लाए और इसमें हमारा कुल दस हजार का वेस्टेज हुआ है । उस वेस्टेज के ऊपर जो ड्यूटी लगाई गई है साढे सात आना पर लीटर के हिसाब से और इससे जो पांच लाख पर ड्यूटी केलकूलेट की तो १.५१ लाख की ड्यूटी बनती है । तो इसमें जो वेस्टेज हुआ है और उस वेस्टेज पर भी जो ड्यूटी लगा दी है तो इसके लिए हमने रिप्रेजेन्टेशन कर दिया है एक्साइज कमिश्नर को कि यह ड्यूटी आपने वेस्टेज पर भी लगा दी है । और यह वेस्टेज भी जो हुआ है वह इस वजह से कि स्प्रिट ड्रम्स में आई, बहुत ज्यादा तादाद में आई और चूंकि काफी दूर दूर से लाए हैं. . . .

श्री भैरोंसिह : टोटल दो लाख की है ।

श्री मथुरादास माथुर : यह कुल ड्यूटी ३,५६,५०९) रुपये की है और कुल पांच लाख का फिगर रखा है, जिसमें से १,५१,५६० जो है वह लास्ट ईयर के एक्सेस वेस्टेज का भी है । यह कुल मिला कर पांच लाख का बनता है । उसके अन्दर जो वेस्टेज का एक्सेस बनता है उसके ऊपर हम अपील कर रहे हैं कि फिर

(श्री मथुरादास माथुर)
कारण से यह वेस्टेज हुआ, दूर से माल आया है, ड्रम्स में आया है, ड्रम्स फूट गए, इस वास्ते इस एक्सेस पर ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। यह अपील हमने कर रखी है।

श्री भैरोंसिह : यह जो एक्सेस वेस्टेज हुआ, उसकी आपने इन्क्वायरी ?

श्री मथुरादास माथुर : एक्सेस वेस्टेज की इन्क्वायरी में क्या है ? वह बहुत ज्यादा भी नहीं हुआ है, कुल दस हजार का एक्सेस वेस्टेज हुआ है।

श्री भैरोंसिह : ज्यादा हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास डिटेल्स मौजूद हैं . . .

श्री भैरोंसिह : मेरे पास भी डिटेल्स हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो मेरे पास जो डिटेल्स हैं उनके आधार पर बता रहा हूं कि १.४ परसेंट का वेस्टेज हुआ है, जिसका कारण यह है कि ड्रम्स ट्रांसफर हुए, दूर से आए, यू० पी०, आंध्र, मध्यप्रदेश से इससे ज्यादा वेस्टेज हुआ, ड्रम्स फूट गए। वे सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। इसके उपरान्त भी मैंने कह दिया है कि इस वेस्टेज के और ड्रम्स लीकेज के रीजन्स जानने चाहिए और इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि जो एक्सेस वेस्टेज हुआ है वह आयन्दा न हो। जब नॉर्मली १ परसेंट का वेस्टेज अलाउड है तो इससे एक्सेस नहीं होना चाहिए, यह कह दिया गया है।

अब उसके बाद में आपने कहा कि उदयपुर डिस्टिलरी को ९५ हजार का पेमेंट कर दिया और यह पेमेंट किया गया तो एक्सपर्ट्स से पूछे बिना ही कर दिया। इसमें यह है कि एक एक्सपर्ट तो बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के थे, जो डिस्टिलरी टेक्नोलोजिस्ट हैं गंगानगर शूगर फैक्ट्री के और एक मिस्टर शिवपालसिंह जो एक्साइज डिपार्टमेन्ट के एक्सपर्ट हैं, इन दोनों की एक्सपर्ट ओपीनियन के बाद पेमेंट किया गया है और इन दोनों की ओपीनियन के बाद ही बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने पेमेंट करने का तय किया। इसलिये यह कहना कि उदयपुर डिस्टिलरी को ९५ हजार का पेमेंट करने से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह नहीं ली, सही नहीं है। ऑडिटर्स ने जो ओब्जेक्शन उठाया था कि एक्सपर्ट्स की सलाह नहीं ली तो बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने जवाब भी लिख दिया है कि हमने दो एक्सपर्ट्स की राय ली थी। इसके बाद में माननीय, सभापति, महोदय, फिजीकल वैरीफिकेशन के लिए कहा था। मैं आपको बताऊं physical wrification has now been got done, अब हो चुका है। ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिटर्स जब आए थे उस वक्त तक वह कम्पलीट नहीं हुआ था इसलिए लिखा था। उसको अब पूरा कर दिया गया है।

श्री भैरोंसिह : क्वेश्चन यह नहीं है। क्वेश्चन यह है कि फिजीकल वेरीफिकेशन रेग्यूलर होना चाहिए, वह क्यों नहीं होता है ? नहीं होता है तो आप एक्शन क्या लेते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : वह हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : लेट हुआ है। इन टाइम तो नहीं हुआ है ?

श्री मथुरादास माथुर : अबके कुछ डिले हुई थी।

Page No. 129

श्री भैरोंसिंह : डिले हुई थी तो चैक करें। गलती करता है कोई तो उसके खिलाफ एक्शन लें।

श्री मथुरादास माथुर : डिले हुई थी और डिले होने की वजह के कई कारण थे। एडमिनिस्ट्रेशन सब बातों में नहीं जाता। उनको जस्टीफाई करने के लिए मैं खड़ा नहीं हुआ हूं। स्टेट एन्टरप्राइज जितना मेरा प्रिय है उतना ही आपका भी होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। जो कुछ कमी नजर आती है उनको ठीक करना चाहिए, ताकि स्टेट एण्टरप्राइजेज में ज्यादा मुनाफा हो और लोगों की उनमें आस्था बढ़े। जो कुछ आपने मुद्दे उठाए थे उसके आधार पर जो डायरेक्टर ने लिखा है उसके आधार पर मैंने उत्तर दिया है। मैंने डाइरेक्टर को कहा है कि इस बात में डिले एक दिन के लिये भी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से यह स्टेट एण्टर-प्राइज ज्यादा काम कर सकें।

श्री भैरोंसिंह : जो आपके प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं उनको आपने डिविडेंड क्यों नहीं दिये ?

श्री मथुरादास माथुर : डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट नहीं हो रहा है वह इसलिए कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह फैक्ट्री जो चालू हुई है इसकी एक हिस्ट्री है। इस फैक्ट्री का १९४८-४९ में काम शुरु हुआ था और आज तक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं दिया गया है, बल्कि लॉस होता रहा है। १९५६ से जबसे हमने इसको लिया है तब से हमने जो प्रिफरेन्शियल शेयर्स थे उसके ऊपर डिविडेंड ८ सालों का हमें चुकाना पड़ा है, तो वह पहले चुकाया गया, उसके ऊपर जो लोन था वह चुकाया गया, लॉसेज को चुकाया गया है। यह तो २५-२६ साल पुरानी फैक्ट्री जो कहीं पर लगी हुई थी उसको लाकर सेठ ने लगाया था। सेठ ने उसको बन्द कर दिया था, लेकिन कैन ग्रोअर्स ने कहा कि कैन को क्रश कौन करेगा, इसलिए सरकार को चलाना चाहिए and so we had to take this industry इस इन्डस्ट्री में अब.....

श्री भैरोंसिंह : कौन सेठ था ?

श्री मथुरादास माथुर : रामनाथजी पोद्दार।

श्री भैरोंसिंह : वे ही पीछे पड़े हुए हैं राज-स्थान के।

श्री मथुरादास माथुर : इसको छिपाने की बात क्या है ? इसकी किताब छपी है। हमने इस फैक्ट्री को नहीं लिया है, मगर कैन-ग्रोअर्स के कैन को क्रश करने का सवाल था नहीं तो गवर्नमेन्ट उसको नहीं लेती। राज्य सरकार ने उसका कर्जा चुकाया और डिविडेंड देने की बात है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल के अन्दर अगर फैक्ट्री १२० डेज चल जायेगी तो शायद दे सकेंगे। वायदा तो मैं नहीं करता, लेकिन चुकाने की कोशिश करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा दो-तीन बातें मैं और कहना चाहता हूं जो कि माननीय सदस्यों की बाकी हैं। एक तो बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने पलाना के बारे में कटमोशन भी रखा और जिक्र भी किया है। मैं उनसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पलाना की जो लिग्नाइट की कोलियरी है वह चल रही है। अब इस वक्त इसके दो शिफ्ट चलते हैं। अब एक शिफ्ट चलेगा वह इस वजह से करना पड़ेगा कि एक

(श्री मथुरादास माथुर)

तो पलाना में हम जो कोयला पैदा करते हैं तो इसके लिए हमारे पास ग्राहक नहीं हैं, सिवाय कुछ ईंटें बनाने वालों के। वह आप जानते हैं। मैंने भी आपसे कहा है कि ग्राहक लाओ। इसको हम होर्ड भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह अपने आप आग पकड़ लेता है हफ्ता, १० दिन के बाद। इसलिए हमने सोचा है कि तब तक पलाना का माइनिंग सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक माइन के ऊपर पावर हाउस नहीं लगे। ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में रशियन रिपोर्ट कम्प्लीट होकर आ गई है। पॉवर की रिपोर्ट कम्प्लीट हो गई है कि ३० साल तक जो अभी एक्सप्लोर्ड एरिया है वह काफी है, पावर हाउस के लिए। उसके बादजो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है वह अलग है। उसके बाद में पानी के लिए, अन्डर ग्राउन्ड वाटर के लिए एटोमिक कमीशन ने रिपोर्ट देदी है कि यहां पर पानी बहुत है जितना कि पावर हाउस के लिए चाहिए। तो इस पर हमने प्रिलिमिनेरी वर्क करके इसको चौथे प्लान में इन्ट्रोड्यूस कर दिया है। यह १२ करोड़ का प्रोजेक्ट है वह पॉवर में रख दिया है और माइनिंग में रख दिया है। चौथे प्लान में हो जायगा। मैं माननीय सदस्यों से कहता हूं कि आप मुझे सहयोग दें ताकि ये चौथे प्लान में आ सकें। राज्य सरकार बहुत इच्छुक है। आने के बाद में यह प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ चल सकता है। यह तो पलाना की बात हुई।

दूसरी जो चीज जिसमें आप इन्ट्रेस्टेड हैं वह ऊलन मिल के बारे में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन के मातहत हम बीकानेर में एक ऊलन मिल लगाने जा रहे हैं। उस ऊलन मिल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन चुकी है, वह फाईनल हो चुकी है और एप्रूव्ड हो चुकी है उसके फॉरेन एक्सचेन्ज कम्पोनेन्ट्स। उस प्रोजेक्ट में ५,१८० स्पिन्डल्स होंगे और २ करोड़ और १४ लाख टोटल उस प्रोजेक्ट की कीमत होगी। उसमें १,२६,०००) रु० के करीब फॉरेन एक्सचेन्ज कम्पोनेन्ट होंगे, बाकी की इन्डीजिनस मशीनरी होगी। इसके अलावा साइट सलेक्ट कर ली गई है बीकानेर के अन्दर, और इसके लिए फॉरेन एक्सचेन्ज के लिए टैक्सटाइल कमिश्नर को एप्लाई कर दिया गया है। मझे उम्मीद है कि इस साल के अन्दर फॉरेन एक्सचेन्ज की एवेलेबिलिटी हो जायगी, ऐसी हम आशा लेकर चलते हैं। उसके बाद ऊलन मिल का काम शरू हो जायगा। ये दो बातें जो आपके (श्री भीमसेन के) इन्ट्रेस्ट की थीं वे मैंने आपसे कहीं।

तीसरी बात, माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि कोऑपरेटिव सेक्टर में कुछ काम नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त हम लोग केशोरायपाटन के अन्दर कोऑपरेटिव शुगर मिल स्थापित कर रहे हैं। साढे दस लाख उसकी हिस्सा पूंजी इकट्ठी हो चुकी है। बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स मुकर्रर किये जा चुके हैं, और गवर्नमेन्ट ने १५ लाख हिस्सा-पूंजी के रूप में शेयर कन्ट्रीब्यूशन दे दिया है। इस तरह से २५ लाख रुपये इकट्ठे हो चुके हैं। साइट का सिलेक्शन कर लिया गया है, और उसके बाद मशीनरी के सब टेन्डर्स मंगा लिए गए हैं और उसके ऑर्डर्स शीघ्र ही दे दिए जायेंगे।

साथ ही साथ......

श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : गर्जसिंहपुर में कोऑपरेटिव सेक्टर में शुगर मिल करने का था उसके बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन को लोन के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है १२० लाख के लिए। हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है। उम्मीद है इस साल शुगर फैक्ट्री का काम शुरु होकर फैक्ट्री प्रोडक्शन में आ जायगी।

गर्जसिंहपुर के बारे में, जिसके लिए रुपया इकट्ठा हुआ था ३-४ लाख रुपया ....

श्री सभापति : वह कट मोशन था क्या ?

श्री माथुरादास माथुर: वह कट मोशन शुगर फैक्ट्री के बारे में था।

श्री सभापति : No. I don't permit that.

श्री मथुरादास माथुर : That is all right.

माननीय सभापति महोदय, तो यह संक्षेप के अन्दर जो माननीय सदस्यों ने—ग्लास फैक्ट्री के लिये कह दूं, ज्वाला प्रसाद जी देख रहे हैं,—और जो माननीय सदस्य जयपुर से आने वाले हैं उन्होंने भी इस प्रश्न को उठाया था वह ब्रेकेज के बारे में था। उसके बारे में मैं जांच कर रहा हूं कि यह क्या बात है पूरी तरह से तो इस वक्त कुछ स्टेटमेन्ट नहीं दे सकता। मैं आपको दो तीन दिन के अन्दर पूरा रेकार्ड देखकर इसकी जांच करके बाकायदा तौर पर लिखित रूप में जवाब दे दूंगा। इस ग्लास फैक्ट्री का सुधार करके दूसरी भट्टी इसमें लगाई जा रही है और उसके बाद में मुझे उम्मीद है कि जो प्रोडक्शन आज ७५ मन का होता है वह डबल हो जायगा और यह प्रॉफिटेबिल हो जायगी। इसमें अच्छा माल बनता है और इसकी वजह से बहुत से लोगों को जलन है और बहुत से लोग फिरते हैं कि राज्य सरकार उसको बन्द करे। वह मैं जानता हूं। यह बन्द नहीं होगी। इसमें और रुपया इन्वेस्ट करेंगे और आखिर में जाकर इसको प्रॉफिटेबल बनाकर छोड़ेंगे। किसी भी स्टेट एन्टरप्राइज को बीच में नहीं छोड़ा जायगा।

श्री सभापति : (श्री निरन्जननाथ आचार्य के खड़े होने पर) you have yet to wait.

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों के द्वारा राजस्थान के औद्योगिकरण के बारे में कई महत्वपूर्ण सुझाव यहां रखे गए हैं, और मैं और मेरा डिपार्टमेन्ट इस बात के प्रयत्न करते हैं कि जहां तक माननीय सदस्यों के सुझाव आयें उन सुझावों पर गौर किया जाय, और जो भी सुझाव हों जो कि हमारी नीति से मेल-जोल रखते हों ऐसे सुझावों को हम वेलकम करते हैं और उनको लागू करने की कोशिश करते हैं।

वैसे राजस्थान के अन्दर सैकण्ड फाइव ईयर प्लान के बाद ही यह कहा जा सकता है कि इन्डिस्ट्रियलाइजेशन की शुरूआत हुई। उसके पहले कई कमियां थीं और उसके हिसाब से औद्योगिकरण करना बड़ा मुश्किल था; नहीं हो सकता था, क्योंकि औद्योगिकरण जब तक पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध न हो उस वक्त तक नहीं हो सकता। १९६१ में ही राजस्थान के पास बल्क पॉवर आया और उस बल्क पॉवर के द्वारा राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों के अन्दर कारखाने शुरु होने लगे।

वैसे यह कहा जा सकता है कि इण्डस्ट्रियल पेस दूसरी रियासतों के मुकाबले में राजस्थान में नहीं हुआ है, लेकिन मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे मुख्तलिफ प्रोविंसेज

(श्री हरिश्चन्द्र)

के अन्दर, जैसे मद्रास है, कलकत्ता है, या बॉम्बे है--वहां पर एक इण्डस्ट्रियेलाइजेशन का क्लाइमेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इसलिये वहां पर इण्डस्ट्रियेलाइजेशन होना सबसे आसान बात थी। एक तो वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को काफी सहूलियत है, पोर्ट पर मिलती है, इस वास्ते हर आदमी या कोई भी एण्टरप्रेन्योर होता है, वह इस बात को देखता है कि सहूलियत की जगह वह जाय। लिहाजा जो पोर्टस् हैं उनका औद्योगीकरण हुआ। राजस्थान के पास मिनरल वेल्थ और एग्रीकल्चरल वेल्थ है और उसकी बुनियाद के ऊपर राजस्थान अपना औद्योगिकरण कर सकता है। क्योंकि राजस्थान के पास बिजली न होने के कारण राजस्थान की जनता में बाई एण्ड लार्ज आपको तिजारत करने वाले ऐसे आदमी मिलेंगे जिनका अनुभव इण्डस्ट्रीज में बहुत कम है और जिन लोगों का इण्डस्ट्रीज में अनुभव था या जो इण्डस्ट्रीज में दिलचस्पी रखते थे उन्होंने अपना सारा इन्वेस्टमेन्ट बाहर कर लिया। या तो बॉम्बे में किया होगा, या कलकत्ते में किया होगा या मद्रास में किया होगा क्योंकि वहां पर उनको फैसिलिटीज मिलती थीं और राजस्थान में बिजली नहीं थी इस वास्ते जन-मानस ट्रेड की तरफ ज्यादा था, मिडिलमैन बन कर प्रॉफिट कमाने की टेन्डेन्सी ज्यादा थी। इस क्लाइमेट को बदलना आसान नहीं था। जहां इण्डस्ट्रियेलाइजेशन की हवा चलती है वहां की गति रेपिड होती है। इसलिये क्योंकि राजस्थान के पास बिजली नहीं थी, कई और चीजें उपलब्ध नहीं थीं, पैसे का संकट और बहुत सी चीजें नहीं थी इस वास्ते पेस कमजोर रहा। और बिजली आते ही आपने देखा होगा, कई लोग जो बाहर थे उन्होंने वापिस आकर राजस्थान में इण्डस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में लगाई। अब धीरे-धीरे यह क्लाइमेट राजस्थान में होने लगा है। हर आदमी सोचता है तिजारत से हट कर, मिडिलमैन की डैफिनिशन से हट कर ऐसी चीज को पकड़े जिससे वह इण्डस्ट्रियलिस्ट की डैफिनीशन में आ सके और उत्पादन करे।

आज देश में यदि हमको योजनाओं को सफल बनाना है, यदि हमको समाजवाद लाना है, यदि हमें देश के अन्दर हमारी आर्थिक, और माली हालत को ठीक करना है तो यह निःसंदेह बात है कि हमारे देश में उत्पादन बढ़े, ख्वाह वह कृषि उत्पादन हो, ख्वाह वह औद्योगिक उत्पादन हो। औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिये यह भी निहायत जरूरी है कि प्रचुर मात्रा में बिजली रहे, वहां फाइनेन्सेज अवेलेबल होते रहें, वहां पर टैक्नीकल राय अवेलेबिल होती रहे और साथ ही साथ इसमें ऐसी क्लाइमेट राजस्थान को मिले जिसमें हर आदमी यह महसूस करने लगे कि मुझे अब इण्डस्ट्रीज लगाने में ज्यादा फायदा है बनिस्पत ट्रेड करने के। तो सन् १९६१ से जो बातें हुई उसकी थोड़ी झलक में माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं।

अब तक हमने करीब ६० इन्डस्ट्रियल यूनिट्स को लाइसेंस दिये हैं, लैटर्स ऑफ इन्टेंट इश्यू हुए हैं। जहां तक पब्लिक सेक्टर का सवाल है कॉपर स्मेल्टर जो खेतड़ी में लगा है उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना है। वहां पर २५ करोड़ रुपये करीब खर्च होंगे और एन्युअल प्रोडक्शन ३१ हजार टन करीब होगा और बाई प्रोडक्ट्स में सलफ्यूरिक एसिड भी निकले।

(श्री हरिश्चन्द्र)

कोटा में रशियन कोलेबोरेशन में इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्टरी खड़ी होगी। यह फैक्टरी जो रशियन कोलेबोरेशन से खड़ी होगी वह प्रिसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट्स बनायेगी। अब यह एक ऐसी चीज है, इन्स्ट्रूमेन्ट्स आज साइन्स या विज्ञान में इस कदर डवलप हुए हैं कि हर चीज का आप इन्स्ट्रूमेन्ट के जरिये नाप तोल कर सकते हैं और अगर यह मुल्क इन्स्ट्रूमेन्ट्स बनाने लग जाये तो आज आपका रिसर्च का काम बहुत कुछ हद तक आज इन्स्ट्रूमेन्ट्स के जरिये नापा जाता है अपने अखबारों में रोजाना पढ़ते हैं कि सैटेलाइट ऊपर जाते हैं और ऑर्बिट में घूमते हैं, तो इनके अन्दर जितनी इन्फॉर्मेशन ह्यूमन माइण्ड को मिलती है ह्यूमन बींग्स को मिलती है वे सारी की सारी ट्रांसमिट इन्स्ट्रूमेन्ट्स के जरिये अर्थ पर आती है। और जो प्रिसीजन हम बनाने लग जायं तो हमारी साइन्टिफिक नोलेज इस देश की और राजस्थान की साइन्टिफिक नॉलेज उभर आयेगी और यह साइन्टिफिक नॉलेज ऐसी चीज है जो कि हमारे देश में, हमारे प्रांत में होना हमारे एडवान्समेन्ट का माइल स्टोन बनाता है, रास्ता बताती है। यह इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्टरी जो है यह कोई मामूली इन्स्ट्रूमेन्ट्स बनायेगी, ऐसी बात नहीं है। It will go into minute details of producing instruments. इन्स्ट्रूमेन्ट्स की जो फैक्टरी हैं उनमें अब तक, मैं नवम्बर, ६५ तक की बात कह रहा हूं, जो उन्होंने काम किया है उसमें करीब डेढ करोड़ रुपया खर्च किया गया है और सन् ६६ के एण्ड तक हम यह उम्मीद करके चल रहे हैं, काम जिस तेज रफ्तार से चल रहा है, ६६ के एण्ड तक फैक्टरी चालू हो जाय और उसके साथ–साथ हमारे एण्टरप्रेन्योर्स को तैयार करें, राजस्थान के नवयुवक हैं उनको तैयार करें इस बात के लिये कि आगे चलकर इन्स्ट्रूमेन्टेशन फैक्टरी में काम करके नये-नये इन्स्ट्रूमेन्ट्स तैयार करें। कई दफा यह कहा जाता है . . .

श्री भैरोंसिंह : एक दो बातें इस संदर्भ में बता दें . . .

श्री हरिश्चन्द्र : मैं, सभापति महोदय, आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य जब बोले थे तब मैंने खड़े होकर कुछ नहीं कहा, इसलिये जब मैं समाप्त कर लूं उसके बाद आप पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं वह न आपको याद रहेगी न मुझ को।

अभी आपने लाइसेन्सेज के बारे में बताया कि इतने लाइसेन्सेज दिये। उसके साथ साथ यह भी बता दें कि कितनों ने प्रोडक्शन शुरू किया, कितनों में मशीनरी का इंस्टालेशन हुआ, कितनी बन्द कर दी गईं? यह बताना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत यह बताने के कि लाइसेन्सेज का इतना नम्बर है। यह बतादें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री हरिश्चन्द्र : बता दूंगा।

अजमेर में भारत सरकार मशीन टूल फैक्टरी ला रही है और उसका काम काफी तेजी से चल रहा है।

जेकोस्लोवेकिया के कोलेबोरेशन से यह फैक्टरी खड़ी होगी और हम आशा करते हैं कि महीने दो महीने में इसका काम शुरू हो जायेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : पहले घड़ी का कारखाना लगाने का अनाउन्स किया था उसका क्या हुआ ? घड़ियें, क्योंकि बनाने के कारखाने का क्या हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : घड़ी के कारखाने के बारे में आप कह रहे हैं। वहां पर एक टीम आई थी। यह बताया जा रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज की कठिनाई से लाइसेन्स नहीं मिला।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसकी क्या गारंटी है कि इसको फॉरेन एक्सचेंज मिल ही जाएगा ? इसको भी फॉरेन एक्सचेंज न मिले।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग) : यह गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया का है।

श्री हरिश्चन्द्र : इसे गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया खुद बना रही है। आप देखिये, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इससे आप दोनों का रिश्ता है, मेरा रिश्ता नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं निवेदन करना चाहता हूं ; यह मशीन टूल फैक्ट्री It is a factory which builts machines and therefore it is a unit which will save foreign exchange. इस वास्ते यह बनेगी।

श्री भैरोंसिंह : यह माइन्यूट बातें इनकी समझ में नहीं आती हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : यह जो इन्स्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी की बात करते हैं उससे भी फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग हो सकती है। अगर ज्यादा मात्रा में इन्स्ट्रूमेन्ट्स बनायें तो जो फॉरेन एक्सचेंज अपन स्पेन्ट करते हैं उसमें भी रोक लग सकती है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई है और बिल्डिंग के अन्दर है। एक-दो महीने में चालू होगी।

राजस्थान के अन्दर टैक्सटाइल इण्डस्ट्री का सवाल है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज हैं। १४ टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज राजस्थान के अन्दर हैं क्योंकि राजस्थान में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में इस वक्त काटन का सवाल है, वह काफी मात्रा में प्रोड्यूस होता है और हम आशा करते हैं कि फोर्थ फाइव ईयर प्लान के एण्ड तक के करीब राजस्थान में साढे तीन और चार लाख बेल्स के आस-पास हम प्रोड्यूस करेंगे। इसको देखते हुए राजस्थान के अन्दर और भी टैक्सटाइल्स मिल्स लग सकती हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि चौथी पंच वर्षीय योजना के एण्ड तक हम और स्पिनिंग यूनिट, वीविंग यूनिट राजस्थान के अन्दर लगा सकते हैं। फिलहाल जो हमारे यहां पर कॉटन प्रोड्यूस होता है उसमें से बहुत कुछ हिस्सा महाराष्ट्र और गुजरात के पास जाता है। अगर हमारे यहां पर और मिल लगें टैक्सटाइल के लिए, टैक्सटाइल की मिल्स, तो वह प्रोड्यूस काम में आ सकता है यहां पर। उसके वास्ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट इस बात के लिए प्रयत्न में लगा है कि जो कॉटन राजस्थान का शार्ट स्टेपिल का है वह लॉग स्टेपिल का बन सके, तो उसमें भी टैक्सटाइल इण्डस्ट्री को बहुत कुछ फायदा मिल सकता है। अभी तक जो टैक्सटाइल इण्डस्ट्री खड़ी हुई हैं उनका आकार करीब पच्चीस हजार स्पिन्डल्स के आस पास रखा गया है। पहले साढे बारह

(श्री हरिश्चन्द्र)

हजार स्पिन्डल्स का युनिट बनता था। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा साढे बारह हजार स्पिन्डल्स के बजाय पच्चीस हजार स्पिन्डल्स का यूनिट मिनिमम मान लिया गया; तो यह किया कि साढे बारह हजार स्पिन्डल्स को पच्चीस हजार स्पिन्डल्स तक पहुंचा दें। रीसेन्टली गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने तय किया है कि लार्जेस्ट स्पिन्डल्स होगा उस पर बिग इन्वेस्टमेंट होगा और कॉम्पेक्ट एरिया में होगा तो उसके ओवर हैड चार्जेज भी कम होंगे। इसलिये मेरे ख्याल में पच्चीस हजार स्पिन्डल्स को डबल करके पचास हजार स्पिन्डल्स तक बनायें और इसकी झलक मनुभाई शाह की स्पीच ने जब लास्ट टाइम वे जयपुर में आये थे, तब दी थी।

अभी हमारे राजस्थान के अन्दर फर्टिलाइजर फैक्ट्री की घोषणायें हुई हैं। दो फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज लगाने का इस वक्त विचार है। उसमें से एक फैक्ट्री श्री जालान और दूसरी फैक्ट्री डी. सी. एम. वालों को दी गई है। उनका काम-काज चल रहा है। जहां तक डी. सी एम. फैक्ट्री का सवाल है वह १ लाख ६० हजार टन पर एनम एमोनिया प्रोड्यूस करेगी और २ लाख ४० हजार टन पर एनम यूरिया प्राड्यूस करेगी और ६० हजार टन पर एनम डाइनोमिया फोस्फेट प्रोड्यूस करेगी। डी. सी. एम. का एक और प्लान्ट आर बी. सी. आई. के नाम से कोटा में है, वह कास्टिक सोडा और सोडा ऐश बनाती है। उसकी कैपेसिटी भी इन्क्रीज करने के लिये राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को लिखा है और उनको पर्मिशन मिली है।

जहां तक सीमेंट फैक्ट्री का सवाल है सीमेंट फैक्ट्री के बारे में, जो हरिदेव जो मिनिस्टर कन्सर्न्ड हैं, उन्होंने कुछ बताया है, लेकिन मैं उसमें कुछ ज्यादा रोशनी नहीं डालना चाहता।

श्री भैरोंसिंह : नीम-के-थाने में सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे हैं या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : नीम-के-थाने-लैटर ऑफ इन्टेन्ट जो है वह ६ मोर फैक्ट्रीज को दिये गए हैं . . .

श्री भैरोंसिंह : नीम-के-थाने के बारे में ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं बता रहा हूं, आप शांति रखें।

श्री भैरोंसिंह : आपको याद दिलाया है।

श्री हरिश्चन्द्र : लैटर ऑफ इन्टेन्ट इश्यू हुए हैं वे छः फैक्ट्रीज को इश्यू हुए हैं। कोटा, नीम-का-थाना, ब्यावर, बूंदी और सोजत, एक दो फैक्ट्रीज और हैं, जिनके लिये लैटर ऑफ इन्टेन्ट के लिये लिखा गया है, वह हैं- रामगंज मंडी, पाटन और जयपुर।

जे. के. सिन्थेटिक्स–यह भी एक बडी भारी फैक्ट्री है जिसमें नाइलोन प्रोड्यूस होता है . . .

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०): हमारे झालावाड में भी ?

श्री हरिश्चन्द्र : नाइलोन की कैपेसिटी भी बढाने के लिये हमने लिखा है। मुझे यह आशा है कि गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया इनके एक्सपेंशन प्रोग्राम को स्वीकृत कर देगी। काम भी, मैंने सुना है, काफी खडा हो चुका है। इस वास्ते नाइलोन और टैरेलिन का यार्न बनाते हैं इनका इरादा यह है कि आगे जाकर इनके वीविंग का भी कोई कारखाना लगायें।

(श्री हरिश्चन्द्र)

जहां तक स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज का सवाल है, कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज का डीसेन्ट्रलाइजेशन होना चाहिये। मैं इस चीज को मानता हूं, और डीसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ इन्डस्ट्रीज होना, चाहिये। कोटा से आये माननीय सदस्य मिस्टर गोयल उन्होंने इस बात को कहा है, किन्तु ईसेन्ट्रलाइजेशन तब ही हो सकता है जब हमारे यहां डीसेन्ट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी भी हो। अभी हम इस परिस्थिति में नहीं हैं। चन्द साल पहले तो हम किसी इन्डस्ट्री से कहते थे कि तुम कोई स्माल स्केल इन्डस्ट्री लगाओ, पंचायत समिति, जिला हैड क्वार्टर पर जाओ, किन्तु वहां जब तक बिजली नहीं होती तब तक कुछ काम नहीं कर सकते। इस वास्ते जिस तरह से रेपिडली हमारे यहां पर बिजली का प्रोग्राम चल रहा है। अब डिसेन्ट्रलाइज्ड तरीके से हम गांव के अन्दर जा रहे हैं उस तरह से धीरे-धीरे यह वातावरण राजस्थान के अन्दर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो छोटे-छोटे इलाके हैं उनके अन्दर छोटी छोटी इन्डस्ट्री हम कायम कर सकें। डाइरेक्टोरेट ने जो सर्वे के आधार पर किताबें निकाली हैं, वह माननीय सदस्यों के पास, मैं डाइरेक्टर से कहूंगा, भिजवा दें। भिजवा भी दी हैं। उनको पढें तो उसमें छोटी-छोटी स्कीमों का जिक्र है। इन छोटी-छोटी स्कीमों के लिये अगर कोई माननीय सदस्य अपने इलाके के अन्दर ऐसे एन्टरप्रेन्योर तैयार करते हैं जो उन स्कीम्स के आधार पर या अन्य स्कीम्स के आधार पर फेक्ट्री लगाना चाहें तो राज्य सरकार उसकी अवश्य मदद करेगी। उसमें मुझे कोई एतराज नहीं होना चाहिये। आप किसी को लायें, इन्डस्ट्री लगवायें और अच्छा काम हो तो उसमें कोई एतराज की बात मुझे नजर नहीं आती है। ये स्कीम्स आपके पास भेजी गई हैं, उनको स्टडी करें और देखें....

श्री भैरोंसिंह: पहले भी स्कीम्स आई थीं।

श्री हरिश्चन्द्र: कि कौनसी आपके यहां लग सकती है।

इसी तरह से नागौर और चूरू में दो प्रोजेक्ट्स लिये हैं, रूरल इन्डस्ट्रियलाइजेशन को इन दो के अन्दर वैसे काम भी काफी हुआ है। २७५ यूनिट्स वहां खडी हुई हैं। आज किसी क्षेत्र में २७५ यूनिट्स खडी होना कुछ मायने रखता है, क्योंकि वहां उनको इन्जीनियर्स की मदद दी और वे आगे बढे। अब हम दो चार सौ स्पिन्डल्स के वूलन प्लान्ट लगा रहे हैं, स्पिनिंग प्लान्ट। इस वास्ते जो वहां ऊन होती है उस ऊन से हम यार्न प्रोड्यूस करेंगे और इसका काम स्माल स्केल इन्डस्ट्री को दे रखा है और वह काफी तेजी से काम को कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि वह मिल खडी हो जायं ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले और वहां का काम चले।

वैसे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज स्टट के अन्दर १९४९ में देखें तो आपको मालूम होगा कि ५९९ युनिट्स रजिस्टर्ड थे और उनमें १० हजार आदमी काम करते थे। आज हमारे पास ५,७१० यूनिट्स रजिस्टर्ड हैं और करीब ५० हजार आदमी स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में काम करते हैं।। अब धीरे-धीरे ये डिसेन्ट्रलाजेशन के आधार पर छोटे-छोटे यूनिट्स रखते हैं तो नॉरमली कम पडते और हमारे सामने जो अन एम्प्लायमेन्ट की समस्या है वह किसी हद तक हल हो सकती

(श्री हरिश्चन्द्र)

है। वैसे राज्य सरकार ने लोन्स के जरिये, जैसा कि डिप्टी लीडर स्वतन्त्र पार्टी के हैं उन्होंने कहा है कि चमड़े के उद्योग हैं, कुम्हारी उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं कि जब तक छोटे-छोटे कुटीर उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा वे पनप नहीं सकेंगे, इसलिये जहां तक हो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग हैं, हैन्डीक्राफ्ट्स हैं उन को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। आप सभी माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि हमारे यहां एम्पोरियम्स खुले हैं और उनमें हाथ की बनी चीजें बिकती हैं। इसको प्रोत्साहन देने के लिये हमने एक्सपोर्ट एडवाइजरी कौन्सिल बनाई है और मुख्तलिफ आदमियों की सब-कमेटी बनाई है और उनसे जो जो सुझाव आते हैं, हम यह महसूस करते हैं कि राजस्थान में जो हैन्डीक्राफ्ट्स हैं उनको काफी प्रोत्साहन मिलेगा और जो उनकी राय हो उसके मुताबिक पॉसिबिलिटीज हो उनको एक्सप्लोर किया जाय और उसके अनुसार पैसे का इन्वेस्टमेन्ट किया जाय तो मैं समझता हूं कि काफी फॉरेन एक्सचेन्ज हम प्राप्त कर सकते हैं।

चमड़े के धन्धे के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग चमड़े का धन्धा करते हैं उनसे आपने तो बात की होगी और करते ही होंगे, मैंने भी उनसे बात की और मैंने उनसे कहा कि आप लोग मॉडर्न मशीनरी के ऊपर जूता क्यों नहीं बनाते? हम उसकी क्वालिटी टैस्ट करा देंगे। आप अपने प्रोफेशन को चेन्ज करें। आप जूता बना कर बाहर भेजें। उसकी क्वालिटी टैस्ट हो सकती है। इन्टरप्रेन्योर स्लोगोइंग हो सकती है और उसमें रेडीकल चेन्ज आ सकती है। मगर मैं यह मानता हूं कि हमारे यहां के लोग स्मार्ट नहीं हैं और वे इसको पसन्द नहीं करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह तो स्मार्टनेस हमारी गवर्नमेन्ट में भी नहीं है। गवर्नमेन्ट में हो तो उनमें भी हो सकती है। आप भी किसी बात को जल्दी से जल्दी ६ महीने तक नहीं सुनते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं बोल रहा हूं, आप जरा सुन लें।

श्री भैरोंसिंह : आपने उन पर चार्ज लगाया, उसके लिये कहता हूं कि गवर्नमेन्ट भी स्लैक है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया है।

उनको वह चीज पसन्द नहीं है, क्योंकि उनको वही कीमत तो जूतों की काश्तकारों से मिल जाती है जो वे उनके लिये बनाते हैं। इसलिये वे इसमें पड़ना नहीं चाहते। वे कहते हैं कि हमारे ट्रेड में आप मदद दें तो हम इसी को ठीक तरह से चलावेंगे हमारे यहां पर इसके लिये सेन्टर है जहां स्टूडेन्ट्स को शिक्षा दी जाती है। मैंने डाइरेक्टोरेट में कहा कि जब बच्चे ट्रेन्ड होकर निकलें तो इस बात को फालो अप करना चाहिये कि वे बच्चे जो ट्रेन्ड होकर निकलते हैं तो इस ट्रेड को करें और देखें कि इस ट्रेड में जाते हैं या नहीं। अगर वे इस ट्रेड में जाना चाहते हैं, तो सरकार का यह फर्ज है कि वे उनको इजी इन्स्टालमेन्ट्स पर औजार दिलादें और बाद में उनसे पैसा वसूल करलें। मैं आशा करता हूं कि डाइरेक्टोरेट इस फालो अप प्रोग्राम के अनुसार कार्य करेगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आपने बापू बाजार में जूतों की दूकान इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट की तरफ से लगाई थी, फिर उसमें घाटा क्यों लगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : घाटा लगा और हमने उठाया, तो उनको प्रोत्साहन ही हुआ। बच्चों ने जूते बनाये थे।

श्री मानसिंह महार : आपकी वह बापू बाजार की दूकान बन्द क्यों करदी ? वह तो अब बन्द पड़ी है।

श्री हरिश्चन्द्र : वैसे राजस्थान सरकार ने इस बात की कोशिश की है कि अपने यहां के स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज यूनिट्स हैं वे एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड हो सकें, तो ठीक है या वे डिफेन्स ओरिएन्टेड हो। वहां वे ऐसी चीजें प्रोड्यूस करें जो डिफेन्स में काम आएं हमने दिल्ली में एम्पोरियम कायम किया और डिप्टी डाइरेक्टर की ड्यूटी लगाई, तो वहां पर पिछले तीन-चार महीनों में ६ लाख रुपयों का ऑर्डर मिला है। हम आशा करते हैं कि और भी ज्यादा ऑर्डर्स हमें मिलेंगे।

अब यह प्रश्न आया कि यह एन्सीलरी के तौर पर चलना चाहिये। अगर हमारे युनिट्स एक्सपोर्ट ओरियेन्टेड या डिफेन्स ओरिएन्टेड हो जाते हैं तो उनका रहना मुश्किल नहीं होगा और जो एक्सपोर्ट या डिफेन्स ओरियेन्टस पर निर्भर नहीं हैं तो नॉन टर्म्स मेटल्स पर एग्जिस्ट करना उनके लिये बहुत मुश्किल होगा और आगे चल कर उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिये हमने जॉइन्ट डाइरेक्टर को बताया कि जिस तरह से छोटी-छोटी बातों में पंजाब और दूसरे देशों में टेन्डर सरकार से लेते हैं उसी तरह से हमने स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को कहा है कि वे भी इस तरह के टेन्डर्स लें और डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टीसिपेट करें ताकि हमारे यूनिट्स ठीक तरह से चल सकें।

इसके अलावा कई बातें और भी हमारे माननीय सदस्यों ने कहीं। यह भी कहा गया कि हमारे यहां पर सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन कौन्सिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च बनाया जावे वह राजस्थान स्टेट की सर्वे करे और उस बेसिस पर हम नेक्स्ट इन्डस्ट्रियलाइजेशन के प्रोग्रामों को चला सकें। हम इस बात की भी उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास धन-राशि उपलब्ध हो जावे तो एक इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना करें जो इस तरह के प्रोजेक्ट तैयार करें राजस्थान में और उसके बाद फॉरेन कोले-बोरेशन को तैयार करे जो राजस्थान में आना चाहते हैं। उनको पकी-पकाई स्कीम दे दें ताकि उनको उसमें देखने की जरूरत न हो और वे लोग आते ही अपना काम शुरू कर सकें। इस बात के लिये हमारे पास अभी फाइनेन्स की दिक्कत है। इस बात के लिये अभी यह नहीं कहा जा सकता कि हम इस बात को कहां तक ले जावेंगे।

मैं इस पर ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता। दो-तीन बातों पर माननीय सदस्यों ने कहा है, उस पर रोशनी डालूंगा।

पिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो चीजें बन्द हो रही हैं वे बन्द नहीं होनी चाहियें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो यूनिट चल रहे हैं वे बन्द नहीं होंगे। उसको हम टेक्निकल एज्युकेशन और एग्रीकल्चर

(श्री हरिश्चन्द्र)

डिपार्टमेन्ट के साथ कर रहे हैं ताकि मुख्तलिफ चीजें जो एक दूसरे के साथ जुडी थीं वे अलग अलग न रह कर एक जगह चली जावें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट कर सकता है उसके साथ वे चीजें और टेक्निकल एज्युकेशन कर सकता है, उसके पास वे चीजें ट्रान्सफर कर देंगे।

दूसरी बात यह कही गई कि कई जगह डी. आई. ओ. एस. के दफतर हैं; जैसे डूंगरपुर भीलवाडा, सीकर आदि हैं। उनके लिये इकोनॉमी की बात की गई इकोनॉमी में कटौती की जाती है। मगर हमने उनको हैडक्वाटर पर रखा दिया है जहां-जहां हैं जैसे जयपुर, जोधपुर, ब्यावर, कोटा है। वहां हमारे दफ्तर भी हैं। अगर वे लोग वहां चले जाते हैं तो कन्ट्रोल भी अच्छा होगा। इसमें जो डी. आई. ओ. एस. हैं और आर. डी. डी. एस. हैं, वे अपने अपने इलाकों में घूमें ताकि इन्टरप्रेन्योर्स को भी किसी प्रकार की तकलीफ न हो और सप्ताह भर एक जगह रहें और दूसरे सप्ताह में दूसरी जगह। इससे इन्टरप्रेन्योर्स को दिक्कत है उसको मिटावें; और उनका इन्सपेक्शन भी हो सके।

श्री **भैरोंसिंह**: मन्त्रियों को नींद आने लगी है।

श्री **चन्दनमल वैद** (उप-मंत्री, उद्योग): आपको आने लगी है।

श्री **हरिश्चन्द्र**: यह भी कहा गया कि, आइरन एण्ड स्टील के बारे में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कॉर्पोरेशन केजरिये लेने में क्या सुविधा है? वहां पहले क्या होता था कि जो भी कोटा मिलता था डाइरेक्टली मंगाते थे। हमारे पास शिकायत आई कि डाइरेक्टली मंगाने की पद्धति है, इसमें राजस्थान में नहीं पहुंचता था, इसलिये सेंट्रलाइज करने के लिये कॉर्पोरेशन में आ जाता है। जोधपुर और कोटा में कॉर्पोरेशन की ब्रान्चेज है, वहां से इन्टरप्रेन्योर्स ले जाते हैं।

श्री **भैरोंसिंह**: पैसा तो बढ़ गया न? आज भी उसमें से इन्डस्ट्रीज की मार्फत मिलता है तो लोग चूकते नहीं हैं; जो करते आये हैं वे करते ही हैं।

श्री **हरिश्चन्द्र**: कोशिश तो की जाती है।

श्री **भैरोंसिंह**: कोशिश तो यह होती कि एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट में ऐसे लोगों का चालान करवाते। वह तो आप करते नहीं।

श्री **मानसिंह महार** (आमेर): आप हिज हाइनस को इन्टरप्ट मत कीजिये।

श्री **हरिश्चन्द्र**: माननीया सदस्या ने . .

श्री **सभापति**: वे यहां हैं नहीं।

श्री **हरिश्चन्द्र**: पॉवर के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो-तीन बातें रखीं। मैं उनके सम्बन्ध में निवेदन कर देना चाहता हूं। आपने कहा कि पॉवर कम है और वर्षा नहीं होने से और दिक्कत आ गई है। यह मैं मानता हूं, यह सही है पर इसके साथ ही साथ यह इन्कार नहीं किया जा सकता कि जो एफर्ट्स हयूमनली पासिबल हो सकते हैं वे एफर्टस किये गये हैं। १३२ के. वी. की लाइन पिछले साल खींची, उसके लिये आपने इस सदन में धन्यवाद भी दिया है।

इसी प्रकार गैस टर्बाइन बैंगलोर से शिफ्ट करके कोटा में डेढ-दो महीने में चालू

(श्री हरिश्चन्द्र)
कर देना, यह दूसरा कदम राजस्थान सरकार और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लिया है, वह भी मैं समझता हूं काबिले तारीफ है।

पंजाब से ३ सेंट्स एक एक हजार किलोवाट के शिफ्ट किये। एक भीलवाडा में और दो जयपुर में दिये गये। पांच-पांच सौ किलोवाट के पॉवर सेंट्स भीलवाडा में लगा रहे हैं।

श्री **भैरोंसिह**: वह तो आ गया। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बहस के समय फरमा दें।

श्री **हरिश्चन्द्र** : आपने कहा इसलिये कह रहा हूं। आपने कहा कि जागरूक नहीं रहे; तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम जागरूक हैं।

श्री **भैरोंसिह**: आपकी तकलीफ बचाने के लिये कहा। अभी तालियां बजा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वक्त में और इसी बात पर तालियां बजायेंगे तो तकलीफ होगी।

श्री **हरिश्चन्द्र**: इस बात को गम्भीरतापूर्वक सुनें। यह प्रश्न मेरा नहीं, सारे राजस्थान का है। दिलचस्पी हो तो अच्छा रहता है, नहीं तो मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं। ये एरियाज इन्वॉल्व्ड हैं जो सोलली डिपेन्ड करते हैं गांधी सागर पर, कोटा झालावाड, चित्तौड, भीलवाडा और उदयपुर। गांधी सागर में पानी होने से इन एरियाज में दिक्कतें आयेंगी। कोटा झालावाड में साढे पांच माइल की लाइन पूरी कर दी गई है। भीलवाडा और उदयपुर में दो सेंट्स एक एक हजार के डाल दिये हैं, दो पांच-पांच सौ किलोवाट के और डालेंगे। इन एरियाज को गांधी सागर से आइसोलेट करना चाहते हैं।

इसके अलावा आपने कन्वर्शन ऑफ शेयर्स इन लोन का मामला उठाया। यह मामला हर वक्त इस असेम्बली में उठता है। इसके बारे में मैं यह मानता हूं कि वैसे माननीय सदस्य जो फर्माते हैं उसको मैं रेस्पेक्टफुल्ली सुनता हूं, इसलिये कनविंस करने की कोशिश करता हूं कि यह राजस्थान सरकार ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। यह इन्वेस्टमेंट स्टेट के टाइम का था उसके बारे में यह चीज उठाते हैं तो पोद्दार मिल्स है, उन्होंने हमें डिविडेन्ड नहीं दिया और यह बैड इन्वेस्टमेंट है, यह भी मैं मानता हूं। एक कदम उठा कर राजस्थान ने इन्वेस्टमेंट को ठीक किया है तो

श्री **भैरोंसिह**: माफ करें मुझे, it was not a bad investment.

श्री **हरिश्चन्द्र**: No, if you don't get return it was a bad investment.

श्री **भैरोंसिह** : इसलिये **बैड** इन्वेस्टमेंट था कि आपने कन्ट्रोल नहीं किया। **इसलिए** इस इन्वेस्टमेन्ट का जिस तरह से जैसे भी वह यूटिलाइज कर सकता था उसने इस मनी को यूटिलाइज किया।

श्री **हरिश्चन्द्र** : हमारे डाइरेक्टर्स वहां हैं।

श्री **भैरोंसिह** : डाइरेक्टर्स ने चेक किया होता तो यह नहीं होता।

श्री **हरिश्चन्द्र** : अगर हमारी बदनियती होती तो जहां वेल्यूएशन ६३ रु० किया गया था वहां १२० नहीं लेते, हजारों रुपया इंट्रेस्ट का नहीं लेते।

श्री **भैरोंसिह** : आपकी बदनियती इतनी जरूर है कि आप उसको ओब्लाइज करना चाहते हैं। वह पूंजीपति है, सेठ है, इलेक्शन्स में आपकी मदद करता है इसलिये आप उसको ओब्लाइज करना चाहते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : यह मामला सरकार के नोटिस में आया तो यह कार्यवाही की गई। वह तो एक छदाम भी नहीं दे रहा था। हमारे पास कागज के टुकड़े पड़े ही रहते।

श्री भैरोंसिंह : कम्पनीज एक्ट के तहत आप इस मिल को अपने कन्ट्रोल में ले लेते और जिस तरह भीलवाड़ा को चला रहे हैं उसी तरह से इसको भी चला सकते थे।

श्री हरिश्चन्द्र : जब रिटर्न्स नहीं मिलते थे तो सरकार ने उन शेअर्स को लोन में कन्वर्ट कर दिया और उसे पाबन्द कर दिया कि वह इतना इन्ट्रेस्ट देगा।

श्री भैरोंसिंह : यह तो इस स्टेट गवर्नमेन्ट की बदकिस्मती है कि जिस समय रिटर्न्स आने लग रहे थे, उस समय इन शेअर्स को लोन में कन्वर्ट किया।

श्री हरिश्चन्द्र : I am in possession of the floor. I never get up to interrupt the Hon. Member also and I don't expect this behaviour.

श्री भैरोंसिंह : मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि लोन्स में ऐसे समय में शेअर्स को कन्वर्ट किया कि जिस समय अच्छे रिटर्न्स आने वाले थे।

श्री हरिश्चन्द्र : This is my filling. मैं अभी आ रहा हूं।

हमने इन्डिपेन्डेन्ट ऑडिटर के सामने यह रखा कि तुम बताओ कि इन शेअर्स की क्या वेल्यू होनी चाहिये। उसने ९३ रु० बताया। इस सदन में मैंने कमिट किया था कि शेअर्स की वेल्यू कुछ भी हो, इस आंकड़े से नीचे नहीं जायेंगे। ९३ का वेल्युएशन हुआ है, उसका सरकार ने १२० रुपया लिया है।

श्री भैरोंसिंह : इसीलिये कहता हूं कि ६ लाख रुपया आपने फोरगो किया है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं तो कहता हूं कि एक छदाम नहीं आती, कागज के टुकड़े ही पड़े रहते हमारे पास।

श्री भैरोंसिंह : कागज के टुकड़े इसलिये पड़े रहते कि आपका उस पर कन्ट्रोल नहीं था। अगर आपका उस पर कन्ट्रोल होता तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह हमारा इतना इन्ट्रेस्ट खा जाय। दुनिया भर की अच्छी सरकारें इस तरह की कम्पनीज को कम्पनीज एक्ट के तहत अपने कन्ट्रोल में लेती हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : आप यह कह सकते हैं कि आपने अपने अधिकार छोड़ दिये पर आप यह नहीं कह सकते कि हमने यह फैसला उनके इन्ट्रेस्ट में, उनके मुनाफे में कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : शेअर्स पर्चेज करके उसने सारी मेनेजिंग डाइरेक्टरशिप अपने हाथ में ले ली है। इससे ज्यादा उसके इन्ट्रेस्ट में क्या होता ?

श्री हरिश्चन्द्र : आप यह कहें कि इक्विटी शेअर्स से आपका पार्टिसिपेशन था। उससे क्या होता ? मैं कहता हूं कि उससे सरकार को ज्यादा नुकसान था। शेअर्स को लोन में कन्वर्ट करने से ९३ रुपया वेल्युएशन इन्डिपेन्डेन्ट ऑडीटर ने नापी है। अभी तक कोई इन्ट्रेस्ट नहीं मिलता था, अब उसको हमने लोन में कन्वर्ट किया लोन्स में कन्वर्ट करने में उनकी सिक्युरिटी ली, उसके साथ साथ शेयर का भाव १२० हो गया।

श्री भैरोंसिंह : अभी जो पोद्दार मिल्स का उद्घाटन किया, वहां मुख्यमंत्री ने भाषण

(श्री भैरोंसिंह)
दिया है और श्री मनुभाई शाह ने भाषण दिया है सबने बताया है कि यह कंपनी बहुत बड़ा लाभ देने वाली है, हिन्दुस्तान में अपने नाम की एक ही कंपनी होगी। आज उसके बारे में मंत्री महोदय ने कहा है कि १२०) के हिसाब से शेयर्स बेच दिए हैं। मैं कहता हूं कि इस कम्पनी में लाभ आने का अब मौका आया था, तब आपने प्रिफरेंशियल शेयर्स को कन्वर्ट किया। घाटा आया तो आपने कन्ट्रोल नहीं किया; ६ लाख रुपए हमने फोरगो कर दिए। यह पक्षपात नहीं है तो और क्या है? यह आपके हाथ की बात है।

श्री हरिश्चन्द्र : I am in charge of the department. I take all the responsibility.

श्री भैरोंसिंह : आपने हाउस में कहा था कि लोन्स में कन्वर्ट नहीं होगा, फिर कैसे कन्वर्ट हो गया?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं आपकी तरह हर डिपार्टमेन्ट में सिपाही नहीं रखता। I dont have spies like you have in the various departments. आपको न मालूम कहां से यह खबर मिल गई?

श्री भैरोंसिंह : वह ओपन फैक्ट है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपने हाउस में कहा था कि लोन्स में कन्वर्ट नहीं होगा। मैंने कहा था कि सेठ की चालाकी है कि प्रिफरेंशियल शेयर्स को लोन्स में कन्वर्ट कराया, तो आपने और वित्तमंत्री ने कहा था कि यह झूठ है। उद्योगपतियों की चाबी सुखाड़ियाजी के पास है, आप केवल दस्तखत करते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : एक छोटा सा मामला जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा कि बोनस नहीं दे किया गया है . . .

श्री भैरोंसिंह : According to Companies Law

श्री चन्दनमल वैद : यह सब आपने नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह : यह मैंने पढ़ कर कहा।

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्य कम से कम आधा सेंटेन्स तो नही पढ़ते। पूरा पढ़ते। पूरा नहीं पढ़ने में क्या राज था, यह मुझे मालूम नहीं; लेकिन उन्होंने आधा सेन्टेंस पढ़ा और अगर मैं पूरा पढ़ दूं तो उसके बाद यह होगा :

'Though a lump sum provision of 15 thousand is made in the accounts during this year that means a provision of 15 thousand has been provided to pay the bonus through the employers'.

मगर वह आधा पढ़ कर रह गए।

श्री भैरोंसिंह : No provision has been made as required in the Act. यह क्यों लिखा है?

श्री हरिश्चन्द्र : इस वास्ते लिखा है कि जिस समय एकाऊंट्स तैयार होते हैं; अगर प्रोवीजन नहीं होता है या उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं तो एक लम्प-सम प्रोवीजन कर दिया जाता है। उसके हिसाब से १३,९१५) ५० होने चाहिए तो उतने रुपए इन १५ हजार में से दिए जायेंगे लेकिन आपने चार्ज लगाया कि दिया ही कहां?

श्री भैरोंसिंह : मैंने यह नहीं कहा। मैंने पढ़ कर सुनाया कि No provision has been made.

श्री हरिश्चन्द्र : दूसरा तो पढ़ते । आप आधा पढ़ कर रह जायं, तो मैं क्या करूं ? इसके अलावा आखिर में · · ·

श्री भैरोंसिंह : आइवरी का जवाब दें ।

श्री हरिश्चन्द्र : आपके पास कोई जानकारी है, तो मुझे यह कहना है कि तीन साल से आइवरी का कोटा नहीं दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने जो चार्ज लगाया वह कह दीजिए कि गलत है ।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने कहा कि वे रोजाना मुख्य मंत्री के पास सलाम करने जाते हैं और मेरे पास भी सलाम करने आते हैं । वे न तो मेरे पास आते हैं, न मुख्य मंत्री के पास जाते हैं । आपके पास उसको बुलवाना हो तो मैं कह दूं कि वहां भी सलाम करने आया करे । अगर सलाम से ही नाराजगी हो तो ।

श्री भैरोंसिंह : मुझे अगर बुलाने की हिम्मत होगी तो मंत्री खुद आएंगे मेरे पास सलाम करने । मेरा सवाल यह नहीं है । मेरा सीधा सादा सवाल है कि वह आदमी जो मैन्युफैक्चर नहीं करता, उसको आइवरी का कोटा दिया है या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : आप नोटिस दे देते ।

श्री भैरोंसिंह : आप पूछ लेते ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने पूछा तो डाइरेक्टर साहब ने कहा कि तीन साल से आइवरी का कोटा नहीं दिया ।

श्री भैरोंसिंह : डाइरेक्टर साहब ने झूठ बोला है ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं कह रहा हूं कि तीन साल से नहीं दिया ।

श्री भैरोंसिंह : आप बता दीजिए कि वह मैन्युफैक्चरर है ?

श्री हरिश्चन्द्र : This type of quetions, I cannot give answers like this मैं कह रहा हूं कि तीन साल से नहीं दिया गया या तो आप प्रोड्यूस कर दें . . . .

श्री भैरोंसिंह : आप कह दें कि नहीं दिया ।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं कह रहा हूं कि तीन साल से नहीं दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : आप कहें कि १९६२ से नहीं दिया । आप १९६२ का नाम क्यों नहीं लेते ? यह लेटर है मेरे पास अगस्त १९६५ का । मामूली आदमी ने नहीं लिखा, आइवरी ब्रास एण्ड हैंडीक्राफ्ट्स मेन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन, एम० आई० रोड; जयपुर, का है १४ अगस्त, १९६५; जिसके अंदर नीचे के पैराग्राफ में आपकी जानकारी के लिए पढ़ कर बताऊं "Further we beg to state that according to your advice we had gone through a list of allottees of last periods and found that ivory has been allotted to bogus parties......

List of those parties is given below for your information.

मैंने वे नाम पढ़कर सुनाए उनकी लिस्ट है ।

श्री हरिश्चन्द्र : चिट्ठी किसने लिखी है ?

श्री भैरोंसिंह : आइवरी मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, जयपुर, के सेक्रेटरी ने लिखी है।

श्री हरिश्चन्द्र : हम आइवरी एलॉट नहीं करते। यह भारत सरकार के हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड से अलॉट होता है।

श्री भैरोंसिंह : अल्टीमेट जिम्मेदारी तो डाइरेक्टर की है। जब तक डाइरेक्टर सर्टीफाइ नहीं करता कि लास्ट ईयर का प्रोपर यूटीलाइजेशन हो गया तब तक नहीं मिलता।

श्री हरिश्चन्द्र : डाइरेक्टर ने तीन साल के अंदर नहीं दिया। एक साल में जो दिया गया वह हैंडीक्राफ्ट् बोर्ड ने दिया। मैं आपसे कहता हूं तो आप मानते नहीं हैं और बार बार खड़े होकर, उत्तेजित होकर भाषण देते हैं, जैसे आप सही हैं बाकी सब झूठे हैं; हम सब भ्रष्टाचारी हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप इस तरह से एस्केप नहीं हो सकते। मैंने पर्सनल चार्ज नहीं लगाया है। लेकिन दुख है कि एक अकेला आदमी ईमानदार हो तो उससे ईमानदारी में फर्क नहीं आता। आप अपने विभाग में ईमानदारी लाएं तो वह वास्तविक ईमानदारी है, दुनिया भर का करप्शन इस विभाग में हो रहा है।

(घंटी)

श्री हरिश्चन्द्र : जो आमेर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने जो कुछ कहा मुझे उसमें विशेष नहीं कहना क्योंकि यह एक ऐसा मसला है जिसके लिए उनको परसनली इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और न आशा करता हूं कि ऐसे हल्के दर्जे की बात वह करें, उनके लिए शोभा की बात नहीं है। मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं राजपूतों का लीडर हूं न बनना चाहता हूं। मैं १९५५ से कांग्रेस में आया हूं, जो कुछ कर रहा हूं वह आपके सामने है। मैंने आप की तरह नहीं किया है। डाकण भी अपने घर को नहीं छोड़ती है। आपने इस घर को छोड़ दिया फिर उस घर में चले गए। इधर से उधर चले गए। मैं तो महारावल से कहता हूं कि आप वहां भी खुराफात करेंगे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप लोगों को परेशान किया, यह तो मैं मानता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र : इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इन मांगों को पारित करेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, उनकी नजरें इनायत उनकी तरफ हुई है, लेकिन मैंने सवाल किया उसका जवाब ही नहीं दिया गया। यह उनकी जानकारी में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पहले भी मैंने इस मामले को उठाया और तीसरी बार यहां पर आज इसको उठाया है। आप बताइये कि कागज गये कहां, फाइल कहां गयी? एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट के नीचे क्यों नहीं एक्शन लिया?

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं कर सकते, यह नहीं कर सकते। इनमें दम नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कौन हैं बीच में कहने वाले?

श्री हरिश्चन्द्र : सभापति महोदय, जहां तक श्री ज्वालाप्रसादजी ने सवाल रखा है, मैं माफी चाहता हू, मैंने उत्तर नहीं दिया। बड़ा अहम मसला है। आपने यह पहले भी मसला

(श्री हरिश्चन्द्र)

रेज किया था। जहां तक महकमे का सवाल है, गवर्नमेन्ट का सवाल है सेक्रेटरी साहब से और डाइरेक्टर साहब से भी कहा है कि जांच करके रिपोर्ट भेजें। जहां विदड्रॉग्रल का सवाल है, इतना कह सकता हूं कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट से विदड्रॉग्रल के लिये नहीं कहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपको इन्फोर्मेशन दूं। वह यह देना चाहता हूं कि कोई कन्सर्न आपके डिपार्टमेन्ट का नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से आपके डिपार्टमेन्ट ने फाइल मंगायी। डाइरेक्टर के आॅर्डर से मंगायी गयी। यह फाइल नहीं मिलेगी। ओरिजिनल पेपर्स के लिये हजारों रुपया पुलिस का खर्च करवाया गया।

एक माननीय सदस्य : किस तारीख को मंगायी गयी ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अभी बता दूंगा।

मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इसमें जिम्मेदारी लीजिये, मैं इसको गूढ़ मसला समझता हूं। इसलिये समझता हूं कि जो मेटिरियल है उसको गवर्नमेन्ट काम में नहीं लेती है। अच्छी कीमतें हैं, सेठ लोग लाखों रुपया बना लेते हैं। कोटा आज भी पाते हैं। उनके ऊपर एसेन्शियल कमोडिटी एक्ट में रिपोर्ट आने के बाद सारे कागज इकट्ठे होने पर फाइल नहीं मिल रही है। उसका पता ही नहीं है। मैंने कई बार इसके लिये पूछा है।

श्री भैरोंसिंह : किसी सेठ के साथ एक्शन नहीं ले सकते। उन्हीं सेठों से पैसा लेते हैं। यह गवर्नमेन्ट उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती।

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप से नहीं पूछ रहा हूं। आप काहे को बीच बीच में बोल रहे हो ?

श्री भैरोंसिंह : यह गवर्नमेन्ट ब्लेक मार्केटियर्स के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। उन्हीं के चन्दे से यह सरकार इलेक्शन जीत कर आती है।

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं स्पष्टीकरण करता हूं। बार बार यही बात कर रहे हो।

तुम जनता की तरफ नहीं देखते हो बल्कि सेठों की तरफ देखते हो।

आपके यहां पेड़ों से रुपये नहीं झड़ते हैं, आप भी उन सेठों से लाते हो।

श्री भैरोंसिंह : ब्लेक मार्केटियर्स के पास हम लेने के लिये नही जाते हैं। यह तो उन से पूछो कि वे किन ब्लेक मार्केटियर्स के पास से लाते हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : सेठों से चन्दा लेते हैं तो सेठों को जेलों में भी रखते हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक सेठ का नाम बता दो। मैं चुनौती देता हूं। ये नाम नहीं बता दें तो मैं चुनौती देता हूं।

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप भी सेठों से लाते हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह : नाम बता दो एक भी ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : प्रेसिडेन्ट बने हुए हैं, उन से पूछो ।

श्री भैरोंसिंह : वे वहां बैठे हैं प्रेसिडेन्ट मैं यहां बैठा हूं, मुझ से पूछिये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जोश में आसन को तो न घसीटें ।

श्री भैरोंसिंह : बचने के लिये घसीट रहे हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जनसंघ के पास कहां से आता है, वह हम जानते हैं ।

(६.१५ म. प.)

विधान सभा भवन के बाहर मुरलीधर व्यास इत्यादि की गिरफ्तारी आदि सम्बन्धी शासकीय वक्तव्य

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : सभापति महोदय, कटौती मांगे पास होने के पश्चात् स्टेटमेन्ट दूं या उस से पहले ।

श्री सभापति : आपका स्टेटमेन्ट हो जाय । काफी देर बैठना पड़ा आपको ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : धन्यवाद ।

"विषय : श्री मुरलीधर व्यास की गिरफ्तारी दिनांक १८-३-६६"

आज दिनांक १८-३-६६ को लगभग ११॥ बजे दिन करीब २०० आदमियों का जुलूस हाथों में पी. एस. पी. के झंडे लिये हुए और नारे लगाते हुए विधान सभा के सामने के चौक में आये । इस सभा का नेतृत्व सर्व श्री व्यास, जोरावरमल बोडा, भंवरलाल, श्रीमती भगवती देवी व अन्य कर रहे थे । उनके साथ दो तांगों में लाउड स्पीकर व माइक्रोफोन्स फिट किये हुए भी थे । श्री व्यास व उनके जुलूस के मेम्बर बल प्रयोग द्वारा विधान सभा में प्रवेश करने की उत्तेजना दे रहे थे । इस प्रकार वे जुलूस के लोगों को नाजायज तौर पर विधान सभा में दाखिला होकर मदाखलत करने की उत्तेजना दी जाने पर, जुलूस ने हमसलाह होकर विधान सभा भवन में बल प्रयोग कर, प्रवेश की तैयारी की और माइक पर कहते रहे कि वे ११ सत्याग्रहियों को लेकर विधान सभा भवन में घुसेंगे और यदि रोका गया तो वे जबरन दाखिल होंगे । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये श्री व्यास आदि एक के बाद एक, तीन, कोर्डन को तोड़ते हुए सभा भवन की ओर धक्का-धूम करते हुए बढे ।

इस जुलूस ने हमसलाह होकर और पुलिस अधिकारियों के द्वारा समझाने पर भी कोई बात नहीं मानी और अपने, सभा भवन में दाखिल होने के, इरादे को पूरा करने की कोशिश करता रहा । इस हरकत को रोकने का अन्य उपाय न पाकर श्री व्यास को अरेस्ट करने का प्रयास किया गया तो श्री व्यास जमीन पर लेट गये और साथ ही उनके साथियों ने उनको चारों ओर से घेर लिया ।

अन्त में डी. आई. जी., रेन्ज अजमेर के दफ्तर के सामने श्री व्यास को दफा ४।६ नोइजेज कन्ट्रोल एक्ट, १९६३ के तहत

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

अरेस्ट करना पड़ा। उन से जमानत मांगी गई तो उनने इन्कार किया।

यह उल्लेख करना भी उपयुक्त होगा कि श्री व्यास व उनकी पार्टी ने दिनांक १७-३-६६ को सायंकाल जयपुर होटल में मीटिंग कर यह निर्णय लिया था कि वे कल असेम्बली में हर हालत में मय उनके साथियों के प्रवेश करेंगे।

श्री व्यास के साथ न तो कोई दुर्व्यवहार किया गया न कोई बल प्रयोग।

"आज मुख्य मंत्री महोदय से उक्त घटना के बाद पी. एस. पी. के सदस्यों का एक दल मिला व विनम्रता से निवेदन किया कि वे लोग श्री व्यास को छोड़ देने पर शान्ति पूर्वक चले जावेंगे।"

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): कृपा कर इसको एक दफा फिर पढ़ दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य: "आज मुख्य मंत्री महोदय से उक्त घटना के बाद पी. एस. पी. के सदस्यों का एक दल मिला व विनम्रता से निवेदन किया कि वे लोग श्री व्यास को छोड़ देने पर शान्ति पूर्वक चले जावेंगे। उक्त आश्वासन पर श्री व्यास के खिलाफ मुकदमा विड्रा किया जाकर उन्हें छोड़ दिया गया है। उनके साथियों को भी शांति भंग होने का अादेश न रहने से आजाद कर दिया गया है।

मांग संख्या २१, ४०-उद्योग इत्यादि
(पूर्व क्रम से)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५—उद्योग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४६,७७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ९६—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८०,७९,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७—वैज्ञानिक विभाग के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३८,२८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही शनिवार, १९ मार्च के ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म०प० ६ बजकर ३१ मिनिट पर दिनांक १९ मार्च, १९६६ के म. पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

परिशिष्ट १

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

माध्यमिक शाला, पचपहाड

३५२. **श्री गोविन्दसिंह** (पिड़ावा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) माध्यमिक शाला पचपहाड (जिला झालावाड) में कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) क्या यह सही है कि माध्यमिक शाला में विद्यार्थियों को देखते हुए कमरे कम हैं और भवन की हालत भी मरम्मत न होने से दिन पर दिन क्षीण होती जा रही है और बरसात के दिनों में विद्यार्थियों के बैठने की जगह नहीं रहने के कारण विद्यार्थियों की छुट्टी करनी पड़ती है ?

(३) क्या यह सही है कि जनता द्वारा अभी अभी दो कमरे बनाए गए हैं ?

(४) क्या राज्य सरकार जनता द्वारा दो कमरे बना देने के बाद दो कमरे और इसी साल बनवाने का कार्य तुरन्त आरम्भ कर देगी ?

(५) राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार स्कूलों में अधिक कमरे बनाने की क्या नीति है ? शहरों व देहातों के संबंध में अलग अलग बताने की कृपा करें ?

उत्तर

(१) माध्यमिक शाला पचपहाड में ४१० छात्र शिक्षा पा रहे हैं ।

(२) भवन की कमी अवश्य है और इसी की पूर्ति करने के लिये शाला को दो पारियों में चलाया जा रहा है ।

यह हो सकता है कि उस भवन के कुछ कमरे ज्यादा मरम्मत चाहते हों । परन्तु अर्थाभाव के कारण राज्य सरकार भवनों के लिये समुचित मरम्मत व निर्माण कार्य की व्यवस्था करने में असमर्थ है और इसलिये जनता के सहयोग पर निर्भर करती है । वैसे गत वर्ष ही भवन की मरम्मत के लिए भवन के मूल्य के एक प्रतिशत के हिसाब से १६७) रु० दिया गया है ।

(३) जी हां ।

(४) राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष १०००) रु० की सहायता प्रदान की जा चुकी है । यदि वहां की जनता सहयोग प्रदान करेगी तो उतनी ही धन राशि यदि बजट में प्रावधान होगा तो उसे देने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ।

राज्य सरकार के पास अर्थाभाव के कारण इतनी धन राशि नहीं है कि वह जनता द्वारा कमरे बनवाये जाने पर उतने ही कमरे अपने कोष से देकर बनवाये । राज्य में ऐसे बहुत स्कूल हैं जहां हम इस तरह किये गये जनता के सहयोग से बने हुये भवनों व कमरों के हिसाब से अपना सहयोग देने में असमर्थ हैं ।

(५) भवन (कमरे) बनाने सम्बन्धी सरकार की नीति निम्न प्रकार से है:—

सरकार अपने खर्च से केवल वही भवन बनाती है जहां शाला खोलनी अति आवश्यक

(श्री शिक्षा मंत्री)

हो या जनता द्वारा भवन निर्माण हेतु अनुदान मिल सके। बने हुये भवनों में सरकार अपने खर्चे से निम्न अवस्था में समुचित धन (प्रावधान) होने पर ही वृद्धि कर सकती है:--

१. यदि बोर्ड की शर्त पूरी करनी हो।

२. यदि छात्र संख्या में वृद्धि हो जावे और अधिक स्थान की आवश्यकता हो।

३. स्थानीय जनता ने उस भवन के लिये निर्माण में अनुदान दिया हो और सरकार से उस अनुदान में योग चाहा हो।

परन्तु अर्थाभाव के कारण हम इस नीति का पालन नहीं कर पा रहे हैं हम जब कोई नई शाला खोलते हैं तो जनता से यह आश्वासन चाहते हैं कि वह भवन निर्माण कराये। इसी तरह नये विषय खोलने के लिये मरम्मत के लिये भी जनता से सहयोग चाहते हैं। राज्य सरकार शिक्षा पर बजट का २० प्रतिशत से अधिक खर्च कर रही है और जनता का सहयोग शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये अधिक से अधिक मात्रा में जन सहयोग अपेक्षित है।

पुलिस विभाग के ट्रेन्ड कुत्ते

३५३. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) पुलिस विभाग के पास कितने ऐसे ट्रेण्ड कुत्ते हैं जिनके द्वारा चोरियां, लूट, कत्ल आदि जुर्मों के मामलों में तफतीश में पुलिस को मदद मिलती है? ये कुत्ते कहां से कितने रुपयों में खरीदे गये हैं? और उन पर अब किस किस प्रकार का कितना मासिक खर्चा होता है?

(२) इन कुत्तों को अब तक कितने मामलों में काम में लिया गया है और उनमें से कितने प्रतिशत मामलों में कामयाबी मिली है?

(३) क्या सरकार इस काम के लिये राज्य के अच्छी किस्म के कुत्तों को इस तरह की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(४) क्या सरकार इस तरह के कुत्ते राज्य के जिला पुलिस कार्यालयों पर रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

१. पुलिस विभाग के पास एक प्रशिक्षित कुत्ता है तथा एक प्रशिक्षित कुतिया है। जिनसे अपराधों की खोज में सहायता ली जाती है यह दोनों हिमाचल प्रदेश से ३००) रुपया प्रति बच्चा कुत्ता खरीदा गया था इनके खुराक तथा चिकित्सा पर इस आर्थिक वर्ष में जनवरी, १९६६ तक औसतन रुपया ६६०-३४ माहवार खर्चा हुआ।

२. अब तक ४३ अपराधों में इन कुत्तों का उपयोग किया गया जिनमें से ६० प्रतिशत अपराधों में वे सहायक सिद्ध हुए।

३. एक शिक्षित कुत्ता व एक शिक्षित कुतिया के तीन नवजात बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है परन्तु २-१-६६ को एक बच्चे के मर जाने से अब केवल दो बच्चे ही ट्रेनिग पा रहे हैं। धीरे धीरे इसका विस्तार

(श्री गृह मंत्री)
किया जायगा, इसके प्रशिक्षण के लिये १।। वर्ष की अवधि होती है और इन कुत्तों को यहीं पर ट्रेण्ड किया जा रहा है। यह कुत्ते अलशिशयन हैं जो कि प्रसिद्ध नस्ल है।

४. प्रारम्भ में रेन्ज मुख्यालयों पर प्रशिक्षित कुत्तों को रखने का विचार है और यदि इससे अपराधों की खोज में आशातीत सफलता मिली तो इसका विस्तार जिलों में भी किया जा सकेगा। किन्तु यह क्रियान्वित होगा या नहीं, यदि हुई तो अब तक इसके लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती। यह सब योग्य कुत्तों की तथा धन (अर्थ) की उपलब्धि पर निर्भर है।

उप-शिक्षा निरीक्षक, अलवर के विरुद्ध शिकायतें

३५४. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेडा) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) श्री श्रीराम जोशी, उप-शिक्षा निरीक्षक अलवर कब से उक्त स्थान पर नियुक्त हैं? क्या यह सही है कि समय २ पर उच्चाधिकारियों को श्री जोशी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें की जाती रही हैं, जैसे मनमाने ढंग से नियुक्तियां करने, नियुक्तियां करने के लिये रिश्वत लेने तथा अकारण अध्यापकों के स्थानान्तरण करने के लिये रिश्वत मांगने आदि? यदि हां, तो उस पर अपने पद के दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(२) क्या यह सही है कि श्री जोशी के कार्यालय में सरकारी पंखों, कुर्सियों व साइकिलों आदि की मरम्मत भी होती रही है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि एक पंखा रंजन साइज १६ इंच, जो कि श्री जोशी का स्वयं का है, की मरम्मत सरकारी खर्च पर की गई और दिनांक २ अगस्त, १९६३ को जरिये रसीद नं. ५९४ के भुगतान मैसर्स शर्मा इलक्ट्रिक कम्पनी, अलवर को किया गया?

(३) क्या यह सही है कि वर्ष १९६४ में एस० एस० टी० सी० ट्रेनिंग अलवर में ओवर एज तथा मट्रिक सप्लीमेन्टरी परीक्षा में पास व्यक्तियों को भेजा गया है जब कि प्रथम व द्वितीय श्रेणी के उम्मीदवार मौजूद थे और अनियमित कार्यवाही में श्री जोशी ने सक्रिय भाग अदा किया है।

(४) क्या यह सही है कि श्री जोशी वर्ष १९६४ के माह मई के दूसरे सप्ताह में अपने रिश्तेदार श्री शिक्षाचन्द जोशी के लड़के की शादी में भाचाडी (राजगढ़-अलवर) गये थे तथा उस पीरियड का दौरा दिखा कर उन्होंने भत्ता वसूल किया?

(५) क्या यह सही है कि श्री जोशी द्वारा स्थानान्तरण के मामले में राजकीय नियमों की अवहेलना की जाती रही है, जैसे श्री रामकिशोर मिडिल स्कूल ढिगावडा व श्री चक्रवर्ती गुप्ता मिडिल स्कूल, चौक-सेकसराय जो अलवर में नियुक्त है और जोशी के निकटतम रिश्तेदार हैं, के स्थानान्तरण ३-४ मास में ही याने २ साल से पूर्व किये गये और नियमानुसार डिप्टी डाइरेक्टर की पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई?

(६) क्या यह सही है कि अलवर निरीक्षणालय में सन् १९६०-६१ में साइंस के इक्वीपमेंट की हजारों रुपयों की खरीद हुई और उसमें ५१७) रु० का गबन हुआ और

Page No. 151

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा)) जिसकी श्री जोशी ने नियमानुसार रिपोर्ट महालेखापाल व शिक्षा सचिव, राजस्थान को नहीं की क्योंकि उस समय उनके स्वयं के और उनके रिश्तेदार के स्वार्थ निहित थे ?

(७) क्या यह सही है कि श्री रमेशचन्द्र का जो श्री जोशी के भाई हैं और नान मैट्रिक हैं, और गवर्नमेन्ट प्रेस, अलवर में कम्पोजिटर थे, सहायक अध्यापक के पद पर स्थानान्तरण कराने का श्रेय श्री जोशी को है? यदि हां, तो यह नियम प्रतिकूलता क्यों की गई ?

(८) क्या सरकार श्री जोशी के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित अनियमितताओं में अविलम्ब कार्यवाही कर उनका शीघ्र अन्यत्र स्थानान्तरण करने का विचार रखती है जिससे कर्मचारी वर्ग आगे परेशान न हों ?

उत्तर

(१) श्री श्रीराम जोशी, उप-शिक्षा-निरीक्षक, अलवर के पद पर जुलाई सन् १९६२ से कार्य कर रहे हैं। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इन्होंने कोई अनियमित कार्यवाही नहीं की अतः इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) वक्त जरूरत पर सरकारी सामान की मरम्मत होती ही रहती है। श्री जोशी ने भी एक अपना निजी पंखा मरम्मत के लिये शर्मा इलेक्ट्रिक कम्पनी, अलवर के यहां ठीक होने भेजा था पहले जो रसीद आई थी उसमें रजंन पंखे का नाम लिखा गया था परन्तु बाद में गलती मालूम होने पर उसको कैंसिल करवाकर दूसरी रसीद बनवाई गई जिसमें पंखे का नाम नहीं दिलाया गया है।

(३) चुनाव बोर्ड के साक्षातकार के परिणाम पर प्रशिक्षण के प्रत्याशियों को भेजा गया है। केवल श्री जोशी का इस क्रम में कोई उत्तरदायित्व नहीं है क्यों कि चुनाव के लिये ३ बोर्ड थे और प्रत्येक में ३-३ सदस्य थे।

(४) श्री जोशी के उस समय के टूर प्रोग्राम को देखने से पता चलता है कि वह दिनांक १८-५-६४ व १९-५-६४ को राजगढ़ गये जहां से माचाडी ५ मील की दूरी पर है।

(५) श्री जोशी उत्तरीय खंड के उप-निरीक्षक थे जबकि कथित परिवर्तन इनके खंड के नहीं थे अतः इन्हें उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता है। वैसे परिवर्तन जो भी हुये हैं वे सभी विधिवत हुए हैं।

(६) श्री जोशी उस समय निरीक्षक कार्यालय अलवर में उपनिरीक्षक नहीं थे।

(७) एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरण सम्बन्धित विभागों के राजी होने पर ही होते हैं। श्री रमेशचन्द्र जोशी का स्थानान्तरण भी श्री उपसंचालक, जयपुर की स्वीकृति पर इस विभाग में हुआ। यह स्थानान्तरण विधिवत था या नहीं इसके बारे में छान बीन की जा रही है। उस समय इनकी योग्यता बम्बई विद्यापीठ की हिन्दी उत्तमा जो मैट्रिक के समकक्ष है, थी। श्री रमेशचन्द्र जोशी के स्थानान्तरण के समय श्री श्रीराम जोशी उपनिरीक्षक, अलवर नहीं थे। प्रशिक्षित आशार्थियों के उपलब्ध न होने पर अप्रशिक्षित आशार्थी नियुक्त किये गये थे।

Page No. 152

(श्री शिक्षा मंत्री)

(८) श्री श्रीराम जोशी के खिलाफ उस समय ऐसी कोई शिकायत नहीं थी अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री श्रीराम जोशी का स्थानान्तरण प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा (भीलवाडा) में हो गया है।

राज्य में शक्कर का वितरण

३५५. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या मंत्री खाद्य विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान के ग्रामों में प्रति माह प्रति कुटुम्ब किस मात्रा में शक्कर वितरित की जाती है ? क्या राज्य सरकार केन्द्र से अधिक कोटा मिलने के कारण इस मात्रा में वृद्धि करने का विचार रखती है ?

(२) क्या यह सही है कि बाली तहसील के ग्रामों में शक्कर का राशन भी दो महीने में केवल एक बार मिलता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(३) क्या राज्य सरकार प्रति माह निश्चित मात्रा के अनुसार प्रति कुटुम्ब शक्कर उपलब्ध हो सके इसकी व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(१) ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी का वितरण प्रति व्यक्ति प्रति माह ३०० ग्राम तक किया जाता है। जी नहीं, मौजूदा मिलने वाले चीनी के कोटे में वृद्धि हुई तो यह मात्रा और बढाई जा सकेगी।

(२) जी नहीं, यह शक्कर के मिलने वाले कोटे पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्र के चीनी के कोटे में कमी पड़ने पर कुछ ग्राम यदि रह जाते हैं तो उन्हें दूसरे माह में प्राथमिकता दी जाती है।

(३) बाली तहसील में प्रति व्यक्ति २५० ग्राम शक्कर ग्रामीण जनता में वितरण किये जाने की व्यवस्था है।

सरकार द्वारा ज्वार और मक्का की खरीद

३५६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिस रोज ज्वार और मक्का की सरकारी खरीद बन्द की गई और इसकी निकासी बन्द की गई उस रोज तक कितना ज्वार और कितनी मक्का सरकार ने खरीद की थी और किस भाव पर इसमें से कितनी ज्वार और कितनी मक्का राज्य के बाहर भेज दी गई थी ?

उत्तर

लगभग ज्वार, १४५८१ टन व मक्का ६००७ टन की खरीद की गई और उसमें से ज्वार २८७२ व मक्का ४०१६ टन बाहर भेजी गई।

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक १८ मार्च, १९६६)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
३२७५	१३	अनुसुचित	अनुसूचित
३२८५	२३	आंफ	ऑफ
३२८६	१६	श्री कृष्णकुमारः	श्री कृष्णकुमार गोयल :
३२८६ व ३२६०	क्रमशः १६ व १०	लड्ढा :	लड्ढा
३२६०	२२	अलटमेन्ट	अलॉटमेन्ट
३२६१	१३	(श्री दोलतराम	(श्री दौलतराम
३२६२	१७	(नाथूराम	(श्री नाथूराम
,,	अन्तिम मे ८	(जोहरी बाजार	(जौहरी बाजार,
३२६५	१७	श्री नाथ्राम मिर्घा	श्री नाथूराम मिर्घा
३३०४	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
३३०५	१४	एडोप्ट	एडॉप्ट
,,	१५	म	में
,,	१६	क	के
,,	अन्तिम	उदयपुर	उदयपुर में
३३१०	२	ागरफ्तार	गिरफ्तार
,,	१०	गोविन्द सहाय	गोविन्द सहाय
,,	१७	ागरफ्तार	गिरफ्तार
,,	अन्तिम से ५	साल भर को	माल भर की
३३११	,, ३	क्या इधर उधर	इधर-उधर
३३१६	,, १०	वद्य	वैद्य
३३२०	५	ाबल	बिल
,,	८	ाक	कि
,,	१२	ादक्कतें	दिक्कतें
३३२१	अन्तिम से ७	ानकलती	निकलती
३३२२	१	ाक	कि

ब

१	२	३	४
३३२४	१	ह	हैं
,,	अन्तिम	कम्पमी	कम्पनी
३३२७	१	ावचार	विचार
,,	अन्तिम मे ६	ओरजिनल	ओरिजिनल
३३३८	१७	क	के
३३४६	अन्तिम	भूि	भूमि
३३४८	८	सांगा ेर	सांगानेर
३३५२	६	विभगग	बिभाग
३३५३	५	कानन	कानून
३३५६	अन्तिम से ११	सांकोर	सांचोर
३३६१	,, २	यवहार	व्यवहार
३३६४	शीर्षक	१६६६ की	१६६६-की
३३६५	१६	गोठंडा	गोठडा
,,	अन्तिम से ३	द ।	दें ।
३३६८	,, ११	पानी	पानी के
३३७०	,, ११	प्रयाप्त	पर्याप्त
३३७१	७	लंख्या	संख्या
,,	अन्तिम	म	में
३३७४	अन्तिम से १०	(लघू)	(लघु)
,,	,, से [illegible]	प्रात	प्रति
३३७७	१५	(सिरेही)	सिरोही
,,	अन्तिमं से ६	रमुचित	समुचित
३३७८	११	शोषक	शीर्षक
,,	अन्तिम से ८	औद्योगि ककार्यों	औद्योगिक कार्यो
३३८०	२	शर्मा	शर्मा
३३८१	शीर्ष	(श्री डूंगाराम	(श्री डूंगाराम
,,	३	लिए ।	लिए) ।
३३८२	११	ावकास	विकास
,,	१२	ादया	दिया
,,	अन्तिम से ३	करन	करने
३३८४	७	श्री गंगसिह	श्री गंगासिह
३३८६	१८	तूंजी	पूंजी
३३६०	१०	दती	देती

स

१	२	३	४
३३६४	४	पड हुए	पडे हुए
३३९६	स्तम्भ	३३६	३३९६
,,	१३	हृरिदेव ६	हरिदेव
३३९८	अन्तिम से १०	डांइरेक्टर	डाइरेक्टर
३३९९	,, ६	ाववार	विचार
,,	अन्तिम	ाहन्दुस्तान	हिन्दुस्तान
३४०४	२	इमालए	इसलिए
३४०५	१७	औधेगीकरण	औद्योगीकरण
३४१६	६	श्री सभापात	श्री सभापति
३४२१	२०	कांग्रस	कांग्रेस
,,	अन्तिम से २	चेयरमन	चेयरमेन
३४२३	,, ,, ८	श्री सभापाश	श्री सभापति
३४२४	१४	श्री परसराम मवरणा	श्री परसराम मवेरणा
३४३१	अन्तिम से १	(आर्सीद)	(आसीन्द)
३४३४	२२	ाक	कि
३४४१	११	इन्डस्टियल	इन्डस्ट्रियल
३४४३	४	इन्‍ स्ट्रियल	,,
३४५०	२३, २६	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
३४५३	अन्तिम से ११	ट्रान्सपोट	ट्रान्सपोट
,,	,, ,, १०	खराब हाता जा रहा है।	खराब होती जा रही है।
,,	,, ,, ९	मन्जूरी ल रहा है	मन्जूरी ले रही है।
३४५८	अन्तिम से ६	श्री ‌दनमल बंद	श्री चन्दनमल बंद
३४५९	५	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
३४६१	८	कूछ	कुछ
३४६२	१५	हि	वह
३४६५	१७	ऑफिसर्स	ऑफिसर्स
,,	२१	अच्छ है	अच्छे हैं
३४६६	७	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
३४७२	१७	गवर्नमेट	गवर्नमेन्ट
३४७३	अन्तिम से ६	गवर्नमेन्ट	,,
,,	,, ,, १	अला न्स	अलाउन्स
३४७६	,, ,, ४	सुखाडिया जी	सुखाड़िया जी
३४७८	,, ,, १२	चोथी योजना	चौथी योजना
,,	,, ,, १	डवलपमेन्ट	डेवलपमेन्ट

द

१	२		३	४
३४७६	स्तम्भ		३४६६	३४७६
,,	४		स्मेल्टिग	स्मेल्टिग
३४८१	१२		करूंाा	करूंगा
३४८५	१४		रखा	रक्खा
३४८६	१२		परतु	परन्तु
३४८८	अन्तिम से	६	खरीद	खरीदते
३४६१	,,	,, ५	मदूरी	मजदूरी
३४६२	,,	,, १०	म	में
३४६६	,,	,, २	कापट्स	क्रापट्स
३५००	,,	,, १२	बड़ बड़	बड़े बड़े
३५०२	,,	,, २	लेकिा	लेकिन
,,	अन्तिम से	१५	डिपाटमेन्टली	डिपार्टमेन्टली
३५०३	शीर्ष		(श्री हरीदेव	(श्री हरिदेव
३५०५	,,		,,	,,
,,	३		फ्लीलराइट	फ्लोराइट
,,	अन्तिम से	६	र्थी।	थीं।
३५०७	,,	,, ७	एसी	ऐसी
३५१२	,,	,, ६	परेशानियाउ पने	परेशानियां आपने
,,	,,	,, ८	जावगा	जावेंगी
३५१२	अन्तिम से	३	मैन	मैंने
,,	अन्तिम		ा नमें	उनमें
३५१३	५		श्री हरिदेव जोशो	श्री हरिदेव जोशी
३५१४	अन्तिम से	६	च हृती	चाहती
३५१५	शीर्ष		(श्री जेठमल)	(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
,,	अन्तिम से	६	वरदड़	वरवड़
३५१६	३		श्री हरदेव	श्री हरिदेव
३५१८	२		फक्टरी	फैक्टरी
३५१६	८		खेरी	खरीदे
,,	अन्तिम से	२	गवनमेन्ट	गवर्नमेन्ट
३५२६	शीर्षक		वज्ञानिक	वैज्ञानिक
,,	१		एक्मेश	एक्सेस
३५२८	अन्तिम से	४	वस्टेज	वेस्टेज
३५२६	६		इन्ववारी । ?	इन्क्वायरी की ?
३५३०	अन्तिम से	१४	vrification	verification

Page No. 157

छ

१	२	३	४
३५३४	१२	मभे	मुभे
३५३५	८	इक्कठा	इकट्ठा
,,	१८	के लिय	के लिये
३५३६	१४	गोर	गौर
३५४३	११	मेर	मेरे
,,	अन्तिम से १०	प्राड्यूस	प्रोड्यूस
३५४७	शीर्ष	हरिश्च द्र)	हरिश्चन्द्र)
,,	अन्तिम से १४	अनसार पैने का	अनुसार पैसे का
३५४९	११	वसे	वैसे
,,	१६	चाजें	चीजें
३५५२	अन्तिम से १०	ह	है
३५५४	शीर्षक	ैज्ञानिक	वैज्ञानिक
३५५९	अन्तिम से ५	श्री होश्चन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
३५६०	६	मन्युफेक्चरर	मैन्युफैक्चरर
३५६१	शीर्षक	मात्र, १ ६६–	मार्च, १९६६–
३५६७	अन्तिम से ५	२१, ४० उद्योग	२१, ४० व १४–उद्योग
३५७२	४	कितमें	कितने
३५७३	२	ह	है
,,	४	नरल	नरल
,,	८	म	में
,,	१६	बातने	बताने
३५७५	शीर्ष	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा))	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)